खण्ड-427, अंक-2
मंगलवार, 31 भाद्रपद, शक संवत् 1920
(22 सितम्बर, 1998 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, चतुर्थ सत्र 1998)

खण्ड 427 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1998

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

कार्यवाही अनुभाग

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	1
जनपद पौड़ी गढ़वाल में अतिवृष्टि एवं भूस्खलन से प्रभावित गांवों को अन्यत्र स्थायी बसाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1
जनपद जौनपुर के मछली शहर तथा मडियाहूं विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कई ग्राम सभाओं में एक जंगली जानवर के काट लेने से हुई विभिन्न मौतों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	2
जनपद प्रतापगढ़ के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में इण्डिया मार्क हैण्डपम्प लगाये जाने में की गई कथित धांधली की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	2
जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित जनता को राहत प्रदान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	2-3
मेरठ नगर निगम क्षेत्र में अधिकृत कमेले में लाइसेंस की शर्तों के विरुद्ध कार्य होना एवं अनधिकृत कमेलों के चलने से लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य को होने वाले गम्भीर खतरे के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	3-4
जनपद सुल्तानपर के तराई बीज निगम के एक उपकेन्द्र शारदन बीज शोधन के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा किसानों के प्रति उदासीनता एवं संवेदनहीनता बरते जाने से उत्पन्न स्थिति संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	4
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	4
विधान सभा के उपवेशन दिनांक 22 जुलाई, 98 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये विकास निधि बनाये जाने के संबंध में अध्यक्ष पीठ से दिये गये निदेश की अवहेलना विषयक औचित्य का प्रश्न	5-6
मंत्रि परिषद् के सदस्यों द्वारा विरोधाभास पूर्ण वक्तव्य दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	7-9
विधान सभा के दिनांक 22 एवं 23 सितम्बर, 1998 के उपवेशनों में प्रश्नों को तथा नियम [illegible] तथा 311 की सूचनाओं को न रखे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	9-11
उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अध्यादेश, 1998.....(पटल पर रखा गया) ...	11
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1998 .... (पटल पर रखा गया)	11
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1998 .... (पटल पर रखा गया)	11

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1998 .... (पटल पर रखा गया)	11
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998.....(पटल पर रखा गया) ...	12
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998 पर प्रस्तुत संकल्प पर संशोधन देने का प्रारूप एवं निर्धारित समय.....	12
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1997.....(महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की सूचना)	12
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997.....(महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की सूचना)	12
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1998.....(महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	13
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998..... (महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	13
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1998.....(महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	13
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998.....(महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	13
उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1998..... (महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	13
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1998.....(महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	13
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव.. (जारी) ...	14
कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्ताव के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	15
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	15
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998 पर संकल्प (प्रस्तुत)	16-20
उत्तर प्रदेश विधान सभा में बजट समितियों (विभागीय स्थायी समितियों) के गठन के प्रयोजनार्थ गठित अध्ययन समिति का कार्यकाल बढ़ाये जाने की सूचना ...	21
विधान सभा उपाध्यक्ष से संबंधित सभी समितियों में कार्यकारी सभापति का नाम निर्देशित किये जाने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	21-23
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1998..... (पुरःस्थापित) ...	23
प्रदेश में आयी बाढ़ और राहत कार्यों के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	24-30
पूर्वी उत्तर प्रदेश की भीषण बाढ़ समस्या के स्थायी समाधान हेतु राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की संस्तुतियों को कार्यान्वित किये जाने संबंधी श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव का नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं चर्चा ..... (जारी)	31-67

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री श्रीप्रकाश शुक्ल माफिया डान के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की सूचना ...	68
पूर्वी उत्तर प्रदेश की भीषण बाढ़ समस्या के स्थायी समाधान हेतु राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की संस्तुतियों को कार्यान्वित किये जाने संबंधी श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव का नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं चर्चा	69-109
दिनांक 16, 18 व 19 अगस्त, 1998 को पिथौरागढ़ के मालपा गांव तथा रुद्र प्रयाग के उखीमढ़ क्षेत्र के अतिरिक्त कुमायूं व गढ़वाल मण्डल में हुये भू-स्खलन एवं प्रदेश में आयी भीषण बाढ़ से जान-माल के क्षति के संबंध में शोकोद्गार संबंधी प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	109-110

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कार्यवाही अनुभाग

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 22 सितम्बर, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अजय राय, श्री	वाराणसी
अनीस खां, श्री	पीलीभीत
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ
आर०के० सिंह पटेल, श्री	बांदा
इन्द्रजीत सरोज, श्री	इलाहाबाद
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
ओंकार सिंह, श्री	एटा
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजिम अली खां, उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कृष्णपाल सिंह, श्री	कानपुर देहात
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
छोटे लाल राजभर, श्री	बलिया
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जगदीश नारायण (मुन्ना), श्री	जौनपुर
जय नारायण तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
ज्ञानवती सिंह, डा०	अलीगढ़
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर
नीरज चतुर्वेदी, श्री	कानपुर नगर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
पूरन सिंह, बुन्देला, श्री	ललितपुर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
बी० आर० वर्मा, श्री	जौनपुर
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री	सीतापुर
भगवती प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	इलाहाबाद
महेन्द्र पाल निषाद, श्री	बांदा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुराद लारी, श्री	देवरिया
मुहर सिंह अम्बाडी, श्री	इटावा
मोहम्मद मुकीम, श्री	सिद्धार्थनगर
राजा राम पाल, श्री	कानपुर देहात
राजेन्द्र, श्री	गाजीपुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम ललित चौधरी, श्री	बस्ती
रामवीर उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक सिंह, श्री	इलाहाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लाल मणि प्रसाद, श्री	बस्ती
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विभूति प्रसाद निषाद, श्री	आजमगढ़
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम सुन्दर, श्री	रायबरेली
श्रीराम पाल, श्री	जालौन
सतीश जतारिया, श्री	झांसी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हर प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हीरालाल गौतम, श्री	आजमगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार दिनांक 22 सितम्बर, 1998

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 22 सितम्बर, 1998 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनाएं प्राप्त हुयीं । यह सभी सूचनाएं स्वीकार कर ली गयी हैं ।

पहली सूचना श्री भारत सिंह रावत की जनपद पौड़ी गढ़वाल में अतिवृष्टि एवं भूस्खलन से प्रभावित गांवों को अन्यत्र स्थायी बसाने के संबंध में, दूसरी सूचना श्री ज्वाला प्रसाद यादव की जनपद जौनपुर के मछलीशहर तथा मड़ियाहूं विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कई ग्राम सभाओं में एक जंगली जानवर के काटने से हुयी मौतों के संबंध में है । तीसरी सूचना श्री चन्द्रनाथ सिंह की प्रतापगढ़ के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प लगाने में की गयी धांधली के बारे में जांच कराने से संबंधित है । चौथी सूचना डा० धर्मज्ञ मिश्र की जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित जनता को राहत प्रदान के संबंध में है । पांचवीं सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ नगर निगम क्षेत्र में अधिकृत कमेले में लाइसेन्स की शर्तों के विरुद्ध कार्य होने एवं अनधिकृत कमेलों के चलने से लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य के खतरे से संबंधित है । छठी सूचना श्री तेजभान सिंह की जनपद सुल्तानपुर में तराई बीज निगम के एक उपकेन्द्र शारदन बीज शोधन के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा किसानों के प्रति उदासीनता बरतने के संबंध में है ।

(उक्त सभी सूचनायें सदन की अनुमति से पढ़ी हुयी मानी गयीं)

जनपद पौड़ी गढ़वाल में अतिवृष्टि एवं भूस्खलन से प्रभावित गांवों को अन्यत्र स्थायी बसाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भारत सिंह रावत–

[मान्यवर, पौड़ी गढ़वाल के ग्राम कसाणा जोग्याणा एवं 12 गांवों को अतिवृष्टि एवं भूस्खलन से अधिक क्षति हुई है, ये गांव रहने के काबिल नहीं है । मकानों में दरारें पड़ गई हैं, भूमि का कटाव एवं भूस्खलन से गांवों की सारी भूमि अपने स्थान से खिसक रही है, दरारे पड़ गई हैं । इन गांवों में रहना निरापद नहीं है लोग अपने भविष्य के बारे में चिन्तित हैं । सन् 1974-75 में भी इन गांवों में भीषण भूस्खलन हुआ था लोग मरे थे तब से अब तक लोगों ने सरकार से भूमि बदलाव के लिए बार-बार प्रयास किया है यह भूमि बदलाव वन विभाग से करने के लिए प्रशासन एवं ग्रामवासियों ने बार-बार निवेदन किया है भूमि बदलाव से वन विभाग को अधिक भूमि एवं वन मिल रहे हैं । आपसे अनुरोध है कि :–

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से प्रभावित गांवों को अन्यत्र स्थायी बसाने हेतु निर्देशित करने की कृपा कर दें ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद जौनपुर के मछली शहर तथा मड़ियाहूं विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कई ग्राम सभाओं में जंगली जानवर के काट लेने से हुई मौतों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

[मान्यवर, जनपद जौनपुर के मछली शहर तथा मड़ियाहूं विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्राम देवरिया मुजार, सरावां, अरूवावां, बडेरी, बनपुरवा आदि ग्राम सभाओं में लगभग 300 व्यक्तियों को जंगली जानवर ने काट लिया है उनमें से सुई लगने के बावजूद भी लोगों की मृत्यु हो रही है । अभी तक 14 व्यक्तियों तथा सैकड़ों जानवरों की मृत्यु उक्त जानवर के काटने से हो गई है जिससे क्षेत्र में भय एवं आतंक व्याप्त हो गया है । जिला प्रशासन जानवर के काटे हुए व्यक्तियों एवं जानवरों का इलाज करने में अक्षम साबित हो रहा है ।

अतः मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल डाक्टरों की उच्च स्तरीय टीम मछली शहर, इलाज हेतु भेजी जाय और साथ ही साथ उक्त जानवरों को मारने हेतु जिला प्रशासन को आदेशित किया जाय ।]

जनपद प्रतापगढ़ के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाए जाने में की गयी कथित धांधली की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्द्रनाथ सिंह–

[मान्यवर, प्रतापगढ़ जनपद में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाये जाने में सभी नियम तथा शासनादेशों का उल्लंघन किया गया है जो निम्नलिखित है :–

1–जल निगम तथा एग्रो प्रतापगढ़ द्वारा लगभग 20 लाख रुपये की सामग्री बाजार में बेच दिया गया है और हैण्ड पम्प कागजों पर दिखाया गया जिससे कागजों पर वे गांव संतृप्त हो गये हैं ।

2–प्रभावशाली व्यक्तियों के घरों के आंगन एवं द्वार के शोभा हैण्ड पम्प बन रहे हैं । एक पुरवा में सभी हैण्ड पम्प लग गये हैं गरीब पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के बस्ती में पेयजल की समस्या से ग्रसित हैं ।

3–उल्लेखनीय है कि मेरे गांव सभा में श्री उमाशंकर तिवारी की बस्ती में 30 व्यक्तियों की संख्या में एक हैण्ड पम्प पहले से लगा था कुआं भी है किन्तु रिश्वत ले करके जल निगम के अभियन्ता ने व्यक्तिगत हैण्ड पम्प लगा दिया है ।

4–सभासद चिलबिला प्रतापगढ़ श्री श्याम सुन्दर ताऊ ने अपने घर में हैण्ड पम्प लगवा लिया है । इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हैं । अतः उपरोक्त प्रकरण पर विजलेन्स द्वारा जांच करायें ।]

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित जनता को राहत प्रदान किए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[मान्यवर, आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि जनपद हरदोई का 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र 23 ड्रेनों एवं गंगा कबीरा कल्याणी, राम गंगा, सई इन पांच नदियों से घिरा हुआ है प्रतिवर्ष बाढ़ एवं जलभराव से हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो जाती है जिससे जन-धन की भारी हानि होती है इस वर्ष अतिवृष्टि एवं बाढ़ से उक्त नदियों एवं ड्रेनों से हजारों एकड़ खरीफ की

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

फसलें नष्ट हुई हजारों घर नष्ट हुए बाढ़ से क्षेत्र की सड़कें जर्जर होकर कट गयी तमाम पुलियां टूट गई क्षेत्र में व्यापक जनधन एवं पशु सम्पदा की हानि हुई है घर गृहस्थी के सामान के साथ-साथ ग्राम के ग्राम नष्ट हो गये भीषण बर्बादी एवं क्षेत्र की तबाही होने के बाद भी शासन की घोषणा के अनुसार नियमानुसार जनता को राहत नहीं प्रदान की जा रही है । क्षेत्र की पीड़ित जनता त्राहि-त्राहि कर रही है जिला बाढ़ प्रबन्ध योजना 1998 में 15000/–वार्षिक आय तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पीड़ित परिवारों में प्रति परिवार 1500 अहेतुक सहायता तथा 15000 से अधिक आय वाले परिवार जो भुखमरी के शिकार हैं उनको भी 1500 की अहेतुक सहायता का प्राविधान है बाढ़ को आये दो माह बीत रहे हैं जिन गांवों के नाम जिला बाढ़ प्रबन्ध योजना में वर्ष 1998 में सम्मिलित किये गये हैं उन गांवों को अभी तक सहायता सूची में शामिल नहीं किया जा रहा है । दैवी आपदा पीड़ितों की नष्ट फसलों के एवज में प्रति एकड़ 1000/–की आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में भी अनदेखी की जा रही है क्षेत्र की पीड़ित जनता एवं कृषक अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है । जनता राहत पाने के लिए सरकार से आशान्वित है । जनता को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नांकित व्यवस्थायें वरीयता के आधार पर पूरी कराने की आवश्यकता है । अहेतुक सहायता एवं मकान बनाने हेतु 25000 रु० कम से कम दिया जाय । 2–नष्ट फसलों के लिए प्रति एकड़ 1000/–दिया जाय । 3–रबी की फसल बोने हेतु खेतों से जल निकासी का प्रबन्ध । 4–कटी सड़कों की मरम्मत एवं टूटी पुलियों का निर्माण । 5–संक्रामक रोगों के रोकथाम की उचित व्यवस्था । 6–गंगा नदी की कटान रोकने हेतु बांध का निर्माण 7–शुद्ध पेयजल व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्का हैण्ड पम्पों का लगवाया जाना । 8–देय वसूली स्थगित कर लगान माफी की घोषणा । 9–दस हजार रु० तक के कर्ज माफ करने की घोषणा । 10–पशुओं का टीकाकरण व औषधि व चारे की व्यवस्था । 11–जवाहर रोजगार योजना की धनराशि से नावों का खरीदना । 12–गंगा नदी की कगार पर बसे गांवों के लोगों को ऊंची जगह बसाना । 13–नालों व ड्रेनों की प्रति वर्ष खोदाई सफाई एवं ड्रेनों के कटे बन्धों की मरम्मत । 14–दैवी आपदा से मृत व्यक्तियों के परिवारों को तथा मृत पशुओं की दशा में जनता को अहेतुक सहायता इत्यादि प्रदान की आवश्यकता है ।

यह लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है अतः सदन के संज्ञान में लाया जाना आवश्यक है । जिससे कार्यवाही होकर पीड़ित जनता को राहत मिल सके ।]

मेरठ नगर निगम क्षेत्र में अधिकृत कमेले में लाइसेन्स की शर्तों के विरुद्ध कार्य होना एवं अनधिकृत कमेलों के चलने से लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य को होने वाले गंभीर खतरे के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[मान्यवर, मेरठ नगर निगम द्वारा अधिकृत कमेले में लाइसेन्स की शर्तों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है ।

1–हड्डी चर्बी का पकाया जाना (जो निषिद्ध है)

2–निर्धारित संख्या से सैकड़ों गुना पशुओं का वध हो रहा है ।

3–हापुड़ बागपत, दिल्ली में पशुबध नियंत्रित होने के कारण वहां की आवश्यकता का भी कटान यहीं करा जा रहा है ।

4–हापुड़ बागपत दिल्ली से लाकर हड्डी चर्बी मेरठ में पकाया जा रहा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इसके कारण सम्पूर्ण मेरठ महानगर में दूर-दूर तक दुर्गन्ध व्याप्त हो जाती है, लोगों का घरों में रहना दूभर हो गया है, खाना नहीं खा पाते हैं । आसपास के 2-3 किलोमीटर की हिन्दू मुस्लिम आबादी तो संड़ाध कीटाणुओं से इतना ग्रस्त है कि उनके घर अस्पताल का रूप ले चुके हैं । लापरवाही भ्रष्टाचार के कारण नगर निगम जिला एवं पुलिस प्रशासन की कुम्भकर्णी निद्रा अभी तक नहीं टूटी है पहले एक बार इसी मुद्दे पर अंसारी कुरेशी विवाद हो चुका है अभी तक मुकदमें चल रहे हैं । एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई थी ।

अंतएव अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को जो कि महानगर की जनता के स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था से जुड़ा है, सदन के संज्ञान में लाते हुये प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद सुल्तानपुर में तराई बीज निगम के एक उपकेन्द्र शरदन बीज शोधन के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा किसानों के प्रति उदासीनता एवं संवेदनशीलता बरते जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री तेजभान सिंह–

[मान्यवर, जनपद सुल्तानपुर में तराई बीज निगम का एक उपकेन्द्र शरदन बीज शोधन केन्द्र कार्यरत है । यह शोधन संयंत्र इस निगम के लाल फीता शाही मनमानी उपेक्षा से जहां कई वर्षों से बन्द है । मशीनें जंग खा रही हैं । इमारत ढह रही है परिसर में जल भराव है । अव्यवस्था का बोलबाला है । वहीं यहां के बीज उत्पादक का फैजाबाद में कार्यरत कर्मचारी अधिकारियों को घोर उपेक्षा से असन्तोष है । यहां के बीज के नमूने फैजाबाद के कार्यालय में जहां महीनों पड़े रहते हैं वहीं किसानों को स्वयं फैजाबाद जाने पर भी कोई क्लर्क, अधिकारी मौके पर नहीं मिल सकता । सहयोग न मिलने से अन्डर साईज को समय से न भेजने की जहां आम शिकायत है । वहीं भुगतान ड्राफ्ट को समय से न भेजना मामूली बात है ।

श्रीमन् इस बार शासन में गेहूं के खरीद का हम किसानों के ड्राफ्ट पूरे 3-4 माह रोके रखा गया । बार-बार फैजाबाद सम्पर्क करने पर कोई समुचित उत्तर न देने एक ड्राफ्ट पर बगैर बैंक प्रबन्धक के हस्ताक्षर के ही भेज देने से व्यापारियों के भुगतान से भी बदतर सलूक से जहां किसानों में असन्तोष है वहीं यहां के अधिकारी के कार्य के प्रति किसानों के प्रति उदासीनता व संवेदनहीनता से शासन की छवि खराब हो रही है ।

अतः इस लोक महत्व में प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर शारदन समय चालू करने किसानों के भुगतान समय से करने बीज के नमूने अन्डर साइज का संग्रह निपटारा समय से करने की मांग करता हूं ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत 3 सूचनाएं प्राप्त हुयी हैं । पहली सूचना श्री समरपाल सिंह जी की है । मुझे याद है कि मैंने इस संबंध में शासन को निर्देश दिया था ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

विधान सभा के उपवेशन दिनांक 22 जुलाई, 1998 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विकास निधि बनाये जाने के संबंध में अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देश की अवहेलना विषयक औचित्य का प्रश्न

* श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है और हम लोग यहां पर समय-समय पर प्रदेश की समस्याओं के संबंध में अपनी बात रखते हैं और उस पर आपकी पीठ से आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं । आप निर्देश देते हैं तो यह समझा जाता है कि वह बाध्यकारी है और सरकार उसका पालन करेगी । लेकिन अगर आपकी पीठ से स्पष्ट निर्देश होने के बाद सरकार पालन न करे तो यह आपकी अवहेलना है और इससे संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है । पिछले सत्र में 22 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संबंध में नियम 56 के अन्तर्गत एक मामला उठाया गया था कि जिस प्रकार से पूर्वांचल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि की स्थापना की गयी है उसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये विकास निधि की स्थापना करने की बात उठायी गयी । वहां के विकास के लिये धन आवंटन करने के संबंध में तमाम माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की थी । पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हो रही है वहां जितने विकास के कार्य होने चाहिये वह नहीं हो रहे हैं । आपने वह सूचना अग्राह्य किया था लेकिन अपनी पीठ से निर्देश दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जितने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायक हैं उन्होंने वहां के विकास के बारे में चिन्ता प्रकट की है । स्वाभाविक भी है कि वहां के जनप्रतिनिधि हैं तो वहां की चिन्ता करेंगे ।

आप एक बैठक बुला लीजिये ताकि माननीय विधायकों की जो विकास की समस्या है उनसे आप अवगत हो जायें और उनका समाधान निकल आये ताकि यह भी कहने को हो कि सरकार उनका भी ध्यान दे रही है । आप जल्दी ही एक बैठक बुला लीजिये । यह निर्देश आपकी पीठ से दिये गये थे । मैं कहना चाहता हूं कि आज की तारीख तक बैठक की तारीख निश्चित नहीं की गयी है न कोई चिट्ठी भेजी गयी है और न बैठक का प्रारूप तय किया गया है । यह आपकी पीठ का स्पष्ट उल्लंघन है । आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आन्दोलन हो रहे हैं । अब समस्या यह नहीं रह गयी है कि विकास निधि दी जाय । सरकार जानबूझकर सौतेला व्यवहार कर रही है । सदन में स्पष्ट निर्देशों के होने के बावजूद सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आन्दोलन चल रहा है विकास निधि के लिये नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य के रूप में बनाया जाय । हम वहां हाई कोर्ट, कृषि विश्वविद्यालय, पी० सी० एस० के सेन्टर की मांग नहीं कर रहे हैं, मांग यह कह रहे हैं कि जिस प्रकार से उत्तरांचल राज्य के लिये विधेयक लाया गया है ।

तो हमारी मांग है कि उत्तरांचल के साथ-साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिये भी प्रस्ताव इस सदन में पारित हो, तब जाकर वहां के लोगों को न्याय मिलेगा और वहां के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है वह दूर हो जायेगा । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ लोगों की समस्यायें हैं, वहां की सड़कें देख लें तो चलने के काबिल नहीं हैं जहां एक घण्टे में पहुंचना चाहिए वहां 4 घण्टे में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं । सरकार ने घोषणा की थी कि 72 घण्टे के अन्दर खराब ट्रांसफार्मर बदल दिये जायेंगे । आज सम्पूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हजारों ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं । यहा कहा जा रहा है कि हम 16 घण्टे बिजली दे रहे हैं लेकिन 10 घण्टे भी बिजली नहीं मिल रही है । मान्यवर, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है । संविधान के आर्टीकल 15 में साफ लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा । लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मौलिक सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ी अध्यक्ष–

मौलिक अधिकारों की बात कहां से आ गयी । प्रश्न तो यह है कि निर्देश के बाद बैठक क्यों नहीं की गयी ?

श्री समरपाल सिंह*

मान्यवर, आपके निर्देश के बाद बैठक नहीं बुलायी गयी । सरकार आपके निर्देशों की अवहेलना कर रही है । इसलिये इस सदन के चलने का कोई औचित्य नहीं है । आप इस पर व्यवस्था दें ।

*मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं । पहली बात तो यह कि सरकार उत्तर प्रदेश के संतुलित और सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है । यह सरकार उत्तर प्रदेश में पिछले कितने ही वर्षों से जो क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है उसको भी दूर करने के लिए प्रयासरत है । तीसरी बात इस माननीय सदन में माननीय सदस्यों के द्वारा जो कुछ भी प्रश्न उठाये जाते हैं, सरकार उन सारे प्रश्नों को गंभीरता से लेती है, समस्याएं उठायी जाती हैं, स्वाभाविक है उन समस्याओं के समाधान के लिए भी सकारात्मक रूप से सरकार कदम उठाती है । जहां तक अध्यक्ष पीठ के द्वारा दिये गये निर्देशों का प्रश्न है तो हम अध्यक्ष पीठ के द्वारा दिये गये निर्देशों का पूरी श्रद्धा के साथ सम्मान करते हैं । मुझे याद है कि श्रीमन् आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माननीय विधायकों के साथ बैठकर के बातचीत कर उनकी समस्यायें सुनने एवं यथासंभव उनके निराकरण करने का निर्देश निर्गत किया था । परन्तु इस बीच में पूरे प्रदेश भर में एक अभूतपूर्व दैवी आपदा भयंकर बाढ़ और भीषण भू-स्खलन पैदा हो गयी । सरकार का पूरा ध्यान इस मानवीय त्रासदी की ओर गया । समय न मिलने के कारण से हम अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माननीय विधायकों की बैठक नहीं बुला सके और जिन परिस्थितियों में नहीं बुला सके वह सबके सामने हैं । इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि हम वह बैठक नहीं बुलाना चाहते । हम यहां पर आपके निर्देशों का पालन करते हुये 5 अक्टूबर, 1998 को सायंकाल 6.00 बजे मीटिंग बुलाये जाने की घोषणा करते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

श्री समरपाल सिंह जी और माननीय मुख्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बैठक की तिथि और समय की घोषणा कर दी है, इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री आर० पी० एन० सिंह और श्री जगदम्बिका पाल जी की है । पाल जी के हस्ताक्षर के बारे में सन्देह हो रहा है । अगर पाल जी के हस्ताक्षर नहीं है तो पूरी सूचना निरस्त कर दूंगा । पाल साहब आपके जो सामान्य हस्ताक्षर हैं उनसे यह मेल नहीं खाते ।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायिक शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मैं बहुत दिनों से पाल साहब के हस्ताक्षर देख रहा हूं सदन के सामने तो यह काम म करें जनता के सामने तो कर दिया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मंत्रि-परिषद् के सदस्यों द्वारा विरोधाभास पूर्ण वक्तव्य दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री प्रमोद कुमार–

अध्यक्ष महोदय, यह सम्मानित सदन भारत के संविधान से गठित हुआ है और यह नियमों से चलता है । संविधान के अनुच्छेद 163 के अन्तर्गत राज्यपाल की सहायता के लिये और सलाह देने के लिये मंत्रि-परिषद् का गठन होता है । 164(2) के अन्तर्गत मंत्रि-परिषद् विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी । यह सिद्धान्त है । यह सिद्धान्त परिभाषित है और सदा सर्वदा से इसका पालन होता रहा है । सम्मानित कल्याण सिंह मंत्रि-मण्डल में खुलेआम इस सिद्धान्त की अवहेलना की जाती रही है । मैं दो-तीन उदाहरण देना चाहता हूं । अभी पूरे प्रदेश में भयानक बाढ़ आई इस बाढ़ में सरकार ने क्या किया नहीं किया यह तो जब चर्चा होगी उस वक्त मैं बताऊंगा । बाढ़ में सरकार ने अपने कर्तव्य की घोर उपेक्षा की । अभी बाढ़ में बाढ़ राज्य मंत्री गये और उन्होंने कहा कि यह सिंचाई विभाग की लापरवाही से बाढ़ आयी है उसके बाद सिंचाई मंत्री गये उन्होंने कहा कि बाढ़ राज्य मंत्री की लापरवाही के कारण बाढ़ आई है । अभी कुछ दिन पूर्व मुझे यह जानकारी मिली यह मैं समाचार पत्रों से नहीं बता रहा हूं यह हमारे सामने की बात है । कुछ मंत्रियों ने कहा कि जब तक पूर्वांचल राज्य विस्थापित नहीं होगा, उत्तराखंड नहीं बनने दिया जायेगा । कुछ मंत्रियों ने कहा कि हरिद्वार अगर उत्तराखण्ड में शामिल रहेगा तो हम उत्तरांचल राज्य नहीं बनने देंगे । कुछ मंत्रियों ने कहा कि हरिद्वार राज्य अगर उत्तराखण्ड में रहेगा तो हम जमकर उसका विरोध करेंगे । यह कल्याण सिंह सरकार की सोची समझी साजिश है वह उत्तराखण्ड नहीं बनने देना चाहते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि जिस दिन उत्तराखण्ड बन जायेगा वह भूतपूर्व मुख्य मंत्री हो जायेंगे । उनकी सरकार अल्पमत में आ जायेगी इसलिये वह उत्तराखण्ड नहीं बनने देना चाहते हैं । मंत्रियों के एक मत न होने से पूरे प्रदेश में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है । 164(2) का उल्लंघन करके वह मंत्रि-परिषद् के सदस्य नहीं रह सकते हैं । इससे सदन का भी अवमान हुआ है । आप यह व्यवस्था दें कि वह 164(2) का दृढ़ता से पालन करें ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

जैसा कि प्रमोद तिवारी जी ने कहा है कि मंत्रि-परिषद् सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है । इसी सदन में सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत किसी विभाग का मंत्री यदि अनुपस्थित है तो दूसरे विभाग का मंत्री उस विभाग के प्रश्नों और संकल्पों का उत्तर देने का उत्तरदायित्व निभा सकता है । किसी भी सरकार की ताकत का मूल मंत्र है सामूहिक उत्तरदायित्व । कल श्री कल्याण सिंह की सरकार ने एक वर्ष का कार्यकाल पूरा किया इस वर्ष में मंत्रि-परिषद् के सदस्यों में आपसी तालमेल का अभाव रहा । विभिन्न विषयों पर उनके मतभेद रहे वह मतभेद मंत्रि-परिषद् की बैठकों में होते तो कोई बात नहीं थी । यह बाहर प्रदर्शित होते रहे हैं इससे एक ऐसा वातावरण बना वह पूरी तरह से इस सरकार की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है । इस सरकार की दिशा और नीयत पर इस प्रदेश की जनता प्रश्न चिन्ह लगाती है । माननीय मुख्य मंत्री जी एक वरिष्ठतम सदस्य हैं पिछले 8–9 बार से इस सदन की शोभा बढ़ा रहे हैं । किसी भी प्रकार से यदि कोई मंत्री सार्वजनिक तौर पर अपने किसी मतभेद को उजागर करता तो उसे मंत्रिपरिषद् से इस्तीफा देना पड़ता था या उसे निकालने की बात होती थी । अगर मंत्रि-परिषद् का कोई सदस्य बाहर किसी सवाल पर अपने मतभेद उजागर करता है तो उसे सामूहिक उत्तरदायित्व पर चोट पहुंचती है । मान्यवर, यह गम्भीर प्रश्न है आप लगातार देख भी रहे होंगे कि कुछ मंत्री बयान देते हैं कि उधमसिंह नगर उत्तरांचल में शामिल किया जाये या उत्तर प्रदेश में रहने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिया जाय । आज मंत्रि-परिषद् साफ तौर से बटा हुआ है । हरिद्वार की स्थिति को लेकर भी सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिये गये और कहा गया कि पूर्वांचल नहीं तो उत्तरांचल नहीं । तो ऐसी स्थिति में सरकार की कौन सी स्थिरता होगी ? इसी तरह की स्थिरता से एक साल पूरा कर लिया और प्रत्येक-प्रत्येक दिन मतभेद होते गये और नीति विषयक मामलों में मतभेद होते गये तो इससे सरकार की दिशा स्पष्ट परिलक्षित होती है इसलिये मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न बनता है इसे आप अग्राह्य करें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, दो प्रश्न उठाये गये एक तो यह विभिन्न मंत्रियों ने अलग-अलग बयान दिये उत्तरांचल के विषय को लेकर आज वह विषय सम्मानित सदन के सामने है और सारा मंत्रि-मण्डल सदन में उपस्थित है थोड़ी देर में ही सिद्ध हो जायेगा कि मंत्रि-मण्डल में कितनी एकजुटता है अपने विचारों को अभिव्यक्ति करने के लिये यह फोरम है इसलिये मान्यवर, उत्तरांचल भी बनेगा और प्रदेश की वर्तमान सरकार भी चलेगी । इसलिये आप जो मन में लिये बैठे हैं उसे आप निकाल दें । मान्यवर, मैं पाल साहब से यह आग्रह करना चाहूंगा कि बाढ़ के बारे में इस मंत्रि-मण्डल में जिस एकता के साथ बाढ़ की विभीषिका का सामना किया और हर जिले में जा-जाकर मंत्रियों ने मार्ग-दर्शन दिये वह अभूतपूर्व है । इससे पहले इस प्रकार की विभीषिका कहीं भी नहीं आयी और इतने बड़े पैमाने पर काम भी पहले कभी नहीं हुआ । मैं पाल साहब से कहना चाहूंगा कि जो यह हस्ताक्षर हैं उस कलम को वह अपने ही हाथ में रखें क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने हाथ को दूसरों को दिया उसका खामियाजा वह भुगत चुके हैं । मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न नहीं है इसलिये इसे अग्राह्य किया जाये ।

श्री प्रमोद कुमार–

नहीं एक बार भी यह माना नहीं कि हमारे मंत्रियों ने भूतकाल में क्या कहा है ? एक बार भी यह नही माना कि हमारे मंत्रियों के वक्तव्य में फर्क है । "आज जो होने जा रहा है उसमें देख लीजियेगा"। मेरा प्रश्न आज जो होने जा रहा है उसके संदर्भ में नहीं है जो वक्तव्य मंत्रियों द्वारा फर्क-फर्क दिये गये हैं उसके सम्बन्ध में है । सरकार ने एक तरह से तो मेरे औचित्य के प्रश्न को अपने आप में स्वीकार कर लिया है । मैं इस पर पुनः बल देना चाहता हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी ने जो कहा है अगर मेरे पास प्रमाण रहा होता तो मैं उसका प्रतिवाद नहीं करता । मान्यवर, मैंने प्रमाणित किया कि हम विधान सभा में बैठे हैं सारा मंत्रि-मण्डल एक जगह में हैं । आप कुछ भी खड़े होकर कह दें ।

(व्यवधान)

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह सदन संसदीय परम्पराओं से चलता है, आपके निर्णय से यह सदन चलता है, विधान सभा की कार्य तथा संचालन नियमावली से यह सदन चलता है । औचित्य का प्रश्न केवल वह होता है जो वर्तमान में इस विधान सभा के अन्दर कोई चीज हो या पूर्व के उन बातों से जिससे विधान सभा की कार्यवाही विनियमित होती हो । मान्यवर, यह प्रश्न विरोधाभास बयान के संबंध में आया है ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आपकी बात आ गई ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, यह औचित्य का प्रश्न माननीय सदस्य तिवारी जी और पाल जी ने जो रखा है। इससे तो आप स्वयं मेरी इस बात से संतुष्ट होंगे कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि पीछे जो हो गया वह हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। माननीय सदस्य ने यह प्रश्न इसलिये रखा है कि पीछे इस तरह से कन्ट्राडिक्टरी बयान दिये गये जो कि नितान्त भ्रामक हैं और यह संसदीय परम्परा के विपरीत है इसलिये इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार किया जाय। प्रश्न स्पष्ट है इससे आप भी सहमत होंगे। मैं इस पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अनुच्छेद 164 के अन्तर्गत मंत्रि-परिषद् सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। शासन की नीतियों में एकरूपता रहनी चाहिये ताकि जनता का विश्वास और आस्था उसमें प्रतिबद्ध रहे। शासन की नीतियां स्पष्ट हों और शासन का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी लोगों को जनता के समक्ष उसमें एकरूपता बनी रहे। नियम 300 के अन्तर्गत वह प्रश्न आता है जो संविधान के ऐसे अनुच्छेदों जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन होता है के संबंध में उठाया जा सकता है। इस सूचना के माध्यम से जो प्रश्न उठाया गया है इससे इस सदन की कार्यवाही विनियमित नहीं होती है अतः माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय तिवारी जी, माननीय पाल जी व माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त इस सूचना को निरस्त करता हूं।

दूसरी सूचना माननीय राम औतार शाक्य जी की है।

विधान सभा के दिनांक 22 एवं 23 सितम्बर, 1998 के उपवेशनों में प्रश्नों को तथा नियम 56, 51 तथा 311 की सूचनाओं को न रखे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता सदन और वर्तमान सरकार से कहना चाहता हूं कि इस समय प्रदेश में बहुत सारी ज्वलन्त समस्यायें हैं। बाढ़ का जिक्र किया गया है उसके संबंध में माननीय सदन चर्चा करेगा और चर्चा होगी लेकिन इसके अलावा इस प्रदेश में बहुत सारी ऐसी समस्यायें हैं जो परमाणु विस्फोट के कारण प्रदेश की बहुत सी परियोजनायें ठप्प हो गई हैं। परमाणु विस्फोट के कारण बड़ी शक्तियों ने आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिया है जिससे यह परियोजनायें बन्द हो गई हैं। इसके संबंध में क्या विचार होना चाहिये ? वर्तमान प्रदेश सरकार ने क्या अलटरनेट व्यवस्था की है ? क्या इस प्रदेश को वित्तीय संकट के झरोखे में ढकेल दिया जायेगा ? क्या अलटरनेट व्यवस्था होगी, इस पर भी विचार करना था। इस प्रदेश में जाति के आधार पर बहुत से लोग फर्जी इनकाउन्टर में मारे गये। खास तौर से समाजवादी पार्टी के लोगों को जेल में डाल दिया गया। इस संबंध में तमाम अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न किये गये हैं। इस वर्तमान सरकार में जो साम्प्रदायिक ताकतें आर०एस०एस० , बजरंग दल और भाजपा हैं इन्होंने अधिकारियों को मारना पीटना शुरू कर दिया है। आई०पी०एस० को मारा है तमाम अधिकारियों को मारा है। लखनऊ में घटनायें घटित हुई हैं। हाथरस में घटनायें घटित हुई हैं, मथुरा में घटनायें घटित हुई हैं। इस तरह से आर०एस०एस० के अराजकतत्वों ने अधिकारियों कर्मचारियों को मारा पीटा है। इस प्रदेश में कानून व्यवस्था का कोई राज्य नहीं रह गया है। तमाम ज्वलन्त समस्यायें हैं, सदन मात्र दो दिन का बुलाया गया है इसमें भी हमारे अधिकारों की कटौती कर दी गई है। अल्पसूचित सवाल, अतारांकित सवाल, तारांकित सवाल नहीं लिये गये हैं। नियम 56, नियम 311, नियम 51 की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सूचना भी नहीं रखी गई है । इस सदन में सरकार जनता की समस्याओं पर विचार नहीं कर रही है । मैंने नियम 300 की सूचना में भी यही कहा है ।

संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक पत्र भेजा है अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 68 के विषय में यह निर्धारित किया गया है कि चतुर्थ सत्र के दूसरे सोमवार के लिये है इसी तरह से माननीय सदस्यों के अनेकानेक अतारांकित सवाल हैं वह नहीं लिये गये हैं । अब दूसरा सोमवार इस सत्र का आ जायेगा क्या अन्य अतारांकित प्रश्नों का जबाव आ पायेगा । पिछले सत्र के स्थानान्तरित सवाल इस सत्र में आ पायेंगे । विधान सभा के सदस्य इस पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हो, सारे माननीय सदस्यों का प्रयास रहता है कि जनता की समस्याओं को प्रदेश की समस्याओं को सदन में रखें और इसमें ध्यान आकृष्ट करायें । लेकिन ऐसा कुछ नहीं है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि औचित्य का प्रश्न जो बनता है तमाम सवाल लगे हैं आपके संज्ञान में भी हैं स्थानान्तरित सवाल हैं जो आपके संज्ञान में है प्रदेश की ज्वलन्त समस्यायें हैं आपके संज्ञान में हैं हम चाहते हैं कि कि सात दिन का उपवेशन बुलायें ताकि समस्याओं का निवारण हो सके ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष महोदय यह विशेष सत्र है जो आहूत किया गया है । महामहिम राष्ट्रपति द्वारा भेजे गये संदेश और अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि अलग राज्यों का विधेयक प्रस्तुत हुआ तो संसद में प्रस्तुत करने के पूर्व राज्य विधान मण्डल की राय मांग ली जाये । राय मांगने मात्र के लिये यह सत्र आहूत किया गया है । यह विशेष सत्र है विशेष विषय के लिये बुलाया गया है । यह प्रकरण सभी दलों के नेताओं के समक्ष जो कार्य-मंत्रणा में उपस्थित थे, उनके समक्ष उपस्थित हुआ विशेष सत्र होने के कारण इसमें कार्य-स्थगन और प्रश्न नहीं लिये जायेंगे यह सब परामर्श से तह हुआ है । जन समस्याओं की जहां तक बात है प्रश्नों के माध्यम से सदस्यों को अवसर मिलता है जो सवाल उठाये गये हैं अगर आप उचित समझें तो वह कन्टीन्यू कर जायेंगे इसमें आपत्ति की बात नहीं है ।

*श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । कार्य-मंत्रणा समिति में जो भी चर्चायें होती हैं, या माननीय सदस्य जो कार्य-मंत्रणा समिति के विचार रखते हैं उसकी चर्चा माननीय सदन में किये जाने का प्राविधान नहीं है । संसदीय कार्य मंत्री ने कहा सभी माननीय सदस्यों की कार्य-मंत्रणा समिति की राय थी । मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक बात कही है मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी से उस समय कई सदस्य उपस्थित थे, उन्होंने आपसे और संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन किया था कि दस दिन के लिये सत्र किया जाये इसमें यह भी आग्रह किया था कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे जायें उन्हें निलम्बित न किया जाये । संसदीय कार्य मंत्री और उनकी पूरी सरकार सारी परम्पराओं का नाश करने पर तुली है । जो साधारण परम्परायें हैं उनको नष्ट करने पर तुली है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

कार्य-मंत्रणा समिति में जो बात होती है वह यहां नहीं कही जाती है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जब समाजवादी पार्टी ने यह निश्चय किया कि 10 दिवसीय कार्यकाल सदन का किया जाये उसके बाद भी कोई मानक मानने को तैयार नहीं । मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष कार्य-मंत्रणा में बुलाये नहीं जाते हैं यह मेरे संज्ञान में है तो वह व्यवस्था यहां लागू करने का क्या औचित्य है ।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम 14 में इस बात की व्यवस्था है कि साधारणतया प्रत्येक वर्ष में विधान सभा के तीन उपवेशन और 90 दिन का उपवेशन होगा और अपेक्षा यह की जाती है कि प्रत्येक सरकार इसका सामान्यतया अनुपालन भी करेगी । लेकिन पिछले एक दशक से या उससे भी अधिक समय से 90 दिनों का उपवेशन नहीं हो रहा है यह चिन्ता की बात है । इसके कारण कठिनाइयां होती हैं । माननीय सदस्य चर्चा चाहते हैं वह नहीं हो पाती है, सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं आ पाता है । मुझे विश्वास है कि सरकार इस बात का संज्ञान लेगी और नियम 14 का अनुपालन करेगी । यह विशेष सत्र है इसमें कोई संदेह नहीं है । जितना समय शेष है उसमें चर्चा करने का अवसर मिलेगा इसका उपयोग करेंगे ऐसा मैं समझता हूं । आज कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक होगी । उसमें इस बात को रखा जायेगा कि जो माननीय सदस्यों ने उपवेशन बढ़ाने की बात कही है उसे बढ़ाया जा सकता है । जो विचार सरकार का होगा वह सामने आ जायेगा । मैं इस सूचना को इसी के साथ निरस्त करता हूं ।

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) संशोधन अध्यादेश, 1998 †

पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य, मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अध्यादेश, 1998 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1998 †

पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य, मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1998 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1998 †

पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य, मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1998 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1998 †

पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य, मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1998 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

† छपे नहीं गये ।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के परन्तुक के अनुसरण में राष्ट्रपति महोदय द्वारा भेजे गये संदेश तथा भारत सरकार (गृह मंत्रालय) द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र संख्या 12012/14/95एस०आर०, दिनांक 20 अगस्त, 1998 के साथ सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998 पर प्रस्तुत संकल्प पर संशोधन देने का प्रारूप एवं निर्धारित समय

श्री अध्यक्ष–

मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998 भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र और राष्ट्रपति के संदेश की प्रतिलिपियां सचिव, विधान सभा द्वारा सदन के पटल पर आज रखी गयी हैं। नेता सदन आज इस विधेयक पर विचार करने के संबंध में संकल्प प्रस्तुत करेंगे। इस संकल्प में यदि कोई माननीय सदस्य संशोधन देना चाहें तो वे आज अपराह्न 5.00 बजे तक उसे दे सकेंगे। ऐसा संशोधन संकल्प के अन्त में शब्द जोड़ने के रूप में हो सकता है।

संशोधन का प्रारूप निम्न प्रकार होगा :–

"संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु ..... ।"

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, इसका समय पांच बजे के बजाय सात बजे तक कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। यह समय सात बजे तक कर दिया जाता है। इसकी प्रतियां पटल से ले सकते हैं।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1997

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि :–

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1997 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 अगस्त, 1997 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 11 अगस्त, 1997 को वापस प्राप्त हुआ था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 18 जुलाई, 1998 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1998 का उत्तर प्रदेश का बाइसवां अधिनियम बन गया।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 अगस्त, 1997 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 13 अगस्त, 1997 को वापस प्राप्त हुआ था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 15 जुलाई, 1998 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1998 का उत्तर प्रदेश का तेईसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1998

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1998 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 जुलाई, 1998 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 24 जुलाई, 1998 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 जुलाई, 1998 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1998 का उत्तर प्रदेश का चौबीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 1 जुलाई, 1998 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 जुलाई, 1998 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 जुलाई, 1998 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1998 का उत्तर प्रदेश का पच्चीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1998

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1998 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 जुलाई, 1998 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 22 जुलाई, 1998 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 जुलाई, 1998 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1998 का उत्तर प्रदेश का छब्बीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 जुलाई, 1998 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 22 जुलाई, 1998 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 जुलाई, 1998 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1998 का उत्तर प्रदेश का सत्ताइसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1998

उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1998 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 जुलाई, 1998 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 जुलाई, 1998 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 जुलाई, 1998 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1998 का उत्तर प्रदेश का अट्ठाइसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1998

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1998 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 जुलाई, 1998 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 जुलाई, 1998 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 जुलाई, 1998 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1998 का उत्तर प्रदेश का उन्तीसवां अधिनियम बन गया ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 17 सितम्बर, 1998 की अपनी बैठक में सदन के दिनांक 18 सितम्बर, 1998 से 23 सितम्बर, 1998 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–सदन के दिनांक 18 सितम्बर, 1998 से 23 सितम्बर 1998 तक के उपवेशनों का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से निर्धारित किया जाय :–

<u>सितम्बर, 1998</u>

18 शुक्रवार	निधन के निदेश (प्रश्नकाल नहीं होगा)
19 शनिवार 20 रविवार 21 सोमवार	बैठक नहीं होगी ।
22 मंगलवार	1–औपचारिक कार्य यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन, आदि यदि कोई हो । 2–संविधान के अनुच्छेद 3 के परन्तुक के अधीन राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998 के संबंध में सदन द्वारा विचार किये जाने विषयक संकल्प का संगत नियमों को शिथिल करते हुए प्रस्तुतिकरण । **5.00 बजे अपराह्न तक** 3–संगत नियमों को शिथिल करते हुए, (क) प्रदेश में आई बाढ़ पर माननीय मुख्य मंत्री का वक्तव्य एवं उस पर चर्चा । (ख) नियम 103 के अन्तर्गत श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर चर्चा । "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की भीषण बाढ़ समस्या के स्थायी समाधान हेतु राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की संस्तुतियों को अविलम्ब कार्यान्वित किया जाय ।"
23 बुधवार	1–संविधान के अनुच्छेद 3 के परन्तुक के अधीन राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998 के संबंध में सदन द्वारा विचार किये जाने विषयक संकल्प का संगत नियमों को शिथिल करते हुए विचार एवं उसका पारण । 2–विविध विषयों पर चर्चायें, यदि कोई हों ।

2–दिनांक 18, 22 व 23 सितम्बर, 1998 को उपवेशनों में नियम 51, 56, 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायें तथा उक्त उपवेशनों में प्रश्नकाल न रखा जाय ।

पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य, मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से सहमत है।

कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्ताव के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, 10 दिन के लिए इस सदन को बढ़ाये जाने के संबंध में सुनने की बात कही गयी थी उसमें सरकार की तरफ और दूसरे लोगों की तरफ से यह जानकारी में आया है कि ऐसा नहीं हो सकता है। मान्यवर, बाढ़ से तबाही है पहाड़ों में भूस्खलन की आपदा हुई है। मंहगाई बहुत है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों को जान से मार दिया गया है कड़वे तेल में मिलावट का प्रश्न है। आवश्यक है कि 10 दिन सदन को अवश्य चलाया जाय।

मान्यवर, इसमें 10 दिन का सत्र बुलाये जाने और उस पर चर्चा किये जाने का एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। आपने कहा है कि राष्ट्रपति जी का आदेश आया है और यह कहा कि दो दिन के अन्दर इसको पारित करे, इसलिए मैं कहता हूं, गुजारिश करता हूं कि 10 दिन का कार्य दिवस तय किया जाना नितान्त आवश्यक है।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, अभी हमारे माननीय सदस्य राम तेज जी ने जो कार्य-मंत्रणा समिति का प्रस्ताव है उसके संबंध में जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है वह आज की परिस्थिति में पूर्णतया वाजिब है और इस संबंध में हमने पहले भी आपसे, जब नेताओं की मीटिंग हुई थी उस समय निवेदन किया था कि आज प्रदेश में बहुत सी ज्वलन्त समस्याएं खड़ी हो गयी हैं। चाहे तेल की मिलावट हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे बाढ़ हो और चाहे मंहगाई जैसी अन्य समस्याएं हो, इन सारी समस्याओं पर इस दो दिन की संक्षिप्त जो सदन की कार्यवाही है, उसमें सदन के सभी माननीय सदस्य अपने विचार नहीं रख पायेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन पहले भी था, और आज भी इस व्यवस्था के प्रश्न पर बल देते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जरूर बढ़ोत्तरी की जाय और आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देश दें कि इस प्रस्ताव में अभी वह प्रस्ताव रख दें कि इस सदन का समय एक सप्ताह के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि अभी 2 दिन के कार्यक्रम के लिए कार्य-मंत्रणा समिति की संस्तुति आपके सामने रखी गयी, इस संस्तुति में यह कहीं नहीं है कि 23 सितम्बर को यह उपवेशन समाप्त हो जायेगा। आज हम फिर कार्य-मंत्रणा समिति में बैठेंगे और देखेंगे, विचार करेंगे। अभी जो प्रश्न है कार्य-मंत्रणा समिति की सूचना 2 दिन के लिए है उसको स्वीकार करने के लिए है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव (क्रमागत)

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य, मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश के संबंध में जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998 पर संकल्प

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि

"यह सदन उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998 पर, जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 3 के परन्तुक के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा विचार प्रकट करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल को निर्दिष्ट किया गया है, विचार करने के पश्चात् उस पर इस सिफारिश के साथ अपनी सहमति व्यक्त करता है कि उक्त विधेयक में,–

(1) जहां कहीं शब्द "उत्तराखण्ड" आया हो वहां "उत्तरांचल" रख दिया जाए।

(2) खण्ड–3 में प्रस्तावित उत्तराखण्ड राज्य में सम्मिलित किये जाने वाले जनपदों में हरिद्वार जनपद को सम्मिलित न किया जाए और तदनुसार विधेयक में पारिणामिक संशोधन कर दिया जाय।

(3) हिन्दी पाठ में, खण्ड–5 में "बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968 की धारा–3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख)" आया है, जबकि अंग्रेजी पाठ के इसके स्थान पर "दि बिहार एण्ड उत्तर प्रदेश (आल्टरेशन आफ बाउन्डरीज) ऐक्ट, 1968" ही लिखा है। इससे अंग्रेजी पाठ में संशोधन करने में भ्रम उत्पन्न होगा क्योंकि "दि बिहार एण्ड उत्तर प्रदेश (आल्टरेशन आफ बाउन्डरीज) ऐक्ट, 1968" संविधान की प्रथम अनुसूची में उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रविष्टि में दो बार आया है। अंग्रेजी पाठ में भी हिन्दी पाठ के अनुरूप होना चाहिये। इसलिये विधेयक का अंग्रेजी पाठ हिन्दी पाठ के अनुरूप किया जाय।

(4) खण्ड–14 में उपखण्ड (1) में शब्द "उत्तराखण्ड विधान सभा" के स्थान पर शब्द "उत्तरांचल की अनन्तिम विधान सभा" रख दिया जाय।

(5) खण्ड–14 के उपखण्ड (3) में शब्द "या अनन्तिम विधान सभा की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति पर जो भी पूर्ववर्ती हो" निकाल दिये जायें तथा उपखण्ड (1) में अनन्तिम विधान सभा के गठन के संदंध में यह उपबन्ध भी कर दिया जाये कि वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद् के ऐसे नामित सदस्या या सदस्यों, जो उत्तरवर्ती राज्य उत्तरांचल के मूल या स्थायी निवासी हों, को भी अनन्तिम विधान सभा का सदस्य बनाया जाय, और तदनुसार प्रस्तावित विधेयक की चौथी अनुसूची में उनके नाम सम्मिलित किये जायं और विधेयक में अन्य पारिणामिक संशोधन जो अपेक्षित हों, किये जायं।

(6) खण्ड–22 के उपखण्ड (4) में उपखण्ड (2) का उल्लेख मुद्रण त्रुटि मालूम पड़ती है, इसे उपखण्ड (3) होना चाहिये।

(7) खण्ड–26 में उत्तरवर्ती राज्य उत्तरांचल के लिये अलग उच्च न्यायालय स्थापित करने तथा जब तक उच्च न्यायालय की स्थापना न हो तभी तक दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के लिये सामान्य उच्च न्यायालय की व्यवस्था के लिये उपबन्ध कर दिये जायं।

(8) खण्ड–28 में उपधारा (4) का परन्तुक निकाल दिया जाय।

(9) खण्ड–42 में–

(1) उपखण्ड (1) में केन्द्र सरकार द्वारा माल के वितरण के संबंध में निर्देश दिये जाने के उपबन्ध को इस आशय का कर दिया जाय कि प्रथमतः दोनों उत्तरवर्ती राज्य वितरण के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो स्वयं आपस में तय करेंगे और ऐसा न हो पाने पर किसी उत्तरवर्ती राज्य द्वारा केन्द्र से अनुरोध किये जाने पर केन्द्र सरकार दोनों उत्तरवर्ती सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् यथावश्यक निर्देश दे सकेगी।

(II) उपखण्ड (3) में केन्द्र सरकार द्वारा निदेश दिये जाने के उपबन्ध को इस तरह कर दिया जाय कि केन्द्र सरकार उत्तरवर्ती राज्यों के परामर्श से निदेश जारी कर सकेगी ।

(10) खण्ड–46 के उपखण्ड (2) में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तरांचल की राजधानी के निर्माण की लागत के लिये पचास करोड़ रुपये की राशि का अभिदाय करने की व्यवस्था है । इस उपबन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य के स्थान पर इस प्रयोजन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा समस्त व्यय को वहन करने का प्राविधान किया जाय ।

(11) खण्ड–62 के स्थान पर नया खण्ड–62 रख दिया जाय जिसमें उपबन्ध हो कि–

(I) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन और राज्य भण्डारागार निगम नियत दिन से इस खण्ड के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उन क्षेत्रों के संबंध में कार्य करते रहेंगे जिसमें नियत दिन के पहले वे कर रहे थे ।

(II) उत्तरांचल राज्य द्वारा अपने लिये अलग बोर्ड, निगम या कमीशन गठित किये जाने पर उपर्युक्त बोर्ड, कमीशन या निगम उत्तरांचल में काम करना बन्द कर देंगे और उनके इस प्रकार काम बन्द करने पर उनकी आस्तियां, अधिकार और दायित्व दोनों उत्तरवर्ती राज्यों में इस रीति से प्रभावित किये जायेंगे जैसा उनके बीच में ऐसे काम बन्द करने के एक साल के भीतर करार पाया जाय और यदि कोई करार नहीं हो पाता है, तब किसी उत्तरवर्ती राज्य द्वारा अनुरोध किये जाने पर ऐसी रीति से प्रभाजित किये जायेंगे जैसे केन्द्रीय सरकार दोनों उत्तरवर्ती राज्यों से परामर्श के पश्चात् अवधारित करें ।

(III) विद्युत के उत्पादन या सम्भरण के लिये या वर्तमान सिंचाई या जल विद्युत परियोजनाओं तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं को पानी की आपूर्ति करने के संबंध में जो वर्तमान व्यवस्था है वह चलती रहेगी जिसमें अन्य बातों के अलावा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी उत्तरवर्ती राज्य को जो अधिकार और लाभ वर्तमान परियोजनाओं में मिल रहे हैं या निर्माणाधीन सिंचाई या जल विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने पर मिलना अभिप्रेत है उनमें किसी प्रकार से कोई कमी न हो ।

(IV) वर्तमान में चल रही जल विद्युत परियोजनाएं तथा विद्युत पारेषण प्रणाली जैसा कि वे नियत दिन को थी, वे उत्तरवर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत बोर्ड के पास रहेगी ।

(V) उत्तरांचल में स्थित जल विद्युत केन्द्र द्वारा पैदा की गयी बिजली में से उत्तरांचल राज्य की उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के हिस्से का 20 प्रतिशत अंश प्राप्त होगा जिसके लिये वह उत्पादन लागत के समतुल्य दर से भुगतान करेगा ।

(VI) यदि कोई उत्तरवर्ती राज्य उपर्युक्त उपखण्ड में निर्दिष्ट अपने हिस्से की बिजली की पूर्णतः या भागतः नहीं लेता है और उसे विक्रय करना चाहता है तो उसे खरीदने का अधिकार प्रथमतः दूसरे उत्तरवर्ती राज्य को होगा और तत्पश्चात् किसी अन्य राज्य को ।

(VII) निजी क्षेत्र की ऐसी जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में जिनके संबंध में उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा बियुत क्रय करार पर दस्तखत किये गये हैं, उत्तरांचल राज्य को निजी विद्युत उत्पादन कम्पनियों द्वारा संभरित बिजली का बीस प्रतिशत पाने का अधिकार होगा जिसमें से उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य को मिलने वाली मुफ्त बिजली का पचास प्रतिशत उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य को मुफ्त मिलेगा और शेष के लिये विद्युत क्रय करार में विहित दर के अनुसार भुगतान किया जाना होगा ।

ऐसी परियोजनाओं के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य सभी अधिकार यथावत् रहेंगे ।

(12) खण्ड–63 में यह उपबन्ध रहे कि विद्युत उत्पादन और प्रदाय तथा जल के प्रदाय के संबंध में वर्तमान व्यवस्था जारी रहे और यदि विद्युत का उत्पादन या आपूर्ति या किसी क्षेत्र में जल की

आपूर्ति या ऐसे उत्पादन या आपूर्ति से संबंधित किसी परियोजना का निष्पादन किसी क्षेत्र के लिये इस कारण से अलाभकर रूप में परिवर्तित होना संभावित हो कि इस अधिनियम के भाग– 2 के प्राविधानों के फलस्वरूप ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत उत्पादन या आपूर्ति हेतु विद्युत गृह या अन्य संयंत्र या जलागम क्षेत्र या जलाशय और अन्य निर्माण कार्य उस राज्य के बाहर स्थित हैं तो केन्द्र सरकार दोनों उत्तरवर्ती राज्यों से परामर्श के पश्चात् सरकार या उससे संबंधित अन्य प्राधिकारी को ऐसे निर्देश दे सकेगी जिसे वह पूर्ववर्ती व्यवस्था बनाये रखने के लिये उचित समझे ।

(13) खण्ड–64 के उपखण्ड (1) में उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम के कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये जा सकने वाले निर्देश के उपबन्ध को और उपखण्ड (3) में "उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुये भी" का उल्लेख हटा दिया जाय ।

(14) खण्ड–65 के उप खण्ड (1) में कतिपय निगमों के बारे में किये गये उपबन्धों में केन्द्र सरकार द्वारा निदेश दिये जाने का उल्लेख हटा दिया जाये तथा उपखण्ड (2) को निकाल दिया जाये ।

(15) खण्ड–66 के उप खण्ड (1) में केन्द्र सरकार द्वारा दिये जा सकने वाले निर्देशों के प्राविधान को हटा दिया जाये तथा उपखण्ड (2) को निकाल दिया जाये ।

(16) खण्ड–67 के उप खण्ड (2) में यह उपबन्ध कर दिया जाये कि ऐसी सड़कें या पुल जो राज्य सरकार, राज्य सरकार के किसी उपक्रम/संयुक्त उपक्रम अथवा निजी क्षेत्र द्वारा व्यावसायिक दृष्टि से निर्मित अथवा विकसित की जाये, उनके उपयोग पर "पथकर" की छूट लागू नहीं होगी ।

(17) खण्ड–70 के अन्तर्गत दसवीं अनुसूची में क्रम संख्या–41 पर "गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर" जोड़ दिया जाय ।

(18) खण्ड–71 के उपखण्ड (4) में कैडर आवंटन के विषय में इस आशय का उपबन्ध जोड़ दिया जाय कि उत्तरवर्ती राज्यों को अधिकारियों का आवंटन करने के पूर्व अधिकारियों के विकल्प प्राप्त कर लिया जाय ।

(19) खण्ड–72 में इस आशय का उपबन्ध कर दिया जाय कि केन्द्रीय सरकार कोई निदेश दोनों उत्तरवर्ती राज्य सरकारों से परामर्श के पश्चात् कर सकेगी ।

(20) खण्ड–78 के स्थान पर नया खण्ड रख दिया जाय जिसमें यह उपबन्ध हो कि,–

(I) उत्तरांचल में विद्यमान और निर्माणाधीन जल स्रोत परियोजनाओं की बाबत सब (अधिकार) [स्वामित्व, निर्माण, संचालन, अनुरक्षण और नियंत्रण] तथा दायित्व उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश सरकार में निहित बने रहें और विद्यमान तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं का लाभ दोनों उत्तरवर्ती राज्यों को उसी तरह से प्राप्त होता रहे जिस तरह से नियत दिन को हो रहा था ।

(II) भविष्य में दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के अपने-अपने क्षेत्रों में जल स्रोत के विकास के मामले में ऐसी परियोजनाएं जिनसे दूसरे राज्य के हित या लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, चलायी जा सकती है ।

(III) यदि ऐसी परियोजना किसी उत्तरवर्ती राज्य द्वारा बनाई जाती है जिससे दूसरे उत्तरवर्ती राज्य के जल स्रोत की परियोजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना हो अथवा ऐसी योजना जो दोनों उत्तरवर्ती राज्य एक संयुक्त योजना के रूप में निर्माण करने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो ऐसी योजनाओं के निर्धारण, निर्माण, संचालन के लिए एक स्वशासी द्विपक्षीय बोर्ड का गठन किया जायेगा । इस बोर्ड द्वारा इन परियोजनाओं को इस तरह परिकल्पित, नियोजित और निष्पादित किया जायेगा कि दोनों राज्यों को जो वर्तमान सुविधाएं

और लाभ मिल रहे हैं उसमें किसी तरह की कोई कमी न हो बोर्ड की अंशपूंजी में दोनों उत्तरवर्ती राज्यों का अंश ऐसे अनुपात में होगा जैसे दोनों राज्य तय करें।

(21) खण्ड–79 के स्थान पर नया खण्ड रखा जाय जिसमें यह उपबन्ध किया जाय कि धारा 78 में निर्दिष्ट बोर्ड का गठन इस प्रकार हो :–

(क) एक पूर्णकालिक अध्यक्ष को दोनों उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा दी गयी सूचना में से दोनं राज्यों की सहमति से चुना जायेगा।

(ख) दोनों उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा नामित दो-दो पूर्णकालिक सदस्य।

(ग) दोनों राज्यों द्वारा नामित दो-दो अंशकालिक सदस्य।

(घ) पूर्णकालिक सचिव जो बोर्ड द्वारा चुना जायेगा।

बोर्ड के कृत्यों में निम्नलिखित होंगे :–

(क) परियोजनाओं की परिकल्पना, अन्वेषण, नियोजन करना और उनका सक्षमतापूर्वक और कम लागत से निर्माण करना, और

(ख) परियोजनाओं से प्राप्त लाभों का उत्तरवर्ती राज्यों में आवंटन एवं सम्भरण।

(22) खण्ड–80 के स्थान पर नया खण्ड निम्न प्रकार रखा जाय :–

(क) बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के कुशलतापूर्वक निर्वहन हेतु आवश्यक स्टाफ सेवायोजित करेगा। पहला प्रयास यह होगा कि ऐसा स्टाफ उत्तरवर्ती राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाय।

(ख) बोर्ड द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों को उत्तरवर्ती राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मुख प्रस्तुत करके उनका अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(23) खण्ड–81 में इस आशय के उपबन्ध कर दिये जायं कि–

(क) बोर्ड साधारणतया धारा 78 के उपखण्ड (3) में निर्दिष्ट परियोजनाओं में से किसी के बारे में अधिकारिता का प्रयोग करेगा।

(ख) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि धारा 78 के अधीन उसमें निर्दिष्ट किसी परियोजना पर बोर्ड की अधिकारिता है अथवा नहीं तो उसे उत्तरवर्ती राज्यों के मुख्य मंत्रियों को निर्णय के लिये प्रस्तुत किया जायगा।

(24) खण्ड–82 के स्थान पर नया खण्ड निम्न प्रकार रखा जाय :–

बोर्ड उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारों के पूर्वानुमोदन से तथा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित का उपबन्ध करने के लिये ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों से सुसंगत हो –

(क) बोर्ड के अधिवेशनों के समय और स्थान का तथा ऐसे अधिवेशनों के संव्यवहार में अनुसारित की जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन,

(ख) शक्तियों तथा कर्तव्यों का बोर्ड के अध्यक्ष या बोर्ड के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजन,

(ग) बोर्ड के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों का विनियमन,

(घ) कोई अन्य विषय जिसका विनियमन बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाय ।

(25) पांचवी अनुसूची में क्रम संख्या-61 पर उल्लिखित "रावत" जाति को उत्तरांचल के लिये घोषित अनुसूचित जातियों में से निकाल दिया जाय ।

(26) विधेयक में जहां कहीं भी केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देश दिये जा सकने का उपबन्ध है वहां इस प्रकार संशोधित किया जाय कि केन्द्रीय सरकार दोनों उत्तरवर्ती राज्य सरकारों से परामर्श के बाद निर्देश दे सकेगी ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा है । मैं इस प्रस्ताव के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं, इस पर चर्चा कल होगी । मैं आपके माध्यम से इस सरकार से एक बात जानना चाहता हूं कि श्री रमेश पोखरियाल बैठे हैं, सरकार में वह मंत्री भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के 17 विधायक जो हैं वे क्या इस प्रस्ताव से सहमत हैं या नहीं ? जब कल इस प्रस्ताव पर चर्चा हो तो यह बात साफ हो जाना चाहिए और सरकार को इस पर साफ-साफ बताना चाहिए ।

(व्यवधान) (कई सदस्य एक साथ बोलने पर)

श्री मुन्ना चौहान–

मा० अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरीके से, जिस भ्रामक तरीके से, उत्तरांचल की सीमाओं के अन्तर्गत जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो जल स्त्रोत हैं, जो बिजली घर हैं, जो परिसंपत्तियां हैं जिस तरीके से उन पर अनाधिकृत चेष्टा इस बिल के माध्यम से की जा रही है उसका मैं विरोध करता हूं । (व्यवधान) मैं यह भी कहना चाहता हूं कि संकल्प के माध्यम से जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं मैं उनका विरोध करता हूं । इसमें जो डिस्क्रोमोनेटरी प्राविजन्स है उसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ;

(श्री मुन्ना चौहान सदन से उठकर चले गये)

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, आज तो यह संकल्प आपकी अनुमति से सदन में प्रस्तुत किया गया है । आपने पहले ही निर्देश दे दिया है कि इस पर चर्चा कल होगी और प्रत्येक माननीय सदस्य को अवसर प्राप्त होगा कि इस संकल्प के बारे में क्या वह राय रखते हैं । कल ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन-कौन दल, कौन-कौन नेता ईमानदारी से अलग उत्तरांचल बनाने की पहले बात कर चुके थे, कल उनका दृष्टिकोण क्या है वह मालूम हो जाएगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अच्छा होता कि आज सदन त्याग न करते पता नहीं कल उत्तराखण्ड का विरोध करने वाले कितने लोग सदन त्याग करेंगे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा में बजट समितियों (विभागीय स्थायी समितियों) के गठन के प्रयोजनार्थ गठित अध्ययन समिति का कार्यकाल बढ़ाए जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा में बजट समितियों (विभागीय स्थायी समितियों) के गठन के प्रयोजनार्थ दिनांक 6 जुलाई, 1998 को सदन की सहमति एवं दिनांक 7 जुलाई, 1998 को विभिन्न दलों के माननीय नेताओं की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार मैंने, दिनांक 10 जुलाई, 1998 को "उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958" के नियम 200 के अन्तर्गत, विधान सभा के सात माननीय सदस्यों की एक "अध्ययन समिति" गठित किये जाने की घोषणा सदन में की थी और यह अपेक्षा की थी कि उक्त "अध्ययन समिति" अपना प्रतिवेदन 31 अगस्त, 1998 तक मुझको प्रस्तुत करे,

और चूंकि उक्त "अध्ययन समिति" द्वारा अपना प्रतिवेदन उक्त निर्धारित अवधि के भीतर मुझे प्रस्तुत नहीं किया जा सका है,

अतएव, उक्त "अध्ययन समिति" का कार्यकाल दिनांक 31 अक्टूबर, 1998 तक बढ़ा दिया गया है ।

विधान सभा उपाध्यक्ष से संबंधित सभी समितियों में कार्यकारी सभापति का नाम-निर्देशित किए जाने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किए जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सदन की जिन समितियों में विधान सभा के उपाध्यक्ष सभापति होते हैं उनमें जब तक विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन न हो जाय तब तक सुसंगत नियमों को निलम्बित करते हुये यह सदन माननीय अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में कार्यकारी सभापति नाम निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में कार्यकारी सभापति नाम-निर्देशित कर दें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा है उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित हो गयी थी लेकिन चुनाव नहीं हो सका उन कारणों में मैं जाना नहीं चाहता हूं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी किन कारणों से उपाध्यक्ष का पद न भरा जाय इसके लिये जो प्रयास कर रहे हैं उन कारणों में भी मैं जाना नहीं चाहता हूं । एक निवेदन है कि जिन समितियों के उपाध्यक्ष पदेन सभापति होते हैं और चूंकि यह परम्परा रही है कि उपाध्यक्ष विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों में से चुना जाता है इसलिये मेरा निवेदन है कि उन सभी समितियों में विरोधी दल के माननीय सदस्यों को कार्यकारी सभापति चुना जाय ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को स्मरण होगा कि उन्होंने कहा था कि उपाध्यक्ष के पद के निर्वाचन हेतु विपक्ष एक नाम दे देगा तो हम चुनाव करा देंगे । विपक्ष ने एक नाम प्रस्तुत किया लेकिन उसके बाद सत्तारूढ़ दल की तरफ से यह प्रस्ताव आया कि इसको आगे बढ़ा दिया जाय ।

समय 12 बजकर 10 मिनट

उपाध्यक्ष का पद खाली है, उपाध्यक्ष के कार्य के अन्तर्गत इन समितियों की अध्यक्षता भी शामिल है। अब अगर अध्यक्ष को समितियों का कार्यभार दे देते हैं तो आपके पास बहुत से कार्य पहले से ही हैं इसलिये इन समितियों का कार्य नहीं हो पायेगा । इस प्रस्ताव की जगह यह प्रस्ताव आना चाहिये था कि उपाध्यक्ष, विधान सभा के चुनाव के लिये हम यह तिथि निर्धारित करते हैं और इस विशेष सत्र के दो-एक दिन बढ़ाकर उपाध्यक्ष के चुनाव करा लिया जाये । एक दिन में बाढ़पर चर्चा भी नहीं हो सकती । इसलिये उचित होगा कानून-व्यवस्था, महंगाई और फर्जी मुठभेड़ों के मुद्दे पर चर्चा के लिये एक सप्ताह का समय बढ़ा दिया जाये । अगर सरकार का दामन साफ है तो उसे विधान सभा से भागना नहीं चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह माननीय नेता विरोधी दल की सहमति से रखा है ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मैंने और हमारे सभी विरोधी दल के माननीय नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर कर सहमति व्यक्त की है। इसलिये की है कि सारी समितियां कार्य करने लगे । क्योंकि बहुत से कार्य कई वर्षों से लम्बित पड़े हुये हैं । यह समितियां अपना कार्य शुरू करें इसमें हमें कोई विरोध नहीं करना है । लेकिन संविधान और परम्पराओं की हत्या न की जाये । इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो विचार मानीनय अम्बिका चौधरी जी और तिवारी जी ने रखें हैं उस पर बल देते हुए आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि चूंकि उपाध्यक्ष विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों में से होते हैं इसलिये इन समितियों के सभापति आप विरोध पक्ष के लोगों में से ही नामजद करने की कृपा करें जिससे संसदीय परम्पराओं का हनन न हो । उपाध्यक्ष का चुनाव शीघ्रातिशीघ्र करा दिया जाये । इसकी घोषणा आज इस सदन में हो जाये ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह जो प्रस्ताव रखा, विशेष परिस्थितियों में रखा ताकि जितनी समितियां है वह कार्य करना शुरू कर दें । इस पर जो प्रतिबन्ध लगाने का प्रयास किया गया मैं उसका विरोध करता हूं । यह आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप जिसको चाहे सभापति नियुक्त करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस प्रस्ताव पर माननीय नेता विरोधी दल ने सहमति व्यक्त की । मेरा निवेदन है कि संसदीय कार्यमंत्री जी की बुद्धि पर प्रतिबन्ध है । यह अपने विवेक से सोच नहीं पाते । इसलिये संसदीय कार्यमंत्री जी के विवेक के प्रतिबन्ध से मुक्त कराइये ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, आप हम लोगों के संरक्षक हैं और विधान सभा के इस उच्च आसन पर बैठते हैं । पिछले एक साल से इनकी सरकार है और उसके पहले 6 महीने इनकी साझा सरकार थी लेकिन उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया गया । पिछले सत्र में भी आपने उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया जैसा प्रमोद कुमार जी और अम्बिका चौधरी जी ने कहा है मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार को यह निर्देश देने की कृपा करें कि एक-दो दिन सदन की बैठक बढ़ाकर इस चुनाव को सम्पन्न करा दें । पूरा विरोध पक्ष एकमत है । पिछले सत्र में तो एकमत होकर एक नाम दिया गया फिर सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है यह मैं नहीं जानता । समिति का मामला अपनी जगह पर है । लेकिन उपाध्यक्ष का चुनाव

होना चाहिये । क्योंकि उपाध्यक्ष के बिना यह विधान सभा पूरी तरह से संगठित नहीं है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री को यह निर्देश देने की कृपा करें कि गत सत्र दो दिन बढ़ाकर उपाध्यक्ष का चुनाव अवश्य करा दें ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय, सम्पूर्ण विपक्ष चाहता है कि सदन का कार्यकाल बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

अभी तीन बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी उसमें इस पर विचार कर लेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

कार्य मंत्रणा समिति में संख्या बल पर सरकार इसको स्वीकार नहीं करेगी । मेरा कहना है कि सत्र तीन दिन बढ़ा दिया जाय जिससे बाढ़ पर चर्चा हो सके । यह अखबार में तो फोटो छपवा रहे हैं लेकिन इनके अन्दर सदन का सामना करने का साहस नहीं है । इससे ज्यादा [xxx] और कोई सरकार नहीं हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष–

यह [†] शब्द निकाल दिया जाय ।

प्रश्न यह है कि यह सदन जिन समितियों में विधान सभा के उपाध्यक्ष सभापति होते हैं उनमें जब तक विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन न हो जाय तब तक सुसंगत नियमों को निलम्बित करते हुए यह सदन मा० अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में कार्यकारी सभापति नाम निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में कार्यकारी सभापति नाम निर्देशित कर दें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1998 †

संसदीय कार्य, पंजीयन मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायलय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

माननीय, मैं अपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूं ।

नोट :– [xxx] यह अंश जो अध्यक्ष के आदेशनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

† दिनांक 9-10-98 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

प्रदेश में आयी बाढ़ और राहत कार्यों के संबंध में मुख्यमंत्री का वक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश में जो भीषण बाढ़ आई और पर्वतीय अंचलों में भयंकर भूस्खलन हुआ है उसके संबंध में इस सम्मानित सदन के समक्ष ...

श्री अध्यक्ष–

अगर माननीय सदस्य सहमत हों तो वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन ने इस पर सहमति व्यक्त की और निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

अभूतपूर्व बाढ़

श्री कल्याण सिंह–[इस वर्ष उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व बाढ़ आयी है। बाढ़ की विभीषिका की स्थिति का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि यह बाढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों में जुलाई के प्रथम सप्ताह से प्रारम्भ होकर अभी तक चल रही है।

जल–प्रलय

लगातार दो माह से अधिक अवधि तक बाढ़ की यह स्थिति प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं रही। ऐसी बाढ़ प्रदेश में न कभी आयी और न ही बाढ़ से कभी इतना नुकसान हुआ। वास्तव में यह बाढ़ ही नहीं, वरन् जल-प्लावन या जल-प्रलय की स्थिति कही जा सकती है।

वर्षा और नदियों की स्थिति

अत्यधिक वर्षा

इस वर्ष प्रदेश में माह जुलाई में पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा औसत से दो सौ प्रतिशत से अधिक रही। माह अगस्त में यह वर्षा औसत से एक सौ से दो सौ प्रतिशत अधिक रही।

नदियों का स्तर

प्रदेश की कई नदियां, विशेषकर घाघरा, राप्ती, गण्डक, कुआनो तथा अलकनन्दा केवल एक माह से लेकर दो माह तक 'खतरे के निशान' से ऊपर रहीं वरन् ये नदियां अपने इतिहास में अब तक के उच्चतम जल स्तर को भी पार कर गई।

बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र

* प्रदेश के 83 जनपदों में से 55 जनपद बाढ़ तथा भू-स्खलन से प्रभावित हुए।
* बाढ़ का भीषण प्रकोप विशेष रूप से गोरखपुर, बस्ती तथा आजमगढ़ मण्डलों में रहा।
* बाढ़ से प्रदेश के 15 हजार 340 गांव प्रभावित हुए।
* बाढ़ से प्रभावित जनसंख्या लगभग 122 लाख है।
* बाढ़ से कुल 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ।
* कृषि से संबंधित क्षेत्रफल, जो बाढ़ से प्रभावित हुआ, वह 14 लाख हेक्टेयर है।

बाढ़ से जन-हानि, पशु-हानि तथा मकानों की क्षति

* बाढ़ एवं भू-स्खलन से अभी तक 1350 व्यक्तियों की मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* 3158 पशुओं की मृत्यु हुई है ।

* लगभग 80 हजार कच्चे एवं पक्के मकान पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुए हैं ।

*आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे व पक्के मकानों की संख्या लगभग 1 लाख 70 हजार है ।

क्षति का प्रारम्भिक अनुमान

वास्तविक क्षति का अनुमान तो बाढ़ समाप्त होने के पश्चात् विस्तृत सर्वे करने के उपरान्त ही ज्ञात हो सकेगा ।

किन्तु क्षति का मोटे तौर पर प्रारम्भिक अनुमान इस प्रकार है :–

1.	मकानों की क्षति	236 करोड़ रुपये
2.	कृषि फसल की हानि	1400 करोड़ रुपये
3.	सड़कों की क्षति	600 करोड़ रुपये
4.	विद्युत पोल/तार, उपकरणों का नुकसान	200 करोड़ रुपये
5.	बांध/तटबन्धों की क्षति	600 करोड़ रुपये
6.	अन्य सार्वजनिक सम्पत्तियों की क्षति	500 करोड़ रुपये
	कुल क्षति	3536 करोड़ रुपये

बाढ़ राहत हेतु व्यापक प्रबन्ध

प्रदेश सरकार द्वारा बाढ़ राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किये गये ।

* 1007 बाढ़ चौकियों की स्थापना की गयी ।

* 837 राहत केन्द्र खोले गये ।

* 7841 देशी नावों तथा 82 मोटर बोट को राहत कार्यों में लगाया गया ।

* 7 लाख 13 हजार बाढ़ में फंसे व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया ।

* 4 लाख 24 हजार मवेशियों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया ।

तात्कालिक राहत के लिये स्वीकृत धनराशि

बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में फौरी राहत पहुंचाने हेतु जो धनराशि अवमुक्त की गयी है, वह इस प्रकार है :–

1.	जिला प्रशासन को राहत वितरण के लिये	122 करोड़ रुपये
2.	सिंचाई विभाग को तात्कालिक मरम्मत कार्य हेतु	10 करोड़ रुपये
3.	नगरीय क्षेत्रों में जल भराव के नियंत्रण हेतु	10 करोड़ रुपये
4.	चिकित्सा विभाग को दवाइयों के लिये अतिरिक्त धनराशि	5 करोड़ रुपये
5.	पशुधन विभाग को टीकाकरण, दवाइयों और पशु-आहार के लिये	3 करोड़ रुपये
	स्वीकृत धनराशि	150 करोड़ रुपये

इस स्वीकृत सहायता के अतिरिक्त जिलाधिकारियों को यह अधिकार दे दिये गये हैं कि वे आवश्यकतानुसार कोषागार नियम 27 के प्राविधानों के अन्तर्गत धनराशि का आहरण कर सकते हैं।

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि राहत कार्यों के लिये धन की कमी किसी भी दशा में न होने दी जाए।

थल सेना और वायु सेना की सहायता

बाढ़ के भीषण प्रकोप का सामना करने के लिये सेना की सहायता भी ली गयी।

* थल सेना के 7 कालम मैदानी जनपदों में तथा 2 कालम पर्वतीय जनपदों में राहत कार्यों के लिये लगाये गये।

* वायु सेना द्वारा बाढ़ में घिरे गांवों और बन्धों पर शरण ले रहे परिवारों को फूड पैकेट्स और पेयजल का वितरण हेलीकाप्टरों की सहायता से कराया गया।

* वायु सेना के जहाजों द्वारा आगरा, इलाहाबाद तथा गाजियाबाद से 140 नावें बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाई गई। इस प्रकार के प्रयत्न देश में पहली बार हुए हैं।

* इसके अतिरिक्त पी० ए० सी० की 12 बाढ़ प्रशिक्षित कम्पनियों के जवानों ने दिन-रात कार्य करके बाढ़ राहत और बचाव कार्य किया।

मैं थल सेना तथा वायु सेना को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश की इस संकट की स्थिति का सामना करने में अमूल्य सहायता प्रदान की।

विशेष राहत कार्य

1–प्रत्येक मृतक के परिवार को 50,000 रुपये की सहायता किन्तु यदि मृतक परिवार का कमाऊ सदस्य था तो मृतक के परिवार को एक लाख रुपये की सहायता।

2–वे व्यक्ति जिनके घर ध्वस्त हो गये हैं तथा परिवार बेघर हो गये हैं, उन्हें अधिकतम 25,000 रुपये की सहायता।

3–बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में तात्कालिक प्रभाव से

निःशुल्क भोजन

पेयजल की उपलब्धता

चिकित्सकों के दल के साथ निःशुल्क दवाई वितरण

लालटेन, पेट्रोमैक्स, मोमबत्तियां, माचिस

आदि की व्यवस्था की गयी।

4–प्रत्येक परिवार को 1500 रुपये की तात्कालिक अहेतुक सहायता।

जिन जनपदों में लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है वहां 1500 रुपये की दूसरी किश्त का वितरण किया गया है।

5–पशुओं को चारे की निःशुल्क व्यवस्था की गयी है।

6–अभियान चलाकर पशुओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित कराने की कार्रवाई की जा रही है।

7–विभिन्न बन्धे जो राहत केन्द्र के रूप में विकसित हो गये हैं, वहां पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

8–विभिन्न बंधों जहां राहत केन्द्र बनाये गये हैं वहां पर पालीथीन के तिरपाल उपलब्ध कराये गये हैं।

9–बाढ़ से प्रभावित जनपदों में विभिन्न पेन्शन यथा वृद्धावस्था/किसान/विधवा/विकलांग पेंशन की देय राशि का भुगतान तत्काल नकद कराने की व्यवस्था की गयी है।

10–बाढ़-ग्रस्त ग्रामों के सभी छात्रों की फीस माफ की गई है।

11–बाढ़ से प्रभावित कृषकों का लगान माफ किया गया है।

12–बाढ़ से प्रभावित किसानों का सिंचाई देय माफ किया गया है।

पशुओं के बचाव हेतु कार्य

★ बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु 62 लाख टीके अभी तक लगाये जा चुके हैं।

★ 2 लाख बीमार पशुओं का उपचार किया गया है।

★ यू० पी० एग्रो तथा पी०सी०डी०एफ० के माध्यम से लगभग 24 हजार क्विंटल पशु आहार प्रभावित जनपदों में निःशुल्क वितरित कराया गया है।

★ बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में पशु चिकित्सा और पशु आहार के लिये 3 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गयी है।

चिकित्सा प्रबन्ध

★ यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में केई संक्रामक रोग न फैले, स्वास्थ्य विभाग के 556 सचल दल बनाये गये। बाढ़ से प्रभावित जनपदों में 135 अतिरिक्त एम्बुलेन्स उपलब्ध कराई गयी हैं। निदेशक स्तर के 3 अधिकरी लखनऊ से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेजे गये हैं जो वहीं कैम्प कर रहे हैं।

★ स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के लिये 1 करोड़ 40 लाख क्लोरीन की गोलियां तथा 378 मीट्रिक टन ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग विसंक्रमण के लिए किया गया है।

★ बाढ़ उतरने के उपरान्त प्रत्येक ग्राम को चूना तथा 5 प्रतिशत "मैलाथियान डस्ट" गन्दगी के स्थानों पर छिड़काव करने के लिये उपलब्ध कराया जा रहा है।

★ मलेरिया से बचाव व उपचार हेतु लगभग 2 करोड़ क्लोरोक्वीन की गोलियों की व्यवस्था की गयी है।

★ स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक 10.3 लाख व्यक्तियों को उपचारित किया गया है।

★ दस्त, गेस्ट्रो तथा सम्भावित इनसेफलाइटिस से 339 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

★ स्वास्थ्य विभाग की सजगता से व्यापक बाढ़ की स्थिति के बावजूद भी संक्रामक रोग किसी भी जनपद में महामारी का रूप नहीं ले पाया।

★ बीमारी और मृतकों की संख्या किसी अन्य सामान्य वर्ष से भी कम है।

★ इनसेफलाइटिस से 1996 में 670 व्यक्ति ग्रसित हुए जिनमें से 101 की मृत्यु हुई । 1997 में 338 व्यक्ति इनसेफलाइटिस से ग्रसित हुए और 69 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । 1998 में इनसेफलाइटिस से 206 व्यक्ति ग्रसित हुए जिनमें से 46 की मृत्यु हुई ।

★ बीमारी न फैले इसके लिये व्यापक निरोधात्मक कार्रवाई की गई । सभी प्रभावित क्षेत्रों में दवाइयां उपलब्ध करा दी गयी हैं । सरकार बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में संक्रामक रोग न फैलने देने के लिए कृत संकल्प है ।

केन्द्रीय दल द्वारा बाढ़ क्षेत्रों का सर्वेक्षण

★ बाढ़ से हुई सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत व पुनर्निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार को 1908.91 करोड़ रुपये की अन्तरिम सहायता का ज्ञापन भेजा गया है ।

★ क्षति का पूर्ण आंकलन हो जाने पर दूसरा ज्ञापन और भेजा जायेगा ।

★ बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 12 सदस्यीय दल भेजा जिसने 17 से 19 सितम्बर तक बाढ़ से प्रभावित जनपदों का दौरा किया ।

★ राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से शीघ्र सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है ।

केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता

★ माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल विहारी बाजपेयी जी द्वारा दिनांक 10 सितम्बर, 1998 को बाढ़ से प्रभावित जनपदों का भ्रमण किया गया ।

★ "प्रधान मंत्री राहत कोष" से मृतकों के परिवारों के लिए अभी तक 6 करोड़ 40 लाख रुपये प्राप्त हो चुके हैं ।

★ माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा ग्राम्य विकास के सामान्य बजट से 200 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार को अग्रिम के रूप में तत्काल अवमुक्त करने की घोषणा की गयी है ।

★ सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत गत वर्ष प्राप्त 310 करोड़ रुपये के स्थान पर इस वर्ष 500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का आश्वासन माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा दिया गया है । बाढ़ का असर समाप्त होते ही युद्ध स्तर पर रोजगार कार्यक्रम चलाये जायेंगे ।

★ माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा यह घोषणा की गयी है कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जो परिवार इन्दिरा आवास के पात्र हैं, उन्हें आवास हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी ।

★ माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा बाढ़ के कारण सड़क, विद्युत तथा सिंचाई व्यवस्था आदि आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं को तत्काल पुनर्स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किये गये हैं ।

★ राज्य सरकार माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट करती है कि उन्होंने बाढ़ के इस गम्भीर संकट का सामना करने के लिये सहायता प्रदान की । मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी हमें उनका कृपापूर्ण सहयोग प्राप्त होता रहेगा ।

बाढ़ का स्थाई समाधान

★ अब तक प्रदेश में कुल 56 तटबन्ध क्षतिग्रस्त हुए हैं इसका मुख्य कारण यह था कि नदियां अपने सर्वकालीन उच्चतम स्तर से ऊपर काफी लम्बे समय तक तेज प्रवाह से बहीं ।

★ पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली लगभग सभी नदियों का उद्गम नेपाल राज्य में है। बाढ़ के स्थाई समाधान के लिए मुख्य नदियों पर जलाशयों का निर्माण प्रस्तावित है, जिनसे बाढ़ नियंत्रण के अतिरिक्त सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन के बहु उद्देश्यीय लाभ भी प्राप्त हो सकेंगे इस सम्बन्ध में शीघ्र ही भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा।

★ अतिवृष्टि तथा नदियों में निरन्तर लम्बी अवधि तक उच्च बाढ़ स्तर की अभूतपूर्व परिस्थितियों तथा व्यापक क्षतियों के परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधान मंत्री जी को यह प्रस्ताव भेजा गया है कि एक विशेषज्ञ दल का गठन किया जाय जिसमें केन्द्रीय जल आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग तथा अन्य विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाये।

★ विशेषज्ञ दल द्वारा बाढ़ से बचाव हेतु अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उपायों का निर्धारण कराया जाये तथा उनके क्रियान्वयन के लिये आर्थिक संसाधनों को जुटाने हेतु कार्रवाई निर्धारित की जाये।

रबी की फसल हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों को निःशुल्क बीज

★ प्रदेश में बाढ़ से खरीफ की फसलों को हुई भीषण क्षति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के उन लघु एवं सीमान्त कृषकों, जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त हो गयी है; को उनकी सम्पूर्ण आवश्यकता की मात्रा में गेहूं का बीज निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

★ इसके लिये लगभग 6.25 लाख क्विंटल गहूं बीज की व्यवस्था की जा रही है इस पर लगभग 35 करोड़ रुपये का व्यय भार आयेगा जिसमें 500 रुपया प्रति हेक्टेयर भारत सरकार से मिलने वाली सहायता से तथा शेष धनराशि राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जायेगा।

पर्वतीय क्षेत्रों में भू-स्खलन से हुई क्षति

★ जैसा कि माननीय सदस्य-गण अवगत हैं, प्रदेश को न केवल बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ा है परन्तु इसके साथ ही साथ पर्वतीय जनपदों में भू-स्खलन की दारुण घटनायें हुईं जिनमें जन-जीवन की अपार क्षति हुई है।

★ उत्तरांचल के 11 जनपदों में 661 ग्राम, 1.34 लाख जनसंख्या व 22 हजार हेक्टेयर कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ।

★ भू-स्खलन से उल्लेखनीय क्षति जनपद रुद्रप्रयाग में हुई जहां 103 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। दूसरी भयंकर घटना जनपद पिथौरागढ़ में मालपा नामक स्थान पर हुई जिसमें यात्रियों सहित 203 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इस प्रकार इन दो जनपदों में कुल 306 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

★ वहां के निवासियों की सहायतार्थ राहत कार्य युद्ध स्तर पर कराये गये। वहां पर भी वायु सेना, थल सेना तथा आई टी० बी० पी० तथा एस० एस० बी० के जवानों ने बहुत मदद की और राहत कार्यों में सराहनीय योगदान दिया।

★ राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि इन पर्वतीय क्षेत्रों का अध्ययन विशेषज्ञों से करवाये और यह देखे कि भविष्य में इस प्रकार की मानवीय त्रासदी की दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

★ विश्व बैंक की सहायता से 350 करोड़ रुपये की लागत से एक "इन्टीग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेण्ट प्रोजेक्ट" तैयार कराया जा रहा है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में जल प्रबन्ध एवं पर्यावरणीय संतुलन हेतु व्यापक कार्यक्रम शामिल किये गये हैं।

★ पर्वतीय क्षेत्रों के पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण के लिये "इको-रेस्टोरेशन एण्ड डेवलपमेण्ट आफ हिल्स एरियाज" नामक महत्वाकांक्षी योजना विश्व बैंक की सहायता से तैयार करायी जा रही है जिसकी कुल लागत 2100 करोड़ रुपये है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

आभार प्रदर्शन

★ मैं अपने मंत्रि-मण्डल के सहयोगियों का आभारी हूं जिन्होंने सभी भत्तों को सम्मिलित करते हुए अपना एक माह का वेतन बाढ़ राहत कोष में जमा किया है।

★ मैं आई० ए० एस०, आई० पी० एस० एसोसियेशन के सदस्यों व अन्य कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने प्रदेश के विपत्तिग्रस्त भाइयों की दारुण आर्थिक स्थिति को देखते हुए मेरे अनुरोध पर अपना एक दिन का वेतन सहायतार्थ उपलब्ध करवाया है।

★ मैं इस अवसर पर विशेष रूप से स्वयंसेवी संस्थाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने संकट की अभूतपूर्व घड़ी में राज्य सरकार की सहायता की तथा भोजन, दवाइयों इत्यादि से पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाई।

★ इस अवसर पर मैं प्रदेश की जनता के धैर्य की सराहना भी करना चाहूंगा जिन्होंने इस संकट की घड़ी में इस कठिन परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ किया।

★ मैं सभी माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषम संकट की घड़ी में पूरे मनोयोग से राहत कार्यों में सहायता प्रदान की।

अन्त में

अपनी बात को समाप्त कराने से पूर्व, मैं यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश विशेषकर पूर्वांचल में आयी बाढ़ अभूतपूर्व है। इस बाढ़ ने पिछले सारे रिकार्ड तोड़ दिये हैं।

जहां एक ओर हमें अधिकाधिक राहत उपलब्ध करानी है, वहीं दूसरी ओर बाढ़ समाप्त हो जाने के पश्चात् बीमारी से बचाव, मकानों की व्यवस्था तथा रोजगार के साधन उपलब्ध कराने होंगे। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में रबी की फसल पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही बाढ़ से सार्वजनिक सम्पत्तियों यथा सड़क, बिजली, बंधे आदि की जो क्षति हुई है, उनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य भी तेजी से करना होगा।

इन सभी कार्यों को करने में मैं माननीय सदन के सभी माननीय सदस्यों के सहयोग का अनुरोध करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस दैवीय आपदा में हम सभी राजनीति की दलगत भावना से ऊपर उठकर मिलकर कार्य करेंगे ताकि पीड़ितों की अधिक से अधिक सहायता हो सके।]

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 14 और मद संख्या 15 को एक साथ ले लेते हैं।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पूर्वी उत्तर प्रदेश की भीषण बाढ़ समस्या के स्थायी समाधान हेतु राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की संस्तुतियों को क्रियान्वित किये जाने सम्बन्धी श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव का नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :––

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की भीषण बाढ़ समस्या के स्थायी समाधान हेतु राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की संस्तुतियों को अविलम्ब कार्यान्वित किया जाए ।"

श्री अध्यक्ष–

अब चर्चा प्रारम्भ कर दीजिए ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मैं आपकी अनुमति से इस प्रस्ताव के संबंध में निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से पूर्वांचल बाढ़ की विभीषिका से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और एक तरह से सरकार की लापरवाही से ही पूर्वांचल की इतनी बड़ी क्षति हुई है । बाढ़ विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये एक वार्षिक आपदा बन गयी है । बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई सार्थक पहल नहीं की है । बाढ़ आ जाने के बाद उसकी तबाही और उसकी विनाश लीला का ही अब तक रोना रोया गया है । रोना और विधवा विलाप करने के सिवाय अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाढ़ के स्थायी समाधान के लिये कोई सार्थक पहल नहीं की । श्रीमन्, मैं आप के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस वर्ष जो बाढ़ पूर्वांचल में आयी उसे इस सदी की सबसे बड़ी बाढ़ बना दी गयी, मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इस वर्ष की बाढ़ भी विगत वर्षों में आई बाढ़ की तरह स्वाभाविक तौर पर पूर्वांचल जितनी क्षति करनी थी उतनी ही करके चली गयी होती अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने लापरवाही न बरती होती । बाढ़ की रोकथाम और उसका मुकाबला करने के लिये अगर सरकार ने पूर्व में ही सतर्कता बरती होती तो इतनी बड़ी विनाश लीला पूर्वांचल में न होती । इस वर्ष की बाढ़ को इस शताब्दी की सबसे बड़ी बाढ़ बनने में उत्तर प्रदेश की सरकार की लापरवाही का सबसे बड़ा योगदान है ।

मान्यवर, आप भी अवगत हैं कि आज पूरे प्रदेश में संबंधित शासकीय अभिकरणों द्वारा जो विगत दिनों बांध बनाये गये थे उनमें से एक भी बन्धा नहीं बचा जो इस बाढ़ में टूट न गया हो । पूर्वांचल में जो विनाश लीला हुई है वह बन्धों के टूटने से हुई है और जलप्लावन की स्थिति नहरों के टूटने के कारण उत्पन्न हुई है । बाढ़ आने के पूर्व संबंधित विभागों ने उ० प्र० सरकार से यह मांग की थी कि पूर्वी उ० प्र० में बने हुए सभी बन्धे जर्जर हो चुके हैं इसलिये उनके अनुरक्षण कार्य के लिये और नहरों में जो सिल्ट इकट्ठा हो गयी है उसकी सफाई के लिये कम से कम सौ करोड़ की धनराशि दी जाय । परन्तु उ० प्र० सरकार की संवेदनहीनता इस बात से परिलक्षित होती है कि जहां पूर्वांचल के कुछ जनपदों के लिए संबंधित विभागों ने 100 करोड़ रुपये की मांग की थी वहां प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में बाढ़ को रोकने के लिये प्रदेश के लिये मात्र 15 करोड़ रुपया दिया । इस प्रकार बाढ़ नियंत्रण हेतु न्यूनतम धनराशि का प्राविधान करना इस सरकार की अगम्भीरता का सबसे बड़ा द्योतक है । अगर उत्तर प्रदेश सरकार बाढ़ के प्रति गम्भीर होती तो वह जब पूर्वांचल के केवल 8–9 जनपदों के लिए शासकीय अभिकरणों द्वारा तटबन्धों के मरम्मत तथा नहरों की सफाई के लिए 100 करोड़ रुपये की मांग की गयी थी उस मांग के सापेक्ष सम्पूर्ण राज्य के लिये मात्र 15 करोड़ रुपये की धनराशि का प्राविधान न की होती। आज उ० प्र० की सरकार की लापरवाही के ही चलते पूर्वांचल की इतनी बड़ी क्षति हुई है, आज पूरे पूर्वान्चल में ऐसा कोई बन्धा नहीं है जो टूट न गया हो, इसलिये मान्यवर, इस वर्तमान सरकार की लापरवाही तथा संवेदनहीनता के कारण यह विनाश लीला हुई । मान्यवर, अब यह

समय आ गया है कि इसके स्थायी समाधान की दिशा में सार्थक पहल की जाए। पहले तो बाढ़ न आये और यदि बाढ़ आये भी तो उससे न्यूनतम क्षति हो इसके लिये आज इस दिशा में सार्थक पहले किये जाने की आवश्यकता है। आज राज्य सरकार की संवेदनहीनता तथा जनता के प्रति विश्वासघात इस बात से भी उजागर होता है कि जब विगत 10 सितम्बर, 1998 को माननीय प्रधान मंत्री जी बाढ़ पीड़ित इलाकों के दौरे पर आये तो उन्होंने रहस्योद्घाटन किया कि उन्हें अब तक प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सहायता हेतु आवेदन पत्र नहीं भेजा है। माननीय प्रधान मंत्री ने सार्वजनिक रूप से सितम्बर महीने की 10 तारीख को इस बात को कहा कि दो महीने की बाढ़ की विनाश लीला को झेलने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ से हुई अनुमानित क्षति की सूचना केन्द्रीय सरकार को नहीं दी। न ही केन्द्र से इस हेतु कोई सहायता मांगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वान्चल के दौरे के दौरान प्रधान मंत्री ने यह बात कही। माननीय मुख्य मंत्री जी बार-बार यह गलत बयानी करते रहे कि केन्द्र सरकार से बाढ़ राहत के लिये आर्थिक सहायता मांगी है।

माननीय मुख्य मंत्री जी की इस झूठी बयानबाजी को माननीय प्रधान मंत्री जी ने उजागर किंया यह कहकर कि उत्तर प्रदेश सरकार का प्रधान मंत्री कार्यालय में कोई आवेदन पत्र केन्द्रीय सहायता हेतु नहीं मिला। इसके बाद आनन फानन में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो क्षति का अनुमानित ब्योरा पेश किया। बड़े ताज्जुब की बात है कि प्रदेश के राहत विभाग ने स्वयं जो आंकलन किया था वह तकरीबन 5 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा का था लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने, जो प्रदेश की जनता के प्रति, संवेदनशील होने को दावा करते हैं तथा कल्याणकारी राज्य के मुखिया होने का दावा करते हैं उन्होंने आनन फानन में भारत सरकार से आर्थिक सहायता की जो याचना की वह कुल 1899 करोड़ रुपये की जबकि प्रदेश के राहत विभाग द्वारा तैयार किया गया आंकलन 5 हजार करोड़ रुपये का था। 5 हजार करोड़ रुपये की असलियत को छिपाकर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जनता के प्रति यह कृतघ्नता की है।

(इस समय 12 बजकर 27 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

इससे ज्यादा संवेदनशीलता केन्द्र सरकार ने दिखाई कि जब मा० मुख्य मंत्री जी 1899 करोड़ रुपये की सहायता मांग रहे थे और प्रधान मंत्री जी ने 300 करोड़ की घोषणा तात्कालिक तौर पर कर दी। मैं कहना चाहता हूं कि यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही और संवेदनहीनता है जो आज उत्तर प्रदेश के हजारों लोगों की जानें गयीं और लाखों हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई है। करोड़ों करोड़ रुपये की फसल की क्षति हुई है। इन सबके लिये सरकार के स्तर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि इस वर्ष की बाढ़ की विनाशलीला के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार अभियुक्त है और इस आपराधिक कृत्य के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत होना चाहिए। आज की इस बाढ़ की विनाश लीला में उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही और संवेदनहीनता स्वतः स्पष्ट है। श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि इस बाढ़ के बारे में, विशेष तौर से इस निवेदन के साथ आज इस सदन में गम्भीरता के साथ विचार होना चाहिए इस बाढ़ की विनाश लीला से होने वाली क्षति से स्थायी मुक्ति हेतु कार्य योजना पर चर्चा होनी चाहिए। आज यह समय आ गया है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर निर्णायक बहस होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश का पूर्वान्चल जो हर साल बाढ़ से प्रभावित हो रहा है उससे निजात पाने के बारे में कुछ कारगर उपाय सोचने चाहिए। हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू जी ने सबसे पहले सन् 1954 में राष्ट्रीय बाढ़ नीति घोषित की थी तथा उत्तर भारत के राज्यों के लिये गंगा आयोग गठित किया था और पूर्वोत्तर राज्यों के लिये ब्रह्मपुत्र आयोग गठित किया था। गंगा आयोग ने पूर्वान्चल की नदियों में आने वाली बाढ़ के कारणों का अध्ययन किया था। ये नदियां जहां से निकलती हैं उनके उद्गम स्थलों तक जाकर विशद अध्ययन इस आयोग ने किया था। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का अकेले 40 फीसदी प्रकोप पूर्वान्चल के जिलों पर पड़ता है। गंगा आयोग ने गंगा नदी की उपशाखाओं के उद्गम

स्थलों का अध्ययन किया । नेपाल जाकर इन नदियों के उद्गम स्थल का अध्ययन किया और एक बड़ी योजना बाढ़ के स्थाई हल के लिये केन्द्र को सौंपी । यह सबसे महत्वपूर्ण योजना बनी थी । इसमें जिन परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया था उन्हें आज तक की सरकारों ने ठंडे बस्ते में डालकर बन्द कर दिया है । इसे अमली जामा नहीं दिया । गंगा आयोग ने कहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां छोटी गंडक, बूढ़ी गण्डक, घाघरा, राप्ती आदि जितनी नदियां हैं उनका उद्गम स्थल नेपाल है और उन्होंने इनके उद्गम स्थल जाकर अध्ययन किया और बांध बनाये जाने की बात कही भालू बांध और करनाती बांध बनाये जाने की संस्तुति गंगा आयोग ने किया और कहा कि इन दो बांधों के अतिरिक्त जलकुंडी में बहुउद्देशीय जल परियोजना बनाई जाय । उक्त दोनों बंधे और बहुउद्देशीय जलकुंडी जल विद्युत परियोजना पर तत्कालीन समय में मात्र 33 करोड़ रु० का खर्चा आना था । तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने परियोजना को पूरा करने के लिये पैसा नहीं दिया । मान्यवर, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो श्री मोरारजी भाई देसाई इस देश के प्रधान मंत्री बने । वह नेपाल की यात्रा पर गये उन्होंने नेपाल से बात की और नेपाल राजी भी हो गया । इन नदियों के उद्गम स्थल पर जैसे घाघरा करनाली से निकलती है तो वहां करनाली बांध तथा भालू बांध, जलकुंडी योजना से पूरी हो गयी होती, अगर पूर्व की प्रदेश सरकारों ने ध्यान दिया होता । उसे पूर्ण नहीं होने का दुष्परिणाम आज भुगता रहा है ।

यह परियोजना अगर लागू हो जाती तो जल कुण्डी विद्युत परियोजना से इतना विद्युत उत्पादन होता कि सम्पूर्ण पूर्वान्चल में आज बिजली का संकट दूर हो जाता । जलकुंडी परियोजना के लिये 33 करोड़ रुपया उस समय की सरकार ने नहीं दिया । बाढ़ से प्रदेश की तबाही का यही कारण है । यह सरकार चूड़ा, गुड़, मिट्टी का तेल, माचिस आदि की फेहरिस्त उपस्थित करती रहती है इतनी जानें गयीं, इतनी तबाही हुई इसकी फेहरिस्त उपस्थित करती रहती है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं इस संवेदनहीन सरकार से कि अब यह सिलसिला बन्द होना चाहिए । मान्यवर, 1977 में श्री मोरारजी भाई देसाई ने नेपाल जाने के बाद नेपाल सरकार तैयार हो गयी थी । जल विद्युत परियोजना से जो विद्युत उत्पादन होगा उसका आधाहिस्सा नेपाल को भारतवर्ष देगा और जो वहां के जलाशयों में पानी इकट्ठा किया जायेगा उसका भी आधा हिस्सा नेपाल को भारतवर्ष देगा । लेकिन इस परियोजना के पूरा होने के पहले ही श्री मोरारजी भाई देसाई अपने पद से हट गये । गंगा आयोग की संस्तुतियां नहीं लागू हो पायीं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं पहाड़ पर जब वर्षा होती है तो बड़ी मात्रा में सिल्ट नदियां लेकर मैदानी क्षेत्रों में आती है । नदियां छिछली हो गयी हैं । रिवर बेड छिछली हो गयी हैं । मामूली पानी से यह नदियां भर जाती हैं और उफन जाती है और अगल-बगल के क्षेत्रों को बाढ़ प्रभावित कर देती हैं । जो कार्य योजना बनी थी उसमें दो बंधों के निर्माण का प्रस्ताव था । उक्त बन्धों के निर्माण से सिल्ट टेपिंग के साथ-साथ जल प्रवाह भी नियंत्रित हो जाता, डेम बन जाने से, जितना जल प्लावन होता है वह नहीं होता । बाढ़ राजनीतिक मुद्दा बन गया है सरकार बाढ़ में मरने वालों के प्रति शोक संवेदनायें व्यक्त कर, दो शब्द कहकर अपनी इतिश्री समझ लेती है ।

मान्यवर, 1954 में गंगा आयोग, ब्रह्मपुत्र आयोग गठित हुआ था उत्तर प्रदेश की सरकार ने 33 करोड़ रुपया इस कार्य योजना को पूर्ण करने हेतु नहीं दिया । वर्ष 1976 में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राष्ट्रीय बाढ़ आयोग गठित किया जिसके अध्यक्ष श्री जे० एस० हाथी बनाये गये । नेशनल कमीशन गठित हुआ उसने सम्पूर्ण देश में आने वाली बाढ़ का अध्ययन किया और राष्ट्रीय बाढ़ आयोग जो श्री जय सुखलाल हाथी के नेतृत्व में गठित हुआ था उसने इस बात को स्वीकार किया कि इसके पूर्व में जो आयोग गठित हुए थे उन आयोगों ने उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये जो कार्य योजना बनायी है उस कार्य योजना को क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया । उसने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया । उसने इस बात को भी स्वीकार किया कि इसका स्थायी हल तभी हो सकता है जब कि नेपाल

जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की नदियां का उद्गम स्थल है के अन्दर वहां भालू करनाली बांध बनाये जायें और उसने यह भी कहा कि नदियों को निरन्तर गहरे करने की प्रक्रिया चालू करनी चाहिए । एक नदी का दूसरे नदी में जल ज्यादा हो जाने के बाद प्रवाहित करने की योजना उस आयोग ने बतायी लेकिन इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं की गयी और सार्थक प्रयास क्यों नहीं किया गया ? मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि बाढ़ जो पूर्वान्चल के लिये त्रासदी हो गयी है और सरकार की लापरवाही के कारण जो वार्षिक आपदा हो गयी है उस पर इस सदन को गम्भीरता से विचार करना होगा ।

केन्द्र सरकार पर दबाव डालना होगा कि आयोग ने जो संस्तुतियां स्थायी हल के लिये की हैं उन्हें यथाशीघ्र नेपाल सरकार से बातचीत करके कार्यान्वित किया जाय । जो बाढ़ मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आयी, नवसृजित जनपद कुशीनगर में उत्तर प्रदेश बिहार सीमा के अन्दर सबसे महत्वपूर्ण बंधा पिपरासी बांध 13 अगस्त, 98 को टूट गया और 14 अगस्त, 98 को गोरखपुर में बरहीपार बांध टूट गया । जो 13 अगस्त, 98 को पिपरासी बांध टूट गया था उसकी मरम्मत का काम बिहार की सीमा में उत्तर प्रदेश सरकार ने किया और 180 मीटर बांध की कटान के रोकथाम के लिये अब तक 87 लाख रुपये का भुगतान हो चुका है । जो बल्लियों की पायलिंग की गयी थी वह पायलिंग पानी के तेज बहाव में बह गयी थी । गंगा हाई लेविल कमेटी पटना ने निरीक्षण किया और अभियंताओं के मूर्खतापूर्ण कार्य पर यह टिप्पणी व्यक्त की कि आश्चर्य होता है कि इतने तेज प्रवाह में बल्लियों के पायलिंग के कार्य क्यों किये गये । वहीं गोरखपुर में बरहीपार बांध पर विभाग के समझदार अभियन्ताओं ने कटान रोकने के लिये जो बल्लियों के पायलिंग का कार्य किया । उस दो सौ मीटर बल्ली पायलिंग पर खर्च होता है चार लाख रुपया । जबकि पिपरा–पिपरासी बन्धा पर 180 मीटर पर खर्च होता है 87 लाख । जितने लोगों की जानें चली गयीं उनकी जानें न जा पायें इसके लिये प्रदेश सरकार ने चिन्ता नहीं की । बाढ़ आ जाने के बाद जो धन खर्च किया जा रहा है उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है इसकी रखवाली उत्तर प्रदेश सरकार को करनी चाहिए जो नहीं कर रही है ।

मान्यवर, मैं आज यह कहना चाहता हूं कि देश और प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है जो राहत कार्य में काम कर रही है उसमें इस बात की गारन्टी नहीं है कि अगले साल बाढ़ इन प्रयासों से रुकेगी । यह तब रुकेगी जब सार्थक प्रयास होगा और इसीलिये जो प्रदेश की जनता की पीड़ा है, विशेष तौर से पूर्वान्चल की जो तबाही हुई है और जो करीब-करीब हर साल आने वाला गम्भीर संकट हो गया है अब तक उत्तर प्रदेश में बाढ़ से जो तबाही होती है उसका तीन चौथाई पूर्वी उत्तर प्रदेश को झेलना पड़ता है । लेकिन बाढ़ की समस्या के स्थाई समाधान हेतु जो कार्य योजना पूर्व के आयोगों ने बतायी उन कार्य योजनाओं को अमली जामा देने की कोशिश अब तक नहीं की गयी । आज प्रदेश का यह सर्वोच्च सम्मानित सदन अगर प्रदेश की जनता के समक्ष उपस्थित इस भयंकर सवाल पर बहस न करे और उसके हल के दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं करता है तो फिर इस संस्था और परमात्मा के संस्था के बीच कोई तीसरी जगह नहीं है जहां पीड़ित व्यक्ति अपनी फरियाद कर सकें । मान्यवर, अगर सरकार चाहती है कि राजकोषीय पैसे का दुरुपयोग न हो, हर साल जनता की तबाही न हो, तो नेपाल सीमा के अन्दर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियां हैं, उनके संबंध में बालू बांध, करनाली बांध तथा जलकुंडी आदि परियोजनाओं को अमलीजामा दिया जाए । साथ ही राष्ट्रीय बाढ़ आयोग और गंगा आयोग की जो रिपोर्ट हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाढ़ के हल के खातिर जो कार्ययोजनाएं हैं उनको जल्द से जल्द क्रियान्वित किया जाए । तभी यह विनाश लीला का सिलसिला खत्म हो सकेगा । मैं इस प्रस्ताव पर जोर देते हुए यह निवेदन करूंगा कि इसे सर्वसम्मति से पारित कर केन्द्र में भेजा जाए ताकि प्रदेश को स्थाई रूप से बाढ़ की विभिषिका से मुक्ति मिल सके ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं इस बाढ़ की त्रासदी को राष्ट्रीय विभीषिका मानता हूं । मैं इस विषय को दलों का रंग देकर राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूं । मेरा सरकार से भी आग्रह है कि बाढ़ से संबंधित इस गम्भीर विषय को राजनीतिक मुद्दा न बनाये । उसमें एक इच्छा शक्ति होनी चाहिये इस बाढ़ का सामना

जानते हैं और जो स्वयंसेवी संगठन आपको सहयोग देना चाहते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया । आपकी सरकार है और आपके दल के प्रधान मंत्री हैं, आप इस बात का उत्तर दें कि यह शताब्दी के सबसे बड़ी बाढ़ है, और सबसे भयंकर बाढ़ है और सरकार कहती है कि जो जनधन की हानि हुई है, उसको पूरा करना मुश्किल है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इनको नेशनल कैलामिटी क्यों नहीं घोषित करा देते हैं और केन्द्र सरकार पर क्यो नहीं दबाव डालते हैं । आपने अपनी सरकार को बचाने के लिये अपनी सभी नीतियों की कुर्बानी कर दी है, उत्तर प्रदेश की जनता मरे या जिसे आपका इससे कोई मतलब नहीं है, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है । मेरा आपसे कहना है कि आप इसको नेशनल कैलामिटी घोषित करायें और केन्द्र सरकार पर दबाव डालें । और इसके लिये आप प्रस्ताव लायें, हम सभी विपक्ष के लोग उसका समर्थन करेंगे । आप का साथ देंगे । उत्तर प्रदेश जल मग्न था और आप अपना जश्न मना रहे थे, तो कैसे प्रदेश की जनता का कल्याण होगा, कैसे बाढ़ पीड़ितों का कल्याण होगा । यह सारी चीजें एक राष्ट्रीय विषय हैं और आप इन पर सभी का सहयोग लें । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्रीमती गौरी देवी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बाढ़ पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपकी आभारी हूं । मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं कि गोरखपुर जिले में सबसे ज्यादा बाढ़ से नुकसान हुआ है और उससे भी ज्यादा हमारे चुनाव क्षेत्र कौड़ीराम में हुआ है । यह सरकार अक्षम है और अक्षमता के कारण ही यह बाढ़ इतनी फैली है । अगर यह सरकार बाढ़ आने के पहले ही सारे कार्य कर लेती तो बाढ़ की विभीषिका इतनी न होती । सिंचाई मंत्री ने मना कर दिया कि मिट्टी का कोई काम नहीं होगा । मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अगर यह सरकार बाढ़ के पूर्व बंधों की मरम्मत कर ली होती बंधों का रखरखाव और वहां पर ठोकर लग गये होते तो आज यह आपदा न आई होती मैंने पिछली बार इसी हाउस में यह बात उठायी थी कि मेरे क्षेत्र में सारे बंधे जर्जर अवस्था में है । लहसड़ी में खास तौर पर मैंने कहा था कि यह खराब स्थित में हैं । पांच छह किलोमीटर पर खराब है अगर यह बंधा टूट गया तो सारा क्षेत्र सैलाब में डूब जायेगा । मान्यवर, छड़वा बांध टूट गया । मेरे क्षेत्र में पांच छह बंधे टूट गये और आठ दस जगह सड़कें जो नेशनल हाइये हैं टूट गयी । सड़कों और बन्धों के टूटने से करीब 3 लाख लोग प्रभावित हुए । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में बाढ़ से 1 लाख लोग बेघर हुए हैं । और 1 हजार जनता की जानें गई हैं । मड़वा और खोराबार से बहुत भारी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं । यह सब वहां के इंजीनियरों की लापरवाही के कारण हुआ है । 22 तारीख को रिसाव हो रहा था, वहां की जनता ने अपने प्रयास से और अपनी मेहनत से बचाने का प्रयास किया । इनके सहायक अभियन्ता विजय बहादुर और अवर अभियन्ता गुलाब चन्द्र श्रीवास्तव बैठे रहे उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया और बंधा टूट गया जिससे हजारों लोगों की जानें गयी, इनको सस्पेंड तक नहीं किया गया । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि कि इनको सस्पेंड ही नहीं इन पर 302 का मुकदमा चलना चाहिये क्योंकि इनकी लापरवाही से हजारों लोगों की जानें गयी । हमारे क्षेत्र कौड़ीराम में लोग सड़क और बंधे के ऊपर रह रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम सहायता दे रहे हैं । मकान के लिये 25 हजार दिया है और अहैलक सहायता के रूप में एक एक हजार दिया है और 500 रुपया सामान के लिये दिया है । मैं दावे के साथ कहना चाहती हूं कि जो सहायता दी है उसमें बड़ी धांधली हुई है । बरसाती जो मिलनी चाहिये वह सही लोगों को नहीं मिली है । भाजपा के लोगों को ही बरसाती मिली है वह लोग दो दो और तीन तीन क्विंटल बरसाती ले गये हैं और अपने घर रख लिये हैं । गरीब और निरीह जनता सड़कों पर चादर और साड़ी तान कर समय बिता रही हैं और इनके लोग बरसाती अपने घरों पर रखे हैं । जो सहायता बांटी गयी है उसमें भी गरीबों को सहायता नहीं मिली है 10 किलो के स्थान पर लोगों को 5 किलो और 7 किलो ही दिया गया और इनके कुछ लोग एक-एक

क्विंटल उठा ले गये । इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये था । यह सरकार और मुख्यमंत्री अक्षम हैं, यह कहते हैं कि 25 हजार मकान के लिये सहायता दी है लेकिन वह लोगों को नहीं मिल रही है ।

बाढ़ के कारण अब वहां संक्रामक रोग फैल गया है उसके लिये वहां दवा और डाक्टर नहीं है जो गांव में जाकर लोगों की सहायता करें । मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं कि जब बाढ़ आयी तो बांध टूट गया । झड़वा गांव के पास मलौनी बांध है उसके टूट जाने से पुलिस चौकी नौसढ़ तहस नहस हो गयी और बरवार,, बौरहवां, नेवाश, खानीपुर गांव कट कर बाढ़ में विलीन हो गये । इन गांवों की सैकड़ों दुकानें बह गयी जिससे लोगों के सामने रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो गई है । बांध टूटने से वहां की पक्की सड़कें टूट गयी हैं और पुलिया टूट कर बह गई हैं जिससे सड़कों में 6-6 फिट गड्ढे बन गये हैं । मान्यवर, खोराबार की 6 हजार जनता सर्वोदय इन्टर कालेज में शरण लिये हुए थी । मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि वह चाहें तो इसकी जांच करा लें और बाढ़ ग्रस्त जनता को उचित सहायता दिलायें । मुख्य मंत्री जी हमारे वहां गये ले लेकिन हवाई सर्वेक्षण करके लौट आये क्या वह वहां की जनता से मिल नहीं सकते थे । मुख्य मंत्री जी हेलीकाप्टर से हवाई सर्वेक्षण करके सिटी में उतरे थे लेकिन खोरावार की जनत. को सर्वोदय इन्टर कालेज में थी उससे क्या नहीं मिल सकते थे । यह बड़े दुःख की बात है । मान्यवर, मलौनी बांध जब टूटा था तो वहां की जनता बहुत परेशान थी और लोग पुल पर लटके थे उन्हें नाव की जरुरत थी । डी० एम०, श्री अरुण सिंघल, से जब हमने नावों की व्यवस्था करने के लिये कहा तो वह हंसकर कह रहा था कि हम नावें मथुरा, बृन्दावन, इलाहाबाद, वाराणसी से मंगा रहे हैं । मैं बताना चाहती हूं कि वहां लोग जब डूब रहे थे और मर रहे थे तो डी० एम० हंस रहा था और जनता भगवान के भरोसे थी । इस सरकार ने कौड़ीराम की जनता को बचाने की कोई सहायता नहीं किया ।

मान्यवर, वहां क़ा तहसीलदार राम जी चौबे बाढ़ पीड़ितों को बरसाती नहीं बंटवाया बल्कि बरसाती वहां के अधिकारियों के घर में पहुंचा दी गई । तहसीलदार और डी० एम० ने मेरी बात को नहीं सुना । ग्राम भीटी के प्रधान को लेखपालों ने मारा-पीटा । जनता को गेहूं और चावल जो 10 किलो मिलना चाहिये वह नहीं दिया गया । मान्यवर, नाव देने की डी० एम० की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गयी । मैं जब जाती हूं और जनता के लिये नावें तथा गल्ला देने की बात डी० एम० और तहसीलदार से करती हूं तो तहसीलदार हंसते हैं और कहते हैं कि पागल औरत आ गयी और यह जब आती है तो हमारा माथा चाटने आ जाती है । यही बड़ी खराब बात है । जो रुपया वहां भेजा गया है सहायता के लिये उसमें लोगों ने कमीशन खा लिया और वह जनता तक नहीं पहुंचा है । सरकारी अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं । केवल 5 किलो गल्ला बांटा गया है । मिट्टी का तेल नहीं बांटा गया है । मिट्टी के तेल को बेचा गया है । यह सरकार निकम्मी है . यह सरकार भयमुक्त समाज का नारा देती है । सरकार को शर्म आनी चाहिये । मुख्य मंत्री जी बैठे हैं उन्होंने बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण किया लेकिन कौड़ीराम क्षेत्र की जनता के लिये कुछ नहीं किया गया है । सड़कें कट गयी हैं, बांध टूट गये हैं । लोगों के घर गिर गये हैं । जिन लोगों के घर कच्चे थे वह सब गिर गये हैं लोग अपने अपने घरों को देखकर रो रहे हैं ।

आपने कहा है कि मकानों के लिये 25,000 की अहेतुक सहायता देंगे लेकिन हमें यकीन नहीं है कि यह रुपया दिया जायेगा । यह कहा गया है कि जो लोग सर्विस कर रहे हैं, पेंशन पा रहे हैं उनको सहायता नहीं दी जायगी । यह उचित नहीं है । मेरा कहना है कि चाहे कोई सर्विस में हो या पेंशन पा रहा हो सबको सहायता देनी चाहिये ।जनता बेहाल है लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है । लोग बाढ़ का गंदा पानी पी रहे हैं और बीमारियों के शिकार हो रहे हैं । मेरे क्षेत्र में 1 हजार लोग मरे हैं । जानवरों की तो कोई गिनती नहीं कि कितने मरे हैं । लोगों के घर तहस नहस हो गये हैं । जिन

(समय 1 बजकर 10 मिनट)

लोगों के घर गिर गये हैं उनके लिये पक्के मकान बनवाये जायं । हमारे यहां के ड्रेनेज खण्ड के अधिकारियों को निलम्बित किया जाय उन्होंने बाढ़ के लिये कोई काम नहीं किया । बाढ़ से जनता त्राहि-त्राहि कर रही है जिन लोगों का नुकसान हुआ है मेरी मांग है कि उनको मुआवजा दिया जाय उनके मकान बनवाये जायं ।

श्री राम प्यारे–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं । 20-8-98 को मैंने एक पत्र लिखा बाढ़ के संबंध में राहत आयुक्त को । दूसरा पत्र मैं विधान सभा अध्यक्ष को 24-7-1998 को लिखा था । तीसरा पत्र मैंने 24-8-1998 को मुख्य मंत्री जी को फैक्स किया था । यह पत्र बाढ़ के संबंध में थे । मान्यवर, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह पत्र जो बाढ़ के संबंध में थे उन पर ध्यान नहीं दिया गया । अफसोस इस बात का भी है कि जिस दिन हमारे मुख्य मंत्री आजमगढ़ में बाढ़ के संबंध में गये जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि बाढ़ आने के महीनों बाद इनको उस समय चेतना आयी जब हमारे राष्ट्रीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने तमाम जनपदों का दौरा किया । इसके बाद इनको होश आया कि हमको बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को सुनने के लिये जाना चाहिये । माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विज्ञापन भी निकाला था जो बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये था । आजमगढ़ के विकास भवन के सभाकक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी से मै मिला । जनपद–आजमगढ़ और मऊ के जिलाधिकारी ने जो अपनी बातें मुख्यमंत्री जी से कहीं, दोनों का कहीं तालमेल नहीं है । मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पहले की बात याद दिलाया कि आपने भरे सदन में चक्रवात के प्रश्न पर यह आश्वासन दिया था कि जो फसलों की क्षति हुई है, उसकी जांच कराकर उसकी क्षतिपूर्ति देंगे लेकिन एक भी किसान को क्षतिपूर्ति नहीं दी गयी । अगर मुख्यमंत्री जी बाढ़ के प्रति गम्भीर होते तो जो बातें विज्ञापन में दिया गया था उसका पालन होता । मुख्यमंत्री के विज्ञापन के अनुसार उसका एक भी प्रतिशत पालन नहीं हो पा रहा है ।

हमारे मुख्यमंत्री जी सामने बैठे हैं । इन्होंने कहा था कि आप तो हाउस की भाषा बोल रहे हैं । मुझे खेद है कि जहां डेढ़ महीने से लोग परेशान थे, दो-दो सौ रुपये की अहेतुक सहायता के रूप में दिया जा रहा है । मेरा कहना है कि अगर सरकार और मुख्यमंत्री जी बाढ़ के प्रति जरा भी संवेदनशील होते तो जो अहेतुक सहायता की राशि थी उसका तुरन्त वितरण किया जाता । जब लोगों के घरों में पानी घुसा लोग अपने घरों से बाहर आये उन्हें तुरन्त इन पैसों की आवश्यकता होती है जिससे जीवन के लिये आवश्यक सामग्री खरीद सकें । मेरा आरोप है कि आज तक तमाम जिलों मे अहेतुक सहायता की राशि नहीं दी गयी, आप इसकी जानकारी कर लें । जो आज आप 1500 रुपये की अहेतुक सहायता की राशि दे रहे हैं उसका आज के दिन उसका कोई महत्व नहीं है । जितना महत्व उस दिन था जिस दिन लोगों के घरो में पानी घुसा हुआ था, उसको आवश्यकता का महत्व उस दिन थी । मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी बाढ़ पीड़ितों के प्रति कहीं भी संवेदनशील नहीं हैं । हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जहां पूरे पूर्वांचल में बाढ़ आयी हुई है, जहां हजारों लोगों की मृत्यु हो गयी हो, जहां लाखों-लाख लोग बेघर हो गये हो, ऐसे समय पर एक साल बीतने का जश्न मनाया जाये । इससे यह प्रदर्शित होता है कि यह कितने संवेदनशील हैं । हमारे मुख्यमंत्री जी जब जबाव दें तो उसमें कम से कम इस बात को जरूर कहें । जब हजारों-हजार लोगों की मौत हो गयी तो तेरहवीं की बात तो समझ में आती है लेकिन जश्न मनाने की बात समझ में नहीं आती । मान्यवर, जिस प्रकार बन्धे कटे, उसके बड़े स्पस्ट प्रमाण हैं । मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन बातो की जांच करानी चाहिये । हमारे प्रदेश मे एक से एक, अच्छे से अच्छे अभियन्ता हैं अगर उनको बन्धा सुरक्षा में लगा दिया गया होता तो शायद यह बंधे कटने की नौबत न आती । लेकिन सिंचाई मंत्री हों या मा० मुख्य मंत्री मात्र हों, एक काम किया कि जो उनके रिश्ते नातेदार थे उनके सगे संबंधी इंजीनियर्स थे जिनका अनुभव नहीं था इन कामों को करने में उसकी

ड्यूटी वहां लगा दी गई । जो अच्छे इंजीनियर्स थे उनको ऐसी जगहों पर बैठा दिया गया जहां उनका कोई उतना महत्व नहीं था जितना कि बाढ़ से बन्धो की सुरक्षा करना था । यह सही है जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा कि अगर इसका स्थाई रूप से कोई हल भविष्य के लिये नहीं निकाला गया तो प्रत्येक वर्ष इस तरह की विनाशकारी बाढ़ आया करेगी और तमाम लोग इसके भुक्तभोगी हुआ करेंगे । मैंने अध्यक्ष महोदय को भी पत्र लिखा, मुख्य मंत्री जी को भी पत्र लिखा और मुख्य रूप से आजमगढ़ के संबंध में मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाया पत्रों को पढ़कर सदन के महत्व, सदन के महत्व पूर्ण समय को नष्ट न कर पत्रों में दी गयी समस्या उनके निदान के संबंध में अवश्य कार्य सुनिश्चित की जानी चहिये । नाविकों को 20 रुपये मजदूरी आज भी दी जाती है जबकि न्यूनतम मजदूरी 47 रुपये हुआ करते है । जो सूखी जमीन पर काम करते हैं । अगर यह सरकार संवेदनशील होती तो उन नाविकों को जो अपनी जान जोखिम में डाल कर लोगों की जान बचा रहे थे छोटी नावों को 20 रुपये, मझोली नावो की 25 रुपये और बड़ी नावों को 30 रुपये देने का परिणाम था कि नावों के लिये वहां हाहाकार मचा हुआ थे, नाविक इतनी कम रेट पर नाव चलाने को तैयार न थे । अगर सरकार संवेदनशील होती तो इन बातों पर जरूर ध्यान देती ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बाढ़ जैसे विषय पर बोलने का अवसर दिया ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

आपने पहले मेरा नाम बुला लिया था उसके बाद तीन लोग और बोले । अब मुझे बोलने की अनुमति दें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैंने शिव प्रताप का नाम बुला लिया है ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मैं आपका आभारी हूं कि आपने यह बाढ़ पर जो चर्चा हो रही है इसके संदर्भ में मुझे बोलने की अनुमति दी । मैं आभारी हूं श्री सुबाष जी का कि उन्होंने इस बिन्दु को उठाया । लेकिन साथ ही साथमें दुख के साथ कहना चाहता हूं कि विपक्ष इस विषय पर इतना संवेदनशील है कि जब बाढ पर इस सब में चर्चा हो रही है तो अखबार में चर्चा जताने वाले विपक्ष के नेता इस समय सदन में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं ।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

(व्यवधान)

मान्यवर, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी ने बाढ़ आने के संदर्भ में जिन बिन्दुओं को गिनाया उस संबंध में कहना चाहता हूं कि माननीय श्री कल्याण सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व में विगत एक वर्ष से ड सरकार है । जो बांध बने थे यदि उस पर विचार किया जाए । जो बाढ़ आई थी वह बन्धों 2 किलोमीटर ऊंची थी इस कारण पूर्वांचल में बंधे टूटे । कुल 55 बंधे इस बाढ़ की विभीषिका में टूटे जहां तक नेपाल से वार्ता का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सत्ता में आने से बहुत पह से यह बात चल रही थी कि वास्तव में इसका हल निकाला जाना चाहिये था । जहां तक मुझे याद जब प्रधानमंत्री यहां आये थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन योजनाओं के संदर्भ में चर्चा की थी अ

यह कहा था कि निश्चित रूप से नैपाल से इस पर वार्ता होनी चाहिये । उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जो बाढ़ आ रही है और इस शताब्दी की जो भीषण बाढ़ आई उसका निराकरण होना चाहिये । आपको संज्ञान होगा वार्ता के बाद प्रधानमंत्री जी ने यह वक्तव्य दिया था कि बाढ़ का कोई न कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे हमेशा के लिये बाढ़ को खत्म किया जाए ।

माननीय कल्याण सिंह जी की पहल के बाद माननीय प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य आया । सोचना तो पहले के लोगों को चाहिये था जो लोग शासन में रहे थे परन्तु जब किसी ने नहीं सोचा और बाढ़ आती रही और जाती रही । इंजीनियर जो भी करते रहे परन्तु सरकार ने कुछ नहीं सोचा अब की पहली बार यह सही है कि सबसे बड़ी बाढ़ की त्रासदी यह रही और इस प्रकार की बाढ़ कभी नहीं आई परन्तु उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की माननीय श्री कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में बनी यह पहली सरकार है जिसमें बाढ़ में इतने अधिक प्रबन्ध किये और आज आप कहीं भी जाए लोग इस बात को कहते हैं कि कल्याण सिंह जी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर बाढ़ राहत के कार्य किये हैं जिसके बारे में पहले कभी लोगों ने सोचा भी न था । मान्यवर, एक बार गोरखपुर जिले में 4 सौ गांवों में बाढ़ आई और इस तरह से शासन प्रबन्ध किया था वह इस बात से पता चल जायेगा कि 4 सौ गांवों में 9 सौ नावों की व्यवस्था की गई थी । एक काली रात आती है और उस काली रात में 6 सौ गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं सड़क कट जाते हैं, रेल मार्ग कट जाते हैं केवल एक हवाई मार्ग ही बचता है । कितनी संवेदनशील यह सरकार है । कहीं ऐसा नहीं हुआ तो हवाई जहाज से नाव उन क्षेत्रों में जो बाढ़ से प्रभावित थे, पहुंचाने का कार्य करके उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रबन्ध करने का काम किया है । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने अगर इस बात को नहीं सुना है तो पता करायें कि पहली बार हवाई जहाज से नाव बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचाने का कार्य किया गया है । गोरखपुर ऐरोड्रम पर नाव उतारी गई हैं जहाज से और विभिन्न क्षेत्रों में वितरित की गई हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर मैं स्वयं उस दिन इलाहाबाद से नाव लदवाकर पहुंचवाई है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं ।

श्रीमती गौरी देवी–

कहीं कोई सहायता नहीं दी गई है ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, जब बाढ़ आयी तो लोग कहते हैं कि इनके मुख्य मंत्री जी जयपुर में थे । लेकिन मान्यवर, अपने जयपुर के कार्यक्रम को स्थगित करके उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय कल्याण सिंह जी आये हैं और देवरिया, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बलिया इन सब जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया है । बनारस में पत्रकार सम्मेलन किया, गोरखपुर में पत्रकार सम्मेलन किया और अधिकारियों को सचेत किया है ।

श्रीमती गौरी देवी–

पद का दुरुपयोग किया है ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

और स्पष्ट रूप से उसी दिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात का निर्देश दिया है कि जिलाधिकारियों को कि जितने पैसे की आवश्यकता हो निकाल लें और जिलाधिकारियों ने यह भी कहा कि किसी जनता के व्यक्ति से, किसी पत्रकार से मैं यह न सुनूं कि कहीं राहत पहुंचाने में कोताही हुई है। अगर यह सुना गया कि कहीं पर कोताही हुई है तो उस दिन उस अधिकारी की खैर नहीं है, यह प्रेस कान्फ्रेंस में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है । इसके बाद ट्रेजरी रूल्स–27 से जितने पैसे की आवश्यकता होती है निकालने के लिये जिलाधिकारियों को कह दिया । इसके अलावा करोड़ों रुपया शासन ने अपने स्तर से जिस जिस ने मांगा है देने का काम किया है । मैं कहना चाहता हूं कि पहली

बार 10 किलो, दूसरी बार 15 किलो और तीसरी बार में 20 किलो तक चावल प्रत्येक परिवार को वितरित करने का काम किया है । उत्तर प्रदेश के शासन के अधिकारियो के माध्यम से यह वितरण कराने का काम किया है । इसके साथ-साथ मान्यवर, मिट्टी के तेल को बांटने का काम किया गया है, दियासलाई दी गई, नमक दिया गया । जब देखा गया कि लोग बन्धे पर फंस गये हैं या कहीं और फंसे हुए हैं और यह चीजें उन तक नहीं पहुंचाई जा सकती, वे लोग खाना नहीं बना सकते हैं तो ऐसी स्थिति में मान्यवर, हेलीकाप्टर से खाने के पैकेट गिराने का काम किया है । पानी के पाउच बनवाये गये और गिराये गये ताकि लोगों को भोजन के साथ-साथ पीने को पानी भी मिल सके । इसके अलावा यह भी व्यवस्था की गयी थी कि जहां पर भी बाढ़ राहत केन्द्र में बाढ़ से प्रभावित लोग आते हैं उनको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाय । दोनों समय भोजन और जलपान की व्यवस्था कराई गई ।

गोरखपुर में विश्वविद्यालय में 5 हजार बाढ़ से प्रभावित लोग टिके हुए थे माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं वहां गये थे । अभी यह कहा गया कि वहां मुख्य मंत्री जी ने विश्वविद्यालय में क्या देखा । एक समाचार पत्र में प्रायोजित ढंग से खबर निकाली गयी । किसी भी अन्य समाचार पत्र में इस तरह की बात नहीं की गयी । जब प्रधान मंत्री जी आये थे तो वे भी स्वयं वहां पर लोगों से मिलने गये थे । इतना ही नहीं सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ते हुए भारत के प्रधान मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, आप सभी लोगों ने समाचार में देखा होगा कि कीचड़ में उनका पैर फिसल गया था और सुरक्षा कर्मियों को थामना पड़ा था, उन्होंने वहां पर जाकर लोगों से मिलकर उनके दुख-दर्द को पूछने का काम किया है । भारत के प्रधान मंत्री ने कहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा है पीड़ित लोगों के लिये जुटकर कार्य करें । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अपील किया था, यह मैं इसलिये कह रहा हूं क्योंकि यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कोई मीटिंग नहीं बुलाई, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने बयान देकर विज्ञापन देकर निवेदन किया था । सभी राष्ट्रीय दलों से सभी प्रान्तीय दलों से, आप इस बाढ़ की विभीषिका में हर बात को त्यागकर राजनीतिक भेदभाव को भुलाकर स्वयंसेवी संस्थायें, स्वयंसेवी संगठन के साथ जुटें । हम स्वयंसेवी संगठनों के कृतज्ञ हैं जिन्होंने रात-दिन एक करके अधिकारियों और शासन के साथ मिलकर जुटकर कार्य किया है । इसके लिये उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की जानी चाहिए ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

बाढ़ आने का कारण था 600 क्यूसेक पानी नेपाल ने छोड़ दिया । जो नदियां उथली हो गई उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है । सिल्टिंग जो होती है बिहार की तरफ से आती है जब तक यह सिल्टिंग खत्म नहीं होती है.....

श्री सुधाकर सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । सुन लीजिए ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जो पूर्व में प्रबन्ध करना चाहिए था वह नहीं किया गया आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है । मान्यवर, हम लोगों को जो पीड़ा 15 दिन में हुई, 15 दिन हमारे होठों पर हंसी नहीं आयी । यह मुलायम सिंह यादव जी के बयान की बात करते हैं । मुलायम सिंह यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था राजनीति को छोड़कर आप सब पहले बाढ़ में लगें .

(व्यवधान)

लेकिन हमने कहीं नहीं देखा भारतीय जनता पार्टी के शासन के साथ इनके कार्यकर्ता कहीं भी जुटे हों । बाढ़ जैसे गम्भीर विषय पर हर स्थिति में सब लोगों को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए था ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, दो मिनट और दे दें । इन्होंने कहा 20 रुपया 25 रुपया नाव पर दिया गया । लेकिन मैं बताना चाहता हूं 250/- और 300/- रुपया दिया गया । मझौली गांव में 300 रुपया दिया गया ।

एक माननीय सदस्य–

यह झूठी बातें कह रहे हैं 25–30 रुपये से ज्यादा नहीं दिया गया है ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने लाखों रुपया भेजकर बाढ़ पीड़ितों को सहायता पहुंचाई ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा का विषय बहुत गम्भीर है जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनकी बात ठीक से सुनेंगे नहीं तो चर्चा का अर्थ क्या होगा । मेरा निवेदन है जब भी कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तो हम लोगों को सुनना चाहिए । दूसरा निवेदन मेरा माननीय सदस्यों से यह है कि वे अपनी बात कम से कम समय में रखें । धन्यवाद ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने बाढ़ जैसी गम्भीर विभीषिका पर बोलने का मुझे अवसर दिया मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, प्रदेश के 55 जिले अब तक बाढ़ से ग्रस्त हैं । 55 जिलों की तबाही किसने देखी और कब देखी यह प्रश्न नहीं है । प्रश्न यह है कि सरकार ने क्या व्यवस्था की है, क्या राहत का सामान भेजा है, कितनी मदद की है । यह भी प्रश्न उभरकर आया कि जब प्रदेश बाढ़ की विभीषिका में था तो उस समय नेता सदन जयपुर में थे । उनके सामने समस्याएं हैं मैं उनमें पड़ना नहीं चाहता हूं । यहां पर लंगड़ी सरकार बनी है वह कई पैरों से मिलकर बनी है । इन्होंने जो परेशान जनता थी उसको देखने की जरूरत नहीं समझी । मान्यवर, जनपद की संख्या सामने आयी आपकी जानकारी में आ ही गया होगा । अभी हमारे शुक्ला जी बयान कर थे कि गोरखपुर में हेलीकाप्टर से नाव गिरायी गयी । हमें तो डर लग रहा था कि कहीं आप ही न गिर जाते आप ही न उन नावों का इस्तेमाल न करते । आप नाव इसलिये गिरा रहे थे कि आपके मुख्य मंत्री और आपने में इतना साहस नहीं था कि आप उनके बीच में जा सकते । आपको डर था कि कहीं जनता हमको पत्थरों से न मारे । आप अपनी कुर्सी बचाने के लिये लगे हुए थे ।

मैं अपने जनपद बहराइच की बात बताना चाहूंगा । मंत्री वहां पर चुपके से रात में जाते थे और पूछते थे कि क्या हाल यहां पर है । और फिर रात में ही निकल जाते थे । तो क्या यह जनता के साथ खिलवाड़ नहीं है । नेपाल से वार्ता के संबंध में बात आयी । उस समय प्रधान मंत्री श्री देसाई जी थे । नेपाल के साथ वार्ता हुई थी और 33 करोड़ की आवश्यकता थी । हमारा जनपद बहराइच नेपाल से मिला है । दो बार आपकी सरकार रही है यदि आप प्रयास करते तो जो-जो देवरिया, बलिया, गोण्डा, गोरखपुर, बहराइच जिला हैं वह बाढ़ से प्रभावित न होते और न ही इतनी जनधन की हानि होती । आपने कहा कि हमने प्रधान मंत्री जी से इतना रुपया मांगा है लेकिन वह आपका पत्र अभी तक प्रधान मंत्री कार्यालय तक नहीं पहुंचा है पता नहीं वह आपका पत्र कहां चला गया है । जिसकी प्रदेश और देश में सरकार हो, वह मुंह नहीं छिपा सकते हैं । आपने कहा कि हमने जिलाधिकारियों से कहा है कि टी० आर०–27 से आप पैसा निकाल सकते हैं लेकिन वहां पर पैसा है कहां ? आपने वह पैसा निष्प्रभावी काम में लगाया हुआ है । जो आपके 95 मंत्री हैं उनकी साज सज्जा, उनकी कार उनके दारू के इन्तजाम के लिये पैसा लगा दिया है । आज आदमी परेशान है और आपके मिनिस्टिर रंग रैलियां मना रहे हैं आप जनता के बीच में जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप लोगों को डर है कि कहीं वह ईंटा पत्थर न मार दें । पूर्वान्चल में बाढ़ भयंकर रूप से आयी है । आपके 54 विधायक वहां से हैं और उसमें कुछ मंत्री भी हैं अगर वहां पर आप जायेंगे तो औरतें आपको चूड़ियां पहना देंगी और मरद आपको लाठी, ईंट, पत्थर से मारेंगे और लड़के, नौजवान धिक्कार करके मुंह काला कर देंगे । नेपाल से जो समझौता हुआ था अगर वह समझौता हुआ कार्य पूरा हो गया होता तो आज गोण्डा, देवरिया, बहराइच, बलिया,

गोरखपुर यह सब बच जाते, तबाही मृत्यु की गोद से बच जाते। आप आम आदमियों की जान से खिलवाड़ करते हैं। जितने पैसे आप ने मांगें प्रधान मंत्री जी आप से पूछते हैं कि वह पत्र कहां हैं कौन सी दिक्कत है। तो यह जो संवादहीनता की बात है। आप मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि दमक होनी चाहिए यही दमक है। पानी की बाढ़, मूंगफली और कड़वे तेल में मिलावट की बाढ़ आयी, लोगों की जान जाने की बाढ़ आयी, कितनी बाढ़ें आपको बतायें। कितनी नावें हैं, कहां हैं कहां कौन सी व्यवस्था है, क्या-क्या बतायें।

जनपद बहराइच में बाढ़ आयी, हम समाजवादी पार्टी के पांच विधायक बहराइच से हैं हम लोगों को आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। तब जाकर पूरा जिला बाढ़ग्रस्त घोषित हुआ। केसरगंज में बंधा टूटा, आदमी मरे। नानपारा, केसरगंज, चर्दा, महसी, फखरपुर यह स्थान बाढ़ से काफी प्रभावित रहे हैं। मान्यवर, बाढ़ आने से 2-2 महीने पहले उसके नियंत्रण आदि की तैयारी की जाती है। प्रदेश स्तर और जिला स्तर पर भी। तो यहां वे कौन सी बैठक हुई जिसमें तय किया गया कि बाढ़ से प्रभावित होने वाले जिलों में यह-यह कार्यवाही की जायेगी। कह दिया जाता है कि दिल्ली और लखनऊ में पैसा जमा है जब जरूरत होगी भेज दिया जायेगा उसमें कितना समय से पहुंचता है। आप ने लापरवाही की है यह लचर, संवेदनहीन और क्रूर सरकार है। नावें कहीं नहीं हैं। जो सामान दिया गया वह स्वयं सेवी संस्थाओं की ओर आया था। मंत्री जी लोग अपनी गाड़ी पर रखकर बांटने गये चाहे शुक्ला जी हों और चाहे शास्त्री जी हों यह दिखाने का प्रयास किया गया कि मंत्री जी बांट रहे हैं। आप अपने मंत्रियों और विधायकों से कहते कि 2-2 महीने की तनख्वाह दें, अपोजीशन के लोग भी तैयार हो जायेंगे। करिये मदद लोगों की, कौन-कौन सी मदद करना चाहते हैं। आज सकारात्मक रवैये की बात होनी चाहिए। जो नेपाल का पानी है वह पहले बहराइच छूता है उसके बाद गोण्डा, अयोध्या आदि जगहों पर जाता है आपने बहराइच की तरफ मुंह नहीं किया आप देवरिया, बलिया गये होंगे, अपने हेलीकाप्टर को बहराइच ले आये होते। हम जानते थे कि जब तक जनपद बहराइच बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं होगा तब तक जो सुविधाएं मिलनी हैं उनसे वंचित रहेगा। जब बाढ़ आती है तो नानपारा में आती है वहां से आपके विधायक हैं वह जयपुर में होंगे अच्छा भोजन काट रहे होंगे।

विधान सभा के सरगंज में जरवल टाउन है जरवल टाउन में एक व्यक्ति जो जाति का मुसलमान है इस नन्हें बारी मुसलमान को जरवल टाउन की पुलिस पकड़ लेती है मारती है उस पर वेलन चलाती है नन्हें बारी को मृतक समझ कर कई दिनों के बाद जेल रवाना करती है और अस्पताल में नन्हें बारी को भर्ती कर दिया जाता है काफी गम्भीर चोटों के कारण नन्हें बारी को मस्तिष्क ज्वर हो जाता है क़रीब 6 दिन मौत से लड़ता नन्हें मुसलमान मर जाता है उसकी बेवा 4 नाबालिक बच्चे बूढ़ा बाप एवं वृद्ध असहाय मां असहाय हो गये। मौजूदा भाजपा सरकार क्रूर और अपराधी है इस प्रकरण में मजिस्ट्रेट की जांच निश्चित हुई है क्या मा० कल्याण सिंह जी आप नन्हें मुसलमान की आत्मा को न्याय दिला सकेंगे। उम्मीद तो कम है। क्योंकि बसपा के बालू माफिया श्री खालिद खां पुत्र निजामुद्दीन खां ग्राम तपेसिपाह पुलिस की दलाली करके मदद कर रहे हैं और पुलिस के माफिक गवाहों को धन मुहैया कराकर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नन्हें बारी के कफन का सौदा उक्त तथाकथित नेता जो पुलिस से धन लेकर के कर चुके हैं आपकी पुलिस निरंकुश और कतली है। मुसलमान, यादव एवं पिछड़ों की जान की भूखी प्यासी भाजपा सरकार है समाजवादी पार्टी को नन्हें बारी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष न करना पड़े इसके लिए मा० कल्याण सिंह जी मैं आपको सजग कर रहा हूं। नन्हें बारी की बेवा 4 बच्चों जो नाबालिक हैं को दो-दो लाख रुपया का आप मुआवा दीजिये। जिससे न्याय निश्चित हो सके। और कौन सी बातें आपके सामने रखूं पानी की बाढ़ तो खुदा ने भेजी, कि सरकार में हया लाज बची हो तो सरकार बह जाये, लेकिन ये भाजपा की निरलज्जी लोग हैं। नहीं मानेंगे आपको व्यवस्था बदलनी होगी। जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनकी दिल खोलकर मुख्य मंत्री जी आप मदद करें। इस समय जो मंत्री जो ए०सी० कार में चल रहे ए०सी० बंगलों में रह रहे हैं इनके फिजूल खर्ची पर रोक लगायी जाय।

मान्यवर, 127 करोड़ रुपया माननीय सिंचाई मंत्री जी ने दिया वह 127 करोड़ रुपया कहां चला गया, बांध के रखरखाव के लिए दिया था वह नहीं मिला। मेरे बहराइच जनपद में 7 सालों से नांवों का भुगतान अभी नहीं हुआ है। हमने पिछली बार सवाल किया था आपने जवाब दिया था कि भुगतान कर दिया जायेगा लेकिन कुछ नहीं हुआ है राहत का सामान बटा नहीं। जो आंकड़े आये है उसकी जांच करा लीजिएगा जहां जरूरत होगी गवाही पेश की जायेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग बैठे, मैंने अम्मार रिजवी जी को बुलाया हैं।

डा० अम्मार रिजवी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह परम्परा रही है कि जब कोई चर्चा होती है तो विरोध के लोगों को बोलने का ज्यादा समय दिया जाता है माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं उनसे अनुरोध है कि वह कृपया प्रजातांत्रिक है। और सदन की परम्पराएं जा रही हैं, उनका अनुसरण करने के लिए अपने मंत्रियों को निर्देश दें। जब कोई चर्चा होती है तो उस पर विपक्ष के लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाता है। पक्ष का काम सुनना है और विपक्ष का काम सुनाना है। यही प्रिंसिपिल है पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी का। जो चर्चा चल रही है, इसमें मैं अपने को किसी पक्ष या विपक्ष में बांटना नहीं चाहता। यह तो एक दैवी आपदा है इसके अन्दर जो सुझाव देने चाहिए या जो बात कहनी चाहिए वह इस तरह से कहनी चाहिए कि इसका समाधान हो सके। माननीय सुबाष श्रीवास्तव जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं इस संशोधन के साथ कि उन्होंने केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस बाढ़ को सीमित किया है। यह केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं आई बल्कि जैसा हमारे मित्र बहराइच के साथी कह रहे थे, पूरे अवध के इलाके में आई पूरा उ० प्र० इससे प्रभावित हुआ है। मैं सीतापुर की बात कहता हूं घाघरा का पूरा शारदा और सरयू का कुछ हिस्सा इसमें आता है, कंठना गोमती आदि 14 नदियां केवल सीतापुर के अन्दर है। घाघरा नदी से नाला काटकर बेहटा क्षेत्र में उन पर रेवसा में गलत तरीके से बनाया गया जिससे रेवसा, घरलारी आदि अनेक स्थान पूरे तरीके से जलमग्न हो गये। मान्यवर, यह जो समस्या है, वह मैन मेड है, इससे बचा जा सकता था। इस समय यहां सिचाई मंत्री मौजूद नहीं है, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है, जब माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं तो सिंचाई मंत्री को अवश्य होना चाहिये था। मान्यवर, दोनों इन्दिरा कैनाल्स, यह सरयू, घाघरा से निकलती हैं, इन दो बड़ी नहरों को कांग्रेस के जमाने में इसलिये बनाया गया था कि नदियों का ज्यादा पानी इनसे निकाल दिया जाय, परन्तु क्या कारण था कि इनको बन्द कर दिया गया।

जब माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे, तो कृपया इसे अवश्य बताये। इसी की वजह से बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर, खीरी सब का सब बाढ़ में डूब गया। इन नहरों में पानी की जगह रेत थी, बन्द करने के सवाल पर यही कह दिया जायेगा कि सिल्टिंग ज्यादा हो गयी थी। तमाम गांव बह गये, लोगों का बह जाना इनको मंजूर है, लेकिन नहर नहीं चलाई जा सकती, इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह मैन मैड कैलामिटी है। मैं पूछना चाहता हूं कि बन्धों की मरम्मत क्यों नहीं कराई गई। इस बार वर्षा हुई, कौन सी जगह है, जहां वर्षा नहीं होती, लेकिन चूंकि इस बार कहीं कुछ देखा ही नहीं गया, बरसात को गंभीरता से लिया ही नहीं गया, इसलिए यह सब कुछ हुआ, मा० मुख्य मंत्री जी के खिदमत में एक शेर अर्ज करना चाहता हूं –

"ए मौजें बला उनको भी खिला दो-चार थपेड़े हल्के से,
कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफां का नजारा करते हैं।"

मान्यवर, जिस वक्त बिसवां, लहरपुर, शाहपुर भटपेर, बेहटा, रऊसा, रामपुर, मथुरा, महमूदाबाद आदि क्षेत्र पानी में डूबे हुए थे रामपुर मथुरा के गोस्वामी जी ने रामायण की एक कालम में लिखा था, वहां भी आपका कोई मंत्री नहीं गया । पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप जरूर गए, वहां के लोग सौभाग्यशाली हैं, लेकिन हमारे इलाके में किसी मंत्री का पर्दापण नहीं हुआ । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय आपने राहत कार्य के लिये जो धनराशि दी है, कृपया इसमें कुछ शर्तें लगायें, जो आप 25 हजार दे रहे हैं, उस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश दें कि जो मकान बनाये जायें वह पक्के बनाये जायें और जो गांव नीची जगह पर बसे हैं, उन्हें ऊंची जगह पर बसाने की योजना तैयार की जाय । केवल 5 करोड़ रुपया पूरे उत्तर प्रदेश के लिये दवा हेतु दिया गया है, जबकि 1 करोड़ 42 लाख आदमी इस बाढ़ से प्रभावित है मान्यवर, 5 करोड़ रुपया किस तरह से काफी हो सकता है । मेरे जिले में 3 दर्जन लोगों को तो सांप ने ही काटा है । गौरी शंकर पुरवा ब्लाक रामपुर मथुरा में अकेले 3 व्यक्तियों को सांप ने काट लिया है और उनकी मौते हो गयी हैं, गांवों में पानी भरा होने के कारण वहां के लोग तख्त पर बैठे हुये हैं यह उनके लिये कोई सहारा नहीं है । यह सरकार की ओर से कहा जा रहा है हेलीकाप्टर से सामान बांटा गया है, मैं कहना चाहता हूं कि सीतापुर के किसी भी इलाके में एक भी हेलीकाप्टर नहीं गया हो जो एक हेलीकाप्टर गया, वह श्रीमती सोनिया गांधी का था, जिसने वहां पर तीन-चार चक्कर लगाये, उसके अतिरिक्त कोई हेलीकाप्टर सीतापुर नहीं गया । सरकार की ओर से कहा गया कि सीतापुर में 114 मकान बाढ़ से गिर गये हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि केवल एक ही ब्लाक में 2 हजार से अधिक मकान गिर गये हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप एक बार अपना हेलीकाप्टर लेकर वहां जाइये, अधिक समय नहीं लगेगा, केवल 17 मिनट लगेगें, 18 वां मिनट नहीं लगेगा, वहां आप बाढ़ की विभीषिका को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने मकान गिरे हैं, कितनी बाढ़ आयी है और कितनी फसल नष्ट हुई है । कितने लोग मारे गये रेवसा की हालत बहुत ही गम्भीर है रामपुर मथुरा बर्बाद हो गया । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि चहलारी घाट का पुल जिसको मैंने स्वयं स्वीकृत किया था, अगर वह बन जाता तो बाढ़ की विभीषिका बहुत कुछ कम हो सकती थी, लेकिन मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस पुल के बनने की स्वीकृति को 1992 में वापस ले लिया गया है और यही कारण यह बाढ़ की विभीषिका रवेसा ब्लाक में आयी है और इतना जन धन जानमाल नुकसान हुआ है ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सीतापुर में जो गांजर का क्षेत्र है उसके लिये आप कोई स्पेशल प्रोजेक्ट बनायें या जो पुराने प्रोजेक्ट हैं उनका कार्यान्वयन करें, तो इससे बाढ़ की विभीषिका कम हो सकती है और उसको समाप्त किया जा सकता है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना जो वक्तव्य दिया है इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर से छपा है, बहुत ही सुन्दर तरीके से छपाया गया है पहली बार इस प्रकार का स्टिमेटिक वक्तव्य आया है, लेकिन उसमें जो आकड़े दिये गये हैं, उनकी रैंडम चेकिंग भी करें तो आप देखेंगे कि यह कितने गलत हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी जो बाढ़ से निपटने के लिये योजनायें बना रहे हैं, उनकी रूप रेखा सदन के सामने रखें जिससे उन पर पूरी तरह चर्चा हो सके और सभी माननीय सदस्य अपने अपने विचार प्रकट कर सकें । मान्यवर, सीतापुर से जहां से मैं आया हूं, कहा जा रहा है कि 20 किलो चावल सहायता के रूप में दिया गया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि केवल 10 किलो आटा मिला है और वह भी कहीं-कहीं भी बाल्टी से नाप कर मिला है, शीशी में तेल जो दिया गया है, वह आधी शीशी दिया गया है और जो माचिसें दी गयी हैं, उन में तीलियां नदारद रहीं हैं या कम तो इस प्रकार का कहीं-कहीं पर प्रदर्शन भी हुआ है ।

मान्यवर, अन्त में एक अनुरोध मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से करना चाहता हूं कि बाढ़ से और लैंड स्लाइड से जिन लोगों की मौतें हो गयी हैं, उनके सम्बन्ध में एक शोक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करें और सदन की शोक संवेदनायें उनके परिवार वालों तक पहुंचाने की कृपा करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री राजधारी –

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बाढ़ पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, 1998में जिस प्रकार की भयंकर बाढ़ आयी है, वैसी कभी नहीं आयी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह बाढ़ नहीं थी, बल्कि जल प्लावन था। मैं उस इलाके से आता हूं जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ का प्रकोप आया है और इस बाढ़ विभीषिका का चश्मदीद गवाह हूं। जिस समय घाघरा नदी का बांध टूटा, देखते ही देखते तमाम गांव पानी में डूब गये। इस सरकार ने इस भंयकर बाढ़ को रोकने का प्रयास किया और उसका काफी योगदान रहा हमें बड़ी प्रसन्नता थी कि आज बाढ़ की विभीषिका पर यहां चर्चा होगी तो उसमें पक्ष और विपक्ष के लोग मिल बैठ कर भविष्य में बाढ़ न आये और उसका मुकाबला कैसे करें इसकी रणनीति क्या हो इस पर बहुमूल्य सुझाव देंगे। लेकिन खेद है कि विपक्ष के कई साथियों ने अपने सुझाव दिये लेकिन उससे ज्यादा आरोप-प्रत्यारोपों पर बल दिया। बाढ़ की विभीषिका से कैसे बचा जाय इस पर कोई ठोस सुझाव नहीं दिया। इसके संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं और विशेष कर तमाम समाजसेवी संगठनों और ग्रामीण जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जहां एक तरफ पक्ष और विपक्ष को आधार बनाकर राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा था। वहीं ग्रामीण जनता और स्वयंसेवी संगठन उदारता के साथ बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में लगे हुए थे। दूर-दूर के गांव के लोग जहां बाढ़ का प्रभाव नहीं था चन्दा करके अपने पड़ौसी क्षेत्रों में सब्जी पूड़ी, सत्तू, चना लाकर बांट रहे थे।

मान्यवर, हम कुछ सुझाव देना चाहते हैं चूंकि यह स्थायी त्रासदी है इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इस बार की बाढ़ को आधार मानकर जो तटबंध हैं उनकी ऊंचाई बढ़ायी जाय। उनका सुदृढ़ीकरण किया जाय। नियमित रूप से बाढ़ विभाग को धन सुलभ कराया जाए, जिससे तटबन्धों का रख-रखाव नियमित रूप से हो सके। गांव में जो पुराने जमाने के जमींदारी बंधे हैं रिंग बंधे हैं उनके रख-रखाव का काम बाढ़ विभाग के पास अभी तक नहीं है। इसलिए इन रिंग बंधों की मरम्मत नहीं होती है। जिससे काफी लोग बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा जो भी रिंग बंधे, जमींदारी बंधे हैं वह सब बाढ़ विभाग को सुपुर्द कर दिए जाय और उनके रख-रखाव के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा गांव जहां हर साल बाढ़ आती है नाव आसानी से उपलब्ध नहीं होती है बाहर से नाव मंगाने में समय लग जाता है इसलिए मेरा निवेदन है कि बाढ़ग्रस्त गांवों के लिए सरकार की तरफ से कुछ धनराशि उपलब्ध कराई जाए क्योंकि नावों को लाने ले जाने में समय और भाड़ा भी लगता है और बीच में कर्मचारी मन-मानी भी करने लगते हैं अगर बाढ़ प्रभावित गांवों में नाव उपलब्ध कराने के लिए पैसा दिया जाए तो इससे वहां के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा इस बार गांव के जो नाव के श्रमिक हैं जिनके पास अपनी नावें हैं उन्होंने अपनी नावों को नहीं दिया। उसका कारण यह था कि पिछले दिनों जो मल्लाह मदद किए थे उनका पारिश्रमिक अभी तक नहीं दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने पिछले वर्ष बाढ़ में सहयोग किया उनका भुगतान किया जाए ताकि वह भविष्य में अपनी नावों को इस कार्य हेतु देने के लिए तैयार रहेंगे। नाविकों को जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पारिश्रमिक 25 रु० दिया जाता है वह बहुत कम है बाढ़ के दिनों में नाविक बहुत परिश्रम करते हैं उनका पैसा 25 रू० से बढ़ाकर 50 रु० कर दिया जाए ।

एक और महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं हमारी नदियों की तलहटियों में बालू भर गया है नदियों में जहाजों का चलाना कम हो गया है । माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि नदियों में जब जहाज चलते थे उससे बालू आगे जाती थी और नदियां छिछली नहीं होती थी लेकिन आज नदियां छिछली हो गयी हैं ।

(समय 2बजकर 10 मिनट)

मान्यवर, मैं दो तीन सुझाव देकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं । मान्यवर, जो हमारा क्षेत्र है वहां के गांव गंगा-घाघरा नदियों के पेटे में हैं इसलिये बहुत दिन पहले एक उच्चीकरण की योजना बनाई गई थी । उस योजना को मैं चाहता हूं प्राथमिकता दें जिससे जो गांव पानी में डूब जाते हैं वह बच सके और वहां के लोग अपना गुजर-बसर कर सकें ।

मान्यवर, हमारे कई साथियों ने एक सुझाव यह भी दिया है कि नैपाल की जो नदियां आती हैं वह बाढ़ की त्रासदी का कारण बनती हैं । इसलिये मैं चाहूंगा कि भारत सरकार को इस बात से राजी किया जाये कि नैपाल सरकार से वार्ता करें कि नैपाल से आने वाली नदियों के जल का नियंत्रण कैसे किया जाये जिससे हमारे यहां बाढ़ की विभीषिका कम हो सकें । मान्यवर, बलिया में महराजगंज घाघरा और गंगा नदियों के किनारे बसा है जिससे क्षेत्र नम्बर 64 और 66 के बीच का जो क्षेत्र है उसमें हर साल बाढ़ से कटान होती है । इसलिये सिंचाई विभाग का ध्यान आकर्षित करते हुये मैं कहना चाहता हूं कि बलिया में गंगा और घाघरा की जो कटान है उससे भविष्य में बचने के लिये यह जो बैठक हो रही है, पक्ष और विपक्ष की सहमति से और अच्छे सुझाव दें जिससे हम लाभान्वित हो सकें । धन्यवाद ।

* श्री विनोद मणि–

मान्यवर, मैं पूर्वांचल के जनपद महराजगंज से चुनकर आता हूं । पिछली बार इस सदन में 10 जुलाई को सरकार को [illegible] कराया था कि महराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर आदि जनपदों के तमाम गांव जो बाढ़ में डूब जाते हैं उन्हें बचाने के लिये मैंने शासन को आगाह किया था कि वहां बन्धों की हालत बहुत खराब है और उनके टूटने से वहां बड़े पैमाने पर जन-धन की हानि हो सकती है । लेकिन सरकार ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया जिससे वहां स्थिति बड़ी भयावह और खराब हो गई है । मान्यवर, इस सरकार ने बाढ़ से बन्धों को बचाने के लिये कोई प्रयास नहीं किया जिससे बन्धों के टूटने से सैकड़ों गांव पानी में डूब गये और हजारों लोग तथा जानवर मारे गये । हमारे यहां लगभग 20 हजार लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं । मैं मुख्य मंत्री जी से बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि वह गोरखपुर गये और यहां अधिकारियों की बैठक किया लेकिन महराजगंज में लोग पानी में डूब रहे थे किन्तु उन्हें देखने के लिये उनके पास समय नहीं था । मुख्य मंत्री जी ने गोरखपुर में बैठकर समीक्षा किया लेकिन उन्होंने विधायकों और सांसदों से बात करने का समय नहीं दिया यह बड़े शर्म की बात है ।

यह शर्म की बात है मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे जिले में राहत और अनुदान का वितरण नहीं हो रहा है । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब गोरखपुर मुख्य मंत्री जी गये थे तो वहां मुख्य मंत्री का जो सम्मान किया जा रहा था वैसा सम्मान किसी दूसरे मुख्य मंत्री का नहीं हुआ । मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि नेपाल का पानी सबसे पहले राज्य मंत्री अमर मणि जी के यहां आता है फिर मेरे यहां आता है और फिर गोरखपुर में राप्ती नदी में जाता है । मैं मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

लाना चाहता हूं कि 1000 रुपये और 500 रुपये की जो राहत देने की बात कही जा रही है वह नहीं मिल रही है ।

एक विधायक को तहसील के प्रांगण में आमरण अनशन पर बैठना पड़ा तब राहत वितरण का काम शुरू हुआ । मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा भी की थी कि 1 हजार रुपया दोबारा भी दिया जायेगा । मैं पूर्वांचल की बात कहना चाहता हूं । 27 तारीख के कैबिनेट के फैसले पर अभी तक हमारे जनपद में गांवों में 1 हजार रुपया पहली बार नहीं बंटा दूसरी बार बटना तो दूर रहा । आज पूर्वांचल में आम आदमी, गरीब-आदमी कहने लगा है कि अगर यह सरकार रही तो दैवी आपदाओं का अंबार लग जायेगा और हजारों, लाखों लोग मारे जायेंगे । वहां के मजदूर, किसान का कहना है कि हर हाल में यह सरकार हटाई जाय वरना उनका जीवन खतरे में पड़ जायेगा । अभी बांधों को ऊंचा करने की बात कही गई थी । मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बांधों को ऊंचा किया जाय उसके साथ ही साथ गांवों को ऊंचा किया जाय । नावों के लिये धन जिला योजना से या स्टेट सेक्टर से दिया जाये । हर साल बाढ़ आती है नावें जहाज से या ट्रकों से मंगाई जाती हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह जिले जो हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं उनके लिये जिला योजना से या राज्य सेक्टर से धन उपलब्ध करवा कर नावों को खरीदा जाय ताकि गांवों के लोगों को बचाया जा सके । मैं आखिरी सुझाव यह देना चाहता हूं कि नेपाल से जो पानी आता है उसको रोकने के लिये सुबाष जी ने संकल्प प्रस्तुत किया है । नेपाल से आने वाले पानी को रोकने के लिये कोई कारगर व्यवस्था की जानी चाहिये । मैं कहना चाहता हूं कि यहां और दिल्ली में आपकी दोनों जगह सरकार है आप नेपाल से आने वाले पानी के लिये व्यवस्था करायें । इस बार पानी ने पिछले 50 साल का रिकार्ड तोड़ दिया है और आगे आने वाले दिनों में इससे ज्यादा बाढ़ आ सकती है । इसके साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि महराजगंज की धरती पर आकर विनाशलीला को देखने का कष्ट करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने उत्तर प्रदेश के विगत दिनों 55 जनपद जो बाढ़ से प्रभावित थे, उसकी चर्चा में मुझे आपने भाग लेने का अवसर दिया । हमारे विधान मण्डल दल जनता दल के नेता श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है जो कोई राजनैतिक प्रस्ताव नहीं है । एक सत्तापक्ष या विपक्ष किसी की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के करोड़ों-करोड़ जनता के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है । हर साल बाढ़ की विभीषिका और त्रासदी में हजारों गांव जल-प्लावित होते हैं । हजारों-हजार लोगों के जन-धन की क्षति होती है तो उसका स्थायी समाधान किया जाना चाहिये । यह बाढ़ शताब्दी की सबसे भयंकर त्रासदी थी । इस बाढ़ के बाद भी समय रहते हुये इस संकल्प को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके नहीं भेजते तो कदाचित उत्तर प्रदेश की जनता को भविष्य की बाढ़ विभीषिका की चुनौतियों का सामना करने के लिये छोड़े देते हैं । जो वक्तव्य रखा गया है वह हमारे हित में है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अभूतपूर्व बाढ़ की बात कही तो कदाचित इससे सभी सहमत हैं । जो बाढ़ की विभीषिका थी उसका आकलन किया जाये तथा 55 जनपद जिस तरह बाढ़ प्रभावित हुये हैं वह शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी है । जहां उत्तर प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका के रूप में सबसे बड़ी त्रासदी थी वहीं दूसरी तरफ मुख्य मंत्री जी ने कुछ जनपदों का दौरा किया होगा । लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस तरह से कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रि-परिषद् के सदस्यों ने बाढ़ राहत कार्यों में जिस एकजुटता से कार्य किया उसकी मिसाल कम मिलती है । आज 55 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं, सबके नाम नहीं लेना चाहता । सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बस्ती का उल्लेख करना चाहूंगा । इन जनपदों के प्रभारी मंत्री थे वह दो महीने के अन्दर इन जनपदों में गये होते तो कदाचित जो एकजुटता दिखाने की बात कही गई है, संवेदनशीलता की बात कही गई है उससे सहमत हो जाता लेकिन यह विडम्बना है और स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है ।

उत्तर प्रदेश में जल-प्रलय की जो स्थिति रही वह दो महीने से अधिक रही । जिस मंत्री का क्षेत्र है तो वह अपने क्षेत्र में विधायक के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन किया है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने जनपदों के विकास के लिये जो प्रभारी मंत्री बनाये थे उन्होंने कदाचित उन जनपदों में बाढ़ से हुई क्षति का आकलन नहीं किया । जब उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेम्बली थी तब की कार्यवाही मेरे पास है । जब यह देश आजाद नहीं हुआ था उस समय भी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आती थी । मंत्री, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, डिप्टी मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर होते थे । 26-10-1939 में सुलेमान अन्सारी साहब पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे उन्होंने बस्ती के बाढ़ से हुई क्षति का आकलन किया और कई दिन का का समय दिया था । मैं तो चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह से वक्तव्य दिया है उस पर एक श्वेत-पत्र जारी करने की कृपा करें । जिससे कम से कम स्थिति स्पष्ट हो सके । यह कहा गया कि 56 बन्धे टूटे हैं तो इससे भी कहीं ज्यादा बन्धे टूटे हैं । 15 जून तक इन 56 बन्धों के रख-रखाव की ड्यूटी सिंचाई विभाग की थी जिसमें सभी दलों के लोगों ने कहा है कि इस बार सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण जो पैसा दिया गया उस पैसे का इस्तेमाल बन्धों के रख-रखाव पर नहीं किया गया । जिसके कारण पहली बरसात में ही बन्धें टूटते चले गये और पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई । इस संबंध में यह जिम्मेदारी निर्धारित होनी चाहिए कि जो 56 बांध आप स्वीकार करते हैं कि टूटे है उनमें सिंचाई विभाग के किन-किन अभियन्ताओं की जिम्मेदारी थी कितने हेक्टेयर में आपकी फसलें नष्ट हुई हैं । 1300 व्यक्तियों की जानें गई हैं तो इन सबके लिये जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित होनी चाहिये । यह प्रकृति श्रजित बाढ़ नहीं थी यह मानव श्रजित बाढ़ थी, इसकी जिम्मेदारी निर्धारित होनी चाहिये । आपकी मंशा अच्छी रही होगी । समाचार पत्रों में कहा गया कि बाढ़ प्रभावित लोगों को पहली अहेतुक सहायता । 500 रुपये की दी जायेगी । दूसरी किस्त में 500 रुपये की सामग्री पांच सौ रुपये में कम से कम 40-50 कि० चावल आ जायेंगे । आटा और माचिस आदि आ जायेंगी ।

आप किसी भी विधान सभा क्षेत्र के बारे में पता लगा लें अगर 20 से 25 कि० से अधिक चावल या आटा वितरित किया गया हो । किसी जनपद में 5 कि० चावल या किसी जनपद में 10 किलो चावल या आटा वितरित किया गया हे । आप श्वेत पत्र इस पर जारी करें जिससे सारी सच्चाई सामने आ सके । प्रशासनिक अधिकारियों ने 500 रुपये की सामग्री वितरित नहीं की है । उत्तर प्रदेश में बाढ़ राहत कार्यों के लिये 122 करोड़ रुपये दिये गये है उसका वितरण सही ढंग से नहीं हुआ है ।

आपने कहा था कि बाढ़ से अगर किसी की मृत्यु होगी तो तत्काल सहायता राशि दी जायेगी मैंने अपने क्षेत्र के मृतकों के नाम तक दिये हैं लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है हमारे क्षेत्र में ऐसे 50 लोग हैं इसी प्रकार यदि किसी परिवार के अर्निंग मेम्बर की मृत्यु हो जाती है तो एक लाख रुपये देने की बात कहीं गई है वह सहायता भी उनको नहीं मिली है । यह मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं । अभी तक बाढ़ राहत कार्यों में यह होता था कि पात्र और अपात्र व्यक्तियों का चयन होता था । अपात्र की श्रेणी वालों को सहायता नहीं मिलती थी लेकिन कभी-कभी अपात्र लोग भी अधिकारियों से मिलकर राहत ले लेते थे लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस बार अपात्र की कौन कहे, पात्र व्यक्तियों को सहायता नहीं मिली है । राहत कार्यों का जिस तरह से बंदर बाट हुआ है उसकी मिसाल नहीं । मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कि खेसरहा में धर्म सिनहा क्षेत्र है वहां बाढ़ राहत कार्य में 10 कि० गेहूं दिया गया । संत कबीर नगर के प्रभारी अधिकारी ए०डी०ओ० साठा उन्होंने 42 बोरी चावल बेच दिया और प्रति परिवार को केवल 25 कि० चावल दिया । कहीं-कहीं उन्होंने 15-15 कि० तक भी चावल दिया । जो दो व्यक्ति देख-रेख कर रहे थे उनको उन्होंने 10-10 बोरी चावल और 50-50 लीटर तेल दिया ।

इस तरह से आज तक बाढ़ राहत कार्यों में नहीं हुआ । बाढ़ राहत केन्द्रों से राहत कार्य के अन्तर्गत बांटने का कार्य लेखपाल, पटवारी, कानूनगो के दस्तखतों से होता था ताकि कौन लघु कृषक है और

कौन लघु सीमान्त कृषक है परन्तु कृषि मंत्री जी के प्रतिनिधि ने फर्जी बाउचर लगाकर कि हमने 10 हजार 500 रुपये का लइया चना बांटा है, फर्जी भुगतान ले लिया । आज इसकी जांच करवा लें । इस तरह से राहत कार्य के नाम पर फर्जी भुगतान हो रहा है । जिसे राहत मिलनी चाहिये, उसे न मिलकर अपने कार्यकर्ताओं को राहत दी जा रही है । विक्रम जोत घुसवां के लिये 2 करोड़ रुपये दे दिया गया जबकि 20 लाख रुपये के ही बोल्डर डाले गये और एक करोड़ नब्बे लाख रुपये विभाग के अधिकारियों/ठेकेदारों तथा मंत्री के बीच बन्दरबांट में चला गया । आप इसकी जांच करवा लें । इसका एरियल सर्वे कराया जाता और मालूम किया जाता कि वास्तविक क्षति कितनी हुई है तब जाकर उसके स्थाई समाधान के लिये कोई योजना बनाई जाती । मान्यवर, 15 जून तक हर जिले को बाढ़ से बचाने के लिये सारी तैयारियां होती थी परन्तु विडम्बना यह है कि यहां पर विधान सभा चल रही थी, 6 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका आ गई 24 जुलाई तक हम यह प्रयास करते रहे परन्तु उस समय बाढ़ राज्य मंत्री जी मेरठ की बाढ़ के बारे में बता रहे थे, यह सरकार की संवेदनशून्यता थी । पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका एक आध्यात्मिक इलाका है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपा करके बैठ जायं । आपको बोलते हुये 15 मिनट हो गया है ।

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र ''हरीश जी'')–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यगण को बहुत सुनना चाहता था लेकिन जब नाम लेकर कोई बात कह दी गई तो उसका जबाब देने के लिये मुझे खड़ा होना पड़ा । माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी ने किसी भी मंत्री के लिये कहा कि वह अपने क्षेत्र में नहीं गये इसलिये मैं अपनी बात कह दे रहा हूं । मान्यवर, मैंने जन्म लिया गोरखपुर में, कर्मक्षेत्र मेरा रहा बनारस तथा प्रभारी हूं गाजियाबाद जिले का । मैंने हर तरह से आकाश से लेकर धरती पर चलकर बाढ़ क्षेत्रों में घूमा हूं । जहां तक सहायता बांटने की बात है मैंने स्वयं गोरखपुर जिले की तीन तहसीलों के 8 स्थानों पर स्वयं जनता/अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के बीच में बैठकर सारी बातों की समीक्षा की है । जो गल्ला दिया जा रहा है वह टोटल 60 किलो चावल है । 20 किलो की एक किश्त और 40 किलो की दूसरी किश्त में है । मैं जब पहुंचा था तो 20 किलो वाली किश्त दी जा चुकी थी 40 किलो वाली देने का निर्धारित समय था । एक हजार रुपया अलग से है । गाजियाबाद जिले के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में किसान खुश हैं उनका कहना है कि हमको गल्ला न दीजिये वह हम खरीद लेंगे हमको पैसे दे दीजिये । मैं दोबारा गया तो वहां पर व्यवस्था करवाई कि 1500 रुपये दे दिये जायं । यहां पर प्रश्न उठाये गये हैं उसका जवाब देने के लिये खड़ा हुआ हूं । आप अनुमति दें तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं । दो प्रश्नों को साफ करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मेरे कहने का मतलब यह है कि यह बाढ़ आज कोई पहली बार नहीं आई है । मैं स्वयं उस इलाके का रहने वाला हूं । कोई सरकार यह नहीं कह पायेगी कि मेरे समय में बाढ़ नहीं आई थी या मैंने राहत का कार्य नहीं किया ।

मैं माननीय सदन से कहना चाहता हूं कि मैंने वर्षों से देखा है चाहे इधर के सदस्य हों या उधर के सदस्य हों सब पर जिम्मेदारी आई है इस तरह की । इस साल भी बाढ़ आई है और सहायता और राहत का कार्य करना पड़ा है । इस नाते मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य पहले पढ़ने का अवसर मिला होता और उनका भाषण हो गया होता तो आपको अच्छा अवसर मिल जाता कि आप तुलनात्मक दृष्टि से देखते कि जितना कार्य माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार के समय में हुआ है पिछली किन्हीं सरकारों के समय में उसका कितना प्रतिशत हुआ था । सही तुलनात्मक बात सामने आ जाती । इसलिये मैं समझता हूं और 2/3 बात कहूंगा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का लगान माफ करने की घोषणा हो गई । सिंचाई शुल्क और की फीस माफ करने की घोषणा हो गई । हम

भी उस समय यहां सदस्य थे जबरन मदों की वसूली मुअत्तली हो जाती थी माफी था नाम नहीं सुनते थे । घर गिर जाते थे उनको बनवाने के लिये मुश्किल से 500–700 रुपया दिए जाते थे लेकिन इस सरकार ने गम्भीरतापूर्वक सोचकर घर बनाने के लिये 25000 रुपये तक देने का तय किया है । कच्चे पक्के आंशिक और पूरी तरह से ध्वस्त मकानों के निर्माण के लिए सहायता दी जायेगी । मैं समझता हूं कि पूरी गम्भीरता के साथ पहले जो भी दिया गया है उस पर तुलनात्मक दृष्टि से देखना चाहिए । मैं समझता हूं कि तब ही तुलनात्मक दृष्टि से बातों को कहा जा सकेगा । स्थायी हल की बात आई हैं । मैं उस समय सदन में था । पत्रकार सम्मेलन में गोरखपुर में जो लोग रहे होंगे मैं समझता हूं उन्होंने सुना होगा । 77 में नेपाल सरकार के साथ वार्ता हुई थी । नेपाल में बांध बनाकर पानी को वहीं रोका जाय । और आवश्यकतानुसार छोड़ा जाय । पानी से बिजली पैदा की जाय । इसके बारे में प्रधानमंत्री श्री बाजपेई जी ने कहा है कि नेपाल के साथ की गई पूर्व वार्ता को और तेजी के साथ लागू करने के लिये इस पर विचार विमर्श करने के लिये नेपाल सरकार से सम्बन्ध स्थापित करेंगे ताकि स्थाई हल निकल सके । इसके साथ साथ नदियों में जो स्लिट जम गई है । नदियों की सफाई हो । मैं आभारी हूं माननीय सदस्य के प्रति, अगर स्थायी सुझाव पहले दिया होता तो अच्छा रहता । माननीय कल्याण सिंह जी के वक्तव्य में है कि स्थायी प्रबन्ध की बात को नहीं भूले हैं । मैं अन्तिम बिन्दु और कहना चाहता हूं माननीय कल्याण सिंह जी के निर्देशन पर राहत व्यवस्था की गई, जिस तरह से भारी तबाही हुई उसी तरह से भारी सहायता का कार्य किया गया है लेकिन अधिकारी कर्मचारी यदि कहीं लापरवाही करते पाये गये तो वे दण्डित भी हुए हैं बाकी गैर सरकारी संस्थाओं ने कार्य किया है उनके लिए मैं आभार प्रकट करूंगा । मैं गोरखपुर जनपद में जाकर एक लाख और 50 हजार का चेक मृतक आश्रितों को देकर आया तो लोग अवाक थे कि एक लाख और 50 हजार के चेक मिल रहे हैं ।

श्री गोपाल कृष्ण–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बाढ़ की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं मुझे खेद है आज सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य बाढ़ से संबंधित दिया है उसमें पूरनपुर पीलीभीत के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । पूरनपुर जनपद पीलीभीत में है जो बाढ़ की त्रासदी से गुजर रहा है वहां भीषण बाढ़ है मैंने पिछली बार सदन में 301 की सूचना के माध्यम से सदन में बताया था बाढ़ के द्वारा हमारे क्षेत्र पूरनपुर में, नेपाल से जो शारदा नदी आती है शारदा नदी से हमारे यहां लोगों के मकान ढह गए हैं जमींन की कटान हो रही है । पिछले वर्ष रमनगरा गुरुद्वारा बह गया । मान्यवर, 10-7-98 को समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ मैं वहां गया था । एक मस्जिद शास्त्री नगर शारदा नदी की बाढ़ में समा गई । मेरा क्षेत्र नेपाल की सीमा से लगा हुआ है । शारदा नदी का पानी प्रत्येक वर्ष बाढ़ के रूप में आकर विनाश का काम कर रहा है । शारदा नदी के किनारे तराई क्षेत्र में हरित क्रान्ति हेतु योजना बृद्ध तरीके से उपनिवेशन के लोगों के शारदा पार तथा इस पार बंगाली पुर्नवासित बसाये गये भारतपुर, जमियः रूहराई, कर्नलगंज, शास्त्री नगर आजादनगर आदि ग्राम बसाये गये थे ।

मान्यवर, नदी के कटान से लाखों एकड़ भूमि जल प्लावित हो गई है । सैकड़ों मकान धराशायी गए हैं । यह कल्याणकारी सरकार की घोषणा करने वाली सरकार धृतराष्ट्र की तरह आंखें बन्द बैठी है । कानों में रुई लगाए बैठी है । यह अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है । गरीब विरोधी सरकार पिछले वर्ष मैंने सूचना दी थी लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया । शारदा सागर डैम के पास ड्रेन वर्षों से इसकी सफाई नहीं हुई है । शारदा सागर बांध से बुलबुले उठने लगे हैं । 18.2 किलोमीटर मैंने खुद आंखों से देखा है । उससे जो बुलबुले उठ रहे हैं वह अगर नहीं रोके गये तो उससे स्थि खराब हो जायेगी और जल प्रलय हो जायेगा ।

मान्यवर, पीलीभीत में इसी बाढ़ को लेकर, बलात्कार को लेकर, हत्या को लेकर और [illegible] व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर वहां के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जमीर अहतर हसनी [illegible] गुलाम और प्रदेश के महासचिव श्री धीरेन्द्र सहाय जी ने पुलिस आवास के सामने धरना दिया था, गुलाम नबी, श्री राजीव दीक्षित, चन्द्रमाला त्रिपाठी, ब्रजपाल यादव आदि लोग पूरनपुर में धरना दे रहे थे। मुझे बड़ा दुःख है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पीलीभीत का जिक्र नहीं किया, पूरनपुर का जिक्र नहीं किया, जब उन लोगों ने आवाज उठायी तो उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। यह हमारी सरकार की संवेदनशीलता है जो लोग आवाज उठाये उनको गिरफ्तार किया जाय। मेरे क्षेत्र शास्त्री नगर हजारा और गुनहान, राजीव नगर आजाद नगर में लोगों की जमीनें कट गई हैं और रोजगार के साधन नही हैं। आज उनको रोटी का अभाव है। मान्यवर, पूरनपुर क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से सबसे ज्यादा क्षेत्र है। मान्यवर, मेरा क्षेत्र नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है। इसकी सड़क कट गई है, आवागमन के साधन नहीं हैं रोजगार के साधन नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। वहां पर शारदा सागर बांध के किनारे रह रहे हैं बंगाली परिवार जो भी प्रभावित हो रहा है। उसको बचाने के लिये कोई ठोस योजना बनाई जाय। जो नहर विभाग के लोग हैं वे कोई ठोस योजना बनायें जिससे इन परिवारों को बचाया जा सके। करोड़ों रुपया उन्होंने खा लिया है। इसलिये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर पूरनपुर क्षेत्र में कोई ठोस योजना बनाई जाय जो विस्थापित परिवार हैं उनको जमीन दी जाय, उनका ऋण माफ किया जाय, उनके बच्चों की फीस माफ की जाय। मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया। मुझे बड़ी तकलीफ थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में मौजूद हैं और उन्होंने एक बार भी पूरनपुर का जिक्र नहीं किया जबकि शारदा नदी की बाढ़ वहां की यह परमानेंट परेशानी है। अन्त में एक बार पुनः आप लोगों को धन्यवाद अदा करता हूं।

* श्री सरवर अली–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि बाढ़ जैसे संवेदनशील विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। इस बाढ़ के संबंध में योग्य और वरिष्ठ मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुये कहना चाहूंगा कि प्रदेश हमारा इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। मान्यवर, यह आपदा इस प्रदेश में पहली बार नहीं आई है हर वर्ष काफी बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आता रहता है। जिस पवित्र नाम का सहारा लेकर आप बहुमत में आये वे पवित्र नाम भी सरकार के विरुद्ध है और शताब्दी की यह भयंकर बाढ़ भी इस बात को साबित करती है। अभी पूर्वांचल की बाढ़ की स्थिति पर भी बातें होती रहीं मैं कहना चाहता हूं कि लखनऊ के समीप स्थिति बाराबंकी और सीतापुर भी बाढ़ की चपेट में रहे।

मैं बाराबंकी के ऐसे क्षेत्र से चुना गया हूं जो घाघरा, सुमली, चौरियारी नदियों के कटान सटान से प्रभावित बाराबंकी के सबसे पिछड़ा क्षेत्र है और पूरी तरह से बाढ़ ग्रस्त हुआ है। सरकार के फर्जी और झूठे आश्वासनों के बावजूद अधिकारियों के निकम्मेपन से जिस तरह से उस पिछड़े क्षेत्र में बाढ़ से त्रस्त लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया वह एक अभूतपूर्व मिसाल है। अभी ऊंची आवाज में उस तरफ से सरकारी सहायता का बखान किया जा रहा था बराबंकी बिलकुल करीब का जिला है आप मुख्य मंत्री जी रामनगर विधान सभा क्षेत्र जो बुरी तरह से बाढ़ग्रस्त है कि जांच करवा लें कितनी सहायता पहुंची है भयंकर बाढ़ के समय मुझे एस०डी०एम० राम नगर ने बताया कि 48 नावें क्षेत्र में चल रही हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैंने पत्रकारों और सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ दो दिन भ्रमण किये केवल दो नावें मिली समाचार-पत्र इसके गवाह हैं ! सहायता की जो बात है वह निराधार है । आज इस समस्या के स्थाई हल की आवश्यकता है सदन में मिल बैठकर खुले तौर पर चर्चा हो सूझ-बूझ वाले वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता लेकर एक मजबूत और स्थाई योजना बनाई जाये ताकि लोगों को एक नया जीवन मिल सके ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बाढ़ के समय कभी कोशिश नहीं की कि एक आपातकालीन बैठक बुलाते जिसमें प्रभावित क्षेत्रों के सदस्यों को बुलाकर बात करते । मान्यवर, आप बैठने का इशारा कर रहे हैं, जो बाते सदन में आई हैं उनकी आप निष्पक्ष जांच करायें । और दोषी अधिकारियों को दण्डित करते हुये आप इस बात का सबूत देंगे कि वास्तव में ईमानदारी से आप सहायता प्रदान करना चाहते है ।

* आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बाढ़ जैसी गम्भीर विभीषिका के ऊपर बोलने का अवसर प्रदान किया है मैं यह समझता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य के बाद इतना विस्तृत सकारात्मक और तथ्यपरक वक्तव्य के उपरान्त पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर सार्थक चर्चा इस पर करते लेकिन मुझे अफसोस है कि प्रदेश जिस गम्भीर समस्या से जूझ रहा है ऐसे में राजनीतिक दृष्टिकोण और अपने पूर्वाग्रह को छोड़कर सकारात्मक दृष्टि से विपक्ष चर्चा नहीं कर रहा है । इनके विचारों को सुनने के बाद इसकी चिन्ता मुझे हो रही है कई विपक्षी सदस्यों ने कहा कि यह मानव निर्मित समस्या है । मैं इससे इन्कार करता हूं । विगत वर्षों के आंकड़ों को आप देखिये तो पिछले वर्ष इसी जुलाई माह में 871 मि० मी० वर्षा गोरखपुर में हुई और इस वर्ष जुलाई में 1828 मि०मी० वर्षा हुई । सिद्धार्थनगर में इस वर्ष 2927 मि मी० वर्षा हुई । (व्यवधान) मेरे पास देवरिया जनपद के आंकड़े हैं ।

पिछले 4 वर्षों के जुलाई और अगस्त माह के आंकड़े मेरे सामने हैं जिसमें इस साल 1998 की जुलाई में 512 मिलीमीटर वर्षा हुई है वर्ष 1997 में जुलाई माह में 166 मिलीमीटर वर्षा हुई है । 1996 में 127 मिलीमीटर वर्षा हुई है और 1995 में 123 मिलीमीटर वर्षा हुई थी । यदि विगत वर्षों की तुलना में एकाएक 4 गुना 5 गुना की मात्रा में पानी आ जाय तो कोई भी सरकार उस परिस्थिति में, जितना हमारी सरकार ने काम किया है, वह करने में सक्षम नहीं थी । माननीय मुख्य मंत्री जी अत्यन्त ही संवेदनशीलता के साथ जब पिपरासी तटबन्ध कटा, वह उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं कटा था वह कटा था बिहार की सीमा में वहां की सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण कटा और इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश की एक लाख जनता उससे प्रभावित हो गई और हमारे सैकड़ों गांव पानी में डूब गये । जैसे ही माननीय मुख्य मंत्री जी को जानकारी मिली, महामहिम आने वाले थे लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसी दिन पूरे गोरखपुर कमिश्नरी का हवाई सर्वेक्षण किया था और तटबन्ध को नजदीक से देखा था और आने के बाद व्यापक बाढ़ बचाव के निर्देश दिये थे और उसी दिन घोषणा की थी कि तत्काल अहेतुक सहायता 1500 रुपया प्रदान किया जायेगा जिसके अन्तर्गत निःशुल्क भोजन व्यवस्था की जायेगी । मुझे जानकारी है कि कुशीनगर जनपद में एक हफ्ते के भीतर पौने दो करोड़ रुपये नकद वितरित किये गये थे और सभी परिवारों को अहेतुक सहायता उपलब्ध करायी गई थी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक सदस्य–

सूची उपलब्ध करा दीजियेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

सूची उपलब्ध करा दी जायेगी । रुद्रपुर में 42 गांव ऐसे थे जहां 7–8 फिट पानी भरा था । यह जलप्रलय की स्थिति मैंने अपनी आंखों से पहली बार देखी और उसमें जितनी अधिक नावें की व्यवस्था की जा सकती थी वह की गई उन्नाव, इलाहाबाद, बनारस, जबलपुर से लेकर और जरूरी हुआ तो कलकत्ता, इलाहाबाद और जबलपुर से हवाई जहाज से मंगाकर लगाया गया । सरकार द्वारा कोशिश की गई कि हर गांव के भीतर 2–3 नाव अवश्य मुहैया हों । यह नावें जिस दर पर भी हमें मिलीं, साढ़े 300–400 रुपये, सरकार के द्वारा उसको भी वहन किया गया । दूसरी तरफ हमारे एक भाई अभी चर्चा कर रहे थे कि 25 रुपये मजदूरी दी जा रही है, 30–40 रुपये दी जा रही है । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में नावों का 17 लाख का जो किराया बाकी था, उसको इस वर्ष कल्याण सिंह की सरकार ने एकमुश्त जुलाई माह में ही दिये जाने के आदेश कर दिये थे, इस पैसे को पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा नहीं दिया गया था । इस बार बाढ़ आई है, पिछले 4–5 वर्षों में कभी इतनी वृष्टि नहीं हुई, मैं बताना चहता हूं कि जितनी भी नदियां बाढ़ इस प्रदेश में ला रही हैं, उन सभी नदियों का उद्गम नैपाल के भीतर है, इस नाते जो प्रयास पिछले 10–20 वर्षों पहले हो जाना चाहिये था, उन प्रयासों के न होने के कारण इस बार उत्तर प्रदेश में इतनी भीषण बाढ़ आई है । यह बाढ़ केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, अपितु भारत के विभिन्न राज्यों में बाढ़ आई है । और भारत के अलावा नैपाल, बंगलादेश, चीन, तजाकिस्तान और रूस आदि देशों में भी भयंकर बाढ़ आई हुई है । चीन में तो एक करोड़ से भी ज्यादा लोग पानी के भीतर प्रवाहित हो गये और वह आज तक नहीं मिल पाये हैं ।

मैं माननीय कल्याण सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी दैवी आपदा में जब एक करोड़ से अधिक लोग प्रभावित थे, गांव भीषण रूप से प्रभावित थे, मरने वालों की संख्या पर हमने नियंत्रण लगाया, जितने लोग मरे हैं, उससे भी ज्यादा लोग मर सकते थे, उनको रोकने के लिये हमारे अधिकारियों ने और सरकार ने पूरी तत्परता से काम किया । हमने लाखों लोगों को बचाया है और उनको राहत शिविरों में पहुंचाया है । मैंने कुछ राहत शिविरों को स्वयं देखा है, एक राहत शिविर में 6600 लोगों के भोजन की एकमुश्त व्यवस्था की गई थी, इसी तरह से अन्य जिलों में भी की गई जहां लोगों को निःशुल्क भोजन और दवाओं के वितरण की व्यवस्था की गई थी । सरकार द्वारा हर 4 गांव में मोटर बोट के माध्यम से रोटेशनल ढ़ंग से डाक्टर, दवा वितरण की व्यवस्था की गई और हम इस दवा वितरण के काम को अभी भी करा रहे हैं, 55 हजार लोगों की एक जनपद में चिकित्सा की गई, यही कारण है कि बाढ़ के समय जो महामारी आदि फैलती है, उस पर हमने रोक लगाई है और इस तरह के पूरे प्रयास किये हैं कि कोई भी व्यक्ति बीमारी से न मरने पाये । इस समय बाढ़ आई, लेकिन अगली रवी की फसल का सिंचाई कर मुख्य मंत्री जी ने अभी से माफ कर दिया है, केवल वसूली को स्थगित ही नहीं किया है इसी तरह से खरीफ की भी माफी कर दी गई है, बच्चों के सभी शिक्षा शुल्कों को माफ कर दिया गया है, यह सारे प्रयास किये गये हैं, विपक्ष के लोगों को इस चर्चा में सार्थक रूप से भाग लेकर हमारी कमियों को बताना चाहिये था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं

किया । माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा बाढ़ के स्थाई समाधान हेतु भी प्रयास किये गये हैं, केन्द्र सरकार के सामने भी कई प्रस्ताव रखे गये हैं जिनसे स्थाई समाधान निकाला जा सकता है । मैं कहना चाहूंगा कि सुबाष भाई को माननीय मुख्य मंत्री जी पर विश्वास रखते हुये अपना संकल्प वापस ले लेना चाहिये । इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं और सरकार को उसके द्वारा किये गये प्रयासों के लिये धन्यवाद देता हूं ।

* श्री अब्दुल कलाम (बस्ती)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बाढ़ की चर्चा पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, हमारे यहां पर जो बाढ़ आई है, उसका कारण माननीय सिंचाई मंत्री हैं । टरमैनी बांध, बैलौली बांध, बंजरवा बांध और पौली बांधों के लिये मैं बराबर उनको लिखकर देता रहा हूं और कहता रहा हूं कि वह कमजोर हैं और बाढ़ में टूट सकते हैं लेकिन मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उनकी कान पर जूं नहीं रेंगा । अगर माननीय मंत्री जी उस पर कार्यवाही किये होते तो यह स्थिति आज न आती और जो पूर्वांचल बरबाद हो गया है, वह बरबाद न होता । मान्यवर, संत कबीर नगर में भीषण बाढ़ आ गई है, और माननीय मंत्री जी ने लच्छेदार भाषण कर दिया और कह दिया कि इतनी सहायता दी गई इतनी नावें सहायता के लिये पहुंचाई गईं । मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई है । अगर सही पाया जाये तो मैं इस्तीफा देकर चला जाऊंगा । माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि वहां पर खिचड़ी की व्यवस्था की गई है, लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

*लघु सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राम आसरे पासवान)–

मान्यवर, मैं भी सन्त कबीर नगर से चुनकर आया हूं और वहा पर गया हूं और बाढ़ राहत कार्यों को देखा है, जो सदस्य कह रहे हैं वह सत्य से परे है, उसमें कोई वजन नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल कलाम (बस्ती)–

मान्यवर, मंत्री जी सही नहीं बोल रहे हैं । सन्त कबीर नगर में सबसे ज्यादा प्रभावित मेरा क्षेत्र मेंहदावल का क्षेत्र है जहां से मैं चुनकर आता हूं । वहां पर भीषण बाढ़ आई है और लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है । लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है । कोई नाव की व्यवस्था नहीं की गई । जो नावें वहां पर थीं वह मझोले किस्म की थीं और रोज यही कहा जाता था कि आज नावें आ रही हैं, कल नावें आ रही हैं । लेकिन कोई नाव नहीं पहुंची । माननीय मुख्य मंत्री जी सर्वेक्षण के लिये गये लेकिन वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में नहीं गये बल्कि अधिकारियों से मिलकर चले आये । हमारे जिले के इन्चार्ज दल बहादुर कोरी हैं, लेकिन वह कभी भी बाढ़ग्रस्त इलाके में नहीं गये, उनके पास वहां जाने के लिये समय ही नहीं था ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेकिन वहां के हमारे जो प्रभारी मंत्री थे उनके पास टाइम नहीं था कि वे बाढ़ से घिरे हुए लोगों का हालचाल ले लें । अब बाढ़ खत्म हो रही है लेकिन अभी तक वहां भोजन आदि की कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक केवल 25 किलो राशन दिया गया है । एक हजार रुपये की धनराशि सहायता के रूप में देने की बात है । उसमें भी बन्धन लगा हुआ है कि जिसके पास खेती नहीं होगी उसे दिया जायेगा तो इस प्रकार 10 परसेन्ट लोग ही सहायता पायेंगे जिनके पास ट्रैक्टर या जो भी साधन हैं उसे कोई सहायता नहीं मिलेगी जबकि बाढ़ से लोगों का सारा सामान डूब गया है । कुछ बचा ही नहीं है । मैं चाहूंगा कि यह 1 हजार रुपया जो बाढ़ से घिरे हुए हैं सबको दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री अब्दुल कलाम–

आपने जो 25 हजार रुपया मकान के लिए दिया है उसमें भी अधिकारी कह रहे हैं कि 1500 सौ से अधिक सहायता नहीं दे पायेंगे । इससे स्पष्ट है कि यह सरकार अक्षम हो गई है । इस सरकार की सहायता करने की नियत नहीं है । इनके प्रभारी मंत्री भी अक्षम हो गये हैं । वहां जाते तक नहीं है । अगर इनकी मंशा साफ है तो त्याग-पत्र दे दें । अगर इन्होंने जनता की सेवा की है तो चुनाव करा दें इनको पता चल जायेगा । आज ही चुनाव की घोषणा कर दें इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(व्यवधान)

* श्री जय प्रकाश निषाद–

मान्यवर, आज बाढ़ पर चर्चा हो रही है यह महत्वपूर्ण बिन्दु है जिस पर चर्चा हो रही है । उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों के लोग 2-2 महीने तक बाढ़ से जूझे रहे । जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा । जिस पर चर्चा चल रही है और उधर के लोग कटाक्ष कर रहे हैं गांव में एक कहावत है जाके पैर फटे न बिवाई वह क्या जाने पीर पराई । मान्यवर, यहां बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के विधायकों को बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं उधर से इस तरह हल्ला कर रहे हैं । इस बार जो बाढ़ है वह पूरे एशिया में जल प्लावन के रूप में आयी है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल मे गोरखपुर व बस्ती कमीश्नरी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है यह बात सही है कि इससे पहले कभी भी इतना जल प्लावन नहीं हुआ । पूर्वांचल में जो पहले चरण में बाढ़ आई उस समय ही सहायता कार्य आरम्भ हो गया था और उस समय दूसरे चरण से डेढ़ मीटर पानी नीचे था । देवरिया में राप्ती से लगभग 87 गांव जल प्लावित हुए थे और एक महीने तक जूझते रहे थे । गोरखपुर में जब बांध का बंधा टूटा तो उसी दिन से बाढ़ राहत सामग्री वितरित होने लगी थी और 2-2, 3-3 सेक्टर में गांव में बांट कर अधिकारियों को लगा दिया गया था 20 तारीख को बंधा टूटा और क्षेत्र डूबने से पहले ही राहत सामग्री सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गयी ।

मान्यवर, 20 जुलाई से लेकर 15 सितम्बर तक लगभग दो महीने तक मैंने पानी में नाव चलाकर लोगों की सहायता की है लेकिन विरोध पक्ष के लोग बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में गये तक नहीं किन्तु यहां कहते हैं कि हमने वहां बाढ़ पीड़ितों की बड़ी सहायता की । मान्यवर, बाढ़ के समय वहां लोगों पर बड़े-बड़े अत्याचार किये गये । विरोध पक्ष के लोग जनता में कहते हैं कि सरकार ने वहां कोई राहत सामग्री नहीं पहुंचाई । मान्यवर, मैं सदन को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि जिस दिन बाढ़ आई थी उसी दिन से पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सरकार ने राहत सामग्री भेजना और बंटवाना शुरू कर दिया था । जब कि इस सरकार के पहले जब बाढ़ आई थी तो जब बाढ़ समाप्त हो जाती थी तब कहीं बाढ़ पीड़ितों को राहत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सामग्री पहुंचाई जाती थी और उसके बाद उन्हें बांटी जाती थी । लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाढ़ विभीषिका में जिस तरह से जनता को राहत सामग्री पहुंचाई है उसे बाढ़ पीड़ित जनता महसूस कर रही है । व्यवधान

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे जिससे व्यवधान बना रहा)

मान्यवर, हमारे यहां क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जिन्हें मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि मान्यवर, हमारे क्षेत्र में राप्ती नदी बहती है । मैं वहां के बंधों को ठीक करने के संबंध में सरकार से कहना चाहता हूं । मान्यवर, राप्ती नदी देवरिया में रूद्रपुर क्षेत्र से निकलती है । वहां गुर्रा नदी के कारण राप्ती का आगे हिस्सा ऊंचा हो गया है । गुर्रा नदी की गहराई अधिक है जिसके कारण गोरखपुर में चौरी-चौरा रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र होते हुए वह आगे तक जाती है ।

मान्यवर, गुर्रा नदी से गोरखपुर और देवरिया को भारी नुकसान होता है । इसके लिये कोई स्थायीकार्य करना पड़ेगा ताकि बाढ़ की समस्या का निदान हो सके । गुर्रा और राप्ती नदी के बीच का जो दोआबा है वहां पर बाढ़ से बहुत नुकसान होता है । राप्ती और गुर्रा नदी से 54 गांव प्रभावित होते हैं । राप्ती नदी के किनारे के जो गांव हैं वह काफी कट गये हैं । इसके पहले वहां पर ऐसी बाढ़ नहीं आयी थी । बांधे के ऊपर मीटर से ज्यादा पानी बह रहा था । कहीं-कहीं पर तो बंधा दिखायी ही नहीं पड़ रहा था । बाढ़ के कारण गांवों में जो जलप्लावन हुआ उसके लिये सभी गांवों में सरकार ने नावें उपलब्ध करायीं । दवाओं की व्यवस्था की गयी और सभी प्रकार की सुविधा सरकार द्वारा दी गयी । मेरा निवेदन है कि राप्ती को गहरा किया जाय और गुर्रा नदी पर बांध बनाया जाय ताकि बाढ़ की समस्या का समाधान हो सके ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं नियम 110 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं । लोकतंत्र की हत्या की गयी है । भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने बिहार सरकार को जिसको पूर्ण बहुमत प्राप्त था । भंग कर दिया है । जिसके लिये मैं संवेदना का प्रस्ताव रखना चाहता हूं । इससे ज्यादा लोकतंत्र की हत्या करने वाला और काम नहीं हो सकता । (शोर) इसके लिये मैं केन्द्र सरकार की निन्दा करता हूं, भर्त्सना करता हूं ।

* श्री सुधाकर सिंह–

मान्यवर, इस शताब्दी की सबसे विनाशकारी बाढ़ के लिये आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनपद मऊ में नत्थूपुर का पूरा इलाका बाढ़ से प्रभावित है । वहां पर बंधे का निर्माण 1957 में हुआ था । लेकिन 1998 तक इस बंधे की ठीक ढंग से मरम्मत नहीं की गयी जिसकी वजह से बाढ़ आयी । इस साल बाढ़ से यह बंधा टूट गया । जिससे बाढ़ से 46 गांव प्रभावित हुये । गांव के लोगों को सड़कों पर, स्कूलों में और बंधे पर रहना पड़ा । हमारा नेता सदन से निवेदन है कि बाढ़ से बचाने का परमानेन्ट इंतजाम कराया जाय । बंधे का निर्माण कराया जाय और निर्माण कराकर उसको ऊपर से पिच कर दिया जाय ।

जिधर घाघरा की दिशा बढ़ रही है उधर कम से कम बोल्डर बिछा दिये जायं ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो सके । अगर इस बन्धे की हर साल मरम्मत करायी गयी होती तो हमारे जनपद के 46 गांव बाढ़ से प्रभावित नहीं होते, कम से कम 20 लोगों की मौतें नहीं होती, हजारों जानवर नहीं मरते और इनको बाढ़ की आपदा से बचाया जा सकता था । दूसरा आपके माध्यम से माननीय नेता सदन से निवेदन है कि जब बन्धे बने थे तो 1957 में गांवों की पटाई हुई थी लेकिन करीब 40 वर्ष के अन्दर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दोबारा पटाई नहीं हुई जिससे मामूली बाढ़ आने पर वह नदी के पेटे में चले जाते हैं। अगर पटाई कर दी जाती तो बाढ़ से प्रभावित नहीं होते और उनको विस्थापित नहीं करना पड़ता। मेरा माननीय नेता सदन से निवेदन है कि उन गांवों की पटाई सुनिश्चित कर दिया जाये ताकि भविष्य में ऐसी घटना न घट सके।

हमारे कई गांव ऐसे हैं जहां 10 मीटर पानी लग गया था, वर्तमान मण्डलायुक्त ने जाकर के मौके पर निरीक्षण भी किया और इस निष्कर्ष पर सारे लोग पहुंचे हैं कि भविष्य में उन्हें नहीं बचा सकते। इसलिए उनको अलग बसाने के लिए बांगर में जमीन दिया जाये। चौथे जो बाढ़ पीड़ित गांव हैं उनके गन्ने का भुगतान आज तक नहीं हुआ है उनका सारा सामान बह चुका है, रहने के लिये कोई ठिकाना नहीं है, स्पेशल तौर पर यह निर्देश दिया जाय कि ऐसे लोगों के गन्ने का भुगतान कर दिया जाये। आज जो कहा जा रहा है कि जिनके घर गिर गये हैं उनको 10 हजार या 25 हजार रुपया दिया जायेगा। मेरा कहना है कि चाहे पक्का या कच्चा मकान जो भी गिरे हैं जिनके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है। एक नियम बनाकर सबको रहने के लिये 25 हजार रुपया दिया जाय। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे यहां 10 हजार एकड़ क्षेत्रफल में फसल पूरी तरह से बरबाद हो चुकी है। लोगों ने खाने के लिए अनाज व बुवाई के लिए बीज रख रहे थे। पानी भर जाने के कारण सारे अनाज व बीज सड़ गये। लोगों के पास 5 किलो गेहूं तक नहीं है, चाहे वह बड़े किसान हों या छोटे किसान। मैं चाहता हूं कि किसानों को बीज उपलब्ध करा दिया जाय। अन्त में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि स्थायी तौर पर यदि समस्या का समाधान चाहते हैं तो इस क्षेत्र के लिए एक योजना बनाकर कार्य प्रारम्भ करें। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की आबादी 16 करोड़ है। इस सरकार के आने के बाद से ही सारी जनता परेशान है आये दिन ओला, पत्थर, भूस्खलन, चक्रवात व बाढ़ी जैसी आपदाएं आ रही हैं। अब तो प्रदेश की समस्या का समाधान एक ही है कि नेता सदन कल्याण सिंह जी इस्तीफा दे दें प्रदेश की समस्या का समाधान स्वतः हो जायेगा।

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह ठीक है कि इस प्रदेश में बाढ़ आयी और अप्रत्याशित बाढ़ आयी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन क्षेत्र में परम्परागत रूप से बाढ़ आती थी वहां बाढ़ न आ करके नये क्षेत्रों में बाढ़ आयी और इतनी तेजी से बाढ़ आयी कि सारे जनमानस के सामने बहुत कठिनाई पैदा हो गयी। सरकार ने अपनी ओर से इस प्राकृतिक विभीषिका के संबंध में जो कुछ हो सकता था वह किया है इसमें कोई सन्देह नहीं है, मगर समस्या इतनी बड़ी थी कि उससे जूझने के लिए जो संसाधन हमारे पास होना चाहिए उनका कम होना और अप्रत्याशित रूप से बाढ़ आना यही दोनों ऐसे कारण थे जिसके कारण जनता को कठिनाई हुई है इसमें सन्देह नहीं है। मैं लीक से हटकर कुछ बात कहना चाहूंगा। इस प्रदेश के सामने 4-5 ऐसी समस्यायें हैं जिनका हल केवल एक ही है। नदियों के कटाव के कारण सैकड़ों गांव और शहरों के हिस्से नदियों में चले जा रहे हैं, दूसरी समस्या है भूगर्भ जलस्तर बराबर गिरता चला जा रहा है। तीसरी समस्या है बाढ़ और सूखा जो इस प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य बन गया है।

इन सारे कारणों का एक हल है। गंगा, यमुना, गोमती, गंडक यह सारी नदियां हजारों साल से बह रही हैं। स्वाभाविक है उनकी तलहटी में सिल्टिंग होती जा रही है। सिल्टिंग होने के कारण, जो अतिवृष्टि के कारण, या बर्फ ज्यादा गलने के कारण पानी आता है वह फैल जाता है, फैलने के कारण बाढ़ आती है। हाई स्कूल की किताब में मैंने पढ़ा था कि तरनि, तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए।

पहले यमुना के किनारे तमाल के वृक्ष हुआ करते थे लेकिन अब यमुना के दोनों किनारों पर वनस्पतियां खत्म होती जा रही हैं, नदियां पहले गहरी थीं उनके दोनों किनारों पर सीपेज हुआ करता था जिससे पास के गांवों तक यह पानी जाता था और भूगर्भ जल स्तर ठीक बना रहता था। आज हम जल स्तर गिरने पर चिन्ता प्रकट करते हैं उसका कारण यह है कि हमारी नदियां उथली होती जा रही हैं।

दूसरा कारण यह है कि हमने तालाबों को पाटकर बस्तियां बनाना शुरू कर दिया है। जिससे जल स्तर गिरता जा रहा है। आज एक काम केवल किया जाए इसमें केन्द्र सरकार का भी सहयोग लिया जाए। एक बार एक इंजीनियर्स श्री के० एल० राय सिंचाई मंत्री हुए उनके विचार थे कि एक नेशनल वाटर ग्रिड बननी चाहिए अर्थात् जितनी बड़ी-बड़ी नदियां हैं, सबको जोड़ देना चाहिए, उनको गहरा कर देना चाहिए। इसी प्रकार भाटिया आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में स्थान-स्थान पर चर्चा की है कि नदियों की सिल्टिंग के कारण आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। बड़े-बड़े बांधों के कारण भी सिल्टिंग हो रही है। अगर नदियों को गहरा कर दिया जाए तो हमें सूखे से मुक्ति मिलेगी व भूगर्भ जल स्तर भी बढ़ेगा व जल परिवहन का साधन भी बढ़ेगा। आज कलकत्ता में आधी जन संख्या जल परिवहन पर निर्भर है। यह कोई राजनीतिक बात नहीं है। हमें आने वाली पीढ़ी की चिन्ता करनी चाहिए आने वाले चुनाव की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। आगे आने वाले 20 वर्षों में क्या होगा हमें इसकी चिन्ता करनी चाहिए। यह समस्या इसलिए खड़ी हुई कि पहले की सरकारों ने आने वाले चुनाव की चिन्ता की। अगली पीढ़ी की चिन्ता नहीं की। जब देश आजाद हुआ था उसके 10-5 वर्ष बाद से इस तरह का प्रयास किया गया होता तो यह स्थिति न होती। देर आयद दुरुस्त आयद। आज भी काम प्रारम्भ किया जा सकता है। ईमानदारी के साथ लोग अपने-अपने नेताओं पर दबाव डालें। चाहे किसी की भी सरकार हो। मैं पूरे प्रदेश के भविष्य की चिन्ता कर रहा हूं, आपको भी चिन्तित होना चाहिए।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह बजट चर्चा नहीं है। जो क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित हुए हों वहां के जन प्रतिनिधियों को अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। मान्यवर, बाढ़ के लिये वैसे ही समय कम मिला जिनके यहां बाढ़ नहीं आयी, उनको आप समय देगें। आप सूची मंगवा लीजिये। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इनके यहां बाढ़ नहीं आयी।

(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं विधान सभा का सदस्य हूं। प्रदेश की किसी भी समस्या पर अपनी बात कह सकता हूं। ये लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। बाढ़ पर माननीय सदस्यों को इन लोगों ने बोलेने का मौका नहीं देने दिया, जिस कारण उस समय बाढ़ पर चर्चा नहीं हो पायी।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बाढ़ की विभीषिका फैली हुई है, जिस तरह से जन की क्षति हुई है और जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई। जब भी इनकी सरकार आती है तब-तब कोई न कोई आपदा आती है। इस साल इस शताब्दी की सबसे बड़ी बाढ़ आयी, इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा सूखा पड़ा, सबसे ज्यादा ठण्ड पड़ी। कहने का मतलब यह है कि कोई न कोई दैवी आपदा अवश्य आती है। हमारे जनपद गोण्डा में सरजू और घाघरा से तहसील तरबगंज, मनिकापुर, गोण्डा, कर्नेलगंज सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहां पर राहत के नाम पर लोगों को जो सुविधा दी गई, वह नहीं के बराबर है। सरकार जो कहती है कि हमने इतने किलो चावल दिये, इतने किलो गेहूं दिये और प्रत्येक परिवार को 1 हजार रुपये दिये, यह सब सरकारी आंकड़े हैं। मेरी निश्चित जानकारी है कि वहां पर कोई सहायता नहीं दी गई। 5 किलो तथा 8 किलो चावल बाढ़ पीड़ितों को दिया गया है जो पर्याप्त नहीं था, जब वहां पर जनता द्वारा घेराव किया गया, प्रदर्शन किये गये, तब जाकर 20 किलो गेहूं दिये जाने की बात हुई। गोण्डा के मा० स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं हस रहे हैं। इन्होंने हवाई जहाज से ही तहसील करनैलगंज, नवाबगंज, मनकापुर, गोण्डा के बाढ़

को देखा है । मान्यवर, जमीन पर उतरकर आम जनता के दुःख दर्द को नहीं सुना । सुना होता तो ऐसी स्थिति गोण्डा में नहीं होती हजारों लोगों के मकान वहां इस बाढ़ से गिर गये । हजारों एकड़ जमीन की फसल नष्ट हो गयी । मेरी मांग है, आपसे अनुरोध है कि वहां पर सर्वे करवाया जाय । वहां पर जिस बाढ़ से प्रभावित लोगों के मकान गिर गये हैं जो आसमान के नीचे रह रहे हैं उनके मकान बनवाये जायं । सुना है कि जनपद गोण्डा में सर्वे करवाया जा रहा है जिनके मकान गिर गये हैं उन्हें सहायता दी जायेगी । कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सूची बनाई जायं और उसमें कुछ को मकान बनाने के लिये सहायता दी जाय और कुछ को न दी जाय । मेरा अनुरोध है मान्यवर, कि इसकी सही रीति से सर्वे करवाया जाय और बाढ़ से पीड़ित लोग जिनके मकान इस दैवी आपदा में गिर गये हैं उनको मकान बनाने के लिये सहायता दी जाय ।

(इस समय 3 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि गोण्डा तहसील में योगेन्द्र नाथ पाण्डेय ग्राम बिनौर तहसील गोण्डा के यहां राजस्व कर्मी वसूली के लिये गये थे घर से लाकर उन्हें तहसील गोण्डा लाकअप में बन्द कर दिया और इतना पीटा कि उनकी मृत्यु हो गई और मान्यवर, इतना ही नहीं उनकी लाश को वहां के राजस्व कर्मचारियों ने लावारिश घोषित करा दिया जब वहां के लोगों ने आन्दोलन किया और लाकअप को खुलवाया तब और बन्द लोगों को छुड़वाया गया । यह सरकार कहती है मान्यवर, कि वसूली रोक दी गई है दूसरी तरफ, अगर गरीब के पास अगर एक हजार रुपया बकाया है तो उसकी वसूली के लिये उसको लाकर लाकअप में बन्द कर दिया जाता है और बड़े लोगों के ऊपर बड़ा बकाया है उन्हें एस० डी एम० बुलाकर चाय पिलाते हैं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सरकार गरीबों, मजदूरों के लिये क्या काम करेगी ? यह सरकार तो गरीब विरोधी है । इस बाढ़ राहत के लिये केन्द्र से 200 करोड़ रुपये मिले थे वह 180 करोड़ सरकार ने खा लिया है और 20 करोड़ से बाढ़ग्रस्त 55 जिलों में कोई आवंटन नहीं किया गया है । मान्यवर, अगर यह सरकार पहले से सचेत होती तो जब बरसात का मौसम आने वाला था तो उससे पहले बन्धों की मरम्मत कराती तो सम्भवतः बाढ़ न आती । बाढ़ आई और कमजोर बन्धे टूट गये जिससे पानी गांवों में भर गया । शहर को बचाने के लिये सरकार ने बन्धों को पटवा दिया । इस बाढ़ में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है । तमाम गांव के गांव नष्ट हो गये हैं, हजारों एकड़ भूमि की फसल बर्बाद हो गयी है । गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर में कई गांव के गांव का पता नहीं चला कि कहां बह गये गरीबों की सहायता के नाम पर मान्यवर, इस सरकार ने उनका गला काटा है राम के नाम पर कहलाने वाली इस सरकार को भगवान ने भी दोषी ठहराया है इसलिये इनके समय में बाढ़, ओला, सूखा पड़ता है मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गोण्डा जनपद में बाढ़ से प्रभावित लोग जिनके मकान गिर गये हैं उनके मकान बनवाये जायं उनको आर्थिक सहायता दी जाय जिनकी फसल का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाय । जो लोग मारे गये हैं उनके परिवार वालों को दो लाख रुपये मुआवजा दिया जाय । बाढ़ से मान्यवर, कई लोगों की जानें गयी हैं और लोगों के पशु इस बाढ़ में मारे गये हैं मान्यवर, आपके माध्यम से अनुरोध है कि जिनके पशु मारे गये हैं उनको 25 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाय

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मैं अपनी बात कहने के लिए उठा हूं जवाब देने के लिए नहीं उठा हूं ...

श्री योगेन्द्र सिंह–

सत्तापक्ष के लोगों को इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है आप कह रहे हैं बाढ़ पीड़ितों को सब सुख-सुविधा मिली है तो इनको बोलने का क्या हक है ? विपक्ष के लोगों की बातों को सुना जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

सम्मानित अम्मार रिजवी साहब ने कहा यह प्रश्न बहुत ही गम्भीर है पूरे प्रदेश में संकट की समस्या है। संकट का जहां तक संबंध है इसमें पक्ष और विपक्ष का प्रश्न नहीं उठना चाहिए जहां विपक्ष की बातें सुनने की जरूरत है वहीं सत्तापक्ष की बात भी सुनी जानी चाहिए बाढ़ का संकट मिटाने के लिए, बाढ़ से इस प्रदेश को निजात दिलाने के लिए सबको मिलकर काम करना है। विपक्ष की ओर से काफी माननीय सदस्य बोल चुके हैं। आखिरी माननीय सदस्य सत्ता पक्ष से बोल रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश जी का नाम आया है वह बोल रहे हैं सब लोग शान्ति से सुन लें।

कुं० रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, ओम प्रकाश जी कोई व्यक्ति नहीं हैं जब बाढ़ पर चर्चा हो रही है तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है सबकी बात सुन लें तब अपनी बात कहें। यह तो पहले ही बोलने लगे।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय बाढ़ के सवाल पर इतना कम समय दिया गया इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर विपक्ष के लोगों को सुनने की बात आई तो आपने माननीय मंत्री जी को बुला लिया। मुख्य मंत्री जी ने जैसे छपा हुआ दिया उससे तीन गुना माननीय सिंचाई मंत्री जी छपवाकर मंगवा लें। किसी भी स्थिति में बाढ़ से प्रभावित लोगों की बात सुनने के पहले मंत्री जी के बोलने का कोई सवाल नहीं है। माननीय मंत्री जी इस विभाग के मंत्री है और वह इतने संवेदनशील हैं कि एक व्यक्ति की बात सुनने को तैयार नहीं है। इन्होंने एक माननीय सदस्य की बात नहीं सुनी है। यह सदस्यों को सुनने के लिए मौजूद नही थे ... मान्यवर, पहले आप इधर के लोगों की बात सुन लीजिये ...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया शांत रहे और अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। यह एक महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विचार आने हैं पीठ से सिंचाई मंत्री जी को बुला लिया गया है इसलिए पहले उन्हें बोल लेने दें। हो सकता है वह जो कहें उनसे आपको लाभ मिल जाय। इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी दोनों ओर के माननीय सदस्यों को सुनने के बाद अपना जवाब देंगे।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जो हम लोगों की पीड़ा है पहले आप उसे सुन लें उसके बाद माननीय सिंचाई मंत्री जी अपना भाषण दे दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया अपना आसन ग्रहण करें। पीठ से उनको पुकार लिया गया है पहले आप उनको सुन लें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पीठ का फैसला सर्वोपरि है। हमारी आपसे विनती है। आप एक अनुभवी सदस्य हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि पीठ का फैसला रिवाइज हुआ है। यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। यदि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं तो पहले कृपया हमारी बातों को सुन लें बोलने का क्रम आवश्यकतानुसार पीठ तय करती है।

श्री अधिष्ठाता–

अब तक तो उनकी बात खत्म ही हो जाती । आप लोग बैठें ।

(घोर व्यवधान)

श्री भरत सिंह–

यह सदन मान्यवर, धमकियों से नहीं चलेगा, नियमों और परम्पराओं से चलेगा । बलिया सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, हमको बोलने का मौका दें ।

श्री राजधारी–

एक व्यवस्था का सवाल है । हर मामले में दबाव डाला जा रहा है, यह बात उचित नहीं है । दोनों पक्षों को बोलने का हक है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

सदस्यों के बीच, जिनके यहां बाढ़ की तबाही है, कोई भेदभाव की बात नहीं है ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, आप किसी एक सदस्य को बुलवा लीजिये उसके बाद मंत्री जी को बुलवा लीजिये अगर बोलना चाहते हैं बुलवा लीजियेगा हम लोग शांत रहेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

यह एक महत्वपूर्ण विषय है, ऐसा भी नहीं है कि किसी को निषिद्ध किया जा सकता है जो विषय सदन के पटल पर आ गया है उस पर दोनों पक्षों के लोग अपने विचार रख सकते हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी बाद में उत्तर देंगे । अगर उसके बीच में सिंचाई मंत्री जी, चूंकि विभाग से संबंधित हैं, बोलना चाहते हैं उसमें माननीय सदस्यों को जिज्ञासा भी होगी कि माननीय मंत्री जी ने क्या-क्या किया, तो उससे जानकारी मिल सकती है ?

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, इसका मतलब तो यह है कि आप बुलवाना नहीं चाहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

सबके सम्मान की बात है । उनको बुलवा लिया गया था ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, उन्होंने स्वतः ही दूसरे माननीय सदस्य को बोलने के लिए कह दिया है, माननीय नेता प्रतिपक्ष की बात उन्होंने मान ली है ।

* श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक ऐसे मुद्दे पर, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश की 5 करोड़ जनजीवन अस्तव्यस्त ही नहीं हुआ बल्कि ऐसी बड़ी मुसीबत आई है कि देश की आजादी के बाद इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आई, बोलने के लिए आपने अवसर दिया । बड़े अफसोस के साथ आज कहना पड़ रहा है कि माननीय कल्याण सिंह की सरकार ने कल अपनी सरकार का एक वर्ष पूरा किया तो उनकी असफलता की यह एक सबसे बड़ी उपलब्धि है । उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में देश को तमाम प्रधान मंत्री दिये हैं लेकिन हमारे देश के प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी 10 सितम्बर को आते हैं और वह भी हवाई सर्वेक्षण करके चले जाते हैं मैं समझता हूं कि इस बाढ़ से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कम से कम 5 हजार जाने गई और 25 हजार जानवर मरे हैं। लेकिन राहत के नाम पर केवल घोषणायें हुई हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी जब यह दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे थे अच्छा होता वह बाढ़ राहत के नाम पर कोई कार्यवाही किए होते तो जिलेवार, क्षेत्रवार एक सूची भी प्रकाशित करते जिससे हम सब माननीय सदस्य और आदरणीय इस सदन के सदस्य अवगत होते कि बाढ़ में उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या काम किया है ?

मान्यवर, कोई काम नहीं किया गया मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने जो पत्रक दिया है 25 हजार रुपये दिये हैं मकान में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिनके घर गिरे हैं, अभी मुख्य मंत्री जी बोलेंगे, सिंचाई मंत्री जी बोलेंगे, मैं उनको चुनौती देता हूं कि अगर एक भी मकान राहत में किसी को पैसा मिला हो। यह बता दे कि अमुक-अमुक जिले में अमुक व्यक्ति को दिया है। यह सरकार कितनी संवेदनशील है इसके बारे में बताना चाहता हूं । मान्यवर, इन्होंने कहा कि हमने वसूली माफ कर दिया है, लगान माफ कर दिया है एक तरफ हमारे गोण्डा जनपद में बाढ़ आई है लोग मर रहे हैं और वहीं योगेन्द्र कुमार पाण्डेय को वसूली के लिए इतना मारा गया कि तहसील के कटघरे में उनकी मृत्यु हो गयी जब मुख्य मंत्री जी बोलेंगे, सिंचाई मंत्री जी बालेंगे तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इस बाढ़ के रहते सरकार वसूली के नाम पर जनपद गोण्डा की तहसील में योगेन्द्र नारायण पाण्डेय को गिरफ्तार करके तहसील की कालकोठरी में मारा पीटा नहीं गया और क्या उनकी मौत नहीं हो गयी सरकार कहती है कि हमने वसूली रोक दी है लगान माफ कर दिया है यह इनकी गलत बयानी है। यह संवेदनशील है इनको जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं है रौनाही बांध हमारे क्षेत्र में है पिछली बार वह कट गया था लोगों ने दरखास दिया था लेकिन कुछ नहीं किया गया पूर्वी उत्तर प्रदेश में 34 बांध कटे हैं और यह सरकार की असफलताओं के कारण कटे हैं अरबों रुपये इसके लिए एलाट होता है लेकिन कोई मरम्मत नहीं हुई इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि जो मरे हैं इस बाढ़ में उनके रोते-बिलखते परिवार के प्रति सरकार को संवेदना व्यक्त करनी चाहिए मैं तो कहता हूं कि आज भी उत्तर प्रदेश की सरकार को, मैं राष्ट्रपति जी से मांग करता हूं कि इसको बर्खास्त करने का काम करें क्योंकि उनकी अक्षमता के कारण ही बाढ़ आई है। इनका एक वर्ष असफलता का वर्ष रहा है जनता की विपत्तियों का वर्ष रहा है एक-एक क्षण उनका मुसीबत से बीत रहा है अगर धरती पर जाने का किसी ने काम किया है तो वह हमारे नेता मुलायम सिंह जी हैं हम लोगों ने एक-एक माह का वेतन का देने का काम किया है। और मैं उन तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं को बधाई देना चाहता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। यह सरकार और इसके लोग केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे हैं, आज इनको यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मैं राष्ट्रपति जी से मांग करता हूं कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

* सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, जैसा आपने कहा कि अभी सदन के तमाम माननीय सदस्यों को सुनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी इस चर्चा का जवाब देंगे मैं तो बीच में कुछ बिन्दुओं पर अपना मत रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह जो बाढ़ आई है, पूरे माननीय सदन को पता है कि बाढ़ और जल दोनों राज्य का विषय हैं लेकिन कोई राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में केन्द्र से कुछ करने के लिये सीधे नहीं कह सकता। मैं तो समझता हूं कि कोई भी राज्य केन्द्र से सहायता मांग सकता है, तकनीकी सहायता मांग सकता है लेकिन कोई सदन सीधे केन्द्र से कहे कि हमारे यहां आकर यह काम करो, ऐसा कभी किसी सदन में नहीं हुआ है, इसलिये चूंकि यह प्रस्ताव केन्द्र को राज्य के अधिकार क्षेत्र में, आमंत्रित करने का कार्य है, इसलिये मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समझता हूं कि भाई सुबाष श्रीवास्तव जी को इस तकनीकी विषय को ध्यान में रखते हुये अपने संकल्प को वापस ले लेना चाहिये ।

सभी लोगों ने कहा कि यह एक प्राकृतिक विपदा है, लेकिन बात कुछ राजनीतिक ढंग से कही गई, राजनैतिक दृष्टिकोण से कही गई और हो सकता है, ऐसा इसलिये किया गया हो कि कुछ राजनीतिक उपलब्धि जुड़ गई होगी । यह विषय राजनीतिक लाभ-हानि का नहीं है । अनेक पुराने माननीय सदस्यों ने कहा कि यह एक विपत्ति है और वैसी ही एक छोटी सी झलक दिखलाती है कि जैसे पुराने समय में एक बार इतनी वर्षा हुई कि पूरी प्रलय हो गयी और तब मनु ने सारी सृष्टि को बीज-तत्व नाव पर रखकर पुनः स्थापित किया यदि विपक्ष उस समय होता तो यही कहता कि लोगों ने बांध क्यों नहीं बनाये जो प्रलय हो गई । किसी भी चीज का निर्माण एक सामान्य व्यवस्था, सामान्य कल्पना के आधार पर किया जाता है । एक विषम और ऐतिहासिक, इस शताब्दी की सबसे बड़ी बाढ़ इस वर्ष आई मैं उन बिन्दुओं को बताना चाहूंगा जिसके कारण यह अब तक की सबसे भयानक बाढ़ साबित हुई । मान्यवर, प्रदेश में कुल कृषि क्षेत्र का 73.36 बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और जो सिंचाई विभाग द्वारा या अन्य तकनीकी संस्थानों द्वारा आकंलन हुआ है, उसके अनुसार यह कहा जा सकता है कि 58.7 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र सुरक्षित किया जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आजादी के इन 50 सालों में जो प्रयास किये गये ।

[समय 4 बजकर 10 मिनट]

केवल 15.4 लाख हेक्टेयर सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया, जो 26 प्रतिशत आता है । यह अन्य प्रदेशों से बहुत कम है । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यह कल्याण सिंह जी की सरकार ने किया है और क्या यह केवल एक साल में किया गया है । तो यह निश्चित है कि यह सभी की जिम्मेदारी है । चाहे पहले की सरकारें रही हों और चाहे आज की सरकार हो, इन आंकड़ों के आधार पर सभी को जिम्मेदारी लेनी चाहिये । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह गलती शुरू से हुई है, आज की नहीं है । इसके लिये पिछली सरकारों की कम जिम्मेदारी नहीं है ।

(इस समय 4 बजकर 11 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं । वहां पर कच्चे मकान हैं और वर्षों से बरसा को झेलते रहे हैं और गिरे नहीं है । बाढ़ जब आती है और वहां पर पानी भरा रहता है, तो वह गिर जाते है । जब रिमझिम बरसात होती है, तो कच्चे मकान गिर जाते हैं जो वर्षों से नहीं गिरते हैं, वह गिर जाते हैं । इसी तरह से जो बांध बनाये जाते हैं वह बिना नीव के बनाये जाते है । 2200 किलोमीटर के बांध हैं और सभी जमीन पर हैं और सभी कच्चे हैं और जब लम्बे समय तक पानी भरा रहेगा, तो जिस प्रकार से कच्चे मकान गिर जाते हैं उसी प्रकार से बांध भी बह जाते हैं । जब लगातार पानी भरा रहता तो वह बह जाते हैं । मान्यवर, जब डेढ़ दो महीने तक पानी भरा रहेगा, तो उनकी दशा क्या होगी, वह बह जायेंगे, बांध पानी के फैलाव को रोकने के लिये बनाये जाते हैं, जल प्लावन को रोकने के लिये नहीं बनाये जाते है । मान्यवर, तीन नदियां हैं, राप्ती, घाघरा और कुआनों । इन नदियों ने कभी भी उच्चतम जल स्तर को नहीं प्राप्त किया है । घाघरा ने 1993 में, कुआनों ने 1982 में और राप्ती ने 1974 में हाइएस्ट जल स्तर को प्राप्त किया । लेकिन इन तीनों नदियों ने अपने उच्चतम जल स्तर को पार कर गयीं और उससे अधिक एक मीटर ऊपर तक चली गयीं । आप उस जल प्रलय की कल्पना कीजिये । आप कल्पना कीजिये कि जल का प्रवाह कितना रहा होगा । इसकी कल्पना कीजिये । आप उन बांधों की कल्पना कीजिये जो निश्चित क्षमता में पानी को रोकने के लिये बने थे ।

एक बात और कहना चाहूंगा जिसमें किसी ने चर्चा नहीं की । नेपाल हमारा पड़ोसी देश है । उसके साथ बांध बनने प्रस्तावित हैं लेकिन बन नहीं पा रहे हैं । हमारे अधिकारियों की बात चल रही है हमारे जो प्रमुख सचिव हैं मेरे कार्यकाल में केन्द्र सरकार के माध्यम से नेपाल के अधिकारियों के साथ दो बार वार्ता हो चुकी है लेकिन वहां भी उसे राजनीतिक मुद्दा बनाये रखे है । वहां की सरकार समझौता नहीं

कर रही है । मैं इस का दोष पिछली सरकारों को नहीं देता हूं क्योंकि पिछली सरकारों ने भी नेपाल के साथ वार्ता की है । जहां दो पक्षों के बीच में वार्ता होनी होती है वहां दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक होती है । इसी तरह बिहार नहीं तैयार हो रहा है । नेपाल भी नहीं तैयार हो रहा है । नदियों पर अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्राज्यीय जहां संबंध होता है वहां कोई भी निर्माण बिना दोनों की सहमति के नहीं हो सकता । दिल्ली में बैठी हर सरकार ने नेपाल के साथ बात की और माननीय बाजपेयी जी की सरकार ने भी प्रयास किया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

वार्ता के लिए कौन गया था जरा बता दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वार्ता के लिए अधिकारी गये थे । राजनीतिक स्तर पर नहीं । दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं जिसकी चर्चा यहां पर नहीं आयी । नेपाल को विदेशी सहायता नदियों पर बांध बनाने के लिए मिली है मुख्य-मुख्य नदियां जो उ० प्र० में आ रही हैं वही लगभग वहीं भी सिंचाई करती है । उन नदियों की सहायक नदियों पर पक्के बांध बनाने के लिए विदेशी सहायता मिल रही है । जिससे वहां कृषि क्षेत्र में पानी नहीं फैल रहा है । वहां से जो पानी दो महीने में या एक महीने में या आठ-दस दिन में वहां से फैलता हुआ आता था, अब वह पानी वहां के किनारे पक्के होने के कारण थोड़े दिन में यहां आ रहा है । अभी तक जो लम्बे समय में आता था । अब वह बड़े वेग से उ० प्र० में आ गया है । इससे भी भयावह स्थिति हो गयी । करीब 22 सौ में से साढ़े 1800 किलोमीटर बांध 56 स्थानों पर टूटे हैं । राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने कहा है कि नदियों और बांध के बीच के जो गांव हैं उनको हटा दिया जाय तो मै आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उस सुझाव के अनुसार नदियों और बांध के बीच में गांवों को हटा दें । यह आयोग ने 1980 में रिपोर्ट दी है । यह सुझाव हर राज्य को दिया है कुल 22 सुझाव उसने दिये हैं उसमें से एक सुझाव इन बीच के गांवों को हटाने का है । मैं चाहूंगा कि क्या उन गांवों को हटा दिया जाय ? जो इन्क्रोचमेन्ट है उसे हटा दिया जाय । जो आंकड़े हैं उस पर काम नहीं हुआ अब धीरे-धीरे थोड़ा काम हो रहा है । लेकिन सामाजिक और तकनीकी दृष्टि से इस सुझाव को लागू करना कठिन है इससे अशांति हो सकती है ।

इस वर्ष एक कारण तबाही का यह भी रहा कि बाढ़ प्रलयकारी स्थिति में आई और उससे कुछ बांध टूटे हैं यह सरकार की कमी के कारण नहीं हुआ है । 1990 से लेकर 1997 तक प्रतिवर्ष 9 करोड़ रुपये से लेकर 15 करोड़ रुपये तक प्लान बजट में बाढ़ सुरक्षा पर धन रखते थे । वर्ष 1998-99 के बजट में 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था किया है । इसी प्रकार नान-प्लान में 22 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष रखते थे लेकिन इस वर्ष मुख्य मंत्री जी ने तो 10 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिया है । इसलिए जो आज की स्थिति है उसके लिए आप हमें कोसें मत । यह मैं नहीं आंकड़े बता रहे हैं ।

आज प्रदेश की किस मजबूरी में, किस आर्थिक विषमता में पहुंचा दिया गया है यह पिछली सरकारों की देन है । मान्यवर, कौन सरकार चाहेगी कि फसल डूबे और जन धन की हानि हो । 1990 तक यहां बैठा कोई ऐसा दल नहीं है जो सत्ता में न रहा हो, इसलिए किसी पर दोष क्यों दे रहे हैं ? मान्यवर, एक साल में इतने बांधों की मरम्मत नहीं हो सकती है, इसलिए हर वर्ष प्राविधान करना पड़ेगा । हमने 100 करोड़ रुपये का नाबार्ड में प्रस्ताव भेजने का क्रम शुरू कर दिया है । इस वर्ष 100 करोड़ रुपये की योजना बनायी गयी है जिसमें से 35 करोड़ रुपये का प्रस्ताव नाबार्ड को भेजा जा चुका है । इसलिए बाढ़ से हमने सुरक्षा के कदम उठाये हैं । हमारी चिन्ता सिद्ध करती है कि हम कितने चिन्तित हैं । मान्यवर, हमने योजना बनाया है । बांधों को ऊंचा और चौड़ा करने की योजना बनायी है । नाबार्ड और विश्व बैंक से हम धन प्राप्त करेंगे और पूर्वी उत्तर प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को बाढ़ की विभीषिका से

सुरक्षित करेंगे । लेकिन इसके लिए हमें समय और सहयोग की आवश्यकता है । मान्यवर, इस वर्ष बाढ़ के आने से पहले ही हमने बाढ़ से प्रदेश की सुरक्षा और बचाने की योजना पर काम शुरू कर दिया था ।

मान्यवर, इन 50 सालों में इस प्रदेश की यह दशा हो गयी है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह प्रदेश देश में 3 प्रथम विकसित प्रदेशों में था । पर कैपिटा इनकम ज्यादा थी लेकिन इन 50 सालों में यह प्रदेश देश के 3 दरिद्र प्रदेशों में से एक है । क्या इसके लिये कल्याण सिंह जी या अटल बिहारी जी जिम्मेदार हैं । इसकी जिम्मेदार इन 50 सालों में उत्तर प्रदेश में रहने वाली सरकारें हैं । बाढ़ के संबंध में आयोग की बात कही गयी । आयोग ने 22 संस्तुतियां की हैं । कुछ संस्तुतियां लागू करने में हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । कुछ संस्तुतियां आंकड़े इकट्ठे करने के संबंध में हैं । एक संस्तुति है कि ड्रेनों को साफ किया जाय इसके लिये 15 सौ करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है वर्ल्ड बैंक को । जो ड्रेनें बन्द हो गयी थी उनको साफ कराये जाने का प्रस्ताव किया गया है । जल आयोग की संस्तुतियों को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है । अधिकांश लोगों ने यह नहीं बताया कि कहां पर राहत नहीं पहुंची है । अब तक साढ़े 7 सौ रुपयों से ज्यादा प्रति परिवार को सहायता नहीं दी गयी । यह पहली सरकार है जिसने 15 सौ, 15 सौ रुपये की दो किश्तें दी है । रुपया भी दिया गया है और सामान भी दिया गया है । (शोर)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्यों ने तमाम गांवों के नाम बताये हैं जहां पर कोई राहत नहीं पहुंची है ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैं एक जानकारी चाहता हूं । अभी माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा कि 15 सौ रुपये की अहेतुक सहायता पहले दी गयी और दूसरी किश्त भी दी जा रही है । मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि किस जनपद के किस ब्लाक में और किस गांव में दूसरी किश्त बांटी गयी है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, प्रधान मंत्री जी के बारे में कहा गया कि वह नहीं आये । मान्यवर, हमारी सरकार में पूरी तरह से संवेदनशील होकर जगह-जगह पर लोगों को राहत पहुंचायी है । प्रधान मंत्री जी व्यस्तता के कारण बाद में आये । हमारे प्रधान मंत्री जी उन लोगों में से नहीं है, उन पार्टियों के नेताओ में से नहीं है ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मिथ्या भाषण कर रहे हैं । पहली किश्त भी नहीं दी गयी है । देवरिया, आजमगढ़, मऊ में दूसरी किश्त एक भी व्यक्ति को नहीं बांटी गयी है ।

(व्यवधान के मध्य)

श्रीमन्, जांच करा लें । यहां पर मिथ्या भाषण हो रहा है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैं कह सकता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखायी, सहायता भी देने का आश्वासन दिया और दिया भी है । इस बात को कंट्राडिक्ट किया गया । उनके आफिस में गलती से सूचना दी गयी थी । उनके आफिस द्वारा यह गल्ती से कहा गया कि पत्र नहीं आया है । यह बात प्रेस में भी आ गयी । इस प्रदेश के लोगों को, किसानों को और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गरीब किसानों को सुरक्षा दे सके, इसके लिए सुरक्षात्मक कदम उठा सके । मैं पूरे सदन के माननीय सदस्यों से सुझाव आमंत्रित करूंगा कि कहां से कैसे धन की व्यवस्था की जाये ? धन की कमी है । इन शब्दों के साथ माननीय

सदन को अपनी बातों से अवगत कराते हुए श्री सुबाष जी से आग्रह करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री श्रीप्रकाश शुक्ल माफिया डान के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की सूचना

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को एक सूचना देना चाहता हूं । कल 21 सितम्बर थी और हमारी सरकार ने एक वर्ष का कार्यकाल 20 सितम्बर को पूरा कर लिया था । कल 21 सितम्बर को मेरी सरकार के दूसरे वर्ष का प्रथम दिन था और इस अवसर पर सरकार की उपलब्धियों का पूरा लेखा-जोखा हमने उत्तर प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया । आज 22 सितम्बर है, आज हमारी सरकार के दूसरे वर्ष का दूसरा दिन है । जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि हुई है और उल्लेखनीय उपलब्धि से दूसरा वर्ष प्रारम्भ हो रहा है, उसकी सूचना मैं आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूं ।

श्रीमन्, श्रीप्रकाश शुक्ला, जो कुख्यात माफिया डान था, वह अपने दो वांछित अपराधियों अनुज सिंह और सुग्रीव त्रिपाठी के साथ आज सवा दो बजे इन्द्रापुरम् गाजियाबाद में एस० टी० एफ० के साथ मुठभेड़ करते हुए धाराशायी हो गया ।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजे थपथपाई)

श्रीमन्, हम जानते हैं कि श्रीप्रकाश शुक्ला के ऊपर दो लाख रुपये का पारितोषक घोषित था और उसके जो दो अन्य साथी थे उनके ऊपर 50-50 हजार रुपये का ईनाम घोषित था । इनसे एक सीलो कार भी बरामद हुई है जो कुणाल रस्तोगी के अपहरण में शामिल हुई थी । दो 38 बोर की रिवाल्वर बरामद हुई है । सभी जानते हैं कि श्रीप्रकाश शुक्ला न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए सबसे बड़ा वांछित कुख्यात माफिया सरगनाओं में से एक था ।

श्रीप्रकाश शुक्ला के विरुद्ध 15 गंभीरतम और जघन्य आपराधिक मामले लम्बित थे । न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि बिहार और अन्य राज्यों में भी इसका आतंक था । 9 मामले हत्या के थे, 7 मामले डकैती के थे, अपहरण के कितने ही मामले थे । एक प्रकार से यह उत्तर प्रदेश के लिए आतंक का पर्याय बन गया था । हमने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया । इसी सदन में बताया था कि चूंकि स्पेशल टास्क फोर्स के अधिकारी या सुरक्षा कर्मी एक जोखिम भरे काम को अंजाम देते हैं इसलिए उनके लिए उनके वेतन से 30 प्रतिशत अधिक धनराशि हमने स्वीकृत की थी ।

श्रीमन्, सरकार की इस उल्लेखनीय उपलब्धि के बाद प्रदेश के अन्दर अन्य माफिया सरगनाओं और अन्य माफिया गिरोहों के हौसले पस्त होंगे । इस सरकार का संकल्प है उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त प्रदेश बनाने का । बहुत से लोगों को लगता था कि श्रीप्रकाश शुक्ला जैसे आतंकी से लोग चिन्तित हैं यह सरकार इस प्रकार के माफिया गिरोहों, माफियाओं और नामी गिरामी बदमाशों के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही है । उत्तर प्रदेश की जनता को भयमुक्त बनाने के लिए । इन बदमाशों द्वारा अपराधियों द्वारा एस० टी० एफ० के जवानों के साथ मुठभेड़ हुई है । एस० टी० एफ० की टीम को सफलता मिली है । मैं घोषणा करता हूं कि जो दो लाख रुपये श्री प्रकाश शुक्ल के सर पर इनाम घोषित था वह और 50-50 हजार रुपये जो अन्य दोनों बदमाशों के सर पर घोषित था इसके अलावा जिन लोगों ने भाग लिया है सबको इनके अतिरिक्त एक-एक लाख रुपये देंगे । कायदा कानून हम देख लेंगे, नियमावली को देख लेंगे अगर आउट आफ टर्म हम प्रमोशन दे सकते हैं तो प्रमोशन देंगे । अभी तक गजटेड आफीसर्स के लिए आउट आफ टर्म प्रमोशन देने का नियम नहीं है । जो लोग भी इस मुठभेड़ में शामिल हुए होंगे उनको सरकार की ओर से मेडल्स दिए जायेंगे । यह इस सरकार की दूसरे दिन की दूसरे वर्ष की ऐतिहासिक उपलब्धि है, उपलब्धियों का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश की भीषण बाढ़ समस्या के स्थायी समाधान हेतु राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की संस्तुतियों को क्रियान्वित किए जाने संबंधी श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव का नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं चर्चा

(क्रमागत)

डा० अम्मार रिजवी–

मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा जो विद्वता पूर्ण भाषण उन्होंने दिया है उसका उत्तर तो श्री सुबाष जी देंगे । मुझे यह बताने की कृपा करें कि कतरानया घाट बहराइच से शारद्दा नहरें निकलती है शारदा नदी आगे चलकर घाघरा सरयू होती है जिस जमाने में बाढ़ पूरी तरह से आई हुई थी नदियां भरी हुई थी, उस समय दोनों शारदा सहायक नहरें आपने बन्द करवा दी थी । बन्द करने की वजह से पूरा क्षेत्र लखीमपुर, सीतापुर आगे चलकर बाराबंकी और अयोध्या तक सारा इलाका जलमग्न हुआ था । नहरें बन्द करने के क्या कारण थे ।

क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि किन परिस्थितियों में इन दोनों नहरों को जो बाढ़ के जमाने में हमेशा चला करती थी, बन्द कर दिया गया । दूसरा, अक्सर यह कहा जाता है कि सिल्टिंग की वजह से बन्द कर दिया गया । क्या सिल्टिंग रोकना ज्यादा जरूरी था या फिर लाखों करोड़ों लोग जो बाढ़ से प्रभावित थे, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी ।

सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, इसकी जानकारी करनी पड़ेगी ।

* श्री रामजग–

मान्यवर, आपने मुझे इस गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये हम आपके आभारी हैं । भूस्खलन तथा बाढ़ से 57 जिले प्रभावित हुए थे । माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया, उसके कुछ आंकड़े हैं जो अधिकारियों ने दिये हैं, नुकसान तो इससे कहीं ज्यादा हुआ है और बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है । यह सरकार कितनी संवेदनशील है, जब 18 तारीख को यहां पर शोक प्रस्ताव आये तो भूस्खलन तथा बाढ़ से हजारों की तादाद में जो लोग मरे थे, उनके बारे में शोक प्रस्ताव यहां पर नहीं आया । मान्यवर, यह सरकार कितनी संवेदनशील है, पूर्वी उत्तर प्रदेश बाढ़ की तबाही से कराह रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन पहले जश्न मना रहे थे । यह कितने शर्म की बात है । उत्तर प्रदेश सरकार कितनी गंभीर हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी झूठ नहीं बोल सकते, उन्होंने बयान दिया गोरखपुर दौरे के समय कि बाढ़ से जितनी तबाही हुई, उसकी जानकारी प्रदेश सरकार ने नहीं दी ।

आज वैज्ञानिक युग है, फैक्स के द्वारा एक मिनट में सूचना इधर से उधर जा सकती है । प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की जनता के सामने यह कहा कि हमें कोई सूचना नहीं दी गयी । इसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सरकार में रहने का हक है । श्री कल्याण सिंह जी को इस्तीफे दे देना चाहिये । राहत के नाम पर मंत्रीगण तथा अधिकारी कमीशन खाने में रात दिन लगे हुए हैं । मैं आजमगढ़ मण्डल की बात करना चाहता हूं । माननीय श्री मुलायम सिंह जी पहली बार पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आये । यदि वह नहीं गये होते तो श्री कल्याण सिंह जी नहीं जाते । जब श्री मुलायम सिंह जी ने दौरा करने के बाद इनकी आंखें खोल दी तब दूसरे दिन मुख्य मंत्री जी भाग कर गये । बाढ़ राहत के नाम पर लोग भूखे रहे और त्राहि-त्राहि मची हुई थी । स्वयं सेवी संगठनों ने सहायता की और राजनैतिक दलों के लोगों ने सहायता की, उसमें भी विशेष कर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी सहायता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की और वह नन्धर वन पर थे । इनके मंत्री गाड़ियों में सैर-सपाटा कर रहे थे और अधिकारी उनके आगे-पीछे लगे हुए थे और राहत के नाम पर जले पर नमक छिड़कने का काम इस सरकार ने किया है ।

(इस समय 4 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

वहां की जनता का कोप भाजक माननीय मुख्य मंत्री जी को होना पड़ा है । यदि माननीय मंत्री के पास पुलिस फोर्स न होती तो जनता का कोप भाजक प्रत्येक मंत्री हुआ होता । इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि यह राजनीतिक विषय नहीं है । बाढ़ के सम्बन्ध में गम्भीरता से सोचना चाहिए । मैं आभारी हूं माननीय सुबाष जी का जिन्होंने बाढ़ के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । सिंचाई मंत्री जी बाढ़ राहत कोष में प्रधानमंत्री कोष से सहायता लेने की बात कर रहे थे । क्योंकि उनकी सहायता से नहीं चल पा रहा है । भारत के संविधान में व्यवस्था है कि प्रान्तीय सरकार को अधिकार नहीं है । किसी प्रदेश के विकास के कार्यों के लिये करें । अगर बाढ़ के सवाल पर राष्ट्रीय सहायता का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जनता का प्रश्न है बगैर केन्द्र सरकार की सहायता से कोई कदम नहीं उठा सकते पिछली सरकारों ने बांध बनाने का काम किया था तो आपकी सरकार को बन्धों के मरम्मत का काम करना चाहिए था लेकिन आपको इसकी फुर्सत ही नहीं थी । इसी पार्टी के नेता विनोद मणि ने बाढ़ और बन्धों का सवाल उठाया था तो आपकी सरकार के मंत्री अमर मणि त्रिपाठी जिनमें गम्भीरता नहीं थी, आपकी सम्वेदनहीन सरकार के मंत्री थे, ने कहा था कि बाढ़ की समस्या नहीं है ।

(व्यवधान)

युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री अमरमणि)–

मान्यवर, माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है । मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री रामजग–

पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये ।

श्री अमरमणि–

यह सदन को गुमराह कर रहे हैं । मैं बताना चाहता हूं । मान्यवर, मेरा नाम लिया है ।

श्री रामजग–

मान्यवर, पहले हमारी बात सुन लें । यह तो मंत्री हैं ।

श्री अमरमणि–

आप बैठ जायं । आप अपनी बात कह चुके हैं ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री अमरमणि त्रिपाठी, माननीय मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री अमरमणि–

मान्यवर, यह अपनी बात कह चुके हैं और आपने मुझे बुला लिया है ।

श्री रामजग–

पहले हमारी बात पूरी हो जाने दें आपको जब मौका मिलेगा तब कहियेगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

त्रिपाठी जी, इनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये ।

श्री रामजग–

माननीय, हमारा यह कहना है कि अगर यह सरकार सम्वेदनशील होती तो बरसात का मौसम आने से पहले ही इसको बांधों की मरम्मत करवानी चाहिए थी । यह उत्तर प्रदेश सरकार तथा उसके मंत्रियों की सम्वेदनहीनता का परिणाम है कि जल सूखा था बन्धों की मरम्मत करानी चाहिए थी इन्होंने नहीं कराई । उनकी देखरेख नहीं की । इनके मंत्री और इनके अधिकारी केवल कमीशन खाने में लगे थे इसलिये यह बन्धे टूट गये ।

(व्यवधान)

यह लोग खुशी मना रहे थे । दैवी आपदा जो आई है इसके बारे में इनको कोई चिन्ता नहीं है । राप्ती नदी में बाढ़ आई बांध टूटा । कितने लोग देखने गए । इनके अधिकारी लोग गोरखपुर में बालू की बोरियां भरकर ठीक से नहीं लगाए ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

बाढ़ रोकने के लिए इस सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री रामजग–

जैसे माननीय सुबाष जी ने सुझाव रखे हैं बाढ़ का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ समिति होनी चाहिए । आयोग गठित होना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री रामजग–

उत्तर प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका है इसका मुकाबला करने के लिए यह संवेदनशील नहीं है । जब यह सरकार संवेदनशील होगी तभी बाढ़ का मुकाबला हो सकता है ।

श्री अमरमणि त्रिपाठी–

मान्यवर, आपने मुझे इस गम्भीर चर्चा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद । मान्यवर सुबह से ही प्रतिपक्ष के लोग आरोप केवल आरोप लगा रहे हैं कोई रचनात्मक सुझाव प्रतिपक्ष की तरफ से सरकार के लिए नहीं आया है । यह इतने संवेदनशील हैं । मान्यवर, मैं दो मिनट ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा इससे पहले सदन चल रहा था उस समय मुझे अच्छी तरह याद है श्री योगेन्द्र सिंह जी और सुधाकर सिंह जी ने प्रयास किया । पूर्वी उत्तर प्रदेश में उस समय बाढ़ आई थी, उस पर चर्चा हो लेकिन प्रतिपक्ष के लोग बाढ़ पर चर्चा न करके इस वैल में आकर "मुर्दाबाद" के नारे लगाते रहे ।

(व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष से सम्पर्क किया गया यह कहा गया । पूर्वांचल में बाढ़ की गम्भीर समस्या है इस पर प्रतिपक्ष सुझाव दे सरकार को, लेकिन यह यहां से वाक आउट करके चले गए और राजभवन में यह मांग करने लगे कि यह सरकार निकम्मी है या यह सरकार यह कह रही है वह कर रही है । इन्होंने पलायनवाद का सहारा लिया । जिस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में गम्भीर समस्या थी उस समय प्रतिपक्ष के लोग राजनीति कर रहे थे, राजनीतिक रोटियां सेंक रहे थे । उन्होंने बाढ़ जैसी गम्भीर समस्या पर चर्चा करना उचित नहीं समझा ।

हमारी सरकार की संवेदनशीलता देखिये बाढ़ जैसे गम्भीर विषय पर विशेष सत्र बुलाया गया और कहा गया कि आप इसपर अपने सुझाव दें। दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर जो अच्छे सुझाव हो वह आप दें जिससे बाढ़ की विभीषिका से लड़ा जा सके उसका सामना किया जा सके। हमारी सरकार ने जितनी संवेदनशीलता और जितनी क्षमता से इस बाढ़ का मुकाबला करने के लिए कमर कसी वह काबिले तारीफ है। हमने कमर कसकर मेहनत की और दो-दो महीने तक गांव-गांव में जाकर कार्य किया। कीचड़ में हमारे पैर फिसल जाते थे। हमने गांव-गांव जाकर परीक्षण किया नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि कहां गये ? मैं चुनौती देना चाहता हूं आप हमारे क्षेत्र में चलें विनोद मणि जी का भी क्षेत्र हैं वहां जाकर आप देखें हमने कितना पयास किया है। हमने बाढ़ से प्रभावित लोगों की जितनी सुविधा दी जा सकती थी वह दी। मान्यवर, पिछले 100 सालों से ऐसी बाढ़ नहीं आयी है। बाढ़ के लिए हमारी सरकार ने अहेतुक सहायता राशि को बढ़ाया। एक-एक हजार रुपये की पहली किश्त दी।

बाढ़ अगर 30 दिन तक है तो दूसरी किश्त दो-दो हजार रुपये की दी प्रत्येक परिवार को जो प्रभावित था। हमने खाद्यान्न वितरण कराया। यह झूठा आरोप लगा रहे हैं कि खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया है इसमें धांधली की गयी है। चाहे किसी भी जनपद के मंत्री हो सभी मंत्रियों ने अपनी पूरी क्षमता के साथ पूर्वांचल में आयी बाढ़ की विभीषिका का मुकाबला करने के लिए जो सरकारी संसाधन हैं उन्हें जनता तक पहुंचाने का काम किया है। हमारे संसाधन सीमित हैं लेकिन भारतीय वायुसेना, भारत की थल सेना और उत्तर प्रदेश सरकार ने पी० ए० सी० सबको लगाया। हम लोगों ने सातलाख लोगों को डूबने से बचाया और उन्हें अच्छी सुरक्षित जगहों पर लाकर भोजन देने का काम किया। इससे अधिक और कोई कार्य कोई सरकार नहीं कर सकती है। मान्यवर, पहली दफा इस सरकार ने यह कार्य किया है। इससे पूर्व की सरकारों ने चाहे वह किसी भी दल की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो या किसी दल की सरकार हो और एक पार्टी तो इतनी अगम्भीर है कि उसने इसका बायकाट कर दिया। मायावती जी की पार्टी के लोगों ने जो कि इस सदन में मौजूद नहीं है यह कितनी हास्यास्पद स्थिति है। वह कहते हैं कि हम गम्भीरता से इसमें चर्चा कर रहे हैं। सभी दलों को सार्थक सहयोग देना चाहिए। रामजग जी अभी कमीशनखोरी की बात कह रहे थे, यह शताब्दी की सबसे बड़ी बाढ़ है, हमारी सरकार और सरकारी तंत्र पूरी तरह से राहत पहुंचाने में लगा रहा। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, हजारों-हजार लोग मर गये, बाढ़ में डूब गये। बिहार में क्या हुआ यह लोग हंसने का काम कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव से समझौता किये हैं, इनकी हुकूमत ने वहां क्या किया, हजारों लोग मर गये बाढ़ में ?

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, हमारी हुकूमत ने जो सहायता राशि 5 हजार रु० थी उसे बढ़ाकर 25 हजार कर दिया, जो परिवार के कमाने वाले सदस्य हैं उनकी मृत्यु पर दी जाने वाली सहायता राशि 20 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रु० कर दी गयी।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है।

श्री अमर मणि त्रिपाठी–

अभी कह रहे थे कि यह सरकार निकम्मी है, इससे पहले जब बाढ़ आयी थी, तब क्या राहत कार्य हुए थे, इस सरकार ने तत्परता से राहत कार्य किये, सहायता पहुंचायी है।

(व्यवधान)

मान्यवर, हमने तो सदन में कहा था पिछली बार कि विनोदमणि जी से कहा था, महाराजगंज में बाढ़ है जो लोग चलना चाहें कल चलें हम अधिकारियों को बुला रहे हैं। हमने वहां पहुंचकर डी० एम०

को बुलाया, दूसरे सारे अधिकारियों को बुलाया, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को सूचना दी, लेकिन एक भी सदस्य नहीं आये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस सदन में अगर किसी भी सदस्य का नाम लेकर या उसकी ओर इंगित करके कोई बात कही जाती है और उस सदस्य को आक्षेपात्मक बात लगती है तो उन्हें स्पष्टीकरण देने की व्यवस्था है । एक विषय पर यहां चर्चा चल रही है । माननीय रामजग जी ने माननीय अमर मणि जी का नाम लिया, उन्होंने उस प्रश्न पर स्पष्टीकरण देने के बजाय दूसरे विषयों पर बोलना शुरू कर दिया है । आप निर्देशित करें कि अपना स्पष्टीकरण दें ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई व्यवस्था का प्रश्न है । आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री अमरमणि–

माननीय विनोद मणि जी इनके दल के हैं हमारे घर के हैं आरोप तो लगा देते लेकिन सहयोग की अपेक्षा रहती हैं यह नहीं दिया ।

श्री रामजग–

विनोद मणि जी को धरने पर बैठना पड़ा, आप के गलत रवैये के कारण ।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, बात आयी कि एक-एक बूंद नेपाल का पानी था, करीब 100 कि० मी० नेपाल पड़ता है, 8 नदियां बहती हैं ।

मान्यवर, हवाओं को पानी को और आग को किसी देश की सीमा से नहीं बांधा जा सकता है । हमारे प्रदेश में बंधे ऊपर कर दिये जायं तो नैपाल डूब जायेगा । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें ।

श्री अमरमणि–

मान्यवर, सरकार इस पर गम्भीर है हम प्रतिपक्ष का सहयोग चाहते हैं । जो गांव हमसे छूट गये हों, जिन गांवों में अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट दी है, उन गांवों में अहेतुक सहायता ही नहीं बाढ़ नियंत्रण के सभी कठोर कदम उठायें जायेंगे जिससे आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्ति न हो ।

श्री योगेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । यहां उत्तर प्रदेश के सभी माने हुए व्यक्ति इस सदन में आये हुए हैं, लेकिन इस तरह से सदन चलना मैं आज पहली बार देख रहा हूं । मुझको बड़ा खेद है कि बाढ़ की इस दुखद परिस्थितियों में आज इस तरह की सत्ता की ओर से खिल्ली उड़ायी जा रही है । मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, सिंचाई मंत्री माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा कि कोई इसके पहले सुझाव नहीं दिया था लेकिन मान्यवर, यह मेरा प्रश्न है और इनका उत्तर यह था कि बाढ़ के लिए मैंने 9-12-97 को जताया था कि पूरे देश में बाढ़ की स्थिति बहुत भयंकर होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी जिले में बाढ़ की कोई मीटिंग नहीं हुई, बंधों के मरम्मत के बारे में कोई निश्चित आधार नहीं बनाया गया इस नाते उत्तर प्रदेश बाढ़ की स्थिति से तबाह होगा तो इन्होंने सबका उत्तर दिया कि बंधों की मरम्मत, अधूरे बंधों का पूरा करना, पूरे उत्तर प्रदेश में पैसा जब उपलब्ध होगा, तब मैं करूंगा । मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह मेरा प्रश्न है और आपका उत्तर भी है । मैं बताना चाहता हूं कि इसी 14, 15, 16, 17, और 18

जुलाई को हम लोग बाढ़ के बारे में इस सदन में कहना चाहते थे लेकिन इस बात को नहीं सुना गया और अब बाढ़ आने के बाद नमक छिड़कने का काम सत्ता के लोग कर रहे हैं । हजारों लोग मर चुके उनको राहत क्या दी गयी अगर एक लाख रुपया दी यदि उनको दे दिये जाये तो उनके परिवार के लोग जिन्दा नहीं होंगे । मान्यवर, सदन में इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया ।

(समय 5 बजकर 10 मिनट)

मान्यवर, इस बात पर मैं कुछ क्रोधित हुआ, तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आपके यहां बाढ़ के क्षेत्र में भी सहायता उपलब्ध करायेंगे लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि एक पैसे का भी राहत का काम हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है । यहां कहा जाता है कि अपने क्षेत्र की बात कहें और जब बात कही जाती है तो सत्ता की ओर से हंसी मजाक की जाती है, ऐसी स्थिति में हम लोग जनता के बीच जाकर क्या करेंगे ? मैं बताना चाहता हूं कि जो राहत का काम आपने किया है, वह राहत का काम केवल देवरिया जनपद में मंत्री जी के क्षेत्र में ही हुआ है, जो कुछ भी बंटा है, वह उन्होंने अपने क्षेत्र में बंटवाया होगा....

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर–व्यवधान)

मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारी बात गम्भीरता से सुनें । मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि जो राहत का काम किया गया है, वह सुचारु रूप से उन गरीबों के बीच नहीं हुआ है । मैं इस बात का भी विरोध करता हूं कि जिनके पक्के मकान क्षतिग्रस्त हुये हैं, उनको 25 हजार रुपया दिया जायेगा और जिन गरीबों की झोपड़ी बह गई, जो लोग अपनी जमीन से बेदखल हो गये, उनको केवल एक हजार रुपया दिया जायेगा ।मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उन गरीबों को केवल एक हजार रुपया दिया जाय । ऐसे लोगों को कम से कम 5–10 हजार रुपया दिया जाना चाहिये, यह मेरा सुझाव है, गांव पटाई भी किया जाय आप चाहें माने या न मानें ।

जहां तक पशुओं के चारे की बात है, बाढ़ के समय पशु जब ऊंची जगहों पर थे, उस समय उनको चारा नही दिया गया, अब उनका चारा यहां से भेजा जा रहा है, इस वजह से भी बहुत से पशुओं की मृत्यु हुई है । बाढ़ के संबंध में जो आंकड़े यहां प्रस्तुत किये गये हैं, वह सही नहीं हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सी जगहों पर पहुंच पाना सम्भव नहीं है साथ ही साथ रबी की बुवाई हेतु मुफ्त में खाद-बीज दिया जाय तथा इस वर्ष गन्ने का मूल्य कम से कम 100 सौ रुपया क्विंटल से दिया जाय बाढ़ में नदियों के बहाव के वजह से जनता का रास्ता बन्द हो जाता है इसलिए खैराट तथा शिवदाट पर पुल बनाया जाय इस नाते यह आंकड़े गलत हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र भाटपार रानी में बहुत ज्यादा बाढ़ की विभीषिका है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरा नाम है तो बोलने नहीं दिया जाता है और जिनका नाम नहीं है, वह खड़े होकर बोलने लगते हैं, यह मैंने कभी सदन में नहीं देखा है

श्री अधिष्ठाता–

मैंने श्री राम जग को 14-15 मिनट का समय दिया और उन्होंने कोई बात कह दी, जिस पर माननीय मंत्री जी ने अपना स्पष्टीकरण दिया । किसी भी मंत्री को किसी भी समय इन्टरफियर करने का अधिकार है । अभी 14-15 माननीय सदस्यों को बोलना है और उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी को बोलना है, इसलिये आप अपनी बात जल्दी समाप्त करें ।

श्री योगेन्द्र सिंह–

तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ से सबसे ज्यादा पीड़ित इलाका गोरखपुर और देवरिया का है । मेरा निवेदन है कि वहां के सारे बन्धे तत्काल बनवाये जायें और जितना पानी खेतों में पहुंच गया है, और निकल नहीं रहा है, वहां पर नहर बना कर पानी को निकालने की व्यवस्था की जाये । मान्यवर,

अगर नावों की व्यवस्था होती तो लोगों को जितनी परेशानी हुई है वह न होती . जो भी व्यवस्था की गयी है, वह न के बराबर की गयी है । इसलिये सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये और फिर चुनाव लड़कर आना चाहिये । इन शब्दों के साथ सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, उनको समाहित करते हुये कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार से तत्काल सहायता प्राप्त की जाये और बाढ़ पीड़ित लोगों को पहुंचाई जाये । हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी वहां पर गये और बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और उन्होंने सभी लोगों को निर्देश दिया कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता में लग जाये, उसी दिन से सारे लोग उनकी सहायता में लग गये । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार हूं कि आपने मुझे बाढ़ की चर्चा में बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, जब मैं अपने क्षेत्र में गया तो वहां के बुजुर्गों ने कहा कि यह बाढ़ नहीं प्रलय है । बाढ़ की जो विभीषिका है, वह अपने आप में बेमिसाल है । मान्यवर, यह बाढ़ दो चरणों में आयी . प्रथम तो यह गोरखपुर और बस्ती मंडल में आयी, तो हमारी लोकप्रिय सरकार ने पहले 5 किलो फिर 10 किलो और फिर 20 किलो चावल की आपूर्ति की और नावें मुहैया करायी गयीं, लेकिन 22 तारीख को बाढ़ का प्रचंड रूप आया और 23 तारीख को मैं गोरखपुर गया...

(इस समय 5 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए ।)

23 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी गोरखपुर गये थे । मैंने अपने क्षेत्र में बाढ़ की भीषण स्थिति को देखते हुये उनसे आग्रह किया था कि हमारे क्षेत्र में लोग छतों पर बैठे है सेना को बुलाकर उनको बाहर किया जाय । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं तत्काल हमारी बात को गम्भीरता से लेकर गोरखपुर में सहायता के लिये सेना बुला ली और सहजनवां क्षेत्र में जहां जनता छतों पर बैठी थी मरने की स्थिति में लोग थे मैं सेना का आभार व्यक्त करता हूं उन्होंने लोगों को बोट से निकाल कर बाहर किया । बंधे बासी-पनघटिया टूटने से 23 ता० को सहजनवां क्षेत्र में जहां पानी कभी नहीं पहुंचता था वहां दो महीने तक यह तबाही हुई । जो बांध पहले 15 दिन की बाढ़ के लिये बनाये गये थे, जो बंधे जीर्ण शीर्ण हो गये थे, सहजनवां डुमरिया बांध, बड़या कोठा, रिंगरेली बढ़िया, माडर बन्धा सब क्षतिग्रस्त हो गये । मेरा सिंचाई मंत्री जी से आग्रह है कि इन बंधों को चौड़ा किया जाय और ऊंचा किया जाय ।

इसी तरह से सहायता के संबंध में छोटे बड़े का सवाल नहीं है, सीमांत और लघु सीमांत का प्रश्न नहीं है क्योंकि सब की फसल बरबाद हो गयी है चाहे वह 10 एकड़ वाला हो या दो एकड़ वाला हो सब की फसल बरबाद हो गयी है । अब रवी की फसल आने वाली है अब किसानों के लिये बीज का बहुत बड़ा संकट है । मटर, चना, गेहूं, आदि किसी का बीज किसान के पास नहीं है । सारे किसान परेशान है । रबी की उपज के लिये सरकार मुफ्त बीज उपलब्ध कराये । अभी तक बाढ़ के कारण किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है और फिर बीज का संकट आने वाला है ठोकर खा-खा कर भी उसे बीज नहीं मिलने वाला है । उसके सामने भुखमरी की स्थिति हो गयी है । सरकार जो सुविधा दे रही है उसमें सीमांत, लघु का बड़े किसान का सवाल नहीं है । सरविस क्लास को तो हर महीने तनखा मिल जाती है लेकिन किसान चाहे वह कोई बड़ा किसान हो या छोटा किसान उसका सब कुछ बरबाद हो गया है । मकान के लिये जो सुविधा दे रहे हैं उसमें पांच एकड़ की सीमा न लगाई जाय । सहजनवां क्षेत्र में सब बरबाद हो गये हैं । राप्ती नदी की बाढ़ से हजारों एकड़ क्षेत्र में 4–4 फीट बालू भर गया है जिसको साफ करने में 10 साल लग जायेंगे, उस जमीन में अभी खेती नहीं हो पायेगी इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल–

इसके साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का और सेना के जवानों का, पी० ए० सी० का तथा प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस भीषण बाढ़ की स्थिति में पूरे प्रदेश में और हमारे जनपद में सराहनीय काम किया है और लोगों को राहत मिली है ।

* श्री दीपक कुमार–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उ० प्र० जो दैवी आपदा से गुजर रहा है उस पर हो रही चर्चा पर बोलने का अवसर दिया । आज सुबह से जब से बाढ़ पर चर्चा शुरू हुई और माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है उसमें पूर्वांचल में आई बाढ़ की ही ज्यादा जिक्र हुआ है । जहां भी इसके कारण तबाही हुई हम सब उन लोगों के साथ है । लेकिन उ० प्र० का मध्य जो हैं वहां भी बाढ़ आई है वहां के लोगों ने भी बाढ़ की त्रासदी को झेला है ।

मान्यवर, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं । यह आंकड़े जिला प्रशासन उन्नाव ने तैयार किए हैं । मान्यवर, हमारे उन्नाव जनपद में 610 गांवों को बाढ़ ने प्रभावित किया है । यहां की 3 लाख से अधिक जनसंख्या और एक लाख 3 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल बाढ़ से प्रभावित हुआ है । काश्तकार की जो फसल डूब गयी है उसका क्षेत्रफल 47 हजार हेक्टेयर है । मान्यवर, बाढ़ से उन्नाव में मरने वालों की संख्या 82 और जानवरों की संख्या 258 प्रशासन ने बतायी है इससे स्पष्ट है कि उन्नाव में जो बाढ़ की विभीषिका आयी है जिसे वहां के लोगों ने झेला है किन्तु उन्नाव प्रशासन से जब कल बैठक में पूछा गया कि प्रदेश में 55 बाढ़ ग्रसित जिले जो हैं उनमें उन्नाव का नाम है कि नहीं तो इसके संबंध में वहां के अधिकारी नहीं बता पाये । इसलिए मुख्य मंत्री जी जब जवाब दें तो भी बतायें कि उन्नाव बाढ़ से प्रभावित है कि नहीं ?

मान्यवर, राहत सामग्री के संबंध में हमारे साथियों ने कहा कि 500 रुपये की राहत सामग्री, एक हजार रुपये अहेतुक सहायता दी गयी है । मान्यवर, उन्नाव में मैं पूरे क्षेत्र में नाव से घूमा हूं तो मुझे मालूम हुआ कि 100 रुपये की राहत सामग्री दी गयी है और इसके अलावा कोई सहायता नहीं दी गयी है उन्नाव में बाढ़ से प्रभावित 40 परिवारों को एक सौ एक सौ रुपये की अहेतुक सहायता दी गयी है मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उन्नाव जनपद में चार लाख से अधिक जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित हुई है लेकिन जो सहायता वहां दी जानी चाहिए वह नहीं दी गयी है । मान्यवर, सत्ता पक्ष के विधायक श्री कृपा शंकर बैठे हैं उनके विधान सभा क्षेत्र में कहां बरसाती देने का काम किया गया है ? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अहेतुक सहायता कहां-कहां और किसे दी गयी है ? मेरी जानकारी में वहां कोई सहायता नहीं दी गयी है ।

मान्यवर, उन्नाव में बाढ़ ग्रसित लोगों ने मोटर बोट की मांग किया था लेकिन एक भी मोटर बोट उन्हें नहीं दी गयी । मान्यवर, बांगरमऊ तहसील बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है । वहां राज्य सरकार से हेलीकाप्टर की प्रशासन ने मांग किया था लेकिन नहीं दिया गया । इसलिए प्रशासन वहां राहत सामग्री नहीं वितरित कर सका । उन्नाव जिला प्रशासन ने सेना और पी० ए० सी० की मांग किया था किन्तु उसे उपलब्ध नहीं करायी गयी । इसलिए मुख्य मंत्री जी जब जवाब दें तो बतायें कि उन्नाव के जो लोग बाढ़ से प्रभावित रहे हैं उन्हें कबतक अहेतुक सहायता मिल पायेगी ? इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि वहां के बाढ़ पीड़ितों को एक समयबद्ध सीमा के अन्दर अहेतुक सहायता कब तक वितरित कर दी जायेगी जिसकी घोषणा सरकार ने किया है ?

इसी के साथ-साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं कि बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमको बोलने के लिये अवसर दिया । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयपाल सिंह)–

मान्यवर, आपने समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । बहुत गंभीर विषय पर चर्चा लगभग 5 घंटे से हो रही है । बहुत अच्छे सुझाव भी आये हैं । इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वक्तव्य आया और माननीय सिंचाई मंत्री जी ने अपने सुझाव दिये । मैं केवल 2-3 बातों को बताना चाहूंगा । मान्यवर, ऐसा नहीं है कि बाढ़ के संबंध में पहले से कोई तैयारी नहीं की गयी । हमने 5 बैठकें की । मार्च से ही बैठकें शुरू हो गयी थीं । इन बैठकों में संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया । यह पहले से ही पता था कि मानक के अनुसार यह बंधे कितना पानी झेल पायेंगे । सारा सदन जानता है कि बंधे पानी को फैलाव को रोक सकते हैं नदी की धारा को कोई बंधा नहीं सहन कर सकता है । अबकी बार असमान्य वर्षा हुयी और एक साथ नदियों में पानी आने से लगभग 56 बंधे टूट गये । हमारे अधिकारियों ने रात दिन मेहनत करके कार्य किया । मैंने भी 10 मंडलों में मीटिंग की, मीटिंग में प्रत्येक माननीय सदस्य चाहे वह पक्ष का हो या विपक्ष का हो सबको आमंत्रित किया और मीटिंग में उनके सुझाव लिये और जहां कार्य कर सकते थे वह कार्य किया गया । गोरखपुर में बाढ़ नहीं थी बल्कि वह जल प्रलय था । हमारे अधिकारियों ने सहयोग देकर कार्य किया लेकिन पानी की तेज धारा को बंधे सहन नहीं कर पाये और टूट गये । हमने बंधों के लिये समय-समय पर धन अवमुक्त किया है । 2-5-98 को 1182 लाख रुपया दिया गया । 11-6-98 को 128 लाख रुपया दिया गया और 11-8-98 को 330 लाख रुपया दिया गया । इसके अलावा नाबार्ड से 54 परियोजनायें शासन को प्रेषित हो गयी हैं । अभी 62 लाख की परियोजनायें बन रही हैं । हम चाहते हैं कि बाढ़ की समस्या का निदान हो सके । जो बंधों पर काम हुआ है उसकी जांच के लिये हमने 3 समितियां गठित की हैं और उनकी रिपोर्ट भी आ गयी है । जहां पर हमारे अधिकारियों या कर्मचारियों ने शिथिलता बरती है उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है और इस प्रकार गोरखपुर, देवरिया तथा सिद्धार्थनगर के 10 अधिकारियों को निलम्बित किया गया है । मान्यवर, माननीय जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में 1976 में जो आयोग बना उसकी 207 संस्तुतियां थीं । उनमें से केवल 22 प्रमुख संस्तुतियों का चयन किया गया और जो प्रमुख संस्तुतियां थी उन पर हमने काम करना शुरू कर दिया है ।

कई पर हमने काम शुरू कर दिया है । जो नदियों में अतिक्रमण होता था उसके खिलाफ हमने जी० ओ० बनाया है । जो काम समय से नहीं होते थे अब हमने तय कर लिया है कि यह काम नवम्बर से लेकर मई तक पूरे कर लेंगे और उसको सत्यापित भी करेंगे । हमने यह भी तय किया है कि हम जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करायेंगे कि हमने इस बन्धे के लिए इतना धन अवमुक्त किया है और बन्धे पर बोर्ड भी लगायेंगे कि इस मद में इतना पैसा दिया गया या इतने का वर्क कराया गया । हमने जो 22 संस्तुतियां हैं उसके अनुसार जी० ओ० बनाया है उनको भी हम क्रियान्वित कर रहे हैं । मान्यवर, हमने पांच अरब, नौ करोड़ पच्चासी लाख रुपये सेण्टर से मांगे हैं । हम इससे काम करायेंगे । विश्व बैंक से हमने 600 करोड़ रुपये की मांग की है । हम कुछ विभागों से जैसे एस० आर० वाई०, डी० आर० डी० ए०, 10 मिलियन वेल योजना से डवटेलिंग करके काम करायेंगे । मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरी पारदर्शिता बरतते हुये और आप लोगों को विश्वास में ले करके, निर्माण कार्यों की जानकारी देकर के काम करायेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि कोई कमी न आये । जो बन्धे टूटे हैं उनका पूरी तरह से ध्यान रखेंगे ताकि आगे इस प्रकार की बात न आये । माननीय सदस्य सुबाष जी ने सवाल उठाया कि हम सेण्टर को एक सिफारिश भेजे । मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही सेण्टर को अपनी सिफारिश भेज दी है और एक विशेषज्ञ दल गठित करने की मांग की गयी है जो सभी बिन्दुओं पर अपनी आख्या दे ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अब संक्षिप्त करें ।

श्री जयपाल सिंह–

श्रीमन्, हमारी जो योजनायें हैं उन योजनाओं में हम पूरी तरह से सदन को अपने साथियों को विश्वास में लेकर के चलना चाहते हैं । उन पर उनके सुझाव भी आमंत्रित करना चाहते हैं, हम पूरी ईमानदारी और साफ नीयत से काम करना चाहते हैं और पूरे सदन का सहयोग चाहते हैं । मैंने लगातार दौरे किये हैं । कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी दौरा किया है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बरसात में पिपरा-पिपरासी बांध पर गया हुआ था, मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से भीगे हुये थे, वहां पर इतनी फिसलन थी कि कई अधिकारी फिसलकर गिरे हमने और मुख्यमंत्री जी ने लगातार मीटिंग की और मैं भी लगातार मीटिंग करता रहा, अधिकारी मीटिंग करते रहे । मैंने कई बन्धे ऐसे देखे हैं जिन पर 24-24 घण्टे अधिकारी डटे रहे । मैं विक्रमजोत बन्धे पर गया था वहां का आधे से ज्यादा बन्धा कट गया था बन्धा हिल रहा था मैं उसी पर खड़ा था मुझे जानकारी नहीं थी ।

'अधिकारियों ने मेरे हाथ पकड़ कर खींच लिए उसी समय बंधा गिर गया । अधिकारियों ने काफी सराहनीय काम किया है । जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है उनको निलम्बित किया गया है । अभी हमने तीन समितियों का गठन किया है उसकी जांच रिपोर्ट आ रही है उसमें भी कोई अधिकारी अगर दोषी पाया जायेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । इस भयावह स्थिति में हम सभी लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर साथ देना चाहिए । जो भी सुझाव और संस्तुतियां आयेंगी उन पर अमल किया जाएगा । राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की अभी चार नदियों पर बांध बनाने की संस्तुति है । उसमें शारदा पर पंचेश्वर बांध, घाघरा पर करनाली बांध, राप्ती पर भालू भाग बांध और गण्डक नदी पर विनई बांध बनाने की संस्तुति है । उन संस्तुतियों को एक-एक करके कार्यान्वित करेंगे । मान्यवर, ये गम्भीर समस्या है इससे बहुत अधिक लोग प्रभावित हुए हैं । इसमें सेना, पुलिस और पी० ए० सी० के जवानों ने सराहनीय काम किया है । मुख्य मंत्री जी के आह्वान पर तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं ने मदद की हैं मैं सबको बधाई देना चाहता हूं । जो सुझाव आयेंगे हम उन पर अमल करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस विषय पर अनेक माननीय सदस्यों को बोलना है । सबकी बातें आ जाएं तो जो बातें हो चुकी हैं उन्हें रिपीट न करें । व कोई बातें छूटें नहीं । अभी मुख्य मंत्री जी को भी अपना उत्तर देना है । इसलिये दो-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी-

अधिष्ठाता महोदय, इस प्रदेश में इस साल बाढ़ की विभीषिका से और भू-स्खलन से लगभग दो हजार लोग मारे गये आज जब मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव लायेंगे भू-स्खलन से मारे गये लोगों के विषय में तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उसी में बाढ़ से मारे गये लोगों के प्रति संवेदना भी लाने की कृपा करें । यह सरकार जब से इस प्रदेश में बनी है यह सरकार इतनी जर्जर है कि प्रदेश में बाढ़ आयी और सिंचाई मंत्री जी ने कह दिया कि हम क्या कर सकते हैं ? यदि 1800 कि०मी० बांधों की सही समय पर मरम्मत कर देते तो यह मानव कृत बाढ़ न आती । व इतनी बड़ी विभीषिका न होती । मान्यवर, इस सरकार ने कोई काम नहीं किया । नतीजा यह हुआ कि बड़े पैमाने पर लोग मारे गये । यह कहा गया कि अभी जल भराव है और अभी राहत काम नहीं हो पाये हैं और रबी की फसल की बुवाई नहीं हो पायेगी । माननीय सिंचाई मंत्री जी का भाषण निराशाजनक था । यह कपोल कल्पित बातें कह रहे थे । जो घटना घटित हो चुकी है, उस पर लीपापोती कर रहे थे । मान्यवर, हैदराबाद में ट्रेन दुर्घटना हुई थी और स्व० श्री लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे, यद्यपि उनकी जिम्मेदारी नहीं होती थी, फिर भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया । क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी इसकी जिम्मेदारी को लेकर अपना इस्तीफा देंगे, कतई नहीं । एक मंत्री बोल रहे थे और लम्बी तकरीर दे रहे थे ।

श्री अधिष्ठाता–

आप छोटी तकरीर में समाप्त कर दीजिये ।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

आप कह देंगे, तो मैं नहीं बोलूंगा । श्री अमर मणि त्रिपाठी ने कहा कि 72 लाख रुपये क्या है, खा गये होंगे सब, मस्टर रोल में ही यह सब चला गया होगा । इस प्रकार की तकरीर देकर सदन को गुमराह करने की बात अच्छी नहीं है । प्रदेश की हालत क्या है ? माननीय राज्य मंत्री, बाढ़ ने बताया कि हम क्या-क्या करने जा रहे हैं, आपने किया क्या-क्या है ? अगर आपने 1800 कि०मी० लम्बे बंधों की मरम्मत कर दी होती तो यह विभीषिका नहीं आती । माननीय राज्य मंत्री, बाढ़ ने कहा कि मरम्मत के लिये शासन से पैसा कम मिला परन्तु बड़ी सफाई से पुल बांध दिये कि हम ये-ये करने जा रहे हैं और

इतने बंधे बनाने जा रहे हैं । जो पुराना है, उसकी मरम्मत आप नहीं करा पाये तो नया कहां से बनवा देंगे । अप्रैल/मई में ही इन बंधों की मरम्मत कर दी गयी होती तो यह विभीषिका नहीं आती । केवल पांच हजार करोड़ रुपये की ही हानि नहीं हुई है बल्कि बड़े पैमाने पर आदमी मरे हैं, पशु मरे हैं और संक्रामक रोग फैले हुए हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश कर दिया कि 5 एकड़ से कम जोत के लोगों को अहेतुक सहायता दी जायेगी या फिर जिस व्यक्ति की 15 हजार रुपये सालाना की आय होगी। 5, 6 तथा 7 एकड़ की जोत वाला कोई बड़ा काश्तकार नहीं होता । बाढ़ में उसकी फसल नष्ट हो गई, मकान डूब गया परन्तु उसे सहायता नहीं मिलेगी । इस प्रकार 40 प्रतिशत लोगों को जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उन्हें सहायता नहीं मिल पायेगी । माननीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी जब यहां आये तो उन्होंने एक सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकार ने कोई सूचना नहीं दी कि कितना नुकसान हुआ है और कहां-कहां बाढ़ आयी है और सिंचाई मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने यह नहीं कहा । हो सकता है प्रधान मंत्री जी के बारे में गलत छपा हो । जो हमने पढ़ा वह यही पढ़ा कि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हमको कहीं लिखकर नहीं भेजा । यह इतनी संवेदनशील सरकार है । सिंचाई मंत्री ने यह भी कह दिया कि प्रधान मंत्री इसलिये नहीं आये क्योंकि यहां मुख्य मंत्री और सरकार पूरी तरह कार्यशील है । मान्यवर, प्रधान मंत्री इसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और लखनऊ से चुनाव जीते हैं । यहीं से सांसद भी हैं लेकिन न तो वे मालपा गये जहां पर भू-स्खलन से 300 आदमी मर गये और न तो इन बाढ़ प्रभावित जगहों 4/6 जगहों को छोड़कर कहीं और नहीं देखा और वापस लौट गये । मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने बाढ़ को अगम्भीरता से लिया है । मान्यवर, कल माननीय मुख्य मंत्री जी वर्षगांठ मना रहे थे अपनी सरकार की । एक तरफ 300 आदमी मालपा में मर गया और इन्होंने शोक नहीं मनाया । 1500 आदमी बाढ़ से मर गया और इन्होंने शोक नहीं मनाया । वर्षगांठ मना रहे हैं । लखनऊ को सजा रहे हैं फूल माला पहन रहे हैं ।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह सरकार संवेदनशील है और आप कह रहे हैं कि दलितों का, गरीबों का भला चाहती है । मान्यवर, विपक्ष के हर पार्टी के विधायकों ने कहा है, सत्ता के भी कई विधायकों ने कहा है कि जो राहत कार्य हो रहे हैं उनकी पूरी तरह से अन्जाम नहीं हो रहा है । मैंने बहुत से मंत्रियों के भाषण सुने हैं । कोई ऐसा मंत्री नहीं जो यहां जाकर 10/15 दिन रहा हो और अपने सामने राहत सहायता दी हो, खाद्य सामग्री बंटवाई हो । एक दिन के लिये जाते हैं और लौट आते हैं । मान्यवर, इस त्रासदी के लिये हम सब लोग सहयोग देने के लिये तैयार हैं लेकिन कोई सहयोग ले तो । कोई सहयोग लेने के लिये तैयार नहीं है । माननीय सिरोही जी ने जुलाई में कहा था माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा था कि बंधों की मरम्मत अभी जुलाई तक नहीं हुई है । एक दर्जन मंत्रियों ने मुख्य मंत्री को लिखकर दिया कि बाढ़ से बचने के लिये बन्धों की मरम्मत जुलाई तक नहीं हुई लेकिन कान पर जूं नहीं रेंगी । इसी का नतीजा हुआ कि यह बाढ़ आयी और इस त्रासदी में इतने लोग मारे गये । मरने का कारण बता दिया कि बाढ़ की विभीषिका थी, प्राकृतिक थी । मेरा कहना है कि यह प्राकृतिक नहीं थी मानवकृत थी । पानी बरसा वह प्राकृतिक है लेकिन अगर पहले से व्यवस्था की गयी होती तो कदाचित् इतनी बड़ी त्रासदी न होती । अभी हरीश जी ने कहा कि वे बहुत जगह गये । माननीय हरीश जी 77 में आप स्वयं बनारस में नाव में बैठकर जनता पार्टी की सरकार में गये थे । अबकी आप कहीं नहीं गये । केवल गोरखपुर गये और चले आये । मान्यवर, केन्द्र सरकार से माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो पैसा मांगा है मेरे अनुसार वह अपर्याप्त है । उस पैसे से केन्द्र सरकार को पूरी भरपाई करनी चाहिए क्योंकि यह केवल प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं है । नेचुरल कैलामिटी में पूरी भरपाई केन्द्र सरकार को करनी चाहिए । इस समय केन्द्र में आपकी सरकार है । इसी तरह से प्रेम प्रकाश जी जो राज्य मंत्री हैं ने बयान दिया कि बन्धों की मरम्मत न होने से गोरखपुर में बाढ़ आयी है । यह एक मंत्री का कहना है, यह मेरा कहना नहीं है । मैं आपके माध्यम से केवल इतना कहना चाहता हूं कि बाढ़ आयी और

चली गयी इतने से ही नहीं होता है । यह प्रकरण इतने से ही समाप्त नहीं होता है । अभी रबी की फसल की बुवाई होनी है यदि तत्काल कार्यवाही नहीं की गई तो बड़े पैमाने पर रबी की फसल की बुवाई नहीं हो पायेगी और आने वाले दिनों में इस प्रदेश के लिये खाद्यान्न का एक संकट पैदा हो जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

सभी माननीय सदसयों की बात आ जाए ।

श्री भरत सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं यह जो इस साल भीषण बाढ़ आई है यह इस सदी की भीषण बाढ़ थी । मैं उस जिले को बिलांग करता हूं जब से जन्म लिया है 40-45 साल से इतनी भीषण बाढ़ नहीं आई । मेरे जनपद द्वाबा बलिया में जहां गंगा घाघरा का संगम है मैं उस इलाके से आता हूं । मान्यवर, यह बाढ़ नहीं भीषण विभीषिका थी । इस बाढ़ में ऐसे-ऐसे क्षेत्र डूबे हैं जो कभी बाढ़ से नहीं डूबे हैं । यह जो भीषण बाढ़ आई, मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि मान्यवर, हमारी सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री जी की अगुवाई में जिस प्रकार से इस भीषण बाढ़ को फेस करने का काम किया जिस प्रकार से बाढ़ पीड़ितों को नाव, सेना और पी० ए० सी० भेजकर बाढ़ पीड़ितों को बचाने का काम किया, जिस प्रकार बाढ़ पीड़ितों को सहायता दी यह अपने आप में उल्लेखनीय है । मैंने कांग्रेस के रिज्यूम में देखा है बाढ़ आती थी तो गांव के दबंग, गांव के प्रभावशाली लोग वितरित होने वाले गल्ले को छीन लेते थे उस गांव के दबे कुचले लोगों को गल्ला नहीं मिल पाता था । मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को, आज तक किसी भी सरकार ने चेक के द्वारा सहायता वितरित करने का काम नहीं किया लेकिन हमारी सरकार ने चेक से सहायता दी ।

(मेजें थपथपाई गईं)

इससे गांव के गरीब से गरीब और पीड़ित से पीड़ित व्यक्ति को चेक मिला है । मैं कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी ने बाढ़ पीड़ितों को हर गांव हर व्यक्ति को अपने हाथों चेक देने का काम किया है ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं जिस प्रकार से बाढ़ ने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिस प्रकार से सी० एम० ओ० की तरफ से, प्रचुर मात्रा में दवा देकर सहायता की ऐसा कभी नहीं देखा गया । जिस समय भीषण बाढ़ से पूर्वांचल की गरीब जनता पीड़ित थी उस समय हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता था दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनकी सेवा करते, उनकी सेवा में जुटना चाहिये था । मान्यवर, मैं कह सकता हूं उस समय तमाम स्वयं सेवी संस्थायें, स्वयंसेवी संगठन पीड़ितों के बीच में पैकेट बांटने का काम कर रहे थे, दुख होता उस समय राजनीतिक पार्टियों के लोगों को सहयोग करना चाहिये था लेकिन वह सरकार को घेरने के लिये सरकार पर आक्षेप लगाया करती है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं गंगा और घाघरा से घिरे हुए क्षेत्र से आता हूं । गंगा का वह किनारा है । बलिया जनपद में मझौला के पास एक बांध है जो कटने की स्थिति में है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, रुड़की में इसका अध्ययन हो चुका है आठ करोड़ रुपये की लागत आयेगी यहां पर ठोकर बना दी जाय । मान्यवर, अभी हमारे एक वरिष्ठ नेता यह कह रहे थे कि सन् 77 में बाढ़ आयी थी तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बाढ़ 78 में आयी थी 77 में नहीं आयी तो उस समय राम नरेश यादव जी मुख्य मंत्री थे । जनपद बलिया में शाहीपुर गांव

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के लोग बरबाद हो गये । सिकन्दरपुर और सियर में सैकड़ों गांव पानी में डूब गये हैं । हमारे माननीय सदस्य बच्चा पाठक जी और राजधारी जी के क्षेत्र में भी बाढ़ से भारी तबाही हुई है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने वहां का बांध कटवा दिया ..

(विपक्ष के अनेक सदस्य एक साथ उठकर बोलने लगे जिससे घोर व्यवधान हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री भरत सिंह–

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश और शासन से जो सुचारु व्यवस्था की है जो खाद्यान्न का वितरण कराया है उसके लिये बधाई देता हूं ।

श्री अरुणवीर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने चार घंटे की लगातार मेहनत के बाद हमको बोलने का अवसर दिया । सबसे पहले मेरा दस्तखत था लेकिन हम नये और जूनियर सदस्य हैं इसलिये हमको समय नहीं दिया गया । मान्यवर, हम उस जनपद के रहने वाले हैं जहां से बाढ़ की शुरुआत होती है । नेपाल से सबसे पहले पानी बहराइच में आता है, और उसके बाद आगे बढ़ता है । लेकिन हमारे क्षेत्र में, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो छपवा कर भेजा है, उसमें कोई बात सही नहीं लिखी है और न ही हमारे क्षेत्र को कोई राहत पहुंचायी है । मान्यवर, जब हम बोलना चाहते थे तो उस समय आबकारी मंत्री जी और राहत मंत्री जी बोलने लगे हमने उनसे निवेदन किया था कि आप हमारे बाद में बोल लीजियेगा विशेष राहत कार्य में 25 हजार रुपया दिया जायेगा जिनके घर ध्वस्त हो गये हैं । मान्यवर, हमारे यहां ग्राम सभा भौरी, तहसील महसी में डेढ़ सौ घर घाघरा नदी में कटकर बह गये, उन लोगों को 5 हजार 7500 रु० की राहत दी गयी है । हमारे यहां के प्रभारी मंत्री जी बैठे हुए हैं उनसे पूछ लें माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुसार 25-25 हजार रु० की सहायता दिलवायी जाय । उनके घर तो मय जमीन के चले गये । अभी सूर्यप्रताप शाही जी कह रहे थे कि विपक्ष सकारात्मक सहयोग करे शिव प्रताप शुक्ल जी कह रहे थे कि फाइबर की नावें हवाई जहाज से गिरायी गयीं हमारे यहां तो कागज की नाव भी सिर पर रखकर नहीं भेजी गयी यहां कहां का संतुलन है । जो राहत सत्ता पक्ष के सदस्यों के यहां पहुंचायी गयी है वही विपक्ष के सदस्यों के यहां भी पहुंचाई जानी चाहिये । मान्यवर मेरी 6 मागें हैं, उन पर अमल किया जाना चाहिये । (व्यवधान) (1) जिनकी फसल नष्ट हुई है उनको मुआवजा दिया जाय । (2) प्रत्येक परिवार को घोषणा के अनुसार 15 सौ या 3 हजार रु० की सहायता उन तक पहुंचाई जाय । और उसकी समीक्षा जन प्रतिनिधियों से करायी जाय । वश 6-6 सौ रु० की सहायता जिलों में दी जा रही है । तीसरे, बाढ़ में क्षतिग्रस्त मकानों को 25 हजार रु० की सहायता दी जाय । चौथे, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बीज और खाद जो ऋण पर लिया था, उस ऋण को माफ कर दिया जाय । पांचवां, फसल के लिये खाद और बीज उपलब्ध कराया जाय पुप्त । माननीय सिंचाई मंत्री जी गन्ना मंत्री जी भी हैं, जब पिछली बार सदन चल रहा था तो कहा था कि गन्ने का पैमेंट शतप्रतिशत कर दिया है, हमारे यहां चीनी मिल चिलवलिया से भुगतान हुआ नहीं है, अगर बकाया किसानों को मिल जाय तो उन्हें बहुत राहत मिलेगी । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

(सभा [illegible] बजकर 10 मिनट)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री [illegible] यादव)-

माननीय [illegible] महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश में राप्ती, बूढ़ी गंडक, घाघरा आदि पचासों नदियां [illegible] हैं । प्राय [illegible] साल में एक बार भयंकर बाढ़ आती है और हर वर्ष कुछ न कुछ तबाही होती

रहती है । कोई भी सरकार रहती है उसके अपने भरसक, अपनी शक्ति भर अपनी व्यवस्था की, कुछ न कुछ सहायता दिया है लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी उमर ज्यादा है, मैं 50 साल का सार्वजनिक कार्यकर्ता हूं । बाढ़ आती थी अगस्त में, 20 सितम्बर तक बाढ़ हमारे यहां आती है लेकिन जो प्राविधान था कि जो गांव 24 घंटे पानी से घिरा रहे वहां गेहूं और दियासलाई बांटी जाय लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके मार्फत खासकर विपक्षी दल को बताना चाहता हूं कि यह फरवरी मार्च तक बंटता था और बंट नहीं पाता था । माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे यहां गये थे नाव पर बैठे थे और पानी में यात्रा किये थे । नाव और आगे आगे ले जाना चाहते थे लेकिन वह धार से आगे नहीं बढ़ पाती थी, प्रधान मंत्री ने दौरा किया था उस विपत्ति को देखा तो ऐसा नहीं है कि बाढ़ कभी आती नहीं थी पहली बार आई बाढ़ तो आई लेकिन जितनी मुस्तैदी से सहायता हुई वह उल्लेखनीय है । एक बात और बताना चाहता हूं कि इस बाढ़ में या तो आम पब्लिक ने सहायता किया है या तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सहायता किया है बाकी विभिन्न पार्टियों के लोग अखबारबाजी करते रहे अखबारों में बयान छपवाते रहे ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने पंचेश्वर करनाली भालू बांध जो बताया है उसमें कोई दूसरा तरीका नहीं है कि पूर्वांचल की बाढ़ को रोका जाय । मान्यवर, 4-6 साल में गरीब आदमी अपना कुछ जुटाता है लेकिन बाढ़ आ जाती और तबाह हो जाता है 4 माह फिर उसे सुधरने में लगता है । यह जो भालू बांध है वहां पर पहाड़ के बीच से नदी आती है वहां पर सम्भवतः स्थिति ऐसी है कि पचासों कि०मी० की जमीन में जहां गांव नहीं है, खेती नहीं है वहां पर बैराज बनाकर पानी का उपयोग किया जा सकता है उससे नैपाल की सिंचाई हो सकती है और बिजली के उत्पादन में दोनों देशों को फायदा हो सकता है और बाढ़ भी नियंत्रित हो जायेगी । इसलिये यह कोई घबराने की बात नहीं है नैपाल मित्र राष्ट्र है । जहां तक मुझे जानकारी है मेरे यहां के इंजीनियर उसे कुछ ऊंचा बनाना चाहते थे और नैपाल के लोग कुछ नीचा बनाना चाहते थे अगर यह बैराज बन गया तो सकून हो जायेगा । मान्यवर, बाढ़ आने पर सबसे ज्यादा जरूरत नाव की होती है । नाव की संख्या लगातार कम होती जा रही है । गोरखपुर में नाव को हवाई जहाज से लाना पड़ा मिर्जापुर से लाना पड़ा । मेरा तो माननीय मंत्री जी से आग्रह है, मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में 50 प्रतिशत छूट पर नाव तुरन्त बनवाई जाय । क्योंकि जरूरत पर नाव मिलती नहीं । एक नाव पर जितना खर्च किराये में हो जाता है उतना ही लगभग 5-6 हजार की सहायता देने के बाद नाव बन जायेगी और जब जरूरत होगी तो नाव मिल जायेगी और जरूरत नहीं होगी तो वापिस कर दी जायेगी । इन सुझावों के साथ सभी मित्रों से अनुरोध करते हुए उत्तर प्रदेश को बाढ़ से बचाना है, सुझाव कुछ ऐसे दे कि इन नदियों का पानी नियंत्रित हो जाय । आपने समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो आपने पहली बार किसी पश्चिम के आदमी को बुलवाया है । यह बात सही है कि यह बाढ़ इस सदी की सबसे भयंकर बाढ़ रही है, इससे पहले 1938 में इतनी भयंकर बाढ़ शायद आई हो । इस साल की बाढ़ जुलाई में शुरू हो गयी थी, उस समय सत्र चल रहा था, यह बाढ़ सितम्बर तक चली । मुझे याद है कि जुलाई में पहली बार बाढ़ पर चर्चा हुई थी, उस समय माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं बाढ़ पर चर्चा हुई थी, उस समय माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं बाढ़ को देखने जा रहा हूं और मेरठ मुजफ्फरपुर को भी देखने जाऊंगा । बड़ी मुश्किल से सिफारिश करके हम लोगों ने उनको हेलीकाप्टर दिलवाया । लेकिन आज तक इस सरकार की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संवेदनहीनता का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि आज दो महीने बाद बाढ़ पर अब चर्चा हो रही है। सरकार उस समय भी आपकी थी, बाढ़ पर चर्चा आपको करवाना था, वक्तव्य आपको देना था, जो आज आया है। यह भी न आता, यदि यह विशेष सत्र उत्तरांचल के विषय हेतु न बुलाया गया होता। मान्यवर, इस बाढ़ में 1300 आदमी खत्म हो गये, प्रदेश के 55 जिले बाढ़ से प्रभावित हुये और 4 हजार करोड़ रु० की सम्पत्ति नष्ट हो गयी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो राहत का विवरण दिया है, वह मात्र 150 करोड़ का है। मैं पूछना चाहता हूं कि जहां 4 हजार करोड़ की सम्पत्ति नष्ट हो गई, 80 हजार मकान गिर गये, 1300 आदमी मर गये, उसमें यह 150 करोड़ की सहायता से कैसे पूरा होगा।

बाढ़ कैसे आई, कहां से आई, किसने भेज दी या बुलवाई गई, मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन बाढ़ के बाद जो हालात बने हैं, उनसे आप किस तरह निपटेंगे, कैसे लोगों को मदद करेंगे, उसका कुछ खास जिक्र इस वक्तव्य में नहीं है। भारत सरकार की मदद की बात यहां पर कही गई, जबकि आपके प्रधानमंत्री जी ने यहां कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री जी का कोई पत्र ही नहीं मिला और मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने पत्र भेज दिया है. खैर मुख्य मंत्री जी ने केवल 1900 करोड़ रुपया केन्द्र की सरकार से मांगा है और भारत सरकार केवल प्रदेश को 300 करोड़ रुपया दे रही है, अब इस समय 4-5 हजार करोड़ का जो दिक्कत आ गया है, उसको यह सरकार कैसे पूरा करेगी ? अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम 5 बांध बनाने जा रहे हैं, कैसे बनेंगे यह बन्धे, इसका पैसा कहां से आयेगा ? मंत्री जी ने आई० एम० एफ० और वर्ल्ड बैंक का जिक्र किया और कहा कि वह हमको पैसा देंगे। हमने वर्ल्ड बैंक को प्रस्तावित कर दिया है, वह हमको पैसा दे रहे हैं जो पैसा वर्ल्ड बैंक ने सेंक्शन किया है, उससे जो पुराने काम हैं वह पहले पूरे किये जायेंगे, तो नये कामों के लिये कहां से दे देंगे ? हमारे सिंचाई मंत्री जैसे वरिष्ठ मंत्री वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को तो वर्ल्ड बैंक पैसा देने के लिये तैयार नहीं है, तो आपको कहां से दे देगा ?

मान्यवर, एक बात सरकार की ओर से कही गयी कि जितना पानी आ रहा है, वह नेपाल से आ रहा है और हम लोग नेपाल सरकार से बात करने गये थे। तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन-कौन लोग बात करने गये थे और कब गये थे और उसका क्या रिजल्ट निकला, यह आप बता दें। जो कुछ होना है, उसे आप करें। अगर भारत सरकार को बात करने के लिये जाना है, तो वह जायें और बात करें और अगर आपको जाना है तो आप जायें और बात करें, और कोई हल निकालें। आप कहते हैं कि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप तो जश्न मना रहे हैं, अपने कार्यकाल का जश्न मना रहे हैं। अखबारों में आपने तमाम फोटो दिखा दिये, अगर किसी फोटो में यह भी दिखा दिया होता कि कोई नाव से बाढ़ देखने जा रहे हैं या लोगों को राहत सामग्री बांटी जा रही है, तो भी कुछ बात होती। आपने कहा कि सहायता के लिये आर्मी बुलाई गयी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आर्मी कब बुलायी गयी, पहले क्यों नहीं बुलायी गयी ? इसके लिये मुकम्मल इन्तजाम होना चाहिये, जिससे आगे इस तरह की तबाही न आने पावे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बाढ़ के विषय पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया।

मान्यवर, मैं अपनी बात को संक्षेप में ही आपके समक्ष रखूंगा। मान्यवर, इस बार प्रदेश के अन्दर बाढ़ और दैवी आपदाओं की झड़ी लग गयी है। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में बाढ़ का जो स्वरूप होता है, वह अलग प्रकार का होता है और यह बात किसी से छिपी नहीं है कि इस बार भारी वर्षा ने पर्वतीय क्षेत्र में तबाही मचा दी है और उसके कारण जगह-जगह पर भू-स्खलन हुआ है और उससे भारी जान माल को क्षति पहुंची है। मान्यवर, जिस तरीके से मैदानी क्षेत्र में जब बाढ़ आती है तो जल भराव

हो जाता है और बरसात खत्म होते-होते पानी धीरे-धीरे रिसीड करता है तो जगह अपने रूप में फिर आ जाती है लेकिन पहाड़ में विषम स्थित है वर्षा के कारण वहां जो भूमि कटाव होता है वह हमेशा-हमेशा के लिये समाप्त हो जाता है । उसे रिक्लेम करना असम्भव है । मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले सदन में सरकार का बयान आया था कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं पहाड़ों में उसकी स्थिति को देखते हुए राहत कार्य की अलग से व्यवस्था करेंगे । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जो हमारे जनपद के प्रभारी मंत्री हैं उन्होंने काफी संवेदनशीलता के साथ मेरे जनपद का भ्रमण किया और उस भ्रमण का मुख्य मकसद यही था कि वहां जो बाढ़ का प्रभाव है उसका स्वरूप किस तरह का होता है वहां कम्युनिकेशन लिंक यातायात पूरी तरह बन्द हो जाता है आपको मालूम होगा कि जब पहाड़ों से नदिया उफान मारते हुए तलहटी पर आती हैं तो वहां तबाही हो जाती है इसी तरह देहरादून में गौरी माफी ग्राम बुरी तरह से प्रभावित हुआ । उसी तरह पिथौरागढ़ में जिसकी त्रासदी दुनिया भर में लोगों ने देखी मालपा गांव बुरी तरह से प्रभावित हुआ और माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहां दौरा भी किया मैं समझता हूं कि इस सदी की सबसे बड़ी यह त्रासदी होगी यहां दो सौ लोगों की जानें चली गईं ।

मैं कहना चाहता हूं कि यदि मालपा बूंदी का रास्ता जो मानसरोवर के लिये यात्री जा रहे थे उनके लिये खुला होता और तीर्थयात्री मालपा में न रुके होते तो इस दुर्घटना से बचा जा सकता था चूंकि यात्रियों के लिये बूंदी का रास्ता बन्द था रात में उन्हें मालपा रुकना पड़ा जिसके कारण यह दर्दनाक हादसा हो गया मैं समझता हूं कि भविष्य में ऐसा न हो इस पर विचार करना चाहिए । वहां जो राहत कार्य चलने की बात है, कहा गया मिलिट्री और आई० टी० बी० पी० राहत कार्य कर रही है उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि आई० टी० बी० पी० के 15 जवान वहां थे जिनमें से 8 जवान उस हादसे के शिकार हो गये तो वह क्या सहायता कर सकेंगे वहां पर ब्रिगेड के जो कमांडर थे वहां नहीं पहुंच सके क्योंकि हादसे वाली जगह पर पहुंचने के लिये नेपाल की सीमा से गुजरना पड़ता था हमारी सरकार का नेपाल की सरकार से कोई सम्पर्क नहीं हो पाया इसलिये हमारी सेना के जवान उस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाये यहां पर जो लोग त्रासदी में मारे गये उनको ले जाने के लिये कोई इन्तजाम नहीं था उनको बोरों में बांधकर ले जाना पड़ा और वह सही जगह पर नहीं पहुंच सके ।

इसी तरह की एक घटना रुद्रप्रयाग में उखीमठ में हुई वहां भू-स्खलन से सम्पर्क टूट गया माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहां का दौरा किया बड़ी संवेदनशीलता उन्होंने जताई लेकिन वहां के जनमानस को कोई राहत नहीं पहुंच पाई । श्रीमन्, उत्तरकाशी का यह विषय विचार करने योग्य है कि 750 लोगों की आबादी का यह गांव था जो 40 मीटर जमीन में धंस गया और वहां की मकान 65 डिग्री तक झुक गये। वहां के 750 लोगों की कोई सुध लेने वाला नहीं है ।

मान्यवर, देहरादून में कई गांव हैं जो जमीन खिसकने से पूरी तरह से प्रभावित हो गये हैं । देहरादून जिले के बारे में भ्रमण के दौरान संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि देहरादून को बाढ़ग्रस्त जिला घोषित करेंगे और जो वहां सड़कें और पुल टूट गये हैं उन्हें बनाने के लिये सहायता दिलायेंगे । इसलिये सरकार से आग्रह कि वहां लोगों का जीवन जो अस्त व्यस्त हो गया है उसको नारमलाइज करने के लिये बाढ़ प्रभावित जिलों जैसी राहत राशि दिलाने की व्यवस्था की जाए ।

* श्री बेचन राम–

मा० अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बाढ़ जैसे गम्भीर विषय पर बोलने का समय दिया । मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र मुंडेरवा बाजार तहसील चौरी चौरा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र का 2/3 भाग राप्ती, गुर्रा, फरेम, मझना नदियों से घिरा हुआ है । मैं अपने क्षेत्र में दिनांक 11, 12 और 13 जुलाई, 1998 को अधिशासी अभियन्ता के साथ दौरे पर गया था । उसके बाद 14 जुलाई को विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिये यहां आ गया था । दिनांक 16 जुलाई को समाचार पत्र से मुझे ज्ञात हुआ कि गुर्रा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नदी का बरहीपाथ भटेयरा के पास सपा समर्थकों के द्वारा काट दिया गया है जिसकी थाने में प्राथमिकी भी बाढ़ खंड के अधिकारियों द्वारा दर्ज करायी गयी थी । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में सिरोहनुवा रिंग बंधा, राप्ती नदी का विनहा बंधा, छितहरी धुनिका बंधा भीषण बाढ़ से टूट गया जिससे 52 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गये और परिणामस्वरूप 80 प्रतिशत मकान ध्वस्त हो गये । वहां के लोग बेघरबार हो गये हैं । बंधों और विद्यालयों में लोग शरण लिये हुए थे । हमारी सरकार ने उनके लिये 250 नावों की तथा चार मोटरबोटों की व्यवस्था किया था । युद्धस्तर पर वहां राहत सामग्री, राहत अनुदान और पशु आहार वितरित किया जा रहा है । बाढ़ पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार करने पर एक तहसीलदार मैजिस्ट्रेट को निलम्बित कर दिया गया है । मैं मुख्य मंत्री जी से अपने क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिये अधिक से अधिक धन की मांग करता हूं जिससे मेरे क्षेत्र का पुनर्निर्माण हो सके । इसके साथ ही निःशुल्क खाद बीज भी दिये जाने की मांग करता हूं । मेरे क्षेत्र में जो बंधे टूट गये हैं और जिन लोगों के घर गिर गये हैं उनको अधिक से अधिक सहायता दी जाय ।

* श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का समय दिया । अभी सत्तापक्ष के तमाम माननीय सदस्यों ने और मंत्री जी ने तमाम घोषणायें कीं कि बाढ़ के संबंध में बहुत काम किया गया है लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जनपद उन्नाव सई नदी से और गंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित हुआ है । जिलाधिकारी ने हेलीकाप्टर की मांग थी जो नहीं दिया गया । बाढ़ से पीड़ित 55 जिलों को बताया गया है उसमें उन्नाव का नाम नहीं है उन्नाव जनपद को शामिल नहीं किया गया है । हमारे जिले में सड़कों की मरम्मत के लिये जो पैसा दिया गया है वह 13 लाख है । मेरे यहां निर्माण खण्ड–3 जिसके अन्तर्गत बहुत सी सड़कें आती हैं उनकी मरम्मत के लिये एक भी पैसा नहीं दिया गया है । पशुओं के इलाज के संबंध में कहा गया कि पशुओं का इलाज निःशुल्क किया जायेगा लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उन्नाव जनपद में पशुओं के इलाज के लिये पैसा लिया जा रहा है । जब डाक्टरों से कहा जाता है कि पशुओं का इलाज मुफ्त करने का निर्देश है तो डाक्टर कहते है कि हमारे पास ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है । मैं यह भी जानकारी चाहता हूं कि बाढ़ के नाम पर उन्नाव को कितना पैसा दिया गया है यह बताया जाय ? मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं कि 25 हजार क्विंटल चारा मुख्य मंत्री जी ने देने की बात कही है लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि उन्नाव को कितना चारा दिया गया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उन्नाव के कितने ग्राम बाढ़ से प्रभावित हैं और उनको क्या राहत दी गयी है ? मेरे जनपद उन्नाव में राहत कार्य किये गये हैं एक नये पैसे की राहत नहीं दी गयी है । इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद । मान्यवर, पूरा उत्तर प्रदेश बाढ़ से प्रभावित है । मैंने नियम 56 के अन्तर्गत प्रतापगढ़ के बारे में मामला उठाया था । प्रतापगढ़ में कई गांव बाढ़ से डूब गये हैं । उत्तर दिया गया था कि जिलाधिकारी को धन दिया गया है और बाढ़ पीड़ितों को सहायता दी जायेगी । हमारे क्षेत्र में बरसात होने से मकान गिरने के कारण 16 लोग मर गये हैं लेकिन आज तक एक पैसा भी उन लोगों को नहीं दिया गया है । सरकार फर्जी आंकड़े दे रही है । मैं सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में नालों की सफाई नहीं की गयी जिसके कारण हमारे यहां जल भराव हो गया है । किसानों की फसल नष्ट हो गयी है, पूरी तरह से तबाही मची हुई है । मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं और तमाम तरह के वायदे किये गये, आश्वासन भी दिया गया । अभी माननीय मंत्रियों एवं सत्तापक्ष के साथियों द्वारा झूठी-झूठी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

बातें रखी गयीं कि बहुत ज्यादा सहायता दी जा रही है । लेकिन कोई सहायता नहीं दी जा रही है । प्रतापगढ़ जनपद में कोई सहायता नहीं दी गयी । बरसात से मंत्रियों के घर में सोना बरस रहा है । मंत्री लूटकर खा रहे हैं । इनको गरीबों की हाय लगेगी और यह नष्ट हो जायेंगे ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बाढ़ की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, पूरा उत्तर प्रदेश बाढ़ से प्रभावित है । हरदोई जिला भी बाढ़ग्रस्त है । हमारे विधान सभा मल्लावां क्षेत्र के 242 गांव डूब गये हैं लेकिन राहत के नाम पर कुछ नहीं दिया गया है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने तात्कालिक सहायता की बात कही । जिस समय बाढ़ आ जाये उस समय उन्हें सहायता दी जाये । 28 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश जारी कर दिया था कि 1500 रुपये की सहायता प्रति परिवार दी जाये । उसमें एक हजार रुपये नकद एवं 500 रुपये का राशन दिया जायेगा । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हरदोई जिले में तत्काल सहायता नहीं दी गयी । सहायता दिलाने के लिये मुझे अनशन पर बैठने की योजना करनी पड़ी । डी० एम० के आश्वासन पर नहीं बैठा । उसके बाद भी नहीं दिया गया । 5 किलो चावल एवं 5 किलो आटा प्रति परिवार बांटकर जनता को समझा दिया तथा हजारों व्यक्तियो के नाम छोड़ दिया जो उन्हें आज तक नहीं दिया गया । हरदोई जिले में भीषण बाढ़ आयी । गंगा, कल्याणी, सई, गर्रा आदि नदियां हमारे क्षेत्र में हैं । मैं 1979 से बराबर लिखा-पढ़ी करता रहा हूं लेकिन आज तक बन्धा नहीं बनाया गया है । 17 तारीख को जब बाढ़ मंत्री जी हरदोई गये तो एक-एक हजार गृह अनुदान की एवं 10-10 किलो गेहूं कुछ लोगों को बांटा गया उसके पहले कोई सहायता नहीं दी गयी । हमारे क्षेत्र में 17 ड्रेनें हैं उनकी सफाई नहीं की गयी जिससे उन ड्रेनों में पानी भरा हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता–

मिश्रा जी अब आप समाप्त करें, लिखा नहीं जा रहा है ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[× × ×]

* श्री वसीम अहमद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । सुबह से बाढ़ पर चर्चा चल रही है मैं उस पर अपने विचार रखने के लिये बैठा रहा । आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र का उत्तरी इलाका पूरी तौर पर घाघरा और सरयू से घिरा है । हमारे क्षेत्र के 50 गांव सरयू से और कम से कम 45 गांव घाघरा से प्रभावित हैं । मुख्य मंत्री जी आजमगढ़ गये थे वहां पर उन्होंने समीक्षा बैठक की थी वहां पर उन्होंने कहा था कि यह सदन का मामला नहीं है, संवेदनशील होकर बोलने का काम करिये । माननीय मुलायम सिंह जी यहां आये थे । उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कहा था कि आज राजनीति करने नहीं आया हूं आज दैवी आपदा के संबंध में आया हूं राजनीति तो कभी भी कर लूंगा । मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पूरा का पूरा 12 कि०मी० क्षेत्र घाघरा और सरयू नदी से घिरा हुआ है । सारे के सारे लोग बन्धे पर रहते हैं उसके बावजूद केवल 4 हैण्ड पम्प इस क्षेत्र में लगे हैं । यह इस सरकार की संवेदनशीलता है । यही नहीं हमारा क्षेत्र दो महीने पूरा जलमग्न

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रहा लेकिन पहली किश्त भी अभी तक नहीं बंट सकी है। आप दूसरी किश्त की बात करते हैं जो घिरे गांव हैं न वहां पशुओं को चारा है न पीने को पानी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कोई भी वाक्य रिपीट न हो। जो बातें विद्वान साथियों ने कही हैं चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या प्रति पक्ष के।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, इस महत्वपूर्ण विषय पर सभी माननीय सदसयों को दो-दो मिनट सुन लें।

श्री अम्बिका चौधरी–

ठीक है। मैं अपनी बात नहीं कहूंगा हमारी जगह दूसरे माननीय सदस्यों को सुन लें।

* श्री तौफीक अहमद–

मान्यवर, यूं तो पूरे उत्तर के 55 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। लेकिन बस्ती और गोरखपुर डिवीजन पूर्वान्चल के सबसे पिछड़े हुए डिवीजन हैं। मैं सिद्धार्थनगर जिले का हूं। एक महीने से उसका मुख्यालय से रास्ता कटा हुआ है। बाढ़ मंत्री जी ने पूर्वांचल के गोरखपुर तथा बस्ती डिवीजन के तमाम जन प्रतिनिधि को बुलाया और उनसे मीटिंग की, उसमें इरिगेशन के सेक्रेटरी भी थे। उन्होंने पूछा कि कैसे बाढ़ से बचाने का उपाय करें, कैसे इससे बचा जा सकता है। सारे उपाय उनको बताये गये, परन्तु उन पर कोई कार्य नहीं हुआ। मंत्रीगण जब आते हैं तो प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को तो उसकी जानकारी नहीं होती है। श्री ओम प्रकाश सिंह जी मेरे जनपद में गये हुए थे। मैंने उनको अपने निर्वाचन क्षेत्र डुमरियागंज के बारे में बताया कि वहां पर कैसे तबाही हो रही है ? मान्यवर, नेपाल से दर्जनों नदियां आती हैं, जिस कारण वह क्षेत्र डूबता रहता है और जन-धन की हानि होती रहती है परन्तु उसके निराकरण के लिये कोई प्रयास नहीं किये जाते हैं।

आज मेरे निर्वाचन क्षेत्र डुमरियागंज के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मैंने इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र 10 अगस्त को लिखा। राप्ती, कुआनो तथा रामी तीन नदियां हैं इस निर्वाचन क्षेत्र में, जिसके कारण प्रलय और तबाही मच जाती है। आज वहां पर एक भी गांव नहीं बचा है। दूसरा राहत के नाम पर वहां पर लोगों को सहायता नहीं दी गई, जो समान दिया भी गया वह मामूली दिया गया। एक हजार रुपये सहायता देने की बात जो कही जा रही है, उसमें भी यह कहा जा रहा है कि गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को यह सहायता दी जायेगी। जो लोग बाढ़ के कारण भूखे मर रहे हैं, जिनके जानवर मर गये हैं, वहां पर भी गरीब और अमीर में इस तरह से फर्क किया जा रहा है। अधिकारी मौज-मस्ती कर रहे हैं। 20 किलो गेहूं, दो लीटर मिट्टी का तेल तथा एक किलो नमक राहत के नाम पर बांटा गया है, जिसकी कीमत 500 रुपये से ज्यादा नहीं है। इसलिये मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जो लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उन सभी लोगों को बराबर की राहत सामग्री दी जाय, जो फसल नष्ट हो गयी है, उसका मुआवजा दिया जाय, रबी की फसल के लिये खाद तथा बीज

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुहैया करवाया जाय, जिनके मकान गिर गये हैं, बिना गरीब और अमीर के फर्क किये उन लोगों को सहायता दी जाय । वसूली जो आज भी हो रही है, उसे माफ किया जाय और बच्चों की फीस माफ की जाय । जिस हद तक राहत कार्य होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है, इसलिये उसे समुचित मात्रा में दिया जाय । धन्यवाद ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बाढ़ पर चर्चा के लिये एक घण्टे का समय बढ़ा दिया जाय जिससे कि कई माननीय सदस्यों के विचार आ जायें । दो-दो मिनट में माननीय सदस्य अपनी बात रख लेंगे । पहले भी रात के 10 बजे तक सदन में चर्चा हुई है । यदि एक घण्टे का समय बढ़ा दिया जायेगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी ।

श्री कल्याण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नेता विपक्ष ने जो बात यहां पर रखी है मैं उनकी बातों का सम्मान करता हूं और मैं यह नहीं चाहता कि यहां बैठा कोई भी माननीय सदस्य यह महसूस करे कि बाढ़ की त्रासदी पर और भू-स्खलन की त्रासदी पर उन्हें कुछ कहने का मौका नहीं मिला । जब तक यह बोलते-बोलते थक न जायं तब तक का समय बढ़ा दिया जाय, मैं तैयार हूं ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री अरविन्द कुमार जैन)–

मान्यवर, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिया । आज तक की सरकारों ने बाढ़ पर काबू पाया है । इस प्रलय पर कोई काबू नहीं पा सकता । यह पहला मौका है जब प्रलय आयी है । बाढ़ को रोका जा सकता है प्रलय को नहीं रोका जा सकता । माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि भूकम्प रूस में आया था 20 हजार लोग मरे थे आज भी वहां पर पैसा खाना नहीं मिल पा रहा है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर सहायता पहुंचाने का काम किया है । जो लोग समाजवाद की बात करते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो ऐसे मौके पर अपने क्षेत्र में गये और कुछ सहायता करने की बात की । मैं अपने ललितपुर क्षेत्र से एक लाख रुपये का ड्राफ लेकर आया सहायता के लिये । मेरा ऐसा क्षेत्र है जहां पर बाढ़ नहीं आती लेकिन हमारे दिल में औरों के दुख में [illegible] इसलिये हम सहायता का कार्य करते हैं ।

हमारे मुख्य मंत्री माननीय कल्याण सिंह जी ने इस प्रलय के समय में अपनी जान पर खेलकर जो राहत का कार्य किया है उसके लिये उन्हें धन्यवाद [illegible] एक विवाद बना दिया है । आज जो काम करता है उसे अनुभव होता है कि किस तरह से जान पर खेलकर उन्होंने यह कार्य किया । बन्धों के मरम्मत की बात नहीं आती है यह कोई मकान नहीं कि टीप कर दिया जाय । बन्धे स्वतः मजबूत बनाये जाते हैं । अभी सभी सदस्यों ने एक ही स्वर कही कि पिछली सरकारों ने बन्धे बनाये थे इस सरकार को उनकी मरम्मत करनी चाहिए थी । अभी ठाकुर साहब कह रहे थे और भी सदस्य कह रहे थे । पिछली आपकी सरकारों ने बांध बनवाये जो इस प्रलय में टूट गये, बह गये । बांध तो ठीक नहीं बनाये, पैसा खा गये, हां घर जरूर बना लिये । आप लोगों को यह नहीं मालूम कि बन्धों की मरम्मत नहीं होती। मैंने खुद कई बन्धे बनवाये हैं । बान्धों में कोई टीप करने की बात नहीं होती कि सीमेन्ट लगा दी । दरार आ गयी और 50, 100, 500 मीटर बह गया तो उसको कोई रोक नहीं सकता । इसका पहले से पता नहीं लग पाता । यह पहले की सरकार की गलती है जिसने पैसा खाया है । माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि इसकी जांच करवायें । दूसरी बात यह कहा गया कि भाजपा के समय में

आपदा आई भाजपा ने आपदा किया, मैं कहना चाहूंगा– "दैहिक दैविक भौतिक तापा । रामराज्य काहु नहीं व्यापा" जब रामराज्य नहीं होने देंगे फिर क्या होगा ?

(व्यवधान)

लांछन लगाते हैं कि मंत्रियों ने कमीशन खा लिया है मैं अरविन्द कुमार जैन आपको बताता हूं कि संक्रामक रोग की क्या स्थिति है, क्या हमने दिया है 10.30 लाख लोगों का उपचार किया गया । 10 लाख लोगों का मलेरिया का इलाज किया गया । 9 लाख लोगों का डायरिया का इलाज किया गया । 556 मोवाइल टीम चली है 1844 बाढ़ चौकियां और राहत केन्द्र बनाये गये हैं । अन्य जनपदों से 63 चिकित्सा दल की टीम को भेजा है । हैण्डपम्प और कुओं की संख्या 3.40 लाख है ।

(व्यवधान)

1.40 लाख क्लोरीन की गोलियों को वितरित किया गया है । 378 मी० टन ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया है । कहां तक कहा जाए, कहां तक बताया जाए । (हंसी) मुर्गी तो अपनी जान से गई और मियां जी को मजा ही नहीं आया । इनको कोई मजा ही नहीं आया । (हंसी) यह कहते हैं कि जश्न मना रहे हैं और यह लोग बैठे-बैठे हंस रहे हैं । हमें दुख नहीं है इनको दुख है यह बैठे पान खा रहे हैं तम्बाकू खा रहे हैं यह दुखी हैं । (हंसी) मान्यवर, इनको तो परमवीर चक्र मिलना चाहिए जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कार्य किया । रेवती रमण सिंह जी कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, यह तो राजा हैं यह तो अपने महल में बैठे थे इनको क्या पता (हंसी) मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए इतना कार्य किया । 50 साल में पहली बार ऐसी भीषण बाढ़ आयी है । मैं अपनी सरकार को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं धन्यवाद ।

श्री सौलत अली–

मान्यवर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं आपने मुझे इस चर्चा में इस गम्भीर चर्चा में बोलने का मौका दिया । सत्तापक्ष से विपक्ष से जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे पूरे प्रदेश में ऐसी बाढ़ पहले इस शताब्दी में नहीं आयी यह इस शताब्दी की भयकर बाढ़ है । इसमें कोई शक नहीं है । सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने इसको प्रलय का नाम भी दिया । जब-जब प्रलय का नाम लिया तब-तब मेरे मन में प्रश्न उठता था यह प्रलय इस सरकार के वक्त में क्यों आयी मैं यह सोचने पर मजबूर हो गया कि शायद रामभक्तों की कही जाने वाली सरकार के कार्य-कलाप से राम निराश हो गये हैं इसलिए ऐसा हुआ। मान्यवर, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का निवासी हूं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इस पूरी चर्चा में माननीय कौकब हमीद जी को कुछ कहने का मौका मिला और माननीय सदस्य कुछ कहते इससे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने विचार रखने शुरू कर दिये ।

श्री अधिष्ठाता–

अपने क्षेत्र की बात करें ।

श्री सौलत अली–

मैं कुछ सुझाव रखना चाहूंगा मेरा क्षेत्र ऐसा अभागा क्षेत्र है उस क्षेत्र में पांच नदियां हैं रामगंगा, ढेला, कोसी, बहल्ला व गागन आदि और यह नदियां पहाड़ से आती हैं और इन पर बांध बने हुए हैं। इन पांचों नदियों में बाढ़ थी । मान्यवर, मेरे जिले के 73 गांव मुरादाबाद में प्रभावित बनाये गये हैं उसमें से 50 से अधिक मेरे क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित की आबादी वाले गांव हैं । मान्यवर, जो डैम से पानी छोड़ा जाता है उसकी सूचना पहले से दी जाय जैसे 48 घंटे पहले या 24 घंटे पहले तो लोग उससे अपनी खेती चाहे सुरक्षित न कर पायें लेकिन अपने जान माल की अपने खाने के सामान की सुरक्षा कर सकते हैं । इस बार तीन बार कालागढ़ डैम से पानी खोला गया और इसकी सूचना डी० एम०

कार्यालय से देर से आयी । लोग अपना बचाव नहीं कर पाये । तो सरकार इसकी व्यवस्था करे कि 24 घंटे पहले इस बात की सूचना दे दी जाय कि डैम से पानी छोड़ा जा रहा है तो बचाव का प्रयास किया जा सकता है । यह मेरा सुझाव है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत सी घोषणायें की हैं, उनका छपा हुआ भाषण भी मैंने पढ़ा था । उन्होंने लगान माफ किया, शिक्षा शुल्क माफ किया और इसके साथ ही ऋण वसूली एक साल की स्थगित कर दी जाये जिनके मकान गिर गये थे, फसले डूब गयी थीं । लेकिन वसूली की जा रही है अगर वह रोक दी जाय तो अच्छा होगा । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में हृदयपुर में दो साल पहले 96 में एक प्रस्ताव राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिश से 29 लाख का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था बांध बनाने के लिये । वह पैसा अब तक रिलीज नहीं हुआ है । उसमें यह कहा जा रहा है कि कितने कच्चे मकान है, कितने पक्के मकान हैं, कितनी आबादी है यह बतायें । दो साल हो गये हैं बार-बार प्रयास किया गया माननीय मुख्य मंत्री जी को भी लिखा जा चुका है, सिंचाई मंत्री जी को लिखा गया लेकिन वह बांध नहीं बन पा रहा है । मान्यवर, आज इस बाढ़ से सैफपुर पल्ला व नाजरपुर हृदयपुर गांव कट गये हैं । मान्यवर, मेरा सबमीशन यह है कि बार-बार सैफपुर पल्ला के बसाने और बाढ़ से बचाने की इस चीज को रखा गया । बार-बार यह जबाव आया कि टी० ए० सी० ने रोक लगा दी है कि इस पर खर्चा न किया जाय क्योंकि उसके आगे सैफपुर पल्ला गांव है । 150 घर कट गये हैं । 72 घर बसा दिये गये जबकि 350 घरों की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गयी है । अगर टी० ए० सी० ने गलत ऐक्शन न लिया होता तो जो साढ़े तीन सौ घर कटे हैं वह बच जाते । डिपार्टमेंटल कार्यवाही के [illegible] पहले से रिपोर्ट बन चुकी है लेकिन उसमें ऐक्शन नहीं लिया जा रहा है । (समय 7 बजकर 10 मिनट) 15 सौ रु० की राहत की जो बात कही गयी है, मुरादाबाद जनपद में किसी को 500 रु० से ऊपर की राहत नहीं मिल रही है । आप इसकी जांच करवा लें । अगर वहां पर बेईमानी हो रही है तो उसको देखा जायेगा । इस भाषण में कही गयी बात को सही साबित करने की जरूरत है ।

* श्री बावन सिंह–

मान्यवर, जनपद गोण्डा में करनैलगंज और तरबगंज तहसील गम्भीर रूप से इस बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित हुई है । हमारी लोकप्रिय सरकार ने तुरन्त प्रभावी कदम उठाये हैं । बाढ़ नियंत्रण मंत्री 2 तारीख को हमारे यहां गये थे सभी अधिकारियों की बैठक की थी करनैलगंज के विधायक और हम सब सामूहिक रूप से गांवों का नाव पर भ्रमण किये । बाढ़ राहत में जितनी सहायता इस सरकार में [illegible] रही है पुरानी किसी सरकार में नहीं हुई थी । मेरा यह कहना है कि अगर समय से विभागीय कार्य [illegible] शुरू हो जायं तो बहुत अच्छे तरीके से बचाव कार्यवाही की जा सकती है । बाढ़ प्रभावी नियंत्रण के [illegible] ऊंचे प्लेटफार्म बनाये जायें ताकि पीड़ित जनता को तत्काल नाव से लाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके । जवाहर रोजगार योजना या अन्य योजना से गांव मे नाव की व्यवस्था पहले करा दी जाय । क्योंकि तुरन्त नाव उपलब्ध नहीं होती है बाहर से आने में टाइम लग जाता है । मिट्टी के कार्य जो सिंचाई विभाग या कार्यदाही एजेन्सियों द्वारा कराये जाते हैं, वह 30 मई तक आवश्यक पूरे करा दिये जायें । जून-जुलाई में जो होते हैं, वह न हों, 30 मई तक समाप्त हो जायें ।

*श्री राधेश्याम–

मान्यवर, पूर्वी उ० प्र० मिलाकर 55 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं । कुशीनगर जनपद की ओर माननीय मुख्य मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मुख्य मंत्री जी ने स्वयं दो बार दौरा किया, सिंचाई मंत्री जी भी दौरा किये । पिपरासी बांध टूटा हुआ था । माननीय सिंचाई मंत्री जी पिछली सरकार में भी सिंचाई और गन्ना मंत्री थे, घोषणा किये थे कि पिपरा पिपरासी बांध की मरम्मत

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

करायी जायेगी उसकी मरम्मत नहीं हुई है, उससे पडरौना जनपद प्रभावित हुआ है । माननीय मुख्य मंत्री जी के दौरे के बाद भी पडरौना जनपद अभी तक बाढ़ ग्रस्त घोषित नहीं हुआ है । उन्होंने पडरौना में कहा था कि जो इलाके प्रभावित हैं वहां गन्ना बकाया मूल्य का भुगतान कराया जाय उससे ज्यादा राहत हो जायेगी । पडरौना कुशीनगर जनपद में अकेले 58 करोड़ रु० बकाया है उसका भुगतान शीघ्र करा दें किसानों को राहत हो जायेगी । वहां जिलाधिकारी द्वारा वसूली की कार्यवाही जोरों से करायी जा रही है, उसे रोका जाय । जयहिन्द ।

* श्री महेन्द्र कुमार (सीतापुर)–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, जनपद सीतापुर में हमारा विधान सभा क्षेत्र बेहटा ही सबसे ज्यादा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है । 135 कि०मी० लम्बा हमारा क्षेत्र घाघरा, सरयू तथा शारदा नदी के किनारे बसा हुआ है । यह बेहटा विधान सभा क्षेत्र हर वर्ष बाढ़ की त्रासदी से जूझता रहता है और हमेशा राहत बांटी जाती है और इस वर्ष भी बाढ़ आई तो राहत बांटी गयी लेकिन इस राहत सामग्री को बहुत दिनों तक वहां का काश्तकार खाकर अपने पेट की आग को शान्त नहीं कर पायेगा । हमारे यहां मुख्य फसल जो इस वक्त बची हुई है बाढ़ के बावजूद वह गन्ने की फसल है । काफी शोरशराबा पहले भी विधान सभा में हो चुका है मान्यवर, जब गन्ने का सीजन चलता है तो फैक्ट्री गन्ना खरीदने लगती है और लोगों को भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाता है । मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां आगे लोग भुखमरी से मरने वाले हैं मैं मांग करता हूं कि जो गन्ना फैक्ट्रियों को दिया जाय उसका पेमेन्ट बैंक द्वारा न करके बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तत्काल भुगतान क्रय केन्द्रों के ऊपर कराया जाय ताकि जो किसान भुखमरी की कगार पर पहुंचने वाले हैं वह अपना काम चला सकें ।

मान्यवर, जो 25 हजार रुपया मकान के लिये मिल रहा है जिनके घर कट गये हैं, जमीन कट गयी है अगर उनको सरकार द्वारा ग्राम समाज की भूमि उपलब्ध करा दी जाय तो वह इसी 25 हजार रुपये से अपना घर ग्राम समाज की भूमि पर बना सकेंगे ।

श्री राम औतार शास्त्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने बाढ़ जैसे अति संवेदनशील प्रकरण पर मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से यह कहना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह अपना लिखित वक्तव्य प्रस्तुत किया सदन में उस वक्तव्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह कहा कि प्रारम्भिक अनुमान क्षति का 3546 करोड़ रुपये का था और उसके विरुद्ध 150 करोड़ रुपये दिये लेकिन यह जो नुकसान है यह तो अनुमानित है इसमें किसानों की जो भूमि कटान में चली गयी है उसका कोई जिक्र नहीं है, किसानों की चारपाई, बिस्तर, रुपया पैसा, गल्ला अनाज, भूसा सब चला गया है इसका कोई सर्वेक्षण इस वक्तव्य में नहीं है । करीब 10 हजार करोड़ का नुकसान इस बाढ़ से हुआ है और इस प्रदेश की सरकारी सम्पत्ति का भी नुकसान इसमें है ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट किया है माननीय प्रधान मंत्री जी के बारे में एक लाइन बहुत स्पष्ट कर दी है वह लाइन है "प्रधान मंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवार के लिये अभी तक 6 करोड़ 40 लाख रुपये प्राप्त हो चुके हैं " तो देश के प्रधान मंत्री ने 6 करोड़ 40 लाख रुपये दिये हैं कितनी संवेदनशील बात है जब कि 10 हजार करोड़ रुपये की बाढ़ से हानि हुई है । एक प्रधान मंत्री जो लखनऊ जनपद से सांसद है, इस प्रदेश का है वह 10 हजार करोड़ रुपये की हानि पर इस प्रदेश को 6 करोड़ रुपये देता है ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किया है। माननीय कल्याण सिंह जी सदन के नेता हैं और उन्होंने प्रधान मंत्री जी को पत्र भेजा था और प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि उन्हें कोई सूचना नहीं है कि केन्द्र से कोई रुपया मांगा गया है, इसका मतलब प्रधान मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी के बीच कोई व्यक्तिगत बात है, इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिये।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

मान्यवर, माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य हमारी बात सुनना नहीं चाहते, इसलिये मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

*श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री राम औतार शाक्य जी विषय से बिल्कुल हटकर इधर-उधर की बात कह रहे थे, इसलिये मेरा सबसे पहला अनुरोध यही है कि उनका भाषण कार्यवाही से निकाल दिया जाय। बाढ़ पर चर्चा के लिये आपने मुझे समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा टिहरी विधान सभा क्षेत्र उत्तरांचल से संबंधित हैं, वहां के कुछ समस्याओं के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में भू-स्खलन से बहुत ज्यादा तबाही हुई है और इस संबंध में प्रदेश की सरकार ने काफी राहत की व्यवस्था की है, मैं इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूं मैं कुछ सुझाव इस संबंध में देना चाहता हूं। मान्यवर, पहाड़ की जो वेल्ट है, जहां भू-स्खलन हुआ है, वहां इससे पहले 1991 में भूकम्प आया था, उस समय पहाड़ों में दरारें पड़ गई थीं और उन दरारों में बाढ़ का पानी भर जाने के कारण, कटान होने के कारण वहां इतने बड़े पैमाने पर भू-स्खलन हुआ और इतनी बड़ी तबाही हुई। इस संबंध में मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि जो इस तरह की भूकम्प बेल्ट है, उसकी सुरक्षा के लिये कोई सुरक्षा योजना बनाई जाय। इसके साथ ही जो अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर वन निगम द्वारा तथा व्यक्तिगत तौर पर लोगों द्वारा पेड़ों का कटान किया जा रहा है, इस वन कटान पर पूरी तरह रोक लगाई जानी चाहिये। और वहां पर जो भू-स्खलन होता है, उस को रोकने के लिये वहां पर स्थानीय पौधों को लगाया जाना चाहिये। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से गरीब और बेसहारा परिवार ऐसे हैं, जिनके रहने के लिये कोई स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो वहां पर बंजर भूमि पड़ी है, उसमें से एक इन्च भी जिला प्रशासन किसी को नहीं दे सकता है। मान्यवर, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि 17 मार्च, 1997 को जो उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है, उसको वापस लिया जाये। जो बंजर भूमि है उस पर गरीब और बेसहारा लोगों को बसाने का काम किया जाये।

इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

*श्री उबैदुर्रहमान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बाढ़ की चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया।

मान्यवर, मैं उतरौला विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूं। चूंकि बाढ़ पर चर्चा हो रही है। इसलिये मैं भी अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को जो गल्ला बांटा गया वह 5 किलो चावल, 2 लीटर मिट्टी का तेल एक किलो नमक और एक दियासलाई बांटी गयी है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि नदी के इस पार हमारा क्षेत्र है और उस पार सिद्धार्थनगर है। केवल

*इन्हों ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नदी का फासला है और वहां पर 20 किलो चावल दिया गया है । इस प्रकार से हमारे क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है । यह सौतेला व्यवहार दूर किया जाना चाहिये । मान्यवर, राप्ती नदी और रोड के बीच में 40 फिट का फासला है, अगर वहां पर बंधा नहीं बनवाया गया, तो बाढ़ आने पर वह इलाका डूब सकता है और वहां पर तबाही मच सकती है । इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये । अगर ध्यान नहीं दिया गया तो कई गांव वह सकते हैं । हमारे यहां पर सामान कम दिया गया है, इसलिये लोग कहते हैं कि सामान बेच लिया गया है । मान्यवर, जिन लोगों के घर गिरे हैं, उनकी सूची निष्पक्ष होकर बनायी जाये, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री मोती लाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, जनपद खीरी में शारदा नदी का तांडव खुलकर होता है और उसकी कटान बड़ी बेढब होती है और गांव के गांव बह जाते हैं और पता ही नहीं चलता है कि वहां पर कभी कोई गांव बोझवा व बरुआ तथा पिपरिया मूड, रामनगर कला आदि बसे थे । हमारे बोझवा गांव में जो प्राइमरी स्कूल था, वह इस तरह से बह गया कि उसका कहीं पता ही नहीं चला, बड़ा बेढब कटान होता है सरदारों के फार्म हैं, उनकी कोठी जो डेढ़ एकड़ में बनी थी तथा उनका 150 एकड़ गन्ना व धान बोया गया गन्ना देखते-देखते चला गया ।

वहां पर सौ साल शाखू के पुराने तथा पीपल और पाकड़ के पेड़ थे जो सब बाढ़ में समा गये पचासों सालों से वहां कटान चल रहा है । मई–जून में भी वहां कटान होता रहता है उस क्षेत्र के मंत्री बैठे यहां हैं । पीलीभीत बस्ती रोड है वह भी वह गयी होती उसमें लाखों रुपये के पत्थर न होते पत्थर पड़ने के बाद वह ठीक हुयी मेरा सुझाव है कि जिन गांवों में कटान हुआ है उनको धीरे-धीरे बसाया जाय जिन लोगों की जमीन कट गयी है उन्हें ग्राम समाज की जमीन दी जाय । नदी में बांध बनाकर लाखों रुपये की जमीन को बचाया जाय । बाढ़ राहत अनाज व जिनके मकान कट गये हैं उन्हें 25000/–रु० दिलाये जावें ।

श्री विश्वनाथ–

मान्यवर, आपने मुझे बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद भीषण बाढ़ पर यहां चर्चा में शिरकत करना चाहता हूं । मान्यवर, पूरे प्रदेश में लगभग बाढ़ की तबाही है और प्रदेश के 55 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं तो इस बाढ़ की आग को बुझाया नहीं गया, इसको रोकने का इन्तजाम नहीं किया गया तो इसके भयंकर परिणाम होंगे । बाढ़ का यह तांडव तीन महीने तक चलता रहा सबसे अधिक समय तक यह बाढ़ की तबाही रही । गोस्वामी जी की एक पंक्ति याद आई–दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज्य काहू नहीं व्यापा लेकिन इनके राज्य में बाढ़ से तबाही हुई है क्योंकि यह इसके लिए बेपरवाह रहे यह जनता के सुख सुविधा को नहीं देखना चाहते है यह लूट-खसोट का शासन चला रहे हैं । कड़वी बात कर रहा हूं इसलिए मुख्य मंत्री जी को बुरा लग रहा है । माननीय मुख्य मंत्री जी पिपरासी बांध नहीं टूटता अगर रिटायर बांध की मरम्मत की होती । आपने बांध को बचाने की परवाह नहीं की गोस्वामी जी ने कहा है कि मांगे वारिद देह जल रामचन्द्र के राज जितना बादल से पानी मांगा जाता था वह भर देते थे–जाके राज्य प्रजा दुखारी सो नृप नरक के अधिकारी पिपरासी के बांध को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया इसलिए यह तबाही हुई ।

अब रबी की फसल बोई जाएगी उसको बचाने का काम आप करें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

* श्री विश्वनाथ–

राजा को समदर्शी होना चाहिए। सबको बराबर सहायता देनी चाहिए चाहे वह बड़ा भू-स्वामी हो या छोटा भू-स्वामी हो या भिखारी हो सबको बराबर सहायता मिलनी चाहिये। किसान को रबी की बुवाई के लिए सहायता दीजिए उसे भुखमरी से बचाइये। सबको राहत दीजिए और आगे बाढ़ न आये इसका भी इन्तजाम करिये। पूरे प्रदेश के लिए एक योजना बनाइये और जो प्रभावित लोग हैं उनको सहायता दीजिये।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें।

श्री विश्वनाथ–

ऐसी व्यवस्था कीजिए कि नदियों से इस तरह की तबाही न हो और ऐसी व्यवस्था कीजिये कि नेपाल से पानी न आवे।

श्री पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।
मान्यवर, इस साल तो नदियों में बाढ़ जबरदस्त था।
घर द्वार बह रहे थे जनमानस भी त्रस्त था।
मर्माहित हुई सरकार सारा काम छोड़कर।
जनता के बीच राहत पहुंचाने में व्यस्त था॥

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी किए दौरा सभी बाढ़ के ठिकाने में।
जी जान से लगे थे लोग पीड़ितों को बचाने में।
जैसी व्यवस्था आज की सरकार ने किया।
ऐसा नहीं हुआ था कभी किसी के जमाने में।

बाढ़ से पीड़ित यहां के थे पचप्न जिले।
नदियां बनी तूफान प्रलय के थे सिलसिले।
शासन था चुस्त और दुरुस्त काम में लगा।

सबको मिली मदद नहीं कोई शिकवे गिले।
हजारों बाढ़ चौकियां बनाई गयी थीं।
आठ हजार नाव मोटर बोटें लगाई गयीं थीं।
चार लाख पशु और साढ़े सात लाख लोग।
सुरक्षित भेज इनकी जिन्दगी बचाई गई थी।
निःशुल्क भोजन पानी दवा बांट रहे थे।
पीड़ित के बीच जा-जा दुख बांट रहे थे।
तत्काल राहत हेतु पन्द्रह सौ की मदद कर।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बेघर को पच्चीसों हजार बांट रहे थे।
जो लोग आज सदन में हल्ला मचा रहे
पहले यही मदद के थे गल्ला पचा रहे
सरकार जो किया इन्हें न रास आ रहा
विपत्ति में यही सभी थे पल्ला बचा रहे।
इन्हीं बातों के साथ मैं मान्यवर, अपनी बात को समाप्त करता हूं।

* श्री भीम प्रसाद सोनकर–

मा० अधिष्ठाता महोदय, आपने जो इस भीषण अतिवृष्टि पर बोलने का मुझे जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, पूरे प्रदेश की जनता इस भीषण आपदा में त्राहि-त्राहि कर रही है। इसी कड़ी में हमारे जनपद अम्बेडकर नगर के हमारे विधान सभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आती रहती है किन्तु इस वर्ष जो वहां बाढ़ आयी है उससे पूरे क्षेत्र की जनता बरबाद हो गयी है और उनके पास कुछ नहीं बचा है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि बाढ़ग्रस्त लोगों के जिनके घर ध्वस्त हो गये हैं और उन्हें जो अनुदान दिया जा रहा है वह बहुत कम है जैसे आंशिक रूप में ध्वस्त घरों के परिवार वालों को 600 रुपये और पूर्णरुपेण ध्वस्त घरों हेतु 5 हजार रुपया अनुदान दिया जा रहा है जबकि नेता सदन का विचार आया है कि आंशिक रूप में 1500 रुपये और पूरे ध्वस्त घरों को 25 हजार रुपये अनुदान दिया जाना चाहिए। इसी तरह राहत सामग्री रूप में जो गल्ला दिया जा रहा है वह भी बहुत कम है और जो 25 किलो गेहूं खाने के लिए दिया जा रहा है वह कम है। इसलिए इससे अधिक राहत सामग्री दिये जाने की आवश्यकता है। जिन लोगों की खेती बरबाद हो गयी है उन्हें मजदूरी देने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि बाढ़ पीड़ित लोगों को अधिक सहायता दी जाए।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया है आप बैठ जायं।

(व्यवधान)

(इस समय 7 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

*श्री राम नरेश रावत–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिये अवसर दिया। मान्यवर, मैं आपका ध्यान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर में पिछले वर्ष भी बाढ़ आयी थी और इस बार भी बाढ़ आयी है। मेरे यहां बाढ़ आने के दो कारण हैं। एक तो हमारे यहां पर बड़ा नाला है। स्टेट सेक्टर में इसकी खुदाई का प्रस्ताव जिले से आया है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उसको पारित किया जाय ताकि बाढ़ से राहत मिल सके। दूसरे हमारे यहां 60 किलोमीटर का खादर पड़ता है ज्योतिबा फुले नगर में बंधा बन गया है इसलिये हमारे इलाके में गंगा जी के पानी से बाढ़ आ गयी। हमारे यहां एक शुगर मिल है उसके ऊपर किसानों का 6 करोड़ 37 लाख रुपया बकाया है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसका भुगतान जल्दी से जल्दी करवा दें ताकि किसानों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा० वेद प्रकाश सिंह, एम० एस०–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मेरे जनपद बिजनौर में पश्चिम में गंगा नदी पड़ती है और पूर्व में रामगंगा नदी है । दोनों नदियों के कारण हमारे यहां बाढ़ आती है । पूरा गांव ही बाढ़ में इयोढ़ी जिसमौर पालनपुर वजीरपुर जागीर अमीनाबाद मुकरपुरी व सिपाईयों वाला टाड़ा आदि अत्यधिक प्रभावित हुए और इयोढ़ी का राजपाल नाम का एक आदमी नौकरी करके साढ़े 9 बजे आ रहा था, वहां अचानक नदी में आयी बाढ़ से डूब कर मर गया । मैं सरकार की इस बात के लिये सराहना करता हूं कि सरकार ने बाढ़ ग्रस्त लोगों को राहत दी, दवायें दी गयी अधिकारियों की टीम व जनप्रतिनिधि तुरन्त वहां पहुंच गये लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि राजपाल नाम का जो व्यक्ति मर गया है उसके परिवार को मात्र 10 हजार रुपया मिल पाया है । मेरा अनुरोध है कि कम से कम उसको 50 हजार रुपये मिलने चाहिये । परिवार में वही एक कमाने वाला व्यक्ति था । हमारे यहां रामगंगा नदी से ज्यादा पानी आता है मेरा सुझाव है कि रामगंगा नदी पर स्योहारा–जागीर ठाकुरद्वारा मार्ग पर राम गंगा नदी पर एक पुल बना दिया जाय तो लोगों को स्थायी रूप से इस बाढ़ से बहुत राहत मिलेगी । जो वहां पर जानमाल की हानि हुयी है उसके लिये मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि आर्थिक सहायता दी जाय । इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्र में दो पुलिया बनवा दी जायं तो क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी । एक पुलिया इयोढ़ी तथा एक जिसमौर के रास्ते पर डगरियाई नदी पर बनवाने की कृपा करें जिससे इन गांवों का सम्पर्क शेष भाग से बना रहे है ।

श्री अध्यक्ष–

केवल 4 माननीय सदस्य बचे हैं 2-2 मिनट में अपनी बात कह दें ।

श्री नन्द राम–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मेरे जनपद बरेली के तहसील करीमपुर में 15–20 किलोमीटर की दूरी पर रामगंगा नदी पड़ती है । हमारे क्षेत्र के 8–10 गांव उसकी धार में आ गये हैं । फसल नष्ट हो गयी । रात को जब बाढ़ आयी तो जानवर फंस गये । मेरे क्षेत्र में एक तरफ रामगंगा है दूसरी तरफ 4 और नदियां हैं । हमारे क्षेत्र की सारी फसलें नष्ट हो गयी है । गांवों में तमाम मकान गिर गये । इन नदियों के अतिरिक्त दो नाले भी हैं । गौरैया नदी और रेवती नाला, इन नालों में रामगंगा से ज्यादा बाढ़ थी । बीसों आदमी मर गये । मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है कि इस बार लेखपालों ने दूसरे गांवों में बैठकर सर्वे किया है । वहां पर आदमी मर गये लेकिन उनको देखने व सर्वे करने नहीं गये । मैंने कई बार एस०डी०एम० एवं तहसीलदार से आग्रह किया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है । मान्यवर, जो जनहानि एवं फसलों की क्षति हुई है वह केवल पूर्वी इलाके की नहीं हुई है बल्कि पूरे प्रदेश में हानि हुई है । मेरा कहना है कि जो हानि हुई है उसका मुआवजा दिया जाये पक्षपात न बरता जाये । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

आचार्य राम देव वैश्य–

मान्यवर, आपने मुझे बाढ़ पर हो रही चर्चा पर अपने विचार रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं । हमारा रूदौली विधान सभा क्षेत्र चारों तरफ से नदियों से घिरा है । उत्तर में घाघरा, दक्षिण में गोमती, पूर्व में मड़हा डैम और पश्चिम में कल्याणी नदी है । मेरे क्षेत्र में भीषण तबाही हुई है । घाघरा नदी के किनारे पर बना बांध चिर्रा से रामनगर तक के बीच दो स्थानों पर टूटा और 59 गांव के हजारों घर जलमग्न हो गये । 37 पशुओं की हानि हुई, 17 जनहानि हुई । लोगों में यही चर्चा है कि जिस तरह से इस बार तबाही हुई है ऐसी कभी नहीं हुई । शासन ने जिस मुस्तैदी के साथ सहायता की है, राशन जिस तरह से लोगों को मिले हैं, भोजन की व्यवस्था शासन, प्रशासन द्वारा की गयी है उसकी क्षेत्र के लोगों द्वारा जबरदस्त तारीफ की गयी है कि ऐसी व्यवस्था कभी भी नहीं हुई । मैं विरोध पक्ष के लोगों को चुनौती देता हूं कि वह गांवों में जाये और ग्रामीणों से पूछे तो उनको सही स्थिति का

ज्ञान हो जायेगा । विपक्ष के लोग न केवल यहां विरोध कर रहे हैं हमारे विपक्ष के साथियों ने संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया है । अभी हमारे फैजाबाद क्षेत्र के भाई बोल रहे थे कि बाढ़ से पीड़ित लोगों को इमदाद नहीं मिली है । वह अपने क्षेत्र में ही देख लें । प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो कहा है उसी प्रकार से पूरी सहायता प्रदान की गयी है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रशासन को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पीड़ितों की भरपूर सहायता की है ।

* श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया । अभी मालपा के बारे में जिक्र हुआ था । उत्तरांचल में भयानक भूस्खलन हुआ भूस्खलन ऐसा जिससे पूरा का पूरा पहाड़ टूट कर आ गया । मालपा स्थान हमारे जनपद पिथौरागढ़ में पड़ता है, जिसमें 209 लोगों की मृत्यु हो गई । यह वह यात्री थे जो कैलाश मानसरोवर जा रहे थे । यहां के बारे में तरह-तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि वहां नहीं रुकना चाहिए था । मैं बताना चाहता हूं कि जब से कैलाश मानसरोवर यात्री जा रहे हैं मालपा पड़ाव हुआ करता है । इसी पड़ाव के तहत वहां लोगों के ठहरने के लिए हट्स बनाई गई । वह दैवी आपदा थी जिसमें ऊपर से पहाड़ गिरा और पूरे के पूरे गांव को बहाकर ले गया । वहां से धार चूला 60 कि०मी० पड़ता है । अचानक लगातार बरसात होने लगी जिससे घटना भयंकर हो गई । लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने तुरन्त राहत कार्य शुरू करने का काम किया । अभी मैं सुन रहा था विपक्ष के तमाम लोग आलोचना कर रहे थे कि पैसा नहीं मिला, राशन नहीं मिला ऐसा नहीं है ।

आज तक वहां 46 शव मिले । क्योंकि 20–20 टन के बोल्डर ऊपर पड़े हुए हैं अगर डायनामाइट लगाते तब भी शव नहीं निकल सकते । उसके बगल में काली नदी बहती है । दुर्घटना होते ही मैं और हमारे साथी विधायक, सांसद और पूर्वांचल के चारों मंत्री बराबर धारचूला में डटे रहे । हट्ज के ऊपर 20–20 टन के बोल्डर पड़े हैं वहां डायनामाइट भी जल्दी नहीं पहुंच सकता था । एक-डेढ़ कि०मी० पहाड़ टूट कर मालपा के ऊपर आ गया । जिससे नीचे से लोग ऊपर नहीं जा सकते और ऊपर से लोग नीचे नहीं आ सकते । चार हेलीकाप्टर पिथौरागढ़ में रुके रहे लेकिन वह जल्दी घटना स्थल पर नहीं पहुंच सके । 18 तारीख की घटना के बाद 22 तारीख को वहा रेस्क्यू कार्य शुरू हो सका । मुख्यमंत्री जी घटना स्थल पर रवाना हुए थे लेकिन मौसम की खराबी के कारण उनका हेलीकाप्टर नहीं पहुंच सका था बाद में पहुंचा । यह कहा गया कि वहां सहायता राशि आहरित नहीं की गई जबकि 1,44000 रुपये की सहायता राशि आहरित की गई । 14 स्थानीय लोगों को जिनकी लाशें मिली 14 लाख रुपए दिए गये तीन लोगों के परिवार को मुख्य मंत्री जी ने प्रति परिवार एक लाख रुपए दिए । 11 घायलों को 25 हजार प्रति घायल के हिसाब से मुख्य मंत्री जी ने दिए । मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वहां पर त्वरित सहायता की व्यवस्था की गई । इस भीषण आपदा में जो अनहोनी घटना घटी जिसको नहीं होना चाहिए था भू-स्खलन होते रहते हैं लेकिन इतना बड़ा भू-स्खलन पहली बार हुआ लेकिन जितनी जल्दी हमारी सरकार द्वारा वहां पर पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाई गई इस के लिए मैं बधाई देता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने बाढ़ की समस्या पर विस्तार से अपनी बातें रखीं, अपने अनुभव रखे । मुझे उन्हें दोहराना नहीं है । जो नीतिगत विषय छूट गया होगा उसको नेता विरोधी दल जब अपनी बात कहेंगे तो रखेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं नेता सदन से कहना चाहता हूं कि "दगुमानी दूर हो सकती नहीं, आइये तोहमत लगाना छोड़ दें" । मैं सबूते हक देना छोड़ दूं, आप भी अब आजमाना छोड़ दें ।" मान्यवर, इस सरकार ने कई कीर्तिमान स्थापित किये हैं । इन्होंने एक नया काम प्रयोग के तौर पर किया और एक बाढ़ मंत्री का पद सृजित कर दिया और इस शताब्दी की इतनी भयानक बाढ़ आई कि सब बह के चला गया और आपने जो इन्तजाम किया, उनकी भी कोई दूसरी मिसाल हो नहीं सकती । आप कहीं प्रयोग के तौर पर कोई दैवी आपदा मंत्री न बना देना, कहीं इस प्रदेश में ऐसी दैवी आपदा न आ जाये कि प्रदेश को बचाने वाला कोई न हो । आपने जिस तरह के इंतजाम किये, जैसा कि हमारे मित्रों ने भी यहां पर कहा, मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो गड़बड़ी हो गई है, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा परन्तु आने वाले दिन बहुत कठिन हैं । जिन लोगों के घर बंधों के टूट जाने के कारण वह गये थे, अब जब वह अपने घर वापस जा रहे हैं तो वहां न चारपाई है, न झोपड़ी है और न बदन पर पहनने के लिये कपड़ा है । एक हफ्ते के बाद ठण्डा आने वाला है इसलिये आगे आने वाले दिनों के लिये व्यवस्था करने की कृपा करें ।

खाद और बीज उपलब्ध कराने की बात माननीय सदस्यों ने की है, मेरा कहना यह है कि सरकार के मुखिया होने के नाते अगर आप रूटीन तरह से आंकड़े के माध्यम से अपने उत्तर दायित्व तथा उत्तर से संतुष्ट हो जायेंगे तो आपको जनता क्षमा नहीं करेगी और प्रदेश का गरीब आपको कभी क्षमा नहीं कर पायेगा । वास्तविक त्रासदी के उत्तरदायित्व का निर्वाह करें । हम लोग जो विपक्ष में बैठे हैं, राजनीति में जो समाज सेवा करने वाले लोग हैं और जो राजनीति में नहीं है, उन सभी लोगों ने गम्भीरतापूर्वक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया । समाज सेवीसंस्थाओं ने तथा विशेषरूप से समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है । हम अपने संकल्प को फिर दोहराते हैं, कि आप जितना कार्य करेंगे, उससे आगे बढ़कर हम काम करेंगे और सहयोग देंगे और लोगों को त्रासदी से निकालने का काम करते रहेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री धनीराम वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, पक्ष और विपक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों ने प्रदेश की भीषण बाढ़ के संबंध में अपने-अपने विचार रखे और ज्यादातर लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई या फिर अपने क्षेत्र में जो देखा उसे सदन में प्रस्तुत किया । मैं भी 28 अगस्त से लेकर 5 सितम्बर तक तथा 19 सितम्बर से लेकर 21 सितम्बर तक दो बार में कई पीड़ित जनपदों का दौरा किया और लोगों से जानकारी की । श्रीमन्, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, मऊ, बहराइच, बाराबंकी, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरय्या आदि बहुत से जनपदों में जाकर बाढ़ की विभीषिका को देखा और सरकारी सहायता तथा स्वयं सेवी संस्थाओं ने जो सहायता प्रदान की है उसकी भी जानकारी प्राप्त की । श्रीमन्, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बताया है कि बाढ़ से 1350 लोगों की मृत्यु हुई जिसमें भू-स्खलन से मरने वालों की संख्या भी शामिल है । श्रीमन्, मेरी अपनी जानकारी के पश्चात् ऐसा विचार है और यह जानकारी हुई है कि 2 हजार से ज्यादा मरने वालों की संख्या है और जो आकंलन आपने किया है रुपयों में करीब साड़े तीन हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है सारे प्रदेश में । मैं इस सम्बन्ध में भी कह देना चाहता हूं कि यह नुकसान भी 15/20 हजार करोड़ रुपये से कम का नहीं है । श्रीमन्, मैं उदाहरण देकर अपनी बात की पुष्टि कर देना चाहता हूं कि श्रीमन्, जाकर भी मैंने लोगों से पूछा और उन्होंने बताया कि जो जल भराव वाले क्षेत्र हैं जहां नदी की बाढ़ आई पहले झील थी अब तालाब हो गया तो उस इलाके को बाढ़ग्रस्त इलाके में शामिल नहीं किया गया ।

श्रीमन्, वह भी तो नदी की बाढ़ से और भारी वर्षा से उसमें अधिक जल भराव हुआ उसके पास की फसल नष्ट हुई और मकान गिर गये । यही नहीं श्रीमन्, बहुत से बन्धे टूटे कुछ गांव ऊंचें पर थे तुर्तीपार और दूसरा गांव जो है वह भी बलिया का है मैंने स्वयं देखा और वहां लोगों ने बताया जो कि

बन्धे पर रुके हुए हैं उन्होंने बताया कि हमारे यहां कोई सहायता नहीं दी गई । मैंने कहा भाई क्यों नहीं दी गई ? तो उन्होंने बताया कि यह कह दिया गया है कि गांव के मकान तो नष्ट नहीं हुए । जब नष्ट नहीं हुए तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है हां नहीं । श्रीमन्, गांव तो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ लेकिन चारों तरफ की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गयी क्योंकि फसलें निचाई पर होती हैं और कुछ गांव भी निंचाई पर होते हैं । तो श्रीमन्, ऐसे गांवों को भी जोड़ लिया जाय जो जल भराव से ग्रसित हैं इनको भी इसमें जोड़ लिया जाय तो निश्चित रूप से मात्रा, संख्या और तादात बहुत अधिक बढ़ जायेगा यह दुगने, तीगुने से भी ज्यादा हो जायेगा ।

पहले गांव में बाढ़ की विभीषिका चरम सीमा पर थी । मैंने गोरखपुर आदि जनपदों को देखा शहर में पहली मंजिल के मकान भरे पड़े थे । महेबाबाद आदि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था । राप्ती नदी ने 500 मीटर से ज्यादा गोरखपुर जाने वाली सड़क को काट रखा था । पेट्रोल पम्प बह गया था, ध्वस्त हो गया था । बहुत से मकान बह गये थे । यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है । यह भी देखा कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में लगभग 5 हजार लोग शरण लिये हुए थे । मिलिटरी हास्पिटल में हजारों लोग रुके हुए थे । सड़कों पर सेना के जवान नाव से फंसे हुए लोगों को निकाल रहे थे । मैंने पूछा भाई क्या स्थिति है अन्दर बाढ़ की ? तो उन्होने बताया कि अभी हम उन लाशों को नहीं निकाल पा रहे हैं जो बांसों के झुण्डों मे अटकी हुई हैं या किसी पेड़ आदि में अटकी हुई हैं । अभी उन लोगों को निकाल रहे हैं जो बाढ़ में फंस गये थे किसी दो मंजिले मकान पर चढ़ गये थे । उनको निकाल रहे हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था पूरी नहीं कर पाए हैं किसी तरह से उनको निकालकर सुरक्षित स्थान पर ला रहे हैं । जो लोग अस्पतालों में रुके थे अन्य स्थानों पर रुके थे, तीन सितम्बर तक गोरखपुर में यह भी नहीं था कि पानी आदि की व्यवस्था कर दी जाती त्रिपाल आदि की व्यवस्था कर दी जाती । पानी बरस रहा था वह अपने इंतजाम से या किसी स्थान पर शरण लिए हुए थे । बाढ़ में भी लोग सड़क के किनारे रुके हुए थे उनके कपड़े भीगे हुए थे । उन्होंने बताया कि 2 सितम्बर की शाम को खिचड़ी बांटी गई चावल सड़ गए थे किसी ने उसको नहीं खाया मैं प्रशंसा करता हूं उन स्वयं सेवी संस्थाओं की, चाहे वह रोटरी क्लब हो चाहे लायंस क्लब हो, चाहे व्यापारी मंडल हो, चाहे लोहिया वाहिनी हो सभी स्वयंसेवी संस्थाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया ।

गोरखपुर यूनीवर्सिटी में चावल बनाने का कार्य वह कर रहे थे, पैकेट बनाकर भेज रहे थे । लोहिया वाहिनी के एक डाक्टर हैं उनकी पत्नी भी डाक्टर हैं उन्होंने 60 हजार की दवायें मुफ्त बांटी । सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी दवा की व्यवस्था नहीं थी । उस समय तक कुछ इंतजाम नहीं था उन लोगों से पूछा उनका कहना था दो किलो आटा दो किलो चावल के अलावा हमें कुछ नहीं मिला । श्रीमन्, यह बहुत डींग हांकते हैं यह सहायता दे दी वह सहायता दे दी अभी सिंचाई मंत्री जी कह रहे थे 1500 रुपया अहेतुक सहायता बांट चुके हैं मुख्यमंत्री जी के भाषण में लिखा है जहां बाढ़ अभी है वहां अहेतुक सहायता दुबारा बांट रहे हैं । वह कौन से जनपद हैं । माननीय मंत्री जी ने अपने लिखित भाषण में कहा है कि छात्रों की फीस माफ कर दी गई है । मान्यवर, कक्षा--12 तक का शुल्क माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने माफ कर दिया था । इस सरकार ने एक रुपये से दो रुपये तक जो विकास शुल्क लिया जाता था वह 5 रुपये से 8 रुपये तक लेना शुरू कर दिया है । जो शुल्क से ज्यादा है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं विकास शुल्क माफ कर देंगे कहा लेकिन क्या छात्र शुल्क के नाम पर नहीं लिया जा रहा है ?

श्रीमन्, लिखित भाषण में कहा गया है कि हमने किसानों के लगान को आबपासी को माफ कर दिया है । मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं झूठी बात निकले तो मैं विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देने को तैयार हूं । बाढ़ पीड़ित इलाको में आबपासी वसूली जा रही है ऐसे भी जनपद हैं जहां एस० डी० एम० 117 की कार्यवाही करते हैं ।

(समय 8 बजकर 10 मिनट)

और उसके बाद पुचलका या जमानत तभी होती है जब वह वसूली की रसीद देख लेते है नहीं तो जेल में डाल देते हैं मान्यवर, औरैया जनपद की विधूना तहसील में आप पता लगा लें यदि झूठ निकले तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा देने को तैयार हूं । ऐसा ही अन्य जनपदों में हो रहा है और

उनसे सख्ती से वसूली की जा रही है । जहां तक खाद और बीज का प्रश्न है आप कहते हैं कि हम मुफ्त देंगे । आज बोआई शुरू हो गयी है आलू की, तौरैया की, लाही की और अलसी की तो मैं यह जानना चाहता हूं कि बाढ़ पीड़ित जनपदों में इसके बीज उपलब्ध करायेंगे ? 10-5 दिनों में कहीं-कहीं चना और मटर बोया जाने लगा था, बाढ़ में बह गया । जब आप लघु और सीमान्त कृषकों को बीज मुहैया करायेंगे तो चना और मटर का बीज भी उपलब्ध करा दीजियेगा । यदि आपने उपलब्ध करा दिया है तो कृपया अपने भाषण में बता दीजियेगा ।

मान्यवर, जब गेहूं की बोआई होगी तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने क्या किया । जिन किसानों ने उधार लेकर खाद डाली थी अन्य खरीफ की फसलों में वह बह गयी है । आज उन लोगों के पास खाद भी नहीं है तो उन लोगों को मुफ्त खाद उपलब्ध करायें ताकि प्रदेश की पैदावार घट न पाये श्रीमन् अभी तक जो 15 किलो गेहूं और चावल दिया गया है । जैसा कि कल मैंने पूछा था कि पहले दो किलो दिया गया था अब 15 किलो की बात एस० डी० एम० ने बतायी यह बतायें कि 15 किलो बांट रहे हैं तो सब मिलाकर पांच सौ रुपया का सामान उसमें 15 किलो गेहूं और 15 किलो चावल, चार लीटर मिट्टी का तेल, दो चार दियासलाई है तो यह सब मिलकर पांच सौ रुपया कैसे हो जायेगा । साथ ही साथ एक हजार रुपये नकद की बात भी कही गयी है । बहुत स्थानों पर बांटा भी गया है यह आपने कहा लेकिन इतने से कुछ होने वाला नहीं है । मेरा मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि वह किसान जो पूरी तरह से विस्थापित हो गये हैं जिनके मकान गिर गये हैं, फसल बरबाद हो गयी है उन्हें छः महीने तक जब तक दूसरी फसल तैयार नहीं होती है तब तक उन्हें खाना दिया जाय । एक सुनिश्चित रोजगार के अन्तर्गत उन्हें काम दिया जाय । पहले भी इस तरह की योजनाएं चलती थीं तब भी इसकी जरूरत है । क्योंकि 15 किलो या 20 किलो दो चार दिन के लिए ही पर्याप्त होगा ।

मान्यवर, मुझे क्लोरीन गोलियों को दिखाया गया जो पानी को शोधित करती हैं । वैसे यह आधे घण्टे में पानी में घुल जानी चाहिए लेकिन लोगों ने बताया कि 2-4 घंटे तक नहीं गलती, पत्थर की तरह हैं, नकली हैं । इसकी जानकारी की जाय । बाढ़ के नाम पर लोग जो लूट कर रहे हैं उसको रोका जाय । अगर सही दवायें नहीं मिलेंगी, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था नहीं होगी, पशुओं की बीमारी के उपचार की व्यवस्था नहीं होगी तो कैसे राहत मिलेगी । कहा जरूर गया कि वैक्सीन लगाये जा रहे हैं, कहीं एक आध जगह व्यवस्था हुई होगी वरना अभी तक वैक्सीन नहीं लगाये जा रहे हैं । एस० डी० एम० कह रहे हैं कि दामा जानवरों को मुहैय्या करने की बात चल रही है । जो 20-20 किलो गेहूं चावल देंगे उसमें 5-5 किलो–10 किलो लेकर जानवरों को चारा देंगे ।

श्रीमन्, यह सवा दो सौ रु० से ज्यादा नहीं होता है पांच सौ का कैसे होगा यह खुली लूट है । यह बाढ़ दैवीय आपदा नहीं थी निश्चित तरीके से यह सरकार की दी हुई आपदा थी । मैंने विश्वस्त सूत्रों से सुना जरूर है माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय सिंचाई मंत्री जी को निर्देश दिये थे कि बांधों की मरम्मत करायी जाय शायद सिंचाई मंत्री जी ने कहा कि पैसा नहीं है इसी उधेड़बुन में मरम्मत नहीं हो सकी । जिस कारण वह त्रासदी हो गयी । पानी तो पहले भी बरसता था यह सही है कि पानी अत्यधिक हुआ है । बिल्थरा रोड पर बिल्थरा गांव हैं, गांव के लोगों ने तीन दिन पहले जाम लगाया कि बंधे की मरम्मत करायी जाय तुर्तीपार गांव के लोगों ने भी अनशन किया, डी० एम० आये कहा कि कल मरम्मत करवा दी जायेगी, मरम्मत नहीं हुई, बंधा कट गया अगर इसमें सत्यता है तो निश्चित रूप से डी० एम० को सजा मिलनी चाहिए । वहां के राज्य मंत्री हरनारायण जी वह भी जाते हैं लोगों ने कहा कि कुछ न दीजिये 500 बोरी दे दीजिये लेकिन कुछ नहीं । लोगों ने जो गल्ला था जमीन पर डाल दिया, बोरी में मिट्टी भर कर बंधे पर डाला ।

मंत्री जी ने कहा कि अमरीका को आर्डर भेजा है, जब वहां से आ जायेंगी मिल जायेगी, इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है । कुछ गांव जो नष्ट हो गये, लिखा पढ़ी नहीं हुई कोई सहायता नहीं मिली उल्टे कोई मंत्री जी गांव में गये उनके खिलाफ नारेबाजी होने लगी, उन्होंने मुकदमा कायम करा दिया । तीन दिन पहले जब मांग है तो सारा का सारा दोष सरकार और अधिकारियों पर है, ईश्वर का कोई दोष नहीं है ।

ओला को दैवी आपदा से जोड़ा गया है अगर वह दैवी आपदा है तो यह भी दैवी आपदा है । हमारी सरकार में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि अगर फसल नष्ट होती है तो 500 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा देंगे लेकिन वह सरकार चली गयी और आपकी सरकार आई, इस समय भी आपकी ही सरकार है 500 रुपया प्रति एकड़ लोगों को मुआवजा दे दें । इसमें भी ओला की तरह से सहायता दी जाय । हम यह भी कहना चाहते हैं कि जो किसानों का कर्ज है लगान आवपाशी की बात आप कह रहे हैं, 10 हजार तक का कर्ज माफ करने की आप घोषणा करें और इसलिए करें कि आपके सामने उदाहरण मौजूद है । हमारी सरकार में मुख्य मंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी उन्होंने 10 हजार रुपया किसानों का कर्ज माफ किया था अगर आप माफ कर देंगे तो यश के भागी होंगे और तमाम लोग आपकी प्रशंसा करेंगे ।

श्रीमन्, हम यह भी कह देना चाहते हैं कि आपके पास संशाधन नहीं है प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अखबारों में आता है क्या सही है क्या गलत है मैं नहीं जानता, प्रधान मंत्री माननीय बाजपेयी जी कहते हैं कि प्रदेश से मांग ही नहीं आई बाढ़ के लिए कि कितना पैसा चाहिए और मुख्यमंत्री कहते हैं कि तीन-तीन पत्र हमने लिखे अब क्या सही है क्या गलत है, मैं नहीं जानता । पत्र लिखा गया तो कब लिखा गया और लिखा गया तो जवाब क्या मिला और नहीं लिखा गया तो क्यों नहीं लिखा गया बाद में लिखा गया जैसा बहुत से लोगों ने चर्चा किया जब माननीय प्रधानमंत्री ने यह बयान दे डाला तो अधिकारियों को बुलवाया गया और कहा गया कि दिखाइये कि पत्र लिखा गया । श्रीमन्, आज कल तो फैक्स का जमाना है इसमें कहीं न कहीं असावधानी जरूर है जिससे देरी हुई है । श्रीमन्, यह कहा गया कि करीब डेढ़ अरब रुपया बाढ़ सहायता के लिए मुहैया करा दिये गये हैं तो इससे क्या होगा जहां 15-20 हजार करोड़ का नुकसान हो वहां यह डेढ़ अरब रुपया ऊंट के मुंह में जीरा की बात होगी । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि जिन बंधों पर मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है उनको पूरा किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, बाढ़ और भूस्खलन के ऊपर यह चर्चा दोपहर लगभग साढ़े 12 बजे प्रारम्भ हुई थी और अब साढ़े 8 बजने जा रहे हैं । नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि इसका एक घण्टे का समय और बढ़ा दिया जाय । मैंने पीठ से यह अनुरोध किया था कि जब तक लोग बोलना चाहें, तब तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय । मंशा इतना ही था कि हम सबको सुनना चाहते थे । मैं उन सभी माननीय सदस्यों को, माननीय नेताओं को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, उन सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बाढ़ और भूस्खलन के विषयों पर इस चर्चा में भाग लिया बड़े रचनात्मक सुझाव भी आये, सकारात्मक सुझाव भी आये और मैंने इस बात के लिये मन बनाया है कि आज की जितनी भी चर्चा हुई है, चाहे वह किसी भी माननीय सदस्य के द्वारा बातें रखी गई हों, आज की सम्पूर्ण कार्यवाही का हम अलग से परीक्षण करा लेंगे और जो-जो बिन्दु उठाये गये हैं, उनका अलग से संकलन करा लेंगे । आपके द्वारा उठाये गये बिन्दु इस समस्या के निराकरण के लिये हमारे लिये मार्गदर्शन का काम करेंगे । मैंने इस चर्चा को बहुत गंभीरता से लिया है, एक बात तो श्रीमन् यह हुई ।

दूसरी बात, जो बाढ़ आई है, जो भूस्खलन हुआ है, मेरा यह दावा नहीं है कि मैं हर स्थान पर जा पाया हूं लेकिन अधिकांश स्थानों पर मैंने स्वयं जाने का प्रयास किया है, हेलीकाप्टर से भी, धरती पर भी । जो कुछ भी मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, यह अतिशयोक्ति की बात नहीं है कि इस बार की बाढ़ कदाचित बाढ़ कहना समस्या के आयाम को छोटा करके आंकना होगा, बल्कि सही अर्थों में यह जल-प्लावन की स्थिति हमने देखी है । पर्वतों पर जो भूस्खलन हुआ है, मैंने वहां पर भी हवाई सर्वेक्षण किया, धारचूला पर उतरा, लोगों से मिला, बातचीत की, समस्यायें जानी । फिर जो मालपा गांव में त्रासदी का शिकार हुये हैं, वहां पर भी गया । वहां उत्तर प्रदेश राज्य का हेलीकाप्टर उतर नहीं सकता था तो मिलिटरी के चेतक हेलीकाप्टर से जाकर उतरा वहां के उस भयंकर भूस्खलन को भी देखा । मैं ऊखीमठ भी गया, वह स्थान भी देखा, जहां पर पहाड़ के टूटने के कारण झील बन गई थी । ऊखीमठ में भी हेलीकाप्टर उतरा, जनता के बीच में गया । वहां की स्थिति परिस्थिति का जायजा लिया, फिर देहरादून पर आकर यहां जितने लोग आये थे, उनसे भी बात करके आया । श्रीमन्, पहाड़ों पर जो भूस्खलन हुआ है, उसे भी मात्र भूस्खलन कहना, पहाड़ों पर हुये हादसे को कम करके आंकना होगा ।

वह पर्वत स्खलन हुआ है । मैंने हवाई सर्वेक्षण के द्वारा उत्तरांचल के लगभग 2-3 जनपदों को छोड़कर सभी जनपदों का दौरा किया है और इसके बारे में उत्तर देते समय इस बिन्दु पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा ।

श्रीमन्, तीसरी बात यह है कि यह भयंकर त्रासदी है । मैं इसे राजनीति से नहीं जोड़ता हूं । मुझे प्रसन्नता हुई है कि हमारे विपक्ष के नेताओं ने भी इस अमानवीय त्रासदी को राजनीति से नहीं जोड़ा है। यह इतनी भयंकर त्रासदी है कि इस पर राजनीति से हटकर विचार करना होगा । इस भयंकर समस्या का समाधान क्या हो सकता है, इस पर चिन्तन करना होगा, मंथन करना होगा । बड़ी दुखद स्थिति है कि पिछले एक वर्ष में उत्तर प्रदेश में 3-3 दैवी आपदायें आयीं और उनका सामना करना पड़ा। जाड़े के समय चक्रवात आया और ओलावृष्टि हुई और उससे भारी क्षति हुई और फिर जल प्लावन की स्थिति पैदा हुई और उससे भारी क्षति हुई । कहीं पर पर्वत स्खलन हुआ, उससे भारी जन जीवन अस्त व्यस्त हुआ और भारी क्षति हुई । श्रीमन्, एक वर्ष में 3-3 दैवी आपदाओं को किसी राज्य को सामना करना पड़े, तो उस विषय की गम्भीरता को हम सभी लोग महसूस कर सकते हैं । मैं चूंकि अपने वक्तव्य में कह चुका हूं, उनको दुहराता नहीं हूं, लिखित में है, क्षति का ब्योरा भी दे रखा है । जन धन की कितनी क्षति हुई है, इसको भी दे रखा है । यह जो हमारे वक्तव्य में है, हो सकता है कि शायद इससे ज्यादा क्षति हुई हो लेकिन जितनी अपने वक्तव्य में अवगत कराया है, आपने उसको गम्भीरता से लिया है और आप इस बात से सहमत होंगे कि यह बहुत ही भयंकर अमानवीय त्रासदी है ।

उत्तरांचल के जनपदों को मिलाकर लगभग 55 जनपद इस त्रासदी से ग्रस्त हैं, कुछ कम प्रभावित हुए हैं और कुछ पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं, इस बार वर्षा दुगुने से भी अधिक हो गयी है । बाढ़ आती थी और जाती थी, सप्ताह भर रही, 10 दिन रही और फिर चली जाती थी, लेकिन गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष दुगुनी वर्षा हुई है और लगातार दो महीने तक बाढ़ का प्रकोप रहा, कोई भी कल्पना कर सकता है । मैंने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है । एक करोड़ 22 लाख लोग प्रभावित हो गये, लेकिन उनको लगातार इतने लम्बे समय तक निःशुल्क भोजन और औषधियां दी गयीं, इतनी व्यवस्था करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, जो कुछ सहायता इन सब के लिये दी जाती रही है, यह 150 करोड़ का ब्योरा दिया है । यह बाढ़ राहत के लिये तत्काल का पैसा है, क्षति पूर्ति का नहीं है । क्षतिपूर्ति का आंकलन कराया है उसे हमें पूरा करना होगा । श्रीमन्, जहां पर इतनी भयंकर स्थिति पैदा हो गयी हो उसका सामना करना कोई आसान काम नहीं है । मैंने अपने वक्तव्य में कितने मकान ध्वस्त हुए, कितने पशु मरे, कितनी जानें चली गयीं इस सब का ब्यौरा दिया है उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, इससे ज्यादा संख्या होगी यह मानने के लिये मैं तैयार हूं, कम होने का प्रश्न नहीं होता है । मैं भी कई स्थानों पर गया हूं, यह कहने के लिये मैं क्षमा प्रार्थी हूं इसे वह आत्मप्रशंसा न कहें, हमने लोगों को कहते सुना है कि इससे भयंकर बाढ़ नहीं हो सकती है इसके साथ ही यह भी कहते सुना है कि किसी के द्वारा इतनी ज्यादा राहत का प्रबन्ध भी नहीं किया गया । यह मैं अपनी प्रशंसा के लिये नहीं कह रहा हूं यह जो आप लोगों की धारणा हम लोगों को सुनने को मिली उसका संकेत कर रहा हूं । हमें पी० ए० सी० का सहयोग मिला, आर्मी का सहयोग मिला, एयरफोर्स का सहयोग मिला, सभी स्वयं सेवी संगठनों का सहयोग मिला मैं एक-एक का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि किसी का नाम गलती से छूट जायेगा तो उचित नहीं होगा । मुझे पक्ष में बैठे हुए और मेरे सामने विपक्ष के बैठे हुए सभी का सहयोग मिला । मैंने पहले ही कहा कि मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूं, सभी का सहयोग मिला । इसके लिये मैं सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, सब को धन्यवाद देता हूं ।

श्रीमन्, कल्पना करें दो हजार दो सौ लम्बाई के बंधे और उनमें 850 कि०मी० पूरे उ० प्र० में 56 बंधे ध्वस्त हो गये । मैं 3 हिस्से इसके करता हूं एक हिस्सा अतीत का, दूसरा हिस्सा वर्तमान का और तीसरा हिस्सा भविष्य का । यह कोई एक दिन का परिणाम नहीं है । जब मैं यह कह रहा हूं कि

यह एक दिन का परिणाम नहीं है तो मेरे मन में कहीं यह नहीं है कि इसमें पूर्ववर्ती सरकारों का दोष है इट एज ए स्टेटमेन्ट आफ फैक्ट्स, यह एक दिन का परिणाम नहीं है। जब–जब जो भी सरकारें रहीं उस-उस समय आवश्यकता के अनुसार काम किया होगा। लेकिन बाढ़ का इन्तजाम रहा होगा, जल प्लावन का नहीं, किसी को इस बात की कल्पना तक नहीं होगी। अतीत के बारे में किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं। वर्तमान में जितने सुझाव अभी तक दिये गये हैं वह हमारे लिये विचारणीय है।

यहां पर कुछ लोगों ने अपने क्षेत्र के बारे में कहा, ठीक कहा है, कुछ लोगों ने जनपद की बात कही ठीक कही है और कुछ लोगों ने पूरे प्रदेश के बारे में खास तौर से जहां बाढ़ आती है उसके संबंध में नीतिगत बातें कहीं यह भी ठीक ही हुई हैं। कहीं-कहीं पर घपला और भ्रष्टाचार का मामला उठाया गया है मैंने कहा कि आपके द्वारा कही बातों के लिये मैं आज की पूरी कार्यवाही का परीक्षण कराकर जहां पर घपला और भ्रष्टाचार की बात जांच के बाद साबित होगी मैं सदन में घोषणा करना चाहता हूं कि ऐसे किसी भ्रष्टाचारी और बेमानी करने वालों को बक्शा नहीं जायेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। हमने कार्यवाही की है उसका विवरण देकर समय नहीं लेना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं जो कह रहा हूं, उस पर विश्वास करें, उसका मेरे पास पूर्ण ब्यौरा है। श्रीमन्, चूंकि यह बाढ़ या जल प्लावन इस शताब्दी का सबसे भयंकर है इसलिये ऐसी स्थिति सामने आयी है। श्रीमन्, इसके लिये जो गण्डक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति है उसने मौके का निरीक्षण कर लिया है। इस समिति में बिहार, उत्तर प्रदेश और केन्द्र सरकार के वैज्ञानिक सम्मिलित हैं और उसने जो रिपोर्ट दिया है शासन उनकी संस्तुतियों के अनुसार कार्यवाही कर रहा है समयबद्ध तरीके से। यह हमने अतीत के संबंध में बता दिया।

मान्यवर, वर्तमान में बाढ़ या जल प्लावन जो है उसमें जितने संसाधनों की व्यवस्था की जा सकती थी वह हमने किया है। सीमित संसाधनों के बावजूद इस बाढ़ राहत कार्यों में प्रबन्ध करने में कोई कोताही हमने नहीं किया है।

श्रीमन्, हमने तीन उच्च स्तरीय जांच टीमें गठित किया है और उनके जिम्मे काम सौंपा है। बाढ़ सुरक्षा कार्यों में सर्वे किया जायेगा। सुरक्षा टीम बाढ़ की पूर्व की तैयारियों की समीक्षा करेगी और यदि तैयारी में कोई कमी पायी गयी तो देखा जायेगा कि इसका कौन जिम्मेदार है। ऐसी तीन टीमें बना दी गयी है।

भविष्य के लिये भी एक रणनीति बना रहे हैं। उसके अंग होंगे बंधों की ऊंचाई क्या हो और चौड़ाई क्या हो ? बंधों का सुदृढ़ीकरण कैसे किया जाए ? इन चार कामों के लिये हमने भविष्य की रणनीति बनायी है। बंधों की ऊंचाई, चौड़ाई और मजबूती के लिए तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक करने में हमारा प्रयास है कि इसी सितम्बर में हो जाए।

चर्चा यहां आयी कि अधिकांश नदियां पूर्वांचल में जो बहती हैं उनका उद्गम स्थल नेपाल है। नेपाल हमारा मित्र देश है। हमारे प्रधान मंत्री जी यहां प्रदेश में आये थे तो संकेत दिया है कि नेपाल सरकार से वार्ता की जायेगी। हमने प्रधान मंत्री जी से अनुरोध किया है केन्द्र स्तर से इस पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों देश मिलकर यदि कोई फूल-प्रूफ योजनायें नहीं बनायेंगे तो यह बाढ़ की विभीषिका का खतरा आगे भी बना रह सकता है। हम आशा कर सकते हैं कि दोनों देशों के हित को देखते हुए भारत और नेपाल के बीच में जरूर ऐसा कोई करार हो जायगा जिससे उत्तर प्रदेश को भविष्य में बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सके और नेपाल को किसी न किसी रूप में लाभ मिलता रहे। अभी श्रीमन् एक प्रस्ताव तैयार करके वर्ल्ड बैंक को भारत सरकार के माध्यम से भेजा जा रहा है। बंधों के सिलसिले में 509 करोड़ 85 लाख रुपयों को प्रोजेक्ट बनाया गया है। हम आशावान हैं कि वहां से इस प्रोजेक्ट के लिये आर्थिक सहायता मिल जायगी। आज केवल टुकड़ों टुकड़ों में व्यवस्था करने से काम नहीं चल सकता है। आज के अनुभव से हमको, आपको, सभी को सीख लेनी है कि

वर्तमान में जो विभीषिका सामने आ रही है उसके हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश के बंधों का मास्टर प्लान बनाकर कि क्या उसकी चौड़ाई हो, क्या ऊंचाई हो, कितनी मजबूती हो,इसके लिये हम भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से मदद मांग रहे हैं । सड़कें टूट गयी हैं, बिजली के खम्भे उखड़ गये हैं, तार टूट गये हैं, आवागमन के साधन समाप्त हो गये हैं इन सब कामों के लिये अलग से भारत सरकार से अनुरोध किया है ।

आज मैं भारत के प्रधानमंत्री के प्रति अपनी ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि इस भयंकर त्रासदी में, कि जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसको पूरा किया जा सकता है, जो विकास के कार्य ठप्प हो गये हैं उनको कैसे आगे चलाया जायगा उसके लिये उन्होंने उदारतापूर्वक कहा है कि केन्द्र सरकार धन की कमी न पड़ने देगी । श्रीमन्, इसी के साथ साथ प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है पत्र में हमने कहा है कि अतिवृष्टि तथा नदियों की निरन्तर लम्बी अवधि तक आज बाढ़ की अभूतपूर्व परिस्थितियों तथा व्यापक क्षतियों के परिप्रेक्ष्य में भारत के प्रधान मंत्री को प्रस्ताव भेजा है कि एक विशेषज्ञ दल का गठन किया जाय जिसमें केन्द्रीय जल आयोग, सेन्ट्रल वाटर कमीशन, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और अन्य विशेषज्ञों को शामिल किया जाय और यह विशेषज्ञ दल सारी चीजों का सर्वेक्षण करके, आकंलन करके बतायेगी कि हमको तात्कालिक क्या क्या उपाय करने होंगे । दीर्घकालीन क्या क्या योजनायें हो सकती हैं इस संबंध में भी आयोग बतायेगा । श्रीमन्, हमने निर्णय ले लिया है जिसकी घोषणा करने जा रहा हूं कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लघु और सीमान्त किसानों के लिये हम मुफ्त बीज उपलब्ध करा देंगे । (मेजों की थपथपाहट) श्रीमन्, इस पर जो खर्च आयेगा उस सारे खर्च को सरकार वहन करेगी । श्रीमन्, मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि बीज मुफ्त देने पर 35-40 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है । जो कहते हैं सो करते हैं इसलिये उतना ही कहते हैं जितना कर सकते हैं । इसलिये बहुत सोच-समझ करके कहते हैं क्योंकि घोषणा में विश्वास नहीं, क्रिया में विश्वास है । जो मैं कर सकता हूं आज की स्थिति में उसकी घोषणा सदन में करता हूं । इतना ही नहीं बहुत अच्छा सुझाव आया था कि आखिर कितने दिन तक कोई फ्री पैसा बांटा जाता रहेगा ? पैसा है कहां ? हम रोजगार के अवसर सृजित करने का प्लान बना रहे हैं । एक सुनिश्चित रोजगार योजना है, जवाहर रोजगार योजना है, ग्राम्य विकास की विकास योजनायें हैं और कुछ योजनायें हैं । इन सबको डबलप कर के जिसमें रोजगार छतरी भी सम्मिलित है और जो भारत सरकार ने हमको विभिन्न योजना में धनराशि देने का वायदा किया है वह 2800 करोड़ रुपये का होगा । मैं आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो 2800 करोड़ रुपया है इसका टाइमटेबुल बनाना, प्लान बनाना शुरू हो गया है । एक बार बैठकर के गहराई से समीक्षा कर चुका हूं । समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर, लक्ष्य निर्धारित करके हम 2800 करोड़ रुपये का सदुपयोग करेंगे और अन्य बातों के साथ-साथ हमारी प्राथमिकता होगी कि अधिक से अधिक लोगों को हम रोजगार उपलब्ध करा सकें । श्रीमन्, अभी कोई माननीय सदस्य कह रहे थे कि गन्ने का बकाया है । श्रीमन्, यह पहली सरकार है जिसने किसानों का 90% से भी ज्यादा भुगतान कर दिया, शेष के भुगतान की कार्यवाही जल्दी ही हम करने जा रहे हैं । यह पहली सरकार है जब गन्ना किसानों का 61 सौ करोड़ रुपया ....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य–

मान्यवर, पडरौना जिले से भी रिपोर्ट मंगा लिया जाये कि कितने प्रतिशत गन्ने का भुगतान किया गया है । इसी तरह से कुशीनगर का भी है ।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह-

मैं अभी कुशीनगर पर आ रहा हूं । श्रीमन्, प्राप्त जानकारी के अनुसार जो फेडरेशन और कारपोरेशन की चीनी मिल है उनका भुगतान कर दिया गया है । पडरौना और कटकुइयां दो चीनी मिलें ऐसी हैं जो भारत सरकार का कपड़ा मंत्रालय चलाता है, उनका बकाया है और हम भारत सरकार से अनुरो कर रहे हैं कि उनका बकाया अदा कर दिया जाये । शायद उनका मामला बी० आई० एफ० आर० को भी संदर्भित हो गया है । कप्तानगंज, रामकोला और सरदारनगर यह तीन चीनी मिलें निजी क्षेत्र की हैं । इनका भी थोड़ा सा बकाया बचा है । हम बहुत सख्ती कर रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान प्रायरटी से किया जाये इसके लिये अतिरिक्त रूप से 27 करोड़ रुपये हमने इसी बाढ़ के दौरान मंजूर कर दिये थे । श्रीमन्, जहां तक नेता विरोधी दल ने चिकित्सा के बारे में कुछ सवाल उठाये थे । इस भयानक जल प्लावन की स्थिति में कितने बड़े प्रबन्ध सरकार ने किये होंगे कि आज मैं विनम्रता पूर्वक कह सकता हूं कि एपेडेमिक महामारी नहीं है । यही सही है कि सामान्य तरीके से मौतें हो जाती हैं परन्तु महामारी की आशंका थी लेकिन 1 करोड़ 22 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए, दो महीने पानी भरा रहा हो इतने लोगों को लाकर निकाला गया हो । सात लाख 50 हजार लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर लाया गया हो ऐसी स्थिति में कितने व्यापक प्रबन्ध किये गये होंगे लेकिन सरकार ने महामारी नहीं होने दिया । इस संबंध में मैं स्वयं अधिकारियों और मंत्रियों के साथ समीक्षा की है । मुझे जो जानकारी मिली है सांप काटने की 209 घटनायें आई हैं मेरी जानकारी में लेकिन सांप काटने से एक भी मृत्यु नहीं हुई है । यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है ।

उन्नाव और देहरादून की बात हो रही थी उनको आशंका थी कि शायद उन्नाव बाढ़ग्रस्त एरिया में सम्मिलित है कि नहीं । उन्नाव जनपद बाढ़ग्रस्त जनपद में सम्मिलित है । देहरादून का किसी ने सवाल उठाया था मैं उनको जानकारी दे दूं देहरादून भी बाढ़ग्रस्त जनपद में सम्मिलित है । सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया है । प्रशासनिक मशीनरी ने भी पूरे मनोयोग के साथ काम किया है । जिन लोगों ने शिथिलता बरती है उनके विरुद्ध हमने कार्यवाही की है । वर्तमान की चिन्ता के साथ-साथ मुझे भविष्य की चिन्ता है । विचाराधीन जो प्रस्ताव हैं उनको मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है । परमात्मा न करे फिर कभी जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न हो जाये । लेकिन अगर ऐसा होता है तो ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर प्रयास करेंगे । अनेक मुद्दे हैं जिनमें हमारे आपके मतभेद हो सकते हैं लेकिन मानव त्रासदी का प्रश्न अगर पैदा हो जाये तो इसमें हम मिलकर काम करेंगे । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं विपक्ष के माननीय सदस्यों या नेताओं द्वारा जो आलोचनायें की गई होंगी हम उन आलोचनाओं में से भी सकारात्मक क्या चीज है पाजटिव क्या चीज है उनका परीक्षण करायेंगे उनको संकलित करेंगे । उनका हम संकलन करेंगे ताकि इस प्रदेश को इस तरह की त्रासदी से बचा सकें । मान्यवर, हम जानते हैं कि जान की कोई कीमत नहीं होती है परन्तु जान जाने के बाद जो क्षतिपूर्ति की बात कही जाती है मुझे उस पर सख्त एतराज होता है । हमने प्रत्येक मृतक के आश्रित को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता तथा अगर वह मृतक उस परिवार का कमाऊ मेम्बर है तो उस परिवार को एक लाख रुपये देने की घोषणा की है । आई० टी० बी० पी० के हमारे नौजवान जो उत्तरांचल में भू-स्खलन के कारण दूसरों की जान को बचाने के लिये अपनी जान गवां बैठे, उनके प्रति हम नत मस्तक हैं ; इनके भी परिवारों को हमने एक-एक लाख रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी है और उनको हम भेज रहे हैं । मान्यवर, मैंने पहाड़ को जाकर देखा, शायद अपनी जिन्दगी में इतने व्यापक तरीके से पहाड़ को देखा, व्यापक तरीके से बहुत ही गौर करके और हेलीकाप्टर की जितनी कम रफ्तार हो सकती है और पहाड़ों पर जितनी कम ऊंचाई हो सकती है ताकि पहाड़ से हैलीकाप्टर न टकरा जाय, उस ऊंचाई से पहाड़ की हालत को बहुत ही नजदीक से देखा है । जो पर्वत श्रृंखलाओं को मैंने देखा,

अगर समय रहते व्यापक प्रबन्ध न हुए तो इन पर्वत स्खलन की संभावान को नकारा नहीं जा सकता। जब तक पर्यावरण, जल प्रबन्धन, निर्माण तथा विकास के काम....

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैं बता देना चाहता हूं कि किन कारणों से यह हुआ है। ये परतदार पर्वत हैं, जो वर्षा हुई वह इन परतों के बीच में चली गयी। जो ज्योग्राफी के स्टूडेन्ट्स रहे हैं, वह इसे भलीभांति जानते हैं। परतदार पर्वत होने कैं कारण ये भू-स्खलन हुआ हैं और कोई दूसरा कारण नहीं है।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, मैं इस मामले का विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करता। मैंने स्वयं अपनी आंखों से जो देखा और पहाड़ की हालत को देखा तो जिस प्रकार से वहां स्खलन हुआ है, एक भयंकर स्थिति है। अधिकांश पहाड़ कच्चे हैं। वहां पर वृक्षों का कटाव हुआ है, निर्माण कार्य अन-प्लैन्ड तरीके से होते चले गये, कहीं पर सड़क निर्माण करते वक्त ब्लास्टिंग किये गये। जिसके कारण वहां पर पर्यावरण खराब हुआ। मौटेतौर पर जो मैं देखकर आया हूं, वह चिन्ताजनक है। इसलिये हमने उत्तरांचल की सुरक्षा के लिये–पहला, विश्व बैंक की सहायता से 350 करोड़ रुपए की लागत से एक इन्टीग्रेटेड वाटर शैड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तैयार करवाया है जिससे पर्वतीय क्षेत्रो में जल प्रबन्धन और पर्यावरणीय संतुलन को बनाये रखने के लिये व्यापक कार्यक्रम बनाये जा सकें। दूसरा, पर्वतीय क्षेत्रों के पर्यावरण, सम्वर्धन और पर्यावरण के संरक्षण के लिये "ईको रेस्टोरेन्ट एण्ड डेवलपमेंट आफ हिल्स एरियाज" यह उस महत्वाकांक्षी योजना का नाम है। यह महत्वाकांक्षी योजना विश्व बैंक के साथ उनकी सहायता प्राप्त करते हुए तैयार कराई जा रही है और इसी योजना पर 2100 करोड़ रुपये का लागत व्यय आयेगा। हमने टोकन मनी के रूप में जो बजट आपके सहयोग से सदन में पारित किया है इस महत्वाकांक्षी योजना के लिये प्रतीक के रूप में केवल 100 करोड़ रुपये का प्राविधान कर दिया है। मैं यह मानकर चलता हूं कि यह साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये की परियोजना 'इन्टीग्रेटेड वाटर शैड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट' और 2100 करोड़ रुपये की 'ईको रेस्टोरेन्ट एण्ड डेवलपमेंट आफ हिल्स एरियाज' इन दोनों परियोजनाओं को क्रियान्वित करके भविष्य में उत्तरांचल की सुरक्षा सम्भव होगी। हम इसको इसी रूप में ले रहे हैं।

श्रीमन्, बड़ी चर्चा हुई कि हमने प्रधान मंत्री से कुछ नहीं मांगा। आपको नहीं बोलना चाहिए था जब आपने यह पढ़ लिया था कि प्रधान मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से कोई लेटर हमें प्राप्त नहीं हुआ। आपको यह भी पढ़ लेना चाहिए था प्रदेश सरकार की तरफ से दो-दो पत्र आये हैं और टेलीफोन पर भी बातचीत हुई है। श्रीमन्, यह प्रधान मंत्री जी के आफिस से स्वयं उन्होंने ही इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए समाचार पत्र में दिया है। मैं नहीं समझता हूं कि बार-बार उस चीज को उठाने से लाभ क्या है? हमको प्रधान मंत्री जी का, केन्द्रीय नेताओं का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त है। हर प्रकार का सहयोग हमको प्राप्त है। प्रधान मंत्री जी भी बहुत ही भावुक हृदय के सम्वेदनशील व्यक्ति हैं। स्वयं जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा है इसलिये उन्होंने कहा भी कि पूर्वांचल की बाढ़ की त्रासदी से जो भी कार्य उत्तर प्रदेश सरकार करेगी केन्द्र सरकार उसमें उदारतापूर्वक सहयोग देगी। मैं मानकर चलता हूं कि इतनी बड़ी त्रासदी के लिये अकेले राज्य सरकार सक्षम नहीं हो सकती है।

श्री अम्बिका चौधरी–

श्रीमन्, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यह दुख है कि आपको इसमें सफाई देने की आवश्यकता पड़ गयी।

श्री कल्याण सिंह–

मैं उस प्रकरण की सफाई नहीं दे रहा हूं। यहां पर आपके दिमाग में जो भ्रम पैदा हो गया है उसकी सफाई करने के लिये कह रहा हूं। मैं आभारी हूं, एक बार पुनः सभी माननीय योग्य नेताओं का सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का और बड़ी विनम्रता के साथ आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो सहयोगात्मक और रचनात्मक सुझाव दिये हैं इन विभीषिकाओं का सामना करने के लिये वह मेरे लिये व मेरी सरकार के लिये मार्गदर्शन का काम करेंगे। मैं श्रीमन्, आपकी अनुमति से एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं सुबाष जी से निवेदन करूंगा कि इतनी चर्चा के बाद और सरकार की ओर से पक्ष आने के बाद अपना प्रस्ताव वापस ले लें तो अच्छा रहेगा।

(समय 9 बजकर 10 मिनट)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय नेता सदन के प्रति उन्होंने मुझसे अपने भाषण के अन्त में अपना प्रस्ताव वापस लेने की अपील की। मैं प्रारम्भ से बहुत धीरज के साथ माननीय नेता सदन को सुन रहा था। सम्भवतः जो प्रदेश की जनता विशेष तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता की पीड़ा को रखने का काम मैंने प्रस्ताव की शक्ल में किया है मैं इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि आदरणीय नेता सदन हमारी पीड़ा से सहमति व्यक्त करेंगे लेकिन मुझे दुख हुआ कि दलीय भावना से ऊपर उठकर हमारी चिन्ता इस बात की थी, कि इस सदन में हमने बाढ़ पर बहुत रोना रोया है हमारे पूर्व के लोगों ने रोने का काम किया तो कम से कम माननीय नेता सदन को श्रेय जाता, जो काफी दिनों से रोने का सिलसिला जारी है इसको बन्द करने का निर्णायक प्रयास करते इसलिये मैंने दो वाक्य का प्रस्ताव इस आदरणीय सदन में रखने का काम किया।

मुझे आश्चर्य हुआ माननीय नेता सदन के बोलने के पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री सिंचाई मंत्री जी बहुत विद्वान हैं इन्होंने यह कहा कि शायद मैंने इसके विधिक पहलुओं का ख्याल नहीं किया है और वगैर इसका ख्याल किये ही इस प्रस्ताव को रख दिया इस प्रस्ताव से मैंने उत्तर प्रदेश की स्वायत्तता का अपमान किया है अगर हम बाढ़ आयोग की संस्तुतियों को कार्यान्वित करने हेतु केन्द्र की गुहार करते हैं तो यह क्या सही नहीं है ? हमने अपने प्रस्ताव के जरिए कहा कि नेपाल से वार्ता करके इसको करें। हमने जो प्रस्ताव के जरिए बात कही है वह उत्तर प्रदेश की स्वायत्तता का जो बहाना बनाकर सरकार द्वारा उसको नकारने का प्रयास किया जा रहा हैं। मुझे सिंचाई मंत्री जी की विद्वता पर कोई संदेह नहीं है उनके पांडित्य और दक्षता में कोई संदेह नहीं है। मैं उनको पुनः स्मरण कराना चाहता हूं सबसे पहले 1954 में बाढ़ आयी जब इस देश के प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू जी थे उनके नेतृत्व में सबसे पहले भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाढ़ नीति की घोषणा की। नेशनल फ्लड पालिसी के तहत गंगा रिवर कमीशन का गठन किया गया। गंगा रिवर कमीशन ने प्रदेश में बाढ़ के कारणों का गहन अध्ययन किया। माननीय नेता सदन ने सेन्ट्रल वाटर कमीशन से वार्ता की बात कही। फ्लड एक्सपर्ट की राय की बात कही। इसमें बहुत अधिक परिश्रम पहले किया जा चुका है। गंगा आयोग, ब्रह्मपुत्र आयोग तथा राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने काफी परिश्रम किया है। राज्य सरकार इसमें अपनी ऊर्जा नष्ट न करे, इस हेतु पूर्व के आयोगों की संस्तुतियां हैं। माननीय नेता सदन से अनुरोध करने की मंशा से मेरा यह प्रस्ताव था। ताकि माननीय नेता सदन का समय और ऊर्जा बरबाद न हो, पूर्व में जो विशेषज्ञों ने काम किया है। गंगा रीवर कमीशन ने नेपाल तक जाकर विशद अध्ययन किया और उन्होंने यह कहा कि जो गंगा की ट्रीब्यूट्रीज हैं वह नेपाल से निकलती हैं। उनके उद्गम स्थल पर पंचमेश्वर बांध, भालू बांध, करनाली बांध और जलकुण्डी परियोजनायें बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि इनको पूर्ण किये बिना उत्तर प्रदेश को बाढ़ से मुक्त नहीं किया जा सकता है। उस समय वह परियोजना 33 करोड़

रुपये में पूरी हो जाती लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और वह परियोजना पूरी नहीं हो पायीं । मान्यवर, 1976 में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं तो उन्होंने पुनः न केवल उत्तर प्रदेश के लिये बल्कि सम्पूर्ण देश के लिये राष्ट्रीय बाढ़ आयोग श्री जे० एस० हाथी की अध्यक्षता में गठित किया । उस आयोग ने जो पूर्व की कार्य योजना थी उसके प्रति चिन्ता जतायी कि उसे पूरा क्यों नहीं किया गया ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं थोड़ा सा समय लूंगा । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो नेता सदन ने फिर से केन्द्र सरकार से एक्सपर्ट टीम बनाने की बात की है उस पर पुनर्विचार करने की बात कही है, मैं समूचे तथ्य लेकर आया हूं, अब किसी और विशेषज्ञ के मत की आवश्यकता नहीं है । यदि हमारी सरकार सहमत है तो उसे मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को केन्द्र को भेजने में गुरेज नहीं होना चाहिए । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कार्यकुशलता, दक्षता और समयबद्धता की बात कही । मान्यवर, मैं उनसे अपने को अलग नहीं रखना चाहता हूं । दस बारह दिनों तक देवरिया और कुशीनगर बाढ़ से प्रभावित रहा । श्रीमन्, मैं याद दिलाना चाहता हूं जब मैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस आदरणीय सदन में यह सवाल लाया था तो आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री ने राहत आयुक्त की आख्या को पढ़कर सुनाया था कि देवरिया में बाढ़ नहीं आयी है और पडरौना में स्थिति सामान्य है । मान्यवर, जिस समय पिपरा पिपरासी बांध टूटा था उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी राष्ट्रपति की अगवानी के लिये वाराणसी गये हुए थे और वहां से वापस आकर उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और उसके बाद उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया को बाढ़ग्रस्त घोषित किया । मान्यवर, जो पिपरासी बांध टूटा उसका एक हिस्सा बिहार में है, माननीय बाढ़ राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की देखरेख में जो टूटा हुआ हिस्सा था वहां बल्लियों की पायलिंग का काम किया गया । 180 मीटर बल्लियों की पायलिंग का काम 87 लाख रुपये में किया गया। गोरखपुर में बरही पाथ बांध टूटा 200 मीटर की बल्लियों की पायलिंग का कार्य किया गया 4 लाख रु० में । मुख्य अभियन्ता गोरखपुर गंडक ने प्रभावी रखवाली बंधों की नहीं की जिससे देवरिया गोरखपुर महाराजगंज आदि की जनता प्रभावित हुई । उनके खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन उस चार लाख रु० में कार्य करने वाले अभियन्ता को स्थानान्तरित व निलम्बित कर दिया गया । 87 लाख में कार्य करने वालों के कुकर्म को जस्टिफाई करने के लिये ।

मैं माननीय नेता सदन से यह कहना चाहता हूं कि आपका जो यह मंत्रिमण्डल है, जो आपके थोक देदीप्यमान नक्षत्र हैं, उनके कार्यकलापों पर आप यदि निगरानी नहीं रखेंगे तो वे पूरा प्रदेश डुबो देंगे । मैं पुनः अपने इस प्रस्ताव पर बल देते हुए प्रार्थना करता हूं कि आयोग की संस्तुतियों को लागू करवाने की खातिर भारत सरकार को यह सदन सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके भेजे ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, न मैंने अपमान शब्द का और न स्वायत्तता को गिरवी रखने जैसे शब्दों का प्रयोग किया । बाढ़ राज्य मंत्री का विषय है जो इस आयोग की बात कह रहे हैं आयोग ने 22 संस्तुतियां प्रदेश के लिये किया है बाढ़ नियंत्रण के लिये क्या कार्य करें वह संस्तुतियां पूरे देश का अध्ययन करके उस राज्य को दे दिया, इन संस्तुतियों पर विचार करने के लिये कहा है । जो सिंचाई की परियोजनाएं हैं उसमें बाढ़ नियंत्रण के लिये बांध नहीं बनाये जा रहे हैं । हर सरकार उसमें वार्ता कर रही है । इस पर कार्यवाही करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

सुबाष जी, आप अपने प्रस्ताव को वापिस ले रहे हैं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है पूर्वी उत्तर प्रदेश की भीषण बाढ़ समस्या के स्थायी समाधान हेतु राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की संस्तुतियों को अविलम्ब कार्यान्वित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

एक प्रस्ताव और है।

दिनांक 16, 18 व 19 अगस्त, 1998 को पिथौरागढ़ के मालपा गांव तथा रुद्रप्रयाग के उखीमठ क्षेत्र के अतिरिक्त कुमाऊं व गढ़वाल मण्डल में हुए भूस्खलन एवं प्रदेश में आई भीषण बाढ़ से हुई जान माल की क्षति के संबंध में शोकोद्गार संबंधी प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं––

दिनांक 16, 18 व 19 अगस्त, 1998 को पिथौरागढ़ के मालपा गांव तथा रुद्रप्रयाग के उखीमठ क्षेत्र के अतिरिक्त कुमाऊं व गढ़वाल मण्डल में पृथक-पृथक स्थानों व पृथक-पृथक समय पर भारी वर्षा व तेज हवाओं से हुये भूस्खलन के कारण लगभग 350 व्यक्तियों, जिनमें कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के तीर्थ यात्री भी थे, की मृत्यु हो गयी तथा अनेक लोग घायल हो गये और प्रदेश के 55 जिलों में आई भीषण बाढ़ से लगभग 1000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी तथा करोड़ों की सम्पदा नष्ट हो गयी। यह सदन जानमाल की क्षति के लिये शोक प्रकट करता है तथा ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह मृतकों की आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोकाकुल परिवारों को यह क्षति सहन करने की शक्ति व साहस प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रस्ताव पर नेता विरोधी दल के भी हस्ताक्षर हैं। मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि दिनांक 16, 18 व 19 अगस्त, 1998 को पिथौरागढ़ के मालपा गांव तथा रुद्रप्रयाग के उखीमठ क्षेत्र के अतिरिक्त कुमाऊं व गढ़वाल मण्डल में पृथक-पृथक स्थानों व पृथक-पृथक समय पर भारी वर्षा व तेज हवाओं से हुये भूस्खलन के कारण लगभग 350 व्यक्तियों, जिनमें कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के तीर्थ यात्री भी थे, की मृत्यु हो गयी तथा अनेक लोग घायल हो गये और प्रदेश के 55 जिलों में आई भीषण बाढ़ से लगभग 1000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी तथा करोड़ों की सम्पदा नष्ट हो गयी। यह सदन जानमाल की क्षति के लिये शोक प्रकट करता है तथा ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह मृतकों की आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोकाकुल परिवारों को यह क्षति सहन करने की शक्ति व साहस प्रदान करे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, 2 मिनट का मौन धारण कर लें।

श्री अध्यक्ष–

वैसे प्रस्ताव पर यह परम्परा नहीं है। फिर भी दिवंगत आत्माओं के प्रति 2 मिनट का मौन रखा जाता है।

(2 मिनट का मौन रखा गया)

अब हम उठते हैं कल 11 बजे पुनः बैठेंगे।

इसके बाद सदन 9 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ :
22 सितम्बर, 1998

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा;
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 305 विधान सभा (448)–1998–813 (डी०टी०पी०)।